विषय-सूची
(Contents)

खंड 'अ' (Section 'A')

पुस्तकालय की अवधारणा और समाज में इसकी भूमिका
(Concept of Library and Its Role in the Society)

(1-43)

इकाई-1. आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका
(Role of Library and Information Centre in Modern Society) 2-11

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 2
- पुस्तकालय और समाज (Library and Society) 3
- समाज में पुस्तकालय का महत्त्व (Importance of Library in Society) 4
- सारांश (Summary) 10
- प्रमुख शब्द (Key Words) 10
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 11
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 11

इकाई-2. पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र (Five Laws of Library Science) 12-21

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 12
- प्रथम सूत्र–"पुस्तकें उपयोग के लिए हैं।"
  (First Law–"Books are for Use") 13
- द्वितीय सूत्र–"प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले।"
  (Second Law–"Every Reader his/her Book") 14
- तृतीय सूत्र–"प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले।"
  (Third Law–"Every Book its Reader") 16
- चतुर्थ सूत्र–"पाठक का समय बचाएँ।"
  (Fourth Law–"Save the Time of the Reader") 17
- पंचम सूत्र–"पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है।"
  (Fifth Law–"Library is a Growing Organisation") 18
- सारांश (Summary) 20
- प्रमुख शब्द (Key Words) 21
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 21
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 21

इकाई-3. यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास
(Library Development in UK and USA) 22-32

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 22
- यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय का विकास (Development of Library in UK) 23

- संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय का विकास (Development of Library in USA) 28
- सारांश (Summary) 31
- प्रमुख शब्द (Key Words) 32
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 32
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 32

इकाई-4. पुस्तकालय विकास के विशिष्ट संदर्भ में आर.आर.आर.एल.एफ. तथा यू.जी.जी. की भूमिका (Library Development with Special Reference to Raja Rammohan Ray Library Foundation and University Grants Commission) 33-43

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 33
- राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (Raja Rammohan Ray Library Foundation) 34
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) (UGC) 36
- यू.जी.सी. की कार्य एवं गतिविधियाँ (Function and Activities of UGC) 38
- सारांश (Summary) 42
- प्रमुख शब्द (Key Words) 42
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 43
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 43

खंड 'ब' (Section 'B')

पुस्तकालय के प्रकार एवं उनके कार्य
(Types of Library and their Functions)

(45-98)

इकाई-1. राष्ट्रीय पुस्तकालय : भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता के विशिष्ट संदर्भ में इसकी भूमिका एवं कार्य (National Library : Its Role and Functions with Special References to the National Library of India, Kolkata) 46-55

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 46
- राष्ट्रीय पुस्तकालय का अर्थ एवं विशेषताएँ (Meaning and Features of National Library) 47
- राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता का इतिहास (History of National Library, Kolkata) 50
- ग्रंथसूची एवं संदर्भ सेवा (Booklist and Reference Services) 54
- प्रलेखन पुनरुत्पादन सेवा (Documentation Reprographic Services) 54
- सारांश (Summary) 54
- प्रमुख शब्द (Key Words) 54
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 55
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 55

इकाई-2. शैक्षणिक पुस्तकायल : विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय-भूमिका एवं प्रकार्य (Academic Libraries : School, College and University Role and Functions) 56-68

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 56
- विद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of School Library) 57
- विद्यालय में पुस्तकालय का योगदान (Contribution of Library in School) 58

- महाविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of College Library) 59
- विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of University Library) 62
- सारांश (Summary) 66
- प्रमुख शब्द (Key Words) 67
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 67
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 68

इकाई-3. सार्वजनिक एवं विशिष्ट पुस्तकालय : भूमिका एवं प्रकार्य
(Public and Special Libraries : Role and Functions) **69-81**

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 69
- सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library) 70
- सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका/कार्य (Role/Functions of Public Library) 71
- स्थानीय सांस्कृतिक सामग्री केंद्र (Local Cultural Material Centre) 74
- विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library) 75
- विशिष्ट पुस्तकालय की विशेषताएँ (Characteristic of Special Library) 76
- विशिष्ट पुस्तकालय की सेवाएँ (Services of Special Library) 78
- सारांश (Summary) 79
- प्रमुख शब्द (Key Words) 80
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 81
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 81

इकाई-4. पुस्तकालय व्यावसायिक निकाय एवं संघ : आईएलए, आइएसलिक, इफ़्ला, एफआईडी
(Library Professional Bodies and Association : ILA, IASLIC, IFLA, FID) **82-98**

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 82
- भारतीय पुस्तकालय संघ (ILA : Indian Library Association) 83
- विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों का भारतीय संघ
  (IASLIC : Indian Association of Special Libraries and Information Centre) 86
- इफ़्ला (IFLA : International Federation of Library Association and Institutions) 90
- इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इनफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन
  (FID : International Federation for Information and Documentation) 92
- सारांश (Summary) 96
- मुख्य शब्द (Key Words) 97
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 97
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 98

खंड 'स' (Section 'C')

पुस्तकालय अधिनियम
(Library Legislation)

(99-137)

इकाई-1. पुस्तकालय अधिनियम की अवधारणा एवं आवश्यकता
(Concept and Need of Library Legislation) 100-115

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 100
- पुस्तकालय अधिनियम के अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definition of Library Legislation) 101
- पुस्तकालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Important Features of Library Legislation) 101
- पुस्तकालय अधिनियम के तत्व (Factors of Library Legislation) 103
- भारत में पुस्तकालय अधिनियम (Library Legislation in India) 104
- सारांश (Summary) 114
- प्रमुख शब्द (Key Words) 115
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 115
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 115

इकाई-2. मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट (Model Public Library Act) 116-124

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 116
- मॉडल यूनियन लाइब्रेरी ऐक्ट, 1951 (Model Union Library Act, 1951) 118
- डॉ. एस.आर. रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट, 1930-1972 (Library Act of Dr. S.R. Rangnathan, 1930-1972) 118
- शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1963 (Model Public Libraries Bill of Education Ministry, 1963) 120
- योजना आयोग का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1963 (Model Public Libraries Bill of Planning Commission, 1963) 120
- मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऐक्ट, 1989 (Model Public Library and Information Services Act, 1989) 121
- सारांश (Summary) 123
- प्रमुख शब्द (Key Words) 123
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 123
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 124

इकाई-3. बिहार में पुस्तकालय अधिनियम (Library Legislation in Bihar) 125-137

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 125
- बिहार पुस्तकालय अधिनियम : अर्थ एवं परिभाषा (Bihar Library Legislation : Meaning and Definition) 126
- सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तत्व (Factors/Elements of Public Library Act) 127
- पुस्तकालय अधिनियम की वर्तमान स्थिति (Current Status of Library Legislation) 129

- विहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक, 2008 (Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008) 129
- सारांश (Summary) 136
- प्रमुख शब्द (Key Words) 136
- मॉडल प्रश्न (*Model Questions*) 137
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 137

खंड 'द' (Section 'D')

संसाधन सहभागिता, नेटवर्किंग और उपयोक्ता अध्ययन
(Resource Sharing, Networking and User Studies)

(139-192)

इकाई-1. संसाधन सहभागिता, नेटवर्किंग : अवधारणा, आवश्यकता और रूप (Resource Sharing, Networking : Concept, Need and Forms) 140-151

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 140
- संसाधन सहभागिता : अर्थ एवं परिभाषा (Resource Sharing : Meaning and Definition) 141
- संसाधन सहभागिता की आवश्यकता एवं उद्देश्य (Need and Objective of Resource Sharing) 141
- संसाधन सहभागिता के रूप (Forms of Resource Sharing) 144
- पुस्तकालय नेटवर्क (Library Network) 147
- नेटवर्क का रूप (Forms of Network) 147
- पुस्तकालय नेटवर्क के लिए पूर्व-अपेक्षाएँ (Pre-requisities for Library Network) 148
- पुस्तकालयों में नेटवर्क की उपयोगिता (Utility of Network in Library) 148
- सारांश (Summary) 150
- प्रमुख शब्द (Key Words) 150
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 151
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 151

इकाई-2. इनफ्लिबनेट, डेलनेट, नासडॉक, निस्सात (INFLIBNET, DELNET, NASSDOC, NISSAT) 152-168

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 152
- इनफ्लिबनेट (INFLIBNET) 153
- डेलनेट (DELNET) 156
- राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नासडॉक) (National Social Science Documentation Centre) (NASSDOC) 159
- नेशनल इन्फॉरमेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नालॉजी (निस्सात) (National Information System in Science and Technology) (NISSAT) 162
- सारांश (Summary) 166
- प्रमुख शब्द (Key Words) 167
- मॉडल प्रश्न (*Model Questions*) 167
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 168

इकाई-3. एग्रिस, इनिस, मेडलर्स, ओसीएलसी
(AGRIS, INIS, MEDLARS, OCLC) 169-179
- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 169
- एग्रिस (AGRIS) 169
- इनिस (INIS) 172
- मेडलर्स (MEDLARS) 175
- ओसीएलसी (OCLC) 176
- सारांश (Summary) 178
- प्रमुख शब्द (Key Words) 178
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 178
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 179

इकाई-4. उपयोक्ता अध्ययन एवं उपयोक्ता शिक्षा
(User Studies and User Education) 180-192
- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives) 180
- उपयोक्ताओं की विशेषताएँ (Features of Users) 182
- उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता एवं श्रेणियाँ (Needs and Categories of User Study) 182
- उपयोक्ता अध्ययन के लिए तकनीकें (Techniques for User Study) 183
- उपयोक्ता शिक्षा (User Education) 186
- अध्यापन विधियाँ (Teaching Techniques) 187
- उपयोक्ता शिक्षा की आवश्यकता एवं लाभ (Need and Advantages of User Education) 190
- सारांश (Summary) 190
- प्रमुख शब्द (Key Words) 190
- मॉडल प्रश्न (Model Questions) 191
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings) 191

PAPPER I

SYLLABUS

पुस्तकालय तथा समाज
(Library and Society)

Section-A
Concept of Library and its role in the society

UNIT–1 Role of Library and Information Centres.

UNIT–2 Laws of Library Science.

UNIT–3 Library Development in UK, USA.

UNIT–4 Library Development with Special Reference to Raja Ram Mohan Roy Library Foundation and UGC.

Section-B
Types of Library and their function

UNIT–1 National Library. : Its role and function with special reference to the National Library of India, Kolkata.

UNIT–2 Academic Libraries : School, College and University : Role and Functions.

UNIT–3 Public and Special Libraries : Role and functions.

UNIT–4 Libraries Professional Bodies and Associations : ILA, IASLIC, IFLA, FID.

Section-C
Library Legislation

UNIT–1 Concept and need of Library legislation

UNIT–2 Model Public Library Act.

UNIT–3 Library Legislation in Bihar.

Section-D
Resource Sharing, Networking and User Studies

UNIT–1 Resource Sharing networking : Concept, need and forms.

UNIT–2 INFLIB NET, DELNET, NASSDOC, NISSAT.

UNIT–3 AGRIS, INIS, MEDLARS, OCLC.

UNIT–4 User Studies and User Education

प्रथम पत्र
(First Paper)

पुस्तकालय तथा समाज
(Library and Society)

खंड 'अ' (Section 'A')

पुस्तकालय की अवधारणा और समाज में इसकी भूमिका
Concept of Library and Its Role in the Society

इकाई-1 आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका

Unit-1 Role of Library and Information Centre in Modern Society

इकाई-2 पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र

Unit-2 Five Laws of Library Science

इकाई-3 यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास

Unit-3 Library Development in UK and USA

इकाई-4 पुस्तकालय विकास के विशिष्ट संदर्भ में आर.आर.आर.एल.एफ. तथा यू.जी.सी. की भूमिका

Unit-4 Library Development with Special Reference to Raja Rammohan Roy Library Foundation and University Grants Commission

नोट

इकाई-1
(Unit-1)

आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका
(Role of Library and Information Centre in Modern Society)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- पुस्तकालय और समाज (Library and Society)
- समाज में पुस्तकालय का महत्त्व (Importance of Library in Society)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

परिचय (Introduction)

मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों एवं संस्थाओं को जन्म दिया है तथा विकसित किया है। जिस प्रकार से ये संगठन या संस्था मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार पुस्तकालय भी वह संगठन या संस्था है जो मनुष्य के मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस तथ्य को कई विद्वानों ने स्वीकार किया है कि सूचना एवं ज्ञान ही किसी देश या सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास का आधार होता है और यह सूचना एवं ज्ञान पुस्तकालय के माध्यम से मिलता है, उसमें संग्रहीत एवं संरक्षित होता है। इसी संदर्भ में गोलाल्ड जॉनसन ने अपनी पुस्तक 'पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज' में लिखा है कि "विश्व के सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे सरल एवं प्रभावपूर्ण माध्यम पुस्तकालय है।" वस्तुतः पुस्तकालय विश्व के महानतम विचारों का गागर होता है। विश्व के महानतम विचार पुस्तकों में ही संकलित होते हैं। पुस्तकालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ गहन ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तकें व्यवस्थित रूप से पाठकों के उपयोग के लिए रखी जाती है। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ देश एवं समाज के सर्वांगीण विकास में पुस्तकालयों का बहुमूल्य योगदान होता है।

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन करने के पश्चात पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्र निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या कर पाने में समर्थ हो सकेंगे–

- पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की अवधारणा, उद्देश्यों, कार्यों एवं समाज के लिए इनकी अनिवार्यता;
- आधुनिक समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मनोरंजन, अवकाश आदि के समय में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका;

- आज के सूचना समाज के विविध परिप्रेक्ष्यों मे पाठकों की विभिन्न सूचनापरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं से परिचित हो सकेंगे।

नोट

पुस्तकालय का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Library)

पुस्तकालय अँग्रेजी भाषा के शब्द 'Library' का हिंदी रूपान्तरण है। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के शब्द Libraria और फ्रेंच भाषा के शब्द Arius से मिलकर बना है अर्थात् Libra + Arius = Librariu. जिसमें Libra शब्द का अर्थ पेड़ के तने की छाल से है। चूँकि प्राचीन समय में लिखने के लिए पेड़ों की छाल का ही उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे परिष्कृत करके ग्रंथ या पुस्तक के रूप में पढ़ा एवं समझा जाने लगा।

दूसरा शब्द 'Arius' है जिसके प्रथम तीन अक्षर को Ari (एरी) कहा गया; जिसका अर्थ 'का' है। अत: Libra और Ari को मिलाकर 'Librari' शब्द का निर्माण किया गया तथा जिसे "पुस्तक रखने के स्थान" अर्थात् Library के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार पुस्तकालय का सही अर्थ यह निकलता है "पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए एकत्रित की जाती है।"

परिभाषा (Definition)

पुस्तकालय की कुछ प्रमुख परिभाषायें इस प्रकार हैं–

डॉ. एस.आर. रंगनाथन के अनुसार–"पुस्तकालय एक ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो उसमें रखी गई पुस्तकों के संग्रह की देखभाल या रखरखाव करती है; तथा इन्हें उन लोगों के लिए उपलब्ध कराती है, जिन्हें इस संग्रह के उपयोग की आवश्यकता होती है।"

यूनेस्कों के अनुसार–"प्रकाशित पुस्तक एवं पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य श्रव्य-दृश्य (Audio-visual) सामग्रियों का एक संगठित संग्रह और कर्मचारियों की उन सेवाओं को उनके उपयोग करने वालों की सूचना, शोध, शैक्षणिक या मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, प्रदान करने और उनकी व्याख्या करने में समर्थ है, पुस्तकालय कहते हैं।"

के.ए. इसाक के अनुसार–"पुस्तकों का सुव्यवस्थित संगठन एवं व्यवस्थापन स्थल, जहाँ कर्मचारियों की सहायता से पाठक अपनी मनपसंद या वांछित पुस्तक को सरलता से उपयोग कर सकें, उसे पुस्तकालय कहते हैं।"

आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार–"पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है, जिसका कार्य है पुस्तकों की देखभाल करना तथा उनको उन पाठकों के लिए उपलब्ध कराना जिनको उनकी आवश्यकता है।"

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि "पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों द्वारा पाठकों की सुविधा एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, वैज्ञानिक ढंग द्वारा पुस्तकों का चयन, अर्जन, संग्रहण एवं परिसंचरण की व्यवस्था की जाती है।"

पुस्तकालय और समाज (Library and Society)

पुस्तकालय एवं समाज के बीच गहरा संबंध है। बिना समाज के पुस्तकालय की कल्पना नहीं की जा सकती है और पुस्तकालयों का अस्तित्व ही समाज के लिए होता है। मानव सभ्यता पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि पुस्तकालय सभ्य समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं। पुस्तकालयों के उद्भव से समाज की निर्भरता पुस्तकालय पर बढ़ी है। जे.एच. शेरा ने इस संबंध में लिखा है "पुस्तकालय हमारे सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है।"

कुछ समय पहले पुस्तकालय का जो सामाजिक उपयोग था, आज वह पूरी तरह से बदल गया है। सामूहिक शिक्षा की अवधारणा ने पुस्तकालय का स्वरूप ही बदल दिया है। आज पुस्तकालय अपने संसाधनों द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए दिशा-निर्देश देने का काम करता है। आज सामाजिक नव-निर्माण में पुस्तकालयों का महत्त्व बढ़ता ही जा रहा है।

आज मानव समाज अपनी समस्त क्रियाकलापों के संपादन में विभिन्न तरह की संस्थाओं एवं संगठनों का सहयोग ले रहा है अर्थात् मानव अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, अनुसंधान आदि सभी तरह के क्रियाकलापों में इनसे संबंधित संस्थाओं एवं संगठनों का उपयोग कर रहा है। अत: पुस्तकालय को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है जो ज्ञान एवं सूचनाओं की विशेषता पूर्ण ढंग से प्रसारित कर समाज की विभिन्न सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

चूँकि यह सर्वविदित है कि मानव समाज के सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञान एवं सूचना एक महत्त्वपूर्ण अभिकरण है, अत: मानव-समाज की विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन एवं विकास में पुस्तकालय का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

नोट

समाज में पुस्तकालय का महत्त्व (Importance of Library in Society)

पुस्तकालय का उद्देश्य एवं कार्य (Purpose/Objective and Function of Library)

मानव सभ्यता पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि पुस्तकालय सभ्य समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं। प्राचीन पुस्तकालय से लेकर आधुनिक पुस्तकालय के विकास तक पुस्तकालय के उद्देश्यों, कार्यों एवं क्षेत्रों में काफी गत्यात्मक स्थिति दिखायी पड़ती है, अत: अलग-अलग कालों एवं परिस्थितियों में पुस्तकालयों के उद्देश्यों एवं कार्यों में भी लगातार विस्तार होता गया है। पुस्तकालयों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- बिना किसी भेदभाव के ज्ञान, विचार और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
- पुस्तक एवं पुस्तकालय के उपयोगिता में वृद्धि करके शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
- देश की जनता की बौद्धिक स्तर पर समग्र विकास कर देश को प्रबुद्ध नागरिक प्रदान करना।
- समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक जीवन का विकास करना।
- लोगों को जीवन पर्यन्त स्वशिक्षा प्रदान करना।
- किसी एक या समस्त विषयों एवं सूचनाओं के साथ-साथ स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित साहित्य का संग्रह एवं व्यवस्थापन कर समाज का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक कल्याण करना।
- खाली समय के सदुपयोग के अवसर प्रदान करना।
- औपचारिक शिक्षा एवं विद्वता में सहायक होना।
- लोगों को उनसे संबंधित कार्यक्षेत्र के बारे में नवीनतम सूचना प्रदान कर, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना।
- अनुसंधान कार्यों के लिए अनुसंधानकर्त्ता को नवीनतम सूचना प्रदान कर अनुसंधान कार्यों की उपयोगिता बढ़ाना।
- सर्वत्र शांति, सद्भावना एवं विश्व-बंधुत्व की भावना का विकास कर प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं भावनाओं को दृढ़ करना।
- बिना किसी भेदभाव के लोगों के सामने संतुलित एवं उन्नत विचारों को प्रस्तुत करना एवं
- समाज में शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र बनकर सामाजिक कल्याण एवं उत्थान में सहयोग करना।

पुस्तकालय का कार्य (Function of Library)

पुस्तकालय का प्रमुख ध्येय ज्ञान का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण करके व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को बौद्धिक स्तर पर सम्पन्न एवं प्रबुद्ध बनाना है। अत: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय के जो कार्य हैं उसे तीन प्रमुख संदर्भों में बाँटकर देख सकते हैं जो इस प्रकार है–

नैतिक कार्य के संदर्भ में (In Reference of Moral Function)

पुस्तकालय के निम्नलिखित नैतिक कार्य हैं, जिसे प्राथमिक कार्य भी कह सकते हैं–

- पाठ्य-सामग्रियों के संग्रहण, संरक्षण एवं वितरण की व्यवस्था करना।
- जनता द्वारा माँग करने पर उन्हें उनकी वांछित पाठ्य-सामग्री उपलब्ध करवाना।
- जनता में पुस्तक एवं पुस्तकालय के उपयोग की प्रवृत्ति जागृत करना।
- पुस्तकालय संग्रह को अद्यतन बनाए रखना।

सामाजिक कार्य के संदर्भ में (In Reference of Social Function)

पुस्तकालय समाज की देन है। इसलिए जो भी कार्य पुस्तकालयों द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं वे सभी पुस्तकालयों के सामाजिक कार्य कहलाते हैं। सामाजिक कार्य के संदर्भ में निम्नांकित कार्य संपादित किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं–

छात्र क्रियाकलाप

1. 'पुस्तकालय और समाज के बीच गहरा संबंध है'–इसकी विवेचना करें।

2. दैनिक कार्य के संदर्भ में पुस्तकालय के कार्यों का वर्णन करें।

नोट

- जनता के चतुर्दिक विकास के लिए उन्हें आजीवन निःशुल्क सूचना सेवा प्रदान करना।
- देश में आधारभूत शिक्षा की जड़ों को मजबूत करना।
- देश में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु शोध-साहित्यों का विस्तृत संग्रह कर सेवा प्रदान करना।
- विश्व में शांति, सद्भावना एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना एवं
- राष्ट्र के निर्माण में राजनीतिज्ञों, विचारकों, विद्वानों एवं प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग करना।

दैनिक कार्य के संदर्भ में (In Reference in Daily Function)

पुस्तकालय को उपरोक्त सभी कार्यों एवं उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लागू करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे दैनिक कार्य के संदर्भ में स्पष्ट कर सकते हैं। यह निम्नांकित हैं–

- **पुस्तक आदान-प्रदान कार्य** (Circulational Function)–यह पुस्तकालय का प्रमुख दैनिक कार्य है। किसी भी पुस्तकालय की सफलता का यह मूलमंत्र होता है कि वे अपने संग्रह का अधिक से अधिक उपयोग कराने के लिए पाठ्य-सामग्रियों का आदान-प्रदान कार्य एवं सेवा की व्यवस्था करें।
- **संदर्भ सेवा एवं कार्य** (Reference Service and Function)–संदर्भ सेवा आधुनिक पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य मानी जाती है इसके अंतर्गत उपयोगकर्ता को वांछित पाठ्य-सामग्री चुनने एवं खोजने में पुस्तकालय द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- **प्रलेखन कार्य** (Documentation Function)–वर्तमान समय सूचना क्रांति का है अर्थात् आज सूचना का क्षेत्र इतना विस्तृत एवं व्यापक हो गया है कि एक अनुसंधानकर्ता को वांछित सूचना स्वयं खोजने में अधिक समय, श्रम एवं धन खर्च हो जाता है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए पुस्तकालय प्रलेखन कार्य अर्थात् पुस्तकालय अनुवाद, सारांशीकरण, अनुक्रमणीकरण, प्रतिलिपिकरण के माध्यम से वांछित सूचना अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध करा रहा है।

पुस्तकालय की उपयोगिता एवं महत्त्व (Utility and Importance of Library)

पुस्तकालय की उपयोगिता एवं महत्त्व के संदर्भ में यदि कहा जाए कि "पुस्तकालय मानव सभ्यता के इतिहास का दर्पण है।" तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि मानव सभ्यता का बौद्धिक इतिहास बहुत हद तक पुस्तकालयों से संबंधित रहा है। पुस्तकालय की उपयोगिता एवं महत्त्व को रेखांकित करते हुए कुछ प्रमुख विद्वानों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की है जो इस प्रकार है–

डॉ. सी.बी. रमन के अनुसार–"पुस्तकालय एक ऐसा अस्त्र है जो सफलतापूर्वक अशिक्षा से उत्पन्न समस्या का समाधान कर सकता है, पुस्तकालय के बिना जनता में राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक चेतना का उदय संभव नहीं है।"

डॉ. एस.आर. रंगनाथन के अनुसार–"भारत की वर्तमान जनता की मानसिक उन्नति की व्यवस्था करने के लिए पुस्तकालय के सिवा दूसरा साधन (विकल्प) ही नहीं है।"

यूनेस्कों ने पुस्तकालय की उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे में राय व्यक्त करते हुए लिखा है कि "पुस्तकालय जन-शिक्षा के लिए एक जागृत शक्ति है।"

आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका (Role of Library and Information Centre in Modern Society)

आधुनिक समाज की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं जैसे-सामाजिक एवं राजनीजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शिक्षा एवं अनुसंधान विकास, अध्यात्मिक विकास, खेल-कूद, मनोरंजन आदि। आधुनिक समाज अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना कर रखी है। जैसे–शैक्षणिक संस्थाएँ, आर्थिक संस्थाएँ, सांस्कृतिक केंद्र आदि। परंतु इन संस्थाओं एवं संगठनों से समाज के कुछ सीमित आवश्यकताओं की ही पूर्ति हो पाती है लेकिन पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जिससे समाज की अनेकों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जैसे–ज्ञान एवं सूचना के प्रचार-प्रसार से समाजिक एवं राजनीतिक विकास, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास, मनोरंजनात्मक एवं प्रेरणात्मक शिक्षा आदि।

आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के द्वारा निम्नलिखित भूमिका निष्पादित की जाती है जो इस प्रकार है–

नोट

शिक्षा विस्तार में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका
(Role of Library and Information Centre in Education Extension)

यह सर्वविदित है कि किसी भी समाज या राष्ट्र का निर्माण एवं विकास वहाँ की शिक्षित एवं जागरूक जनता पर निर्भर करती है। इसलिए जन-समुदाय को शिक्षित करने के लिए सभी देशों की सरकारों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं एवं पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है। पुस्तकालयों को प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रचार-प्रसार का प्रमुख केंद्र के रूप में स्वीकार किया गया है। वास्तव में पुस्तकालय आधुनिक शैक्षणिक संरचना की नींव है।

वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्ति के चार प्रमुख माध्यम हैं जो इस प्रकार हैं–

- औपचारिक शिक्षा;
- अनौपचारिक शिक्षा;
- प्रौढ़ शिक्षा एवं
- रोजगारपरक एवं व्यावसायिक शिक्षा।

पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र शिक्षा प्राप्ति के लिए उपरोक्त माध्यमों से प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है जो इस प्रकार है–

औपचारिक शिक्षा (Formal education)–औपचारिक शिक्षा के दौरान व्यक्ति किसी विशेष पाठ्यक्रम के आधार पर किसी विशेष स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है। यह शिक्षा शिक्षण संस्थानों; जैसे-विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा शोध-संस्थानों के माध्यम से मिलती है। शिक्षक श्रेणी कक्ष में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देते हैं। लेकिन छात्र संख्या में वृद्धि, नए पाठ्यक्रमों का आविर्भाव, शिक्षा का असीमित विस्तार, शिक्षण-पद्धति में नए प्रयोग, ज्ञान का विस्फोट, पुस्तकों की बढ़ती संख्या, ज्ञान का पुस्तकेतर रूप जैसे-वीडियो टेप, माइक्रोफिल्म, सी.डी. आदि के प्रादुर्भाव के कारण जो शिक्षा श्रेणी-कक्ष में दी जाती है, वह विद्यार्थी के समुचित विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती। उसके लिए पुस्तकालय अनिवार्य है। आज पुस्तकालय हर प्रकार के शिक्षण संस्थान का एक अपरिहार्य अंग बन चुका है।

शिक्षाशास्त्री तथा विद्वान आदि सभी इस बात से सहमत हैं कि "किसी को कितनी उत्तम शिक्षा मिली है, इसका पता इससे नहीं लगाया जा सकता है कि उसके पास किसी विश्वविद्यालय की उपाधि है या नहीं; बल्कि इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसे पुस्तकालय का उपयोग करना आता है या नहीं।" औपचारिक शिक्षा एवं पुस्तकालय के बारे में हुचिंग ने लिखा है कि "कोई विश्वविद्यालय उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका पुस्तकालय है।" विद्यालय पुस्तकालय विद्यार्थी में पढ़ने की आदत डालता है, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय उसे एक ही विषय पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध करा कर उसके बौद्धिक विकास में योगदान प्रदान करते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal education)–शिक्षा एक जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब मनुष्य का औपचारिक शिक्षा संस्थाओं से संबंध समाप्त हो जाता है तो वह अनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं से नवीनतम ज्ञान प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका न्यून हो जाती है। इसमें पुस्तकालय की भूमिका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में छात्रों को ज्ञान का अर्जन स्वाध्याय के माध्यम से करना पड़ता है। इस स्थिति में औपचारिक शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक पुस्तकालयों को अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देना पड़ता है।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व सार्वजनिक पुस्तकालय के ही ऊपर होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय अनौपचारिक रूप से प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य-सामग्रियों का संकलन करता है तथा पाठकों के सुविधानुसार अनुकूल समय में पुस्तकालय खुला रहता है और उन्हें पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराता है। इसीलिए सार्वजनिक पुस्तकालय को लोक विश्वविद्यालय कहा जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा (Adult education)–"किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास शिक्षित जनता के द्वारा ही संभव है।" वैसे सभी देश जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही न्यून है उनमें सबसे बड़ा तबका प्रौढ़ों की अशिक्षा है। अतः वैसे सभी देशों में प्रौढ़ों को साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है और इनको साक्षर एवं शिक्षित बनाने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने का दायित्व सार्वजनिक पुस्तकालय के ही ऊपर है। प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार एवं प्रचार में सार्वजनिक पुस्तकालय महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस पुस्तकालय का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की अध्ययन एवं सूचना विषयक रुचि का ध्यान रख उसकी पूर्ति करना।

नोट

रोजगारपरक एवं व्यावसायिक शिक्षा (Occupational and Vocational education)–रोजगारपरक एवं व्यावसायिक शिक्षा में पुस्तकालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय प्रौद्योगिकी का युग है। लोग अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता या निपुणता हासिल करने के लिए प्रयत्नशील है, समाज एवं लोगों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि पुस्तकालय में विभिन्न विषय क्षेत्रों की नवीनतम सूचना रहती है, साथ ही साथ विज्ञान, तकनीकी, कला आदि से जो भी नवीन विचार या सूचना का आविर्भाव होता है, उन सभी का संकलन पुस्तकालय में होता है और इन सूचनाओं, तकनीकों या विचार से संबंधित उपयोक्ता अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता या निपुणता हासिल करने के लिए इनका उपयोग करते हैं।

अनुसंधान एवं तकनीक के क्षेत्र में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका (Role of Library and Information Centre in Research and Technique)

अनुसंधान किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अनुसंधान एवं विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर विकसित होना है तो अनुसंधान पर बल देना ही होगा और अगर अनुसंधान होता है तो इसका प्रतिफल विकास के रूप में दिखायी देता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों के पीछे अनुसंधान का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान है। अनुसंधानों का संग्रहण किया जाता है तथा उस संग्रहण को वर्षों तक जीवित रखने एवं अनुसंधानकर्त्ता को उपलब्ध कराने का कार्य पुस्तकालय का ही होता है। आनेवाली पीढ़ियों को अनुसंधान के बारे में जानकारी पुस्तकालय के माध्यम से ही मिलती है। आज अनुसंधानकर्त्ता को अपने देश में हो रहे अनुसंधान के बारे में नहीं बल्कि विदेशों में किसी विशेष क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है तथा क्या परिणाम मिल रहे हैं ? इन सब की जानकारी पुस्तकालय के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। पुस्तकालय INSDOC, NASSDOC, AGRIS आदि अनेक संस्थाओं द्वारा विभिन्न विषयों में किए गए तथा किए जा रहे अनुसंधानों के सार-संक्षेप अनुसंधानकर्त्ताओं को उपलब्ध कराते हैं, जिससे अनुसंधानकर्त्ता की समय, धन तथा श्रम की बचत होती है। पुस्तकालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। अत: यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान के क्षेत्र में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

सांस्कृतिक क्रियाकलाप में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका (Role of Library and Information Centre in Cultural Activities)

मनुष्य का ज्ञान एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पुस्तकों में संयोजित होते हैं और ज्ञान के इस भंडार को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने का कार्य पुस्तकालय का ही होता है। देश-विदेश की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन पुस्तकालय में ही बैठकर किया जा सकता है। पुस्तकालय न सिर्फ पाठ्यपुस्तकों का संग्रहण करता है बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी प्रस्तुत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राष्ट्रीय पर्व या अन्य अवसरों पर संगीत, समारोह, नृत्य, नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करता है जिससे समुदाय के सांस्कृतिक जीवन और अधिक सुदृढ़ होता है एवं पुस्तकालय की उपादेयता को बढ़ाता है।

सूचना के प्रचार-प्रसार में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका (Role of Library and Information Centre in Disseminating of Information)

अपने पुस्तक-संग्रह के माध्यम से पुस्तकालय ज्ञान एवं सूचना के विशाल भंडार का निर्माण करते हैं। सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने वाले किसी भी मानवीय गतिविधियों की सफलता के लिए सूचना एक आवश्यक संसाधन है। शोधार्थी, शिक्षक, छात्र, प्रशासक, औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रबंधक, कृषक आदि सभी को सूचना की आवश्यकता पड़ती है ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में इस सूचना का उपयोग कर अधिकाधिक रूप से सफल हो सके। पुस्तकालय का इसमें यह योगदान होता है कि यह न सिर्फ सूचनाओं का संकलन करता है बल्कि प्रचार-प्रसार में भी इसकी भूमिका अहम् होती है। इसीलिए पुस्तकालय को 'सूचना केंद्र' भी कहा जाता है। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार से जैसे-वाङ्मयात्मक सूची, अनुक्रमणिकाएँ, सार-पत्रिकाएँ, अनुवाद कार्य, संघ सूची आदि द्वारा सूचना को पाठकों को उपलब्ध करा रहे हैं।

आध्यात्मिक विकास में पुस्तकालय की भूमिका (Role of Library in Spiritual Activities)

आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र की भूमिका सराहनीय है। पुस्तकों को सामान्यत: तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–सूचनात्मक पुस्तकें, मनोरंजनात्मक पुस्तकें तथा प्रेरणात्मक पुस्तकें। ऐसी पुस्तकों का संग्रहण पुस्तकालय में किया जाता है क्योंकि ऐसे पुस्तक व्यक्तियों के आध्यात्मिक, बौद्धिक,

छात्र क्रियाकलाप

1. अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं?

2. आध्यात्मिक विकास में पुस्तकालय की क्या भूमिका है? वर्णन करें।

नोट

नैतिक एवं धार्मिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पुस्तकों का शाश्वत महत्त्व है। प्रत्येक पुस्तकालय में इस तरह के पुस्तकों को मानव मूल्यों के विकास के लिए संग्रह करना आवश्यक माना गया है। गीता, पुराण, बाइबिल तथा वेद आदि इन पुस्तकों की श्रेणी में आते हैं। सभी पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के पुस्तकों का संकलन करते हैं ताकि मानव जाति उच्च विचारों एवं आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सके।

मनोरंजनात्मक गतिविधियों में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका (Role of Library and Information Centre in Recreational Activities)

जब मनुष्य अपने को थका हुआ महसूस करता है तो उसे आराम चाहिए एवं थोड़ा मनोरंजन चाहिए। अवकाश के समय का अच्छा उपयोग पुस्तकालय में ही हो सकता है। पुस्तकालय की मुख्य भूमिका अपने पाठकों को सभी जरूरत की सूचना देना एवं मनोरंजन कराना है। आजकल पुस्तकालय भी ऑडियो-वीडियो तकनीकों का सहारा ले रहे हैं तथा अपने पाठकों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रदर्शनी लगाते हैं। बच्चों के लिए चित्रात्मक कहानियाँ, वृद्धों के लिए धार्मिक पुस्तकों का प्रबंध पुस्तकालय करते हैं। विद्वान एवं पढ़े-लिखे मनुष्य अवकाश के समय एवं थकान को कम करने के लिए पुस्तकालय का ही उपयोग करते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान का भी सर्वोत्तम साधन के रूप में उभरा है।

सारांश (Summary)

इस इकाई में आधुनिक समाज में पुस्तकालय का अर्थ, उद्देश्य एवं कार्य; उपयोगिता एवं महत्त्व तथा इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। आधुनिक समाज को अनेकों आवश्यकताएँ होती हैं जैसे–शिक्षा अनुसंधान, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक एवं वैचारिक क्रियाकलाप आदि। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज में मानव ने अनेक संगठनों एवं संस्थाओं को जन्म दिया है लेकिन इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय नामक संगठन है। अन्य संस्थाएँ एक या दो प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है लेकिन पुस्तकालय सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज की शैक्षणिक एवं अनुसंधानपरक गतिविधियों के प्रोत्साहन, सांस्कृतिक विकास, सूचना के प्रचार-प्रसार, आध्यात्मिक आस्थाओं की पूर्ति, मानवीय मूल्यों की स्थापना, मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यों के आयोजन में पुस्तकालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

अतः पुस्तकालय समाज का ऐसा ज्ञान मंदिर है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति समानता, सहृदयता तथा भ्रातृत्व का पाठ पढ़ता है तथा देश एवं समाज को शिक्षित एवं सबल बनाने में अपनी सफलतापूर्वक निर्वहन करता है। आज सूचना तथा ज्ञान को मूल संसाधन माना गया है और आधुनिक समाज को 'सूचना समाज' की संज्ञा दी गई है और पुस्तकालय इस सूचना के संग्रहण और प्रकीर्णन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अतः आज के परिप्रेक्ष्य में बिना पुस्तकालय के शिक्षित एवं विकसित समाज एवं राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है।

प्रमुख शब्द (Key Words)

औपचारिक शिक्षा (Formal education)–शिक्षा की ऐसी प्रणाली जिसमें शिक्षा विशेष पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण संस्थानों जैसे–विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से मिलती है।

अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal education)–शिक्षा की ऐसी प्रणाली जिसमें छात्रों को स्वयं अध्ययन एवं स्वयं निर्देशन के माध्यम से ज्ञान अर्जन करना पड़ता है।

सूचना (Information)–ज्ञात, तथ्य, समाचार, संकेत, बुद्धि, डाटा जो व्यवहार या संदेश के माध्यम से प्रेषित होता है।

सूचना समाज (Information Society)–एक ऐसा समाज जिसमें सूचना एवं ज्ञान ही परिवर्तन के प्रमुख कारक शक्तिप्रदायक एवं मार्गदर्शक तत्व के रूप में स्थापित होते हैं।

सूचना का प्रसार (Disseminating of Information)–लोगों को सुलभ करने के लिए सूचना का संग्रह, व्यवस्थापन तथा उपयुक्त स्वरूप में उसका प्रस्तुतीकरण।

ज्ञान (Knowledge)–मनुष्य द्वारा अर्जित सत्य, तथ्य, सूचना एवं सिद्धांतों का समष्टि रूप होता है। जो ज्ञात है उसका समष्टि रूप ज्ञान है।

नोट

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. पुस्तकालय के उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना करें।
   Discuss the purpose and function of library.
2. पुस्तकालय की उपयोगिता एवं महत्त्व की विवेचना कीजिए।
   Discuss the utility and importance of library.
3. आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका संक्षिप्त रूप में लिखें।
   Briefly discuss the role of library and information centre in modern society.
4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी करें–
   Write notes on any two of the following–
   (*i*) पुस्तकालय का अर्थ एवं परिभाषा
   Meanings and definition of Library.
   (*ii*) मनोरंजनात्मक गतिविधियों में पुस्तकालय
   Library in Recreational Activities.
   (*iii*) सांस्कृतिक क्रियाकलापों में पुस्तकालय
   Library in Cultural Activities.
   (*iv*) पुस्तकालय के उद्देश्य
   Purpose of Library.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

व्यास, एस.डी. : पुस्तकालय और समाज, पंचशील पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1995

पांडेय, एस.के. शर्मा : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007

सिंह, रामशोभित प्रसाद : पुस्तकालय संगठन एवं प्रशासन, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2000

Khanna, J.K. : Library & Society, Research Publication, Kurukshetra, 1987

Rath, P.K. and Rath, M.M. : Sociology of Librarianship, Pratibha Prakashan, Delhi, 1992

नोट

इकाई-2
(Unit-2)

पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र
(Five Laws of Library Science)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- प्रथम सूत्र–"पुस्तकें उपयोग के लिए हैं।"
  First Law–"Books are for Use."
- द्वितीय सूत्र–"प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले।"
  Second Law–"Every Reader his/her Book."
- तृतीय सूत्र–"प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले।"
  Third Law–"Every Book its Reader.'
- चतुर्थ सूत्र–"पाठक का समय बचाएँ।"
  Fourth Law "Save the Time of the Reader."
- पंचम सूत्र–"पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है।"
  Fifth Law–"Library is a Growing Organisation."
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

परिचय (Introduction)

डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन के उल्लेखनीय योगदानों में पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्रों का नाम पहले आता है। इन सूत्रों का प्रतिपादन सन् 1928 ई. में किया गया और सर्वप्रथम सन् 1931 ई. में इन नियमों को एक किताब "प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस (Preface to library science)" में प्रकाशित किया गया। डॉ. रंगनाथन के इन नियमों के प्रकाशित होने के बाद पुस्तकालय विज्ञान जगत को एक नई दिशा प्राप्त हुई।

डॉ. एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिए गए पाँच सूत्र निम्नानुसार हैं–

- पुस्तकें उपयोग के लिए हैं;
- प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले;
- प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले;
- पाठक का समय बचाएँ; एवं
- पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है।

इन सूत्रों को रंगनाथन ने पुस्तकालय कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत तथा आदर्शात्मक सिद्धांत माना है। इनके अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र "विशिष्ट आदर्शक सिद्धांत है। जो पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सेवा

तथा पुस्तकालय कार्य पद्धति में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करने हेतु प्रयुक्त हो सकते हैं।'' ये सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के आधारभूत सूत्र हैं। ये आदर्शक सिद्धांतों की आकृति स्वीकार करते हैं जिनमें अंतर्निहित स्वरूप में किसी भी समय में प्रचलित या कालांतर में विकसित होने वाली समस्त पुस्तकालय कार्य पद्धतियाँ उसमें समाहित रहती हैं।

नोट

उद्देश्य (Objectives)

डॉ. एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पंच सूत्रों के अध्ययन के पश्चात् पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जिज्ञासु पाठक पुस्तकालय, प्रलेखन एवं सूचना के कार्यों तथा सेवाओं से संबंधित क्रियाकलापों की उपयुक्त व्याख्या कर सकते हैं साथ ही पुस्तकालय, प्रलेखन, सूचना कार्यों एवं सेवाओं से संबंधित किसी नवीन क्रियाकलाप को शुरू करने में इन पंच सूत्रों का उपयोग तार्किकता के साथ सिद्धांत के रूप में कर सकते हैं।

प्रथम सूत्र–''पुस्तकें उपयोग के लिए हैं।'' (First Law–"Books are for Use")

पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है, ''पुस्तकें उपयोग के लिए हैं।'' इस सूत्र की चर्चा करते हुए डॉ. एस.आर. रंगनाथन लिखते हैं "How simple, how trivial and yet how seminal" अर्थात् यह सूत्र कितना मामूली, कितना छोटा पर कितना गूढ़ है; ऊपर से यह सूत्र साधारण दिखाई देता है परंतु इसमें गहन दार्शनिक विचार भरा पड़ा है।

पुस्तकालय में पुस्तकों के उपयोग की परंपरा और इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि पहले पुस्तकालय में पुस्तकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने की बजाए उनके संरक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके पीछे एक मुख्य कारण यह था कि पुस्तकों का लेखन या उत्पादन एक अत्यन्त दुष्कर कार्य था साथ ही पुस्तकों के उपयोग करने के कारण उनके गुम होने का भय रहता था लेकिन मुद्रण कला के आविष्कार के बाद पुस्तकों की पर्याप्त प्रतियों का उत्पादन करना सरल हो गया लेकिन यह परिपाटी कि पुस्तकों के उपयोग के बजाए उनको संरक्षण दिया जाए, बनी रही। यद्यपि आज सामान्यतया सभी पुस्तकालय में खुली आदान-प्रदान प्रणाली (Open accus system) अपनाया जा रहा है एवं पुस्तकों को बिना किसी अवरोध या बाधा के उपयोग के लिए सुलभ कराया जा रहा है।

प्रथम सूत्र का आशय (Implication of First Law)

पुस्तकालय की अवस्थिति (Location of Library)–पुस्तकालय के कार्यों के लिए प्रथम सूत्र में अनेक संदेश छिपे हुए हैं। पुस्तकालय भवन की अवस्थिति का चयन करते समय इस सूत्र को ध्यान में रखना आवश्यक है। पुस्तकालय की अवस्थिति को लेकर विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं–पहला–पुस्तकालय भवन को एकांत स्थान में स्थापित करना चाहिए जहाँ शोर-गुल की संभावना नहीं के बराबर हो एवं दूसरा कि पुस्तकालय भवन को केंद्रीय स्थान पर स्थापित करना चाहिए।

प्रथम मत रूढ़िवादी होने के साथ-साथ प्रथम सूत्र के उद्देश्य के प्रतिकूल भी है क्योंकि ऐसा करने से पुस्तकालय में गिने-चुने लोग आएँगे और ऐसी स्थिति में पुस्तकों का उपयोग कम होगा। दूसरे मत के समर्थक डॉ. रंगनाथन हैं। इनके अनुसार पुस्तकालय की अवस्थिति यदि केंद्र में हो तो अधिक-से-अधिक लोग पुस्तकालय में पहुँचेंगे तथा इससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ेगा। डॉ. रंगनाथन का कहना है कि पुस्तकालय खोलने के लिए आदर्श स्थान वह है जहाँ लोग आते-जाते रहते हैं। अतः पुस्तकालय को शहर केंद्र या बाजार के आसपास तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को विश्वविद्यालय के बीचोंबीच खोलना चाहिए। इससे अधिक-से-अधिक लोग पुस्तकालय में आते हैं, पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है एवं प्रथम सूत्र की माँग पूरी होती है।

पुस्तकालय का कार्य समय (Working time of Library)–इस सूत्र का दूसरा आशय या अभिप्राय है कि पुस्तकालय का कार्य-समय उपयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो। हमारे देश में बहुत से पुस्तकालय इस सूत्र के संदेश एवं निर्देश की अवहेलना करते हैं। विशेष रूप से विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालय इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इनमें बहुत से पुस्तकालय उस समय खुलते और कार्यरत होते हैं जब उपयोक्ता अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और पुस्तकालय आने में असमर्थ होते हैं। अतः पुस्तकालय का कार्य-समय उसके उपयोक्ताओं की सुविधानुसार होना चाहिए ताकि पुस्तकों का अधिक-से-अधिक उपयोग हो सके। जैसे-सार्वजनिक पुस्तकालय को सायंकाल में अवश्य खुला रहना चाहिए क्योंकि उसके पाठकों

नोट

के पास शाम का समय खाली रहता है। इसी प्रकार शैक्षिक पुस्तकालयों को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय समय के बाद भी खोला जाना चाहिए। परीक्षाओं के कुछ दिन पहले से इनके खुलने के घंटे बढ़ा देना चाहिए। इससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है और प्रथम सूत्र की माँग पूरी होती है।

पुस्तकालय भवन तथा फर्नीचर (Library building and Furniture)–पुस्तकालय भवन, जो कि पुस्तकालय का प्रमुख अंग होता है तथा जिसके बिना पुस्तकालय की कल्पना नहीं की जा सकती है। अत: पुस्तकालय भवन का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि पाठक उसमें आसानी से कहीं आ-जा सकें, उसमें पर्याप्त रोशनी के आने की सुविधा हो एवं पुस्तकालय भवन को कार्यात्मक एवं सुरुचि सम्पन्न होना चाहिए।

इसी प्रकार पुस्तकालय का फर्नीचर भी ऐसा होना चाहिए जो पाठकों के लिए सुविधाजनक हों। पुस्तकों के उपयोग बढ़ाने के लिए बालपुस्तकालयों के फर्नीचर को बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार करना चाहिए। निधानी की ऊँचाई उतनी ही रखनी चाहिए जितनी ऊँचाई तक पाठकों के हाथ आसानी से पहुँच सके तथा दो रैकों के बीच इतनी खुली जगह होनी चाहिए कि पाठक आसानी से आ-जा सकें।

कर्मचारी (Staff)–प्रथम सूत्र अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह निर्देश देता है कि पुस्तकालय के कर्मचारियों में सुनिश्चित योग्यताएँ एवं विशेषताएँ होनी चाहिए। उनमें ऐसी योग्यताएँ होनी चाहिए कि जिससे पुस्तकालय की कुशल व्यवस्था तथा प्रबंध करने में तथा अच्छी सेवाओं को देने में वे सफल सिद्ध हो सकें। इसी के परिणामस्वरूप पुस्तकों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। इसके लिए पुस्तकालय के कर्मचारियों को उदार, शिष्ट, हँसमुख एवं सहायक होने चाहिए। इस प्रकार प्रथम सूत्र की संतुष्टि के लिए कर्मचारियों में पाँच गुण अवश्य होने चाहिए–संगठनात्मक क्षमता, पुस्तकों तथा पाठकों के प्रति प्रेम, सेवाभाव, मृदुभाषी तथा प्रत्युत्पन्नमतित्वता।

द्वितीय सूत्र–"प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले" (Second Law–"Every Reader his/her Book")

"प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले" पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है। डॉ. एस.आर. रंगनाथन के इस द्वितीय सूत्र के अनुसार प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिलनी चाहिए अर्थात् "पुस्तकें सबके लिए हैं।" यह सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि के अनुसार पुस्तक पाने का अधिकार देता है तथा यह द्वितीय सूत्र का एक भिन्न रूप है। यह सूत्र पुस्तकालय सेवा के सार्वभौमिकीकरण (Univerlisation) तथा लोकतंत्रीकरण (Democratisation) पर जोर देता है। पहले समाज के अभिजात्य (elite) वर्ग एवं विशिष्ट व्यक्तियों को ही पुस्तकालय एवं पुस्तकों की सुविधा सुलभ होती थी। जन-सामान्य को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी लेकिन लोकतंत्र के आविर्भाव के कारण स्थिति पूर्ण रूप से बदल गई है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की संभावित संस्थाओं के माध्यम से बिना किसी भेद-भाव के शिक्षा तथा ज्ञान-प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अत: द्वितीय सूत्र "प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले" या "सबके लिए पुस्तकें" की सार्थकता स्वयं सिद्ध है।

द्वितीय सूत्र का आशय (Implication of Second Law)

द्वितीय सूत्र राज्य, राज्य के पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारियों एवं पाठकों को सुनिश्चित कर्त्तव्यों का पालन करने का निर्देश तथा संदेश देता है।

राज्य का कर्त्तव्य (Duty of State)–सभी नागरिकों को पर्याप्त पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए समुचित पुस्तकालय प्रणाली एवं व्यवस्था विकसित करना और उसका पोषण करना राज्य का दायित्व है। इसे निष्पादित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम लागू करने की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है क्योंकि पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा पुस्तकालयों की वित व्यवस्था तथा पुस्तकालय सहभागिता के लिए प्रभावी प्रावधान बनाए जा सकते हैं। इस बात को पहले ही तय कर लेना चाहिए कि समाज को किस प्रकार की पुस्तकालय प्रणाली एवं पुस्तकालय सेवा की आवश्यकता है तथा उसकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। उन प्राथमिकता की प्राप्ति के लिए पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से आवश्यक प्रावधान बनाए जा सकते हैं। पुस्तकालय का कार्य संचालन सुचारू ढंग से चल सके, इसके लिए सरकार को धन की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

छात्र क्रियाकलाप

1. डॉ. एस.आर. रंगनाथन द्वारा बताए गए पंच सूत्र कौन-कौन से हैं?

2. पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के आशय को समझाइए।

नोट

पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्त्तव्य (Duty of Library Authority)–द्वितीय सूत्र पुस्तकालय प्राधिकरण को दो प्रकार के दायित्वों को निर्धारित करना है–पहला, पुस्तकों के चयन से संबंधित कर्त्तव्य या दायित्व एवं दूसरा, कर्मचारियों के चयन पद्धति से संबंधित दायित्व।

पुस्तकालय में पुस्तक चयन एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि किसी भी पुस्तकालय में इतनी धनराशि नहीं होती है कि वह सभी प्रकार की सभी पुस्तकों का क्रय कर सके। पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन पाठकों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के पाठकों की आवश्यकताएँ तथा रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। उदाहरणस्वरूप, सार्वजनिक पुस्तकालय के पाठक सामान्यतया मनोरंजनात्मक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक साहित्य में रुचि रखते हैं अत: ऐसे पुस्तकालय में इस तरह के पुस्तकों का चयन में प्राथमिकता देनी चाहिए। चूँकि पुस्तकालय प्राधिकरण के पास ही वित्तीय अधिकार होता है। अत: उसे पुस्तक चयन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तभी ही उपयुक्त एवं सही पुस्तकों का चयन हो सकेगा।

पुस्तकालय एक सेवा संस्थान है और इस सेवा संस्थान की सफलता कर्मचारियों की योग्यता, कर्मठता, प्रशिक्षण एवं उनके अच्छे व्यवहार पर निर्भर करती है। योग्यतम कर्मचारी ही द्वितीय सूत्र की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रत्येक पाठक को उनका वांछित पुस्तक तभी ही सुलभ हो सकता है जबकि पुस्तकालय सेवा के लिए समर्पित कर्मचारियों का एक दल हो। प्राय: ऐसा देखा गया है कि पुस्तकालयों में उपयुक्त, योग्य एवं पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में पाठकों को समुचित पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। चूँकि द्वितीय सूत्र के अनुसार प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। अत: इस सूत्र की संतुष्टि के लिए पुस्तकालय प्राधिकरण को पर्याप्त संख्या में शिक्षित, प्रशिक्षित, योग्य तथा परिश्रमी कर्मचारियों का चयन निष्पक्ष ढंग से करना चाहिए ताकि द्वितीय सूत्र की सार्थकता सिद्ध हो सकें।

कर्मचारियों का कर्त्तव्य (Duty of Staff)–द्वितीय सूत्र की सफलता के लिए पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा केवल योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति ही काफी नहीं है बल्कि कर्मचारियों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे अपने दायित्वों का सच्ची निष्ठा के साथ निर्वहन करें एवं पाठकों की सेवा के लिए सदा तत्पर रहें।

द्वितीय सूत्र कर्मचारियों द्वारा संदर्भ सेवा का आयोजन करने पर अत्यधिक बल देता है। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय कर्मचारी को अपने पाठकों तथा पुस्तकालय में खरीदी गई पुस्तकों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।

वर्तमान समय में विभिन्न विषयों पर अनेकों पाठ्य-सामग्रियाँ प्रकाशित हो रही हैं। पाठक के लिए उनके संबंध में जानकारी रखना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तक संदर्भ सूचियों, पुस्तकालय सूची की सहायता से पाठकों को उनके अभीष्ट पुस्तक प्रदान कर सकता है।

पाठकों का कर्त्तव्य (Duty of Reader)–द्वितीय सूत्र पुस्तकालय सेवा की सफलता के लिए पाठकों के भी कुछ कर्त्तव्य निर्धारित किए हैं। पाठकों को सदैव यह ध्यान मे रखना चाहिए कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है और प्रत्येक पाठक को इसमें उपलब्ध पाठ्य-सामग्रियों के उपयोग करने का समान अधिकार है। अत: उन्हें पुस्तकालय के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। पाठकों का कर्त्तव्य है कि वे पुस्तकों को हानि न पहुँचाएँ। पुस्तकालय को साफ-सुथरा रखने में सहयोग करें तथा पुस्तकों को यथास्थान रखें न कि दूसरे जगह। पुस्तकों की चोरी करना, पन्ने फाड़ना एवं शोर मचाना आदि ऐसे अवांछनीय कुकृत्यों से बचना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से पाठक-शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। पुस्तकालयों में इस कार्यक्रम के आयोजन पर द्वितीय सूत्र अधिक जोर देता है।

तृतीय सूत्र–"प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले"
(Third Law–"Every Book its Reader")

पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र है–"प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले"। तृतीय-सूत्र के बारे में डॉ. रंगनाथन ने कहा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। प्रथम सूत्र के समान यह सूत्र भी पुस्तकों के उपयोग पर केंद्रित है। किसी भी पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक को उसका संभावित एवं उपयुक्त पाठक प्राप्त होना चाहिए और उसके द्वारा पुस्तक का उपयोग होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकों का संग्रहण करना चाहिए जिसके प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक मिल सके क्योंकि अनुपयोगी पुस्तकों का संग्रहण करना धन का अपव्यय है।

तृतीय सूत्र का आशय (Implication of Third Law)

नोट

तृतीय सूत्र कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। दूसरे शब्दों में, जिन पुस्तकों के बारें में पाठक को जानकारी है उन तक वह पहुँच सकता है, परंतु जिन पुस्तकों के बारे में पाठक को जानकारी नहीं है उन तक वह नहीं पहुँच सकता; जबकि ऐसी संभावना हो सकती है वह पुस्तक उसकी रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप हो तथा वह पुस्तक पाठक की प्रतीक्षा कर रही हो तो ऐसी स्थिति में उस पुस्तक का पाठक मिलना चाहिए। पुस्तकें मानव-प्रगति की सच्चा मित्र होने के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ कृति होती हैं लेकिन वह बे-जुबान होती हैं। अत: पाठकों को पुस्तकों तक पहुँचने के लिए समुचित जानकारी का होना आवश्यक है। पुस्तकों की जानकारी पुस्तकालय सूचीकरण, वर्गीकरण, मुक्त प्रवेश प्रणाली, संदर्भ सेवा, प्रदर्शन, प्रसार सेवा जैसे साधनों के द्वारा किया जा सकता है। इनकी चर्चा निम्नानुसार किया जा सकता है–

मुक्त प्रवेश प्रणाली (Open Access System)–मुक्त प्रवेश प्रणाली पुस्तकों द्वारा पाठकों के ध्यान आकर्षित करने की सर्वोत्तम विधि है। इस प्रणाली में पुस्तकों को खुले फलकों पर वर्गीकृत ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। मुक्त प्रवेश प्रणाली से पुस्तकों को उनका पाठक आसानी से मिल जाता है।

निधानियों पर पुस्तकों का अवलोकन करते समय पाठकों को ऐसी पुस्तकों को देखने एवं प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जिनके बारे में वह नहीं जानते थे और वह पुस्तक उनकी आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुरूप होती है। अत: तृतीय सूत्र इस प्रणाली को लागू करने पर अधिक जोर देता है।

वर्गीकरण (Classification)–पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है जिसमें पुस्तकों को वर्ग के हिसाब से निधानियों में लगाया जाता है। पाठक अपनी रुचि की पुस्तकों को सूचीकरण से वर्ग संख्या लेकर पहुँच जाता है। पुस्तकों पर लेबल लगा रहता है जिस पर वर्ग संख्या लिखी रहती है। पाठक अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उस पुस्तक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और तृतीय सूत्र की पूर्ति होती है।

सूचीकरण (Cataloguing)–वर्गीकरण करने के पश्चात् पुस्तकों का सूचीकरण किया जाता है जो पुस्तकालय की कुंजी होती है। सूचीकरण के माध्यम से पाठक लेखक के नाम से, विषय से एवं वर्ग संख्या से अपनी मनपसंद पुस्तकें ढूँढ़ सकता है। पुस्तकालय के मुख्य द्वार के पास ही प्रसूची कैबिनेट होता है जिसमें पुस्तकों के प्रसूचीकरण कार्ड होते हैं। अत: इसके द्वारा भी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल जाते हैं।

संदर्भ सेवा (Reference Service)–संदर्भ सेवा का तात्पर्य होता है–व्यक्तिगत सेवा। इस सेवा का कार्य है कि एक पाठक को सही समय पर उसकी पसंद की पुस्तकों के साथ मिलाना। चूँकि पुस्तकालयकर्मियों को पुस्तकालय सामग्री के बारे में पाठकों से अधिक ज्ञान होता है। अत: वे पाठकों को अच्छी एवं उपयोगी पुस्तकें छाँटने में सहायता कर सकते हैं तथा उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं।

प्रदर्शन विधि (Publicity/Display Method)–पाठकों को पुस्तक की तरफ ध्यान आकर्षित करने का सबसे सशक्त माध्यम के रूप में प्रदर्शन विधि उभरकर सामने आती हैं। समय-समय पर पुस्तकों का प्रदर्शनी आयोजित करने से पुस्तकों को उनके पाठक मिलते हैं और उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रसार सेवा (Dissemination Service)–पुस्तकालय अपनी प्रसार सेवाओं द्वारा पुस्तकों को पाठकों तक पहुँचाता है। इसके तहत मोबाइल लाइब्रेरी की स्थापना हुई है। जो पाठक कुछ कारणों से पुस्तकालय तक नहीं आ पाते हैं, पुस्तकें उनके पास पहुँचती हैं जिससे पुस्तकों को उनके पाठक मिलते हैं।

वाङ्मय सूची/अनुक्रमणिका (Bibliography/Indexing)–पुस्तकालय विषयों के अनुसार वाङ्मय सूची तैयार करते हैं तथा पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका बनाकर उनके प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। कई बार पुस्तकालय पुस्तकों की विषयानुसार साधारण सूचियों को तैयार करते हैं ताकि पुस्तकों के बारे में पाठकों की जानकारी हो सके। इससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है एवं तृतीय सूत्र की पूर्ति होती है।

चतुर्थ सूत्र–"पाठक का समय बचाएँ" (Fourth Law–"Save the Time of Reader")

पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है 'पाठकों का समय बचाएँ'। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि पाठकों का समय व्यर्थ में नष्ट नहीं होना चाहिए। चूँकि पुस्तकालय में आनेवाला पाठकगण व्यस्त व्यक्ति होते हैं और यदि

पुस्तकालय में आने के पश्चात उन्हें यह अनुभव होता है कि उनका समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है तो वे पुस्तकालय आना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए चतुर्थ नियम इस बात की माँग करता है कि जहाँ तक संभव हो, पाठकों का समय बचाया जाए ताकि पाठक संतुष्ट रहें और बार-बार पुस्तकालय आते रहें।

नोट

चतुर्थ सूत्र का आशय (Implications of Fourth Law)

चतुर्थ सूत्र का आशय निम्नलिखित है–

मुक्त प्रवेश-प्रणाली (Open Access System)–बंद प्रवेश प्रणाली में पाठकों का समय व्यर्थ में नष्ट होता है क्योंकि पुस्तकों तक पाठकों की सीधी पहुँच नहीं हो पाती है। उन्हें पुस्तक कक्ष के बाहर खड़े रहना पड़ता है और वांछित पुस्तक प्राप्त करने के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। कर्मचारी पुस्तक कक्ष में जाकर पुस्तक ढूँढ़ता है। यदि वह पुस्तक पुस्तकालय में उस समय उपलब्ध न हो तो पाठक को यह बात बतायी जाती है। पाठक पुनः दूसरी माँग-पत्र देता है। इन सारे क्रियाकलापों में पाठक का समय व्यर्थ में नष्ट होता है। इसके विपरीत मुक्त प्रवेश में पाठक पुस्तक कक्ष में जाकर स्वयं अपनी वांछित पुस्तक की तलाश करता है। यदि उसे वह पुस्तक वहीं भी मिलती है तो भी वह उस विषय पर दूसरी चुन लेता है। इस तरह चतुर्थ नियम के अनुपालन में मुक्त प्रवेश प्रणाली एक प्रभावी साधन का कार्य करती है।

वर्गीकरण एवं सूचीकरण (Classification and Cataloguing)–ये दोनों वर्गीकरण एवं सूचीकरण पाठकों को उनकी पसंद की पुस्तकों तक पहुँचने में सहायता करती है। इनकी सहायता से पाठक त्वरित गति से अपने मनपसंद विषय की पुस्तकों के पास पहुँच जाता है जिससे उनके समय की बचत होती है।

आदान-प्रदान प्रणाली (Circulation Method)–पुस्तकों को आदान-प्रदान करने में कम से कम समय लगाना चाहिए। प्रारंभ में आदान-प्रदान प्रणाली के लिए रजिस्टर प्रणाली का उपयोग किया जाता था और आज भी यह प्रणाली अनेक पुस्तकालयों में प्रचलित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह समय नष्ट करने वाली पद्धति है और इससे चतुर्थ सूत्र की अवहेलना भी होती है। परिणामतः इस प्रक्रिया को सरल बनाने और समय को कम करने के लिए आधुनिक निर्गम प्रणाली का विकास हुआ। इन आधुनिक आदान-प्रदान प्रणाली को अपनाने से पर्याप्त समय की बचत होती है। अतः चतुर्थ सूत्र इन्हें लागू करने पर बल देता है।

प्रलेखन सेवाएँ (Documentation Service)–पाठकों के समय बचाने में प्रलेखन सेवा बहुत ही महत्त्वपूर्ण सेवा उभरकर सामने आया है। सी.ए.एस. (CAS) तथा एस.डी.आई. (SDI)तो ऐसी सेवा है जहाँ पाठक को पूरी पुस्तक देखने की जरूरत नहीं होती बल्कि उसके पसंद की सामग्री या टौपिक (Topic) इस सेवा से अपने-आप मिल जाता है।

पुस्तकालय का स्थान (Place of Library)–पुस्तकालय भवन की अवस्थिति केंद्र में होनी चाहिए ताकि पाठक कम-से-कम समय में पुस्तकालय पहुँच सके और पुस्तकालय सेवा से लाभ प्राप्त कर सकें। यदि पुस्तकालय केंद्रीय स्थल से बहुत दूर होगा तो पाठक को पुस्तकालय जाने में अधिक समय लगेगा। ऐसी स्थिति में पाठक पुस्तकालय जाने से पहले सोचेगा और इस स्थिति में चतुर्थ सूत्र उद्देश्यों की अवहेलना भी होगी। अतः पुस्तकालय का स्थान केंद्र में होना चाहिए ताकि कम समय में पाठक पुस्तकालय जा सकें।

पंचम सूत्र–"पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है।" (Fifth Law-"Library is a Growing Organisation")

पुस्तकालय एक निरंतर बढ़ती हुई संस्था है। समय के साथ पुस्तकालय का संग्रह, पाठक, भवन, कर्मचारी बढ़ते रहते हैं। जैसे शिशु के जन्म से लेकर बड़े होने तक उसके आकार में वृद्धि होती है, साथ में उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह पुस्तकालय के साथ भी होता है। पुस्तकालय का भी आकार बढ़ते जाता है। उसमें संग्रहित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जाती है। डॉ. रंगनाथन ने कहा है कि "एक विकासशील संगठन नई सामग्री ग्रहण करता है एवं पुरानी सामग्री का त्याग करता है।"

पंचम सूत्र का आशय (Implication of Fifth Law)

पंचम सूत्र का आशय निम्नलिखित है–

पुस्तकालय के संग्रह मे वृद्धि (Growth of Collection in Library)–पुस्तकालय में हर वर्ष नई-नई पुस्तकें आती हैं और इससे पुस्तकालय के संग्रह में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। फलस्वरूप उनके

छात्र क्रियाकलाप

1. एस.आर. रंगनाथन द्वारा बताए गए तृतीय सूत्र की व्याख्या करें।

2. चतुर्थ सूत्र का आशय बताएँ।

रख-रखाव की समस्या सामने आती है। इसीलिए पुस्तकालय निर्माण के समय ही संग्रह प्रकोष्ठ, आलमारी तथा अन्य सज्जा-सामग्रियों का प्रबंध किया जाना चाहिए। भवन निर्माण के समय ही संग्रह प्रकोष्ठ के लिए पर्याप्त जगह रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे बढ़ाया जा सके।

नोट

पाठकों की वृद्धि (Growth/Increasment of Reader)–पुस्तकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पाठकों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अत: पुस्तकालय कक्ष में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ अधिक से अधिक पाठक बैठ सके। इस कक्ष की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर इसका भविष्य में भी विस्तार किया जा सके।

कर्मचारी (Staff/Employee)–पुस्तकों तथा पाठकों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप पुस्तकालय द्वारा नवीन सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक हो जाता है। पाठकों की बदलती हुई रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे संदर्भ सेवा आदि को भी प्रारंभ करना पड़ जाता है। परिणामत: विभिन्न स्तरों एवं सेवाओं की दृष्टि से कार्य करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होती रहती है।

वर्गीकरण एवं प्रसूची (Classification and Catalogue)–अनेक नवीन विषयों की पुस्तकों के पुस्तकालयों में निरंतर आने से यह आवश्यक हो जाता है कि पुस्तकालय में जो वर्गीकरण पद्धति अपनाई गई है उसमें ग्राह्य क्षमता अधिक हो। दूसरे शब्दों में, उसमें नवीन विषयों को उपयुक्त स्थान देने की क्षमता होनी चाहिए। पुस्तकालयों के लिए सतत विस्तारशीलता से सम्पन्न प्रसूची की भी आवश्यकता पड़ती है। पत्रक प्रसूची इसे पूरा कर सकती है क्योंकि इसमें ग्राह्य क्षमता अधिक होती है।

पुस्तकों की छँटाई (Weeding of Books)–कालांतर में पुस्तकालय का विकास एक व्यस्क व्यक्ति की भाँति होता है। छँटाई का तात्पर्य पुस्तकों को बिना किसी कारण या बिल्कुल हटा देना नहीं होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि ऐसी पुस्तक जिनकी उपादेयता समाप्त हो गई है उन्हें वहाँ से हटाकर नवीन एवं आवश्यक पुस्तक को रख दी जाए क्योंकि ऐसी पुस्तक अनावश्यक स्थान घेरती है। हटाई गई पुस्तक को पृथक संग्रह में रख दिया जाता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सकता है।

भविष्यन हेतु प्रावधान (Provision for Future)–पुस्तकालय की भौतिक वृद्धि से यह महत्त्वपूर्ण संकेत प्राप्त होता है कि पुस्तकालय भवन की योजना बनाने तथा उसका ढाँचा तैयार करने के समय उसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए क्योंकि कालांतर में आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालय भवन का विस्तार किया जा सके।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र इनके सभी गतिविधियों के पीछे प्रेरणास्रोत का कार्य कर रहे हैं। आधुनिक पुस्तकालय की सफलता इन सूत्रों या सिद्धांतों के पालन पर ही निर्भर करती है। जो पुस्तकालय इन सूत्रों को अधिकाधिक रूप में आत्मसात करेगा वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल रहेगा।

सारांश (Summary)

पुस्तकालय विज्ञान के ये पंच सूत्र पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लिए जीवनदायी सूत्र हैं। यह एक ऐसा सूत्र है जिससे पुस्तकालय की सारी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इन सूत्रों में पुस्तकालय विज्ञान एवं पुस्तकालय सेवा का मूल दर्शन छिपा हुआ है। पुस्तकालय में जो-जो गतिविधियाँ चलती हैं और किन-किन गतिविधियों को पुस्तकालय में चलना चाहिए उन सबका औचित्य और मानदंड इन सूत्रों में निहित है। पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं के उन्नयन तथा नवप्रवर्तन के लिए इन सूत्रों में अपार शक्ति एवं अनंत संभावनाएँ निहित हैं। राष्ट्र के बहुमुखी विकास में सूचना की बढ़ती हुई भूमिका एवं महत्त्व के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक सूत्र की उपादेयता तथा औचित्य निःसंदिग्ध है। यही कारण है कि भारत में अधिकतर पुस्तकालयों में मुक्त प्रवेश-प्रणाली लागू कर दी गई है तथा अब तक दस राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत पुस्तकालय सेवा चलाई जा रही है। इन पाँच सूत्रों की माँगों को सभी ने स्वीकारा है तथा इनके प्रतिपादन के बाद भारत में पुस्तकालय की स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सूचना समाज के आधुनिक स्वरूप एवं ढाँचे में भी उक्त पाँच सूत्र आज भी उपयुक्त एवं प्रासंगिक हैं।

प्रमुख शब्द (Key Words)

अनुक्रमणिका (Index)–अनुक्रमणिका एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित एवं आँकलित तालिका होती है जो अनुक्रमणिकाकृत प्रत्येक आलेख या प्रलेख का विस्तृत वाङ्मयात्मक विवरण प्रस्तुत करती है ताकि उस आलेख या प्रलेख को खोजने में सुविधा मिल सके।

चयनित प्रसार सेवा (SDI)–किसी संस्था द्वारा दी गई वह सेवा है जो नई सूचना स्रोतों से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक पहुँचाती है जहाँ सामयिक उपयोग या अभिरुचि के संदर्भ में उसकी उपयोगिता की संभावना अधिक हो।

पाठक (Reader)–पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या सूचना संस्थान एवं सूचना का उपभोक्ता।

वाङ्मय सूची (Bibliography)–पठनीय-सामग्री की एक व्यवस्थित तालिका जो सूचना के अपरिमित भंडार में से उपयोक्ता या पाठक को वांछित प्रलेख की खोज करने में सहायक हो।

सूचना (Information)–किसी भी भौतिक माध्यम पर या रूप में अलिपिबद्ध संदेश।

सूचना समाज (Information Society)–वह समाज जिसमें सूचना और ज्ञान ही परिवर्तन, शक्ति तथा निर्देशन के प्रमुख हथियार के रूप में कार्य करते हैं।

ज्ञान (Knowledge)–किसी भी भौतिक आकारस्वरूप में उपलब्ध सुसंबद्ध सूचना।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. "पुस्तकें उपयोग के लिए है।" इसके आशय को समझाइए।
   Describe the implication of "Book are for Use."
2. "प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले" इसके आशय को समझाइए।
   Describe the implication of "Every Books its Reader."
3. पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के आशय को समझाइए।
   State the implication of fifth law of Library Science.
4. निम्न से किन्ही दो पर टिप्पणी लिखें।
   Write notes on any two–
   (*i*) मुक्त प्रवेश प्रणाली Open Access System.
   (*ii*) पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र Second Law of Library Science.
   (*iii*) पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र Fourth Law of Library Science.
5. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पंच सूत्रों से आप क्या समझते हैं ? पाँचों सूत्रों की संक्षिप्त रूप से व्याख्या करें।
   What do you mean by Five Laws of Library and Information Science? Briefly discuss all the five laws.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

माँगे राम एवं अन्य	: पुस्तकालय एवं आधुनिक समाज, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
रामशोभित प्रसाद सिंह	: पुस्तकालय संगठन एवं प्रशासन, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2000
मुखर्जी, नन्दिता जी	: बदलते परिवेश में सार्वजनिक पुस्तकालय, श्री अनीरवता मुखर्जी, पटना, 2009
Ranganathan, S.R.	: Five Laws of Library Science, USB Publication, Delhi, 1988
Ranganathan, J.K.	: Library & Society, Research Publications, Kurukshetra, 1987
Rajagopalan, T.S. (ed)	: Ranganathan Philosophy : Assessment Impact and Library, Vikas Publishing House, Delhi, 1986

नोट

नोट

इकाई-3
(Unit-3)

यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास
(Library Development in UK and USA)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय का विकास (Development of Library in UK)
- संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय का विकास (Development of Library in USA)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

परिचय (Introduction)

यू.के. (United Kingdom) और यू.एस.ए. (United State America) विश्व के दो प्रमुख देश हैं जहाँ के निवासियों के बौद्धिक विकास में वहाँ पर स्थित पुस्तकालयों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। 'पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है' इस कथन का वास्तविक रूप अगर हम देखना चाहें तो इन देशों में देखा जा सकता है। पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्र जिनकी रचना भारतीय पुस्तकालय विज्ञानशास्त्री डॉ. एस.आर. रंगनाथन ने की। उन सूत्रों का अक्षरश: प्रतिपालन इन देशों के पुस्तकालय पद्धतियों में देखा जा सकता है। पुस्तकालय सेवा का वास्तविक प्रजातांत्रिक स्वरूप इन देशों में देखा जा सकता है।

पुस्तकालय आंदोलन को गतिशील बनाने में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से अत्यधिक समर्थन एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। चूँकि देश को निपुण एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी, अत: ज्ञान की पिपासा लोगों में अधिक बढ़ने लगी जिससे यू.के. में सभी जगह, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना पर अधिक बल दिया जाने लगा। मध्यवर्गीय लोगों में शिक्षा के प्रसार के कारण भी सभी क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना की आवश्यकता का तीव्र अनुभव किया जाने लगा। इसके अलावा, वहाँ के कुछ निष्ठावान तथा मानवतावादी लोगों ने भी पुस्तकालयों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का मुख्य श्रेय केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को है। दोनों देशों में स्थानीय प्रशासन को पुस्तकालयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम पारित कर लागू किए गए। इससे स्थानीय प्रशासन को पुस्तकालय को संचालित करने तथा उनके पोषण के लिए कर संग्रह (Tax Collection) का अधिकार प्राप्त हुआ जो एक अति आवश्यक प्रावधान था। इन दोनों देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के अतिरिक्त शैक्षणिक, विशिष्ट तथा अन्य प्रकार के पुस्तकालयों का भी प्रशंसनीय विकास हुआ।

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य यू.के. एवं यू.एस.ए. में हुए आधुनिक पुस्तकालय सेवा के विकास पर प्रकाश डालना है क्योंकि पुस्तकालयों के विकास एवं व्यवस्था में ये पद्धतियों एवं प्रवृत्तियों के संस्थापक रहे हैं और विश्व स्तर पर एक आदर्श का कार्य करते हैं। पुस्तकालय तकनीकों, प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं को विकसित करने में भी ये दोनों देश नीति निर्धारक एवं अग्रणी रहे हैं।

नोट

यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय का विकास (Development of Library in UK)

पुस्तकालय विकास एवं पुस्तकालय सेवा के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम विशेषकर इंगलैंड एवं वेल्स का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यू.के. में पुस्तकालय विकास के इतिहास को तीन मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। सन् 1850 से पहले, पुस्तकालय सेवा, सन् 1850 के बाद से लेकर सन् 1972 तक के पुस्तकालय सेवा एवं सन् 1972 के पश्चात् पुस्तकालय सेवा। इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में पुस्तकालय सेवा विकास के इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है–

• **सन् 1850 से पहले पुस्तकालय सेवा**–मध्य युग से लेकर 18 वीं सदी तक ग्रेट ब्रिटेन में मुख्यत: तीन प्रकार के पुस्तकालय विद्यमान थे–

• **व्यावसायिक पुस्तकालय**–ग्रेट ब्रिटेन में आधुनिक पुस्तकालयों की शुरुआत व्यावसायिक पुस्तकालय के रूप में हुआ जो सशुल्क होते थे। इन पुस्तकालयों में शुल्क लेकर पुस्तकें घर पढ़ने के लिए दी जाती थीं। इस प्रकार के पुस्तकालयों के कई प्रकार थे; जैसे चंदा पुस्तकालय (Subscription Library) तथा स्वामित्वाधिकार पुस्तकालय (Properietory Library)। चंदा पुस्तकालय को सन् 1725 में सर्वप्रथम 'एडिनबर्ग' में एलेन रामसे (Allen Ramsay) ने स्थापित किया। इस पुस्तकालय में पुस्तकालय से पुस्तकों को ऋण पर लेने के लिए निश्चित मासिक, वार्षिक आदि शुल्क देना पड़ता था या पुस्तकों का प्रतिदिन का किराया देना पड़ता था। स्वामित्वाधिकार पुस्तकालयों में प्रत्येक सदस्य कुछ पुस्तकें या पैसे आदि लेकर पुस्तकालय को साझे में सदस्यों के लिए चलाते थे। ये दोनों पुस्तकालय मुख्यतया शहरों में होते थे। इन पुस्तकालयों में साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा उच्च स्तरीय पुस्तकें भी होती थीं, परंतु इनकी संख्या कम होती थी। इन पुस्तकालयों में सबसे अधिक पुस्तकें कथा, कहानी, मनोरंजन आदि से संबंधित थीं। इन पुस्तकालयों का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार न होकर पैसा कमाना था। अत: इनमें उत्तम एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों की संख्या कम होती गई। इन पुस्तकालयों के बारे में एस.टी. कालरिज लिखे हैं कि "ऐसे पुस्तकालयों में लोग वस्तुत: समय 'बिताने' नहीं, बल्कि 'काटने' आते हैं।"

• **ग्रामीण पुस्तकालय**–ग्रामीण पुस्तकालय खोलने में सैमुएल ब्राउन का प्रयास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने अपने अथक परिश्रम एवं पैसे से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय-सेवा प्रारंभ की, जिसे उन्होंने 'पचास पुस्तकों का पुस्तकालय (Library of fifty books)' नाम दिया। इन्होंने अपने ही प्रयास से ऐसे कई पुस्तकालय खोले तथा पुस्तकालय आंदोलन को गाँवों तक पहुँचाया। यद्यपि सन् 1708 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत चर्च और पादरियों को अपने-अपने क्षेत्र के गाँवों में पुस्तकालय खोलने का अधिकार दिया गया लेकिन इसे व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका।

• **कामगार पुस्तकालय**–18वीं सदी के अंत तक शहरों के मध्यम वर्ग के लोग ही चंदा या व्यावसायिक पुस्तकालयों का उपयोग कर रहे थे। शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग एवं निम्न वर्ग के लोगों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन 18वीं सदी के अंत में शहरी कामगारों के लिए पुस्तकालय खुलने शुरू हो गए। जैसे, सन् 1795 में पुस्तकों की सहायता से कामगारों में ज्ञान फैलाने के उद्देश्य से 'बर्मिंघम आर्टिसन लाइब्रेरी' खुला। उसके अलावा 19वीं सदी में अनेक पुस्तकालय इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खोले गए जैसे, 'लिवरपूल एपरेंटिसेज एंड मेकेनिक्स लाइब्रेरी' (1820), 'शेफिल्ड मेकेनिल्प्स एंड एपरेंटिसेज लाइब्रेरी' (1825) आदि।

• **सन् 1850 से लेकर 1972 तक का पुस्तकालय सेवा**–सन् 1850 के बाद का समय इंगलैंड के पुस्तकालय विकास के इतिहास का स्वर्णिम समय है क्योंकि यह वह समय है जब आधुनिक पुस्तकालय के विकास की नींव पड़नी शुरू हो गयी थी। यूनाइटेड किंगडम में सन् 1850 के बाद पुस्तकालय आंदोलन की चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है–

• **1850 का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम तथा उसके संशोधन**–इस अधिनियम को अगस्त 14, 1850 को पारित किया गया। यह अधिनियम इंगलैंड तथा वेल्स पर ही लागू होता था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थीं–

नोट

- यह अधिनियम आदेशात्मक (Mandatory) न होकर अनुज्ञात्मक (Permissive) था। दस हजार या उससे ऊपर जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्रों को इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया। अधिनियम को अपने क्षेत्र में लागू करने के लिए पालिका अधिकारियों को इसका प्रस्ताव पालिका सदस्यों से पारित कराना होता था। प्रस्तावित उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की सहमति से स्वीकार किए जाने का अधिनियम में प्रावधान था।
- इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति कर के ऊपर आधा पेनी प्रति पाउण्ड की दर से पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान किया गया। इस राशि को पुस्तक क्रय पर नहीं खर्च किया जा सकता था बल्कि यह भवन निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, उपकरण तथा कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च की जा सकती है। श्रद्धालुओं एवं परोपकारियों से पुस्तकें तथा धन दान के रूप में देने की अपेक्षा की जाती थी।
- पुस्तकालय उपयोग निःशुल्क रखा गया।

सन् 1855 में इस अधिनियम में निम्नलिखित मुख्य संशोधन किए गए–

- पुस्तकालय अधिकर की दर में आधा पेनी से एक पेनी की वृद्धि;
- अधिकर द्वारा प्राप्त धन से पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों को क्रय करने की अनुमति;
- पाँच हजार या इससे अधिक आबादी वाले पेरिस (छोटे शहरों) में भी पुस्तकालय स्थापित करना;
- सन् 1866 में इस अधिनियम को संशोधित कर जनसंख्या की शर्त को पूर्णतः हटा दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि पाँच हजार से कम आबादी वाले पेरिस में भी पुस्तकालय खोले जाएँ।

• **1877 में पुस्तकालय संघ की स्थापना**–यू.के. पुस्तकालय संघ (Library Association) की स्थापना 1877 में हुई। उस समय तक आधुनिक पुस्तकालय प्रभावकारी नहीं हो सके थे। इसका मुख्य कारण यह था कि 1850 के अधिनियम या उसके संशोधनों में यह व्यवस्था नहीं थी कि बोरो या पेरिस में पुस्तकालय अधिनियम को लागू करना अनिवार्य होगा। अतः यह अधिनियम अनुज्ञात्मक बन गया था। सन् 1877 में पुस्तकालय संघ के गठन के बाद संघ ने न केवल पुस्तकालयों को एक सूत्र में पिरोया बल्कि लोक पुस्तकालयों के लिए जनमत भी तैयार किया।

• **1892 का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम**–1892 के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम उन सारे अधिनियम के प्रावधानों को सम्मिलित कर पास किया गया जो 1850 के बाद यू.के. में पास किए गए थे। इस अधिनियम में इस बात पर बल दिया गया कि संबंधित क्षेत्र के निवासियों से उस क्षेत्र के पुस्तकालयों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का कोई शुल्क नहीं लिया जाए। बाहरी क्षेत्र के निवासियों को भी जहाँ तक संभव हो; निःशुल्क सेवा देने का प्रावधान किया गया।

• **1919 का पुस्तकालय अधिनियम**–1919 में यू.के. में एक बार फिर से 'सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- पुस्तकालय-सेवा को 'काउंटी' तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार छोटे क्षेत्रों तक भी पुस्तकालय-सेवा पहुँचाने का प्रावधान किया गया।
- काउंटी काउंसिल को पुस्तकालय प्राधिकरण का दर्जा दिया गया;
- चूँकि एक पेनी के टैक्स से पुस्तकालय-सेवा को सुचारू रूप से चलाना दुष्कर था; हमेशा वित्त की समस्या बनी रहती थी। अतः 1919 के अधिनियम में टैक्स में पेनी दर को समाप्त कर पर्याप्त सार्वजनिक धन की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया।
- स्थानीय निकाय (Local Government) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे पुस्तकालयों की भवन, धन, कर्मचारी, पुस्तकें आदि से संबंधित आवश्यकताओं की जाँच कर पुस्तकालय के लिए धन की व्यवस्था करें।

• **केन्योन कमेटी की स्थापना (1924) तथा रिपोर्ट**–सन् 1924 में यू.के. शिक्षा परिषद् (Board of Education) ने फ्रेडरिक केन्योन (Frederic Kenyon) को "पब्लिक लाइब्रेरिज ऐक्ट के अंतर्गत पहले से उपलब्ध प्रावधानों की पर्याप्ता तथा पूरे इंग्लैंड और वेल्स में उन प्रावधानों के विस्तारित करने के उपायों को सुनिश्चित करने" के ऊपर एक प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त किया। यह प्रतिवेदन 1927 में प्रस्तुत किया गया जिसे केन्योन रिपोर्ट (Kenyon Report) के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का कार्यक्षेत्र अग्रलिखित था–

छात्र क्रियाकलाप

1. 'केन्योन कमेटी की स्थापना तथा रिपोर्ट' पर टिप्पणी लिखें।

2. 'मेकोल्विन समिति के प्रतिवेदन' की विवेचना करें।

नोट

- तत्कालीन पुस्तकालय अधिनियमों की जाँच कर यह निश्चित करना कि यू.के. में उत्तम पुस्तकालय-सेवा चलाने के लिए उन अधिनियमों के प्रावधान पर्याप्त हैं या नहीं
- यह मालूम करना कि अधिनियम के अंतर्गत स्थापित पुस्तकालयों और स्वैच्छिक एवं अन्य संस्थाओं द्वारा स्थापित पुस्तकालयों के बीच किस प्रकार का संबंध है एवं
- नागरिकों की शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार में वर्तमान पुस्तकालयों का क्या योगदान है?

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि पुस्तकालयों के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है और हमारा विश्वास है कि बौद्धिक जीवन के महत्त्व तथा ज्ञान के मूल्यों के बारे में लोगों में स्वस्थ विश्वास उत्पन्न हुआ है।

इस समिति की मुख्य अनुशंसा इस प्रकार है–

- सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ-साथ ऐच्छिक संस्थाओं को भी पुस्तकालय खोलने को प्रोत्साहित किया जाए;
- विशिष्ट पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय के बीच तालमेल स्थापित करने की व्यवस्था की जाए;
- छात्रों के राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय को ब्रिटिश म्यूजियम से जोड़ा जाए।
- पुस्तकालयों की ऐसी क्षेत्रीय प्रणाली बने जिसमें उस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुस्तकालय केंद्रीय पुस्तकालय माना जाए तथा सभी पुस्तकालय एक-दूसरे से जुड़े रहें।
- पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण तथा नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाए जाएँ; तथा
- पुस्तकालय सेवा में कर्मठ एवं सही लोगों को आकर्षित करने के लिए इस व्यवसाय से संबंधित कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया जाए तथा उनकी पद-गरिमा को बढ़ाया जाए।

• **मेकोल्विन समिति का प्रतिवेदन** (1945)–सन् 1920 से सन् 1970 की अवधि में ब्रिटेन में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कार्यशैली से संबंधित अनेक सर्वेक्षण किये गए और अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। प्रथम सर्वेक्षण 1936 में दि लाइब्रेरी एसोशिएशन द्वारा किया गया। इसे सम्पन्न करने के लिए रॉक्फेलर फाउंडेशन (Rockfeller Foundation) ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य तथा विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने के कारण सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों की प्रगति मंद पड़ गई। अतः इन प्रतिवेदनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

सन् 1941 में दि लाइब्रेरी एसोसिएशन ने वेस्टमिंस्टर (Westminster) के नगर पुस्तकालयाध्यक्ष लायोनेल आर. मेकोल्विन (Lionel R. Mccolvin) जो इसके मानद सचिव थे, को तत्कालीन सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं की स्थिति तथा आगामी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कर एक विशद् प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया। इस प्रतिवेदन को मेकोल्विन रिपोर्ट कहते हैं।

इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं–

- संपूर्ण देश में पुस्तकालय सेवा के प्रोत्साहन एवं पोषण के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना
- पुस्तकालय भवनों तथा ऋणों के प्रस्तावों का विभागीय परीक्षण करना : पुस्तकों की आपूर्ति से संबंधित मानक बनाना और पुस्तकालयकर्मियों की योग्यता और वेतन को निर्धारित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाना; तथा
- सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अनुदान का प्रावधान उच्च शिक्षा के लिए अनुदान के प्रावधान के बराबर होना चाहिए।

• **रॉबर्ट्स प्रतिवेदन**–इंग्लैंड एवं वेल्स में पुस्तकालयों से संबंधित समस्या को पुनः उठाया गया और 1957 में शिक्षा मंत्री ने डॉ. एस.सी. रॉबर्ट्स (Dr. S.C. Roberts) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसके गठन का उद्देश्य था; सार्वजनिक पुस्तकालयों की समस्याओं तथा स्वरूप का अध्ययन करना तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं अन्य पुस्तकालयों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं पद्धति में यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उस संबंध में आवश्यक सुझाव एवं सलाह देना। इस समिति ने 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं–

- सारे काउंटी (प्रांत), सारे काउंटी बरो (संसदीय जनपद), सारे मेट्रोपॉलिटन बरो (महानगर) तथा लदन शहर, अपने-अपने पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन करेंगे।
- पेरिस (ग्रामीण क्षेत्रों) में पुस्तकालय प्राधिकरण नहीं होंगे या बंद कर दिए जाएँगे;

नोट

- जो पुस्तकालय प्राधिकरण प्रतिवर्ष पुस्तकों के क्रय पर कम-से-कम पाँच हजार पाउंड व्यय करते हों या संपूर्ण जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पर दो शिलिंग की दर से अधिक व्यय पुस्तकों पर करते हों वे अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं;
- सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अंत: पुस्तकालय (Inter Library Cooperation) सहयोग के लिए अधिनियमों में और प्रावधान किए जाएँ।
- शिक्षा मंत्री सार्वजनिक पुस्तकालयों की देख-रेख एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होना चाहिए एवं
- पुस्तकालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए।

• **सार्वजनिक पुस्तकालय और म्यूजियम अधिनियम (1964)**–स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षा मंत्री ने राबर्ट्स समिति की प्रतिवेदन के आधार पर नया पुस्तकालय अधिनियम लागू करने के लिए दो कार्य-दलों का गठन किया। इन दोनों दलों के अध्यक्ष क्रमश: एच.टी. बोर्डिलोन (H.T. Bourdillon) तथा ई.बी.एच. बेकर (E.B.H. Baker) थे। इन दो कार्य-दलों का कार्य इस प्रकार है–

- कुशल एवं उपयुक्त सार्वजनिक पुस्तकालय-सेवा के आयोजन की मूल आवश्यकताओं एवं
- अंतर पुस्तकालय सहकारिता से संबंधित सुझाव एवं सिफारिशों के तकनीकी पक्षों एवं समस्याओं का परीक्षण एवं अध्ययन करना था।

1962 के अंत में इन दो दलों ने 'इंटर लाइब्रेरी कोऑपरेशन इन इंगलैंड एंड वेल्स' तथा स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज इन इंगलैंड एंड वेल्स' नामक दो रिपोर्ट प्रस्तुत कीं। अंतत: इन दोनों समितियों के प्रतिवेदनों एवं राबर्ट्स प्रतिवेदन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक पुस्तकालय एवं म्यूजियम अधिनियम 1964 (Public Libraries and Museum Act, 1964) को पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था, उन्नयन तथा निरीक्षण का दायित्व शिक्षा तथा विज्ञान के राज्य सचिव को प्रदान किया गया।

• **सन् 1972 के पश्चात् पुस्तकालय सेवा–दि ब्रिटिश लाइब्रेरी ऐक्ट (The British Library Act 1972)**–सन् 1972 में ब्रिटेन की संसद में पारित एक अधिनियम (Act of Parliament – 1972) के द्वारा दि ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना 1973 में की गई। इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व यू.के. में दो समितियाँ गठित की गई थी जिनके अध्यक्ष क्रमश: थोमस पेरी एवं डॉ. एफ.एस. डैन्टन (Dr. F.S. Dainton) थे। इन दोनों समितियों ने देश में कार्यरत विश्वविद्यालय पुस्तकालयों एवं राष्ट्रीय पुस्तकालयों के संगठनात्मक ढाँचे का अध्ययन करने के बाद देश में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली विकसित करने की सिफारिश की। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना इन्हीं समितियों की सिफारिश का प्रतिफल है। इस सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार संसद में एक श्वेत पत्र (White Paper) प्रस्तुत किया और उपर्युक्त अधिनियम को पारित कर दि ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना की गई।

इस अधिनियम के पारित होने के बाद ब्रिटिश म्यूजियम (British museum), नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी (National central Library), नेशनल लाइब्रेरी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (National Library for Science and Technology) तथा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी लिमिटेड (British National Bibliography Limited) को एक साथ मिला दिया गया। सन् 1974 में ऑफिस फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नीकल इंफार्मेशन (DSTI : office for scientific and Technical Information) को भी इस संरचना में मिला दिया गया। ब्रिटिश लाइब्रेरी का वर्तमान संरचना अग्रलिखित है–

नोट

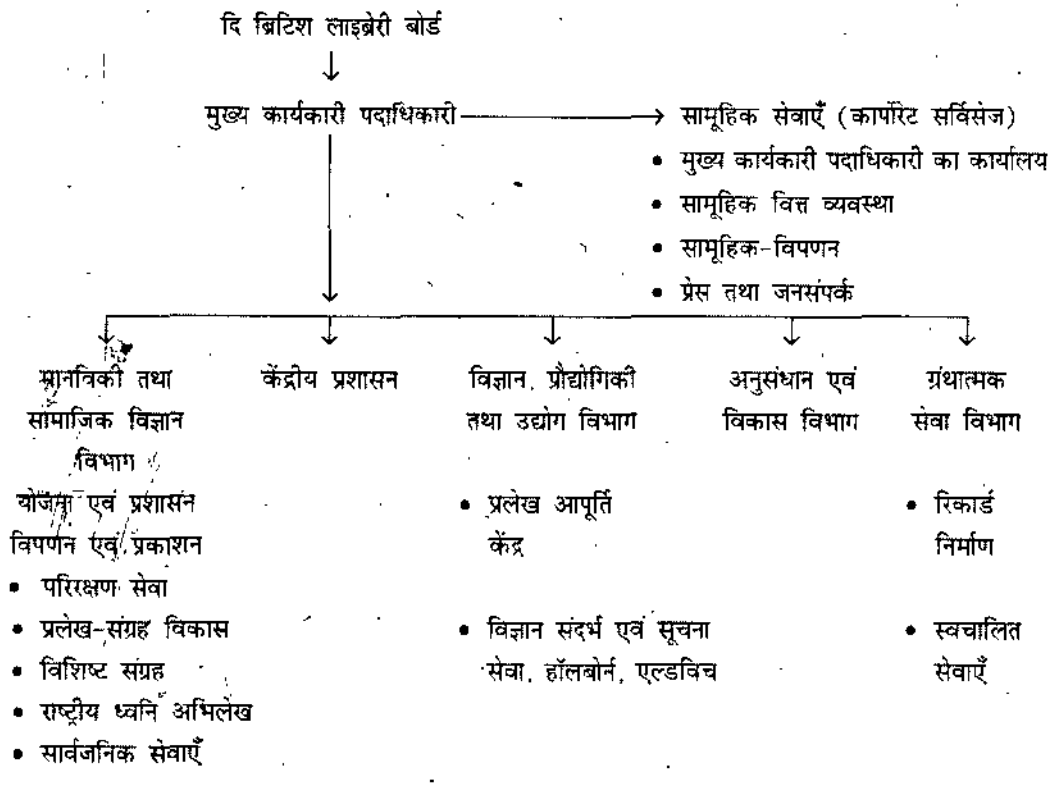

आज ब्रिटिश लाइब्रेरी के संगठन द्वारा पूरे ब्रिटेन में पुस्तकालय के जाल बिछाये गए हैं। जिसे 'पुस्तकालय नेटवर्क' कहा जाता है। देश में किसी भी सुदूर क्षेत्र में अवस्थित पाठक कोई भी सामग्री प्राप्त कर सकता है। अगर कोई पाठ्य सामग्री स्थानीय पुस्तकालय में उपलब्ध न हो तो उसे क्षेत्र के क्षेत्रीय पुस्तकालय या केंद्रीय पुस्तकालय से या अंतत: राष्ट्रीय पुस्तकालय से उपलब्ध करा दिया जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विकास (Development of Library in USA)

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में पुस्तकालयों का विकास अपेक्षाकृत नवीन घटना है। संयुक्त राज्य अमेरिका आज संसार की सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी में आता है। इस नाते वह पुस्तकालयों की प्रगति में भी अग्रणी है। अमेरिका में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और विकास में Andrew Carnegie का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही रॉकफलर फाउन्डेशन, फोर्ड फाउन्डेशन और जनरल एजूकेशन बोर्ड आदि ने भी सार्वजनिक पुस्तकालयों को दान देकर पुस्तकालय विकास में अहम भूमिका निभायी। अमेरिका में पुस्तकालयों के इतिहास को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है–

• **उपनिवेशीय काल**–अमेरिका में आधुनिक पुस्तकालय के बीज 17वीं सदी में ही पड़ गए थे। अमेरिका में प्रारंभिक रूप में बसने वाले लोग अपने व्यक्तिगत पुस्तकों के संकलन अपने साथ लाए थे। अत: उपनिवेशीय काल (Colouial Period) के पुस्तकालय अधिकांशत: व्यक्तिगत पुस्तकालय थे। कुछ प्रमुख व्यक्तिगत पुस्तकालयों के स्वामियों में विशेष उल्लेखीय हैं–

- प्लाइमाउथ कॉलोनी के विलियम ब्रिउस्टर (William Brewster)
- कनेक्टीक के गवर्नर, जॉन विनथ्रोप (John Winthrop)
- वेस्टोवर, वर्जीनिया के कर्नल विलियम बायर्ड (William Byrd)
- फिलाडेल्फिया के जेम्स लॉगन (James Logan)

इस पुस्तकालयों के संकलन में 3,000 से 4,000 तक पुस्तकें होती थीं।

अमेरिका में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का श्रेय बोस्टन के एक व्यापारी रॉबर्ट केने (Robert Keayne) को जाता है जिन्होंने 1653 में अपनी वसीयत में 300 पौंड का प्रावधान वहाँ के टाउन हाउस (Town House) में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हेतु कर दिया था। यह पुस्तकालय एक शताब्दी तक संचालित होता रहा किंतु 1749 में भयंकर आग लग जाने से यह पुस्तकालय सदा के लिए राख हो गया।

छात्र क्रियाकलाप

1. 'राबर्ट्स प्रतिवेदन' पर नोट लिखें।

2. सार्वजनिक पुस्तकालय और म्यूजियम अधिनियम की विवेचना करें।

नोट

थोमस ब्रे जो अंग्रेज पादरी थे, उपनिवेशी लोगों के लिए एक साहित्यक केंद्र की स्थापना की उन्होंने 1695–1704 की अवधि में 70 पुस्तकालयों की स्थापना की। ब्रे की प्रमुख गतिविधियाँ मेरीलैंड में आयोजित की जाती थीं। इन पुस्तकालयों में धार्मिक पुस्तकों का ही संग्रह था।

• **सामाजिक पुस्तकालय**–इंगलैंड में बुक क्लब और सशुल्क पुस्तकालय की पद्धतियों पर आधारित अमेरिका में भी इसी तरह के पुस्तकालयों की स्थापना की जाने लगी थी। इन्हें ही सामाजिक पुस्तकालय (Social Libraries) के नाम से जाना जाता था। सामाजिक पुस्तकालयों की स्थापना करने में बेंजामिन फ्रैंकलिन (Benjamin Franklin) अग्रणी थे। उन्होंने 1793 में फिलाडेल्फिया में एक कंपनी स्थापित की जिसने लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया (Library Company of Philadelphia) के नाम से ख्याति प्राप्त की। इसे अमेरिका के सामाजिक पुस्तकालयों की जननी कहा जाता था।

धीरे-धीरे अमेरिका में सशुल्क पुस्तकालयों की स्थापना की जाने लगी। ऐसे पुस्तकालयों में तीन पुस्तकालयों का योगदान उल्लेखनीय है–

• रेडवुड लाइब्रेरी ऑफ न्यूपोर्ट (Redwood Library of Newport), न्यूयार्क सोसाइटी लाइब्रेरी ऑफ न्यूयार्क सिटी (Newyork Society Library of New Yourk City) तथा चारलेस्टन लाइब्रेरी सोसाइटी ऑफ चारलेस्टन (Charleston Library Society of Charleston) सशुल्क पुस्तकालय की प्रमुख विशेषता यह था कि इसके संकलन में धार्मिक प्रभाव कम था और धर्मनिरपेक्ष कृतियों का संकलन अच्छा था जिसमें इतिहास, व्याकरण, कृषिशास्त्र, अंकगणित, साहित्य, जीवनचरित तथा भौतिक विज्ञान की कृतियाँ अधिक होती थी।

• **व्यापारिक पुस्तकालय**–अमेरिका धीरे-धीरे कृषि क्षेत्र से औद्योगीकरण की दिशा में अग्रसर हो रहा था। व्यापारिक एवं वाणिज्य की अभिवृद्धि के कारण एक नए व्यापारिक समुदाय का आर्विभाव हुआ। समाज का एक अन्य वर्ग औद्योगिक श्रमिकों एवं कर्मियों का था, जो अनेक उद्योगों की स्थापना के कारण बढ़ रहा था। अतः इन सारी परिस्थितियों ने व्यापारिक पुस्तकालय के विकास को प्रोत्साहित किया। ये पुस्तकालय व्यवसाय की तरह चलाए जाते थे। इनमें बैठकर पढ़ने की सुविधा नहीं थी बल्कि कुछ पैसा जमा कर कोई भी वहाँ से अपनी रुचि की पुस्तक कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए उधार ले सकता था।

विद्यालय–जिला सार्वजनिक पुस्तकालय–अमेरिका में निःशुल्क जन पुस्तकालय पद्धति के विकास के पूर्व डेविट क्लिंटन (Dewitt Clinton) जो न्यूयॉर्क के गर्वनर थे, एक योजना प्रारंभ की। उन्होंने राज्य विधायिका को विद्यालय जिला पुस्तकालयों की स्थापना का अनुशंसा किया। इस योजना के तहत विद्यमान विद्यालय पुस्तकालय को विकसित कर जन-समुदाय के लिए बिना किसी शुल्क के खुला रखना था।

1835 ई. में न्यूयॉर्क विधायिका ने एक कानून पारित किया जिसके अनुसार 20 डालर कर के रूप में वसूल किये जाने थे ताकि पुस्तकालय शुरू किया जा सके तथा 10 डालर आगे के वर्ष से वसूल करने थे ताकि पुस्तकालय का विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका ने 55,000 डालर की एक रकम पुस्तक खरीदने के लिए स्वीकृत की। इतनी ही रकम विद्यालय जिला को स्वयं एकत्रित करना निश्चित किया गया। विद्यालय जिला पुस्तकालय की धारणा कारगर सिद्ध हुई। 1876 तक 21 राज्यों ने इसे कार्य रूप में परिणित किया।

• **पुस्तकालय अधिनियम**–प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना का श्रेय सन् 1823 में न्यू हैंपशायर (New Hampshire) राज्य की पीटर वर्ग नगरपालिका को जाता है। इसने अपने बचत में एक निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान किया था। अमेरिका में इस दिशा में वैधानिक प्रयासों का प्रारंभ सर्वप्रथम 1848 में जेनरल कोर्ट ऑफ मेसाचूसेट्स (General Court of Massachursetts) द्वारा एक अधिनियम लागू कर बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी (Boston Public Library) की स्थापना की गई। अगले वर्ष न्यू हैंपशायर ने अपने अधीन शहरों एवं कस्बों को पुस्तकालयों की स्थापना के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान किया और पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अलग कराधान (Tax) का प्रावधान किया।

अमेरिका में केंद्रीय सरकार की ओर से पुस्तकालय अधिनियम का विकास धीमी गति से हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम सन् 1956 में लागू किया गया। इसे लाइब्रेरी सर्विसेज एक्ट (Library Services Act) कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय दायित्व को सुनिश्चित किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू किया गया था लेकिन 1964 में इसमें संशोधन कर शहरी क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर दिया गया।

इस अधिनियम को अब लाइब्रेरी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन ऐक्ट (Library Services and Construction Act) के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालय सेवाओं और अंतर पुस्तकालय सहकारिता के प्रोत्साहन हेतु भी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है।

• **लोकोपकार तथा पुस्तकालय आंदोलन**–अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन को सफल एवं तीव्र बनाने में वहाँ के परोपकारी व्यक्तियों तथा न्यासों का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी (New york Public Library) मानव प्रेम एवं परोपकारी द्वारा संस्थापित पुस्तकालय का एक सुंदर उदाहरण है। जॉन जेकब आस्टर (John Jacob Astor) नामक एक व्यापारी ने 1848 में न्यूयार्क नगर में एक संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना के लिए 4 लाख डालर का वसीयतनामा किया और जॉसेफ ग्रीन कॉसवेल (Joheph Green Cogswell) नामक व्यक्तियों को पुस्तकों को क्रय करने के लिए अधिकृत किया था।

सन् 1870 में न्यूयार्क में एक अन्य संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना की गई जिसका श्रेय जेम्स लेनाक्स (James Lenox) को जाता है। इन्होंने इस पुस्तकालय के लिए बीस हजार पुस्तकें एकत्रित की। सन् 1800 में न्यूयार्क राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल सैम्युयल जे. टिल्डेन (Samuel J. Tilden) ने सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए 50 लाख डालर के मूल्य का अपना एस्टेट (Estate) अपनी वसीयत में लिखा। सन् 1895 में इन तीनों न्यासों (Trusts) को एक साथ मिलाकर न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। यह एक गैर-सरकारी पुस्तकालय है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास तथा उनके हितों की रक्षा में महानदानी एंड्रयु कार्नेगी (Andrew Carnegie) (1835 – 1919) का योगदान अद्वितीय रहा है। इनका दान मुख्यत: पुस्तकालयों के भवन निर्माण हेतु होता था। पुस्तकों के क्रय और पोषण हेतु धनराशि की व्यवस्था का दायित्व समुदाय का था। कार्नेगी स्थायी न्यास के अनुदान से मात्र अमेरिका में ही 1681 सार्वजनिक पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण किया गया था तथा 1920 तक इस न्यास द्वारा पुस्तकालय भवनों के निर्माण हेतु 5 करोड़ डालर का दान दिया जा चुका था।

• **वि लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस** (The Library of Congress)–दि लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस (LC : Library of Congress), संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यह वाशिंगटन डी.सी. नामक शहर में स्थित है। मूल रूप से इसकी स्थापना सन् 1800 में संयुक्त राज्य कॉंग्रेस के पुस्तकालय के रूप में यू.एस. कॉंग्रेस की सेवा के लिए की गई थी। सन् 1870 में अमेरिकी सरकार ने कॉपी राईट ऐक्ट पारित कर इस पुस्तकालय को संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रित पुस्तकों, चार्टों, नाटकात्मक तथा संगीतात्मक रचनाओं, नक्काशियों, प्रिंटस एवं छायाचित्रों आदि की दो-दो प्रतियाँ प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। आज यह पुस्तकालय अपने प्रकार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय है। वस्तुत: यह जन पुस्तकालय नहीं है फिर भी यह जन उपयोग के लिए उपलब्ध है।

इस राष्ट्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञान का राष्ट्रीय पुस्तकालय–राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय (NML : National Library of Medicine) तथा राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुस्तकालय (NAL : National Agriculture Library) अलग से विकसित किए गए हैं।

• **व्यावसायिक संघों की भूमिका** (Role of Professional Association)–संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों के विकास में व्यावसायिक संघों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इन व्यावसायिक संघों ने पुस्तकालय एवं सूचना क्रियाकलापों को बड़ी निष्ठा एवं लगन के साथ नेतृत्व प्रदान किया। अमेरिका में पुस्तकालयों एवं सूचना सेवाओं के विकासों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1876 को हुई, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1909 एवं अमेरिकन सोसायटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, 1937 का उल्लेखनीय योगदान है।

इन व्यावसायिक संघों ने अपने देश में पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं और अपने व्यवसाय के लोगों के हितों की भी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्यावसायिक दक्षता और कार्य पद्धतियों को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के लिए मानकों, मार्गदर्शिकाओं (Guidline), नियामवलियों आदि अनेक प्रकाशनों को उपलब्ध करवाया है और इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। व्यावसायिक विकासों और अनुसंधानों की अभिव्यक्ति के लिए पत्रिकाओं का भी प्रकाशन इन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार से संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास इन व्यावसायिक संघों ने किया है।

सारांश (Summary)

इस इकाई में यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालयों के क्रमिक विकास का वर्णन किया गया है। यू.के. में 1850 ई. में जब प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ उसके पूर्व पुस्तकालय की क्या स्थिति थी और इस अधिनियम तथा बाद में पारित अन्य अधिनियमों ने किस प्रकार पुस्तकालय सेवा को विस्तारित किया। इन सबको प्रकाश में लाया गया है।

नोट

संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय के विकास पर भी प्रकाश डाला गया। अमेरिका में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में मानव प्रेमियों, उदार महानुभावों एवं पुस्तकालय अधिनियमों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है। वहाँ राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय अधिनियम यद्यपि 1956 में पारित हुआ लेकिन उसके पूर्व भी पुस्तकालय सेवा पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। 1960 ई. तक सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम वहाँ पारित हो गया। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को 'पुस्तकालयों का देश' कहा जाता है।

प्रमुख शब्द (Key Words)

अंतः पुस्तकालय सहयोग (Inter Library Cooperation)–दो या दो से अधिक पुस्तकालयों द्वारा संग्रह, तकनीकी कार्यक्रम तथा सेवाओं में एक दूसरे से सहयोग को पुस्तकालय सहयोग कहा जाता है।

इंफॉर्मेशन सुपरहाइवे (Information Superhighway)–इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का एकत्रीकृत रूप जो अनेक डेटाबेसों का अभिगम प्रदान करता है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क प्रौद्योगिकी को एक साथ सम्मिलित करने में संपन्न होता है।

नेटवर्क (Network)–भौतिक रूप से अलग-अलग कंप्यूटरों की प्रणाली जिसमें ये दूरसंचार की कड़ियों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक सहभागी कंप्यूटर के संसाधनों की सहभागिता दूसरे कंप्यूटरों द्वारा प्राप्त करने की सुविधा होती है।

प्रलेखन (Documentation)–विशेष रूप में वैज्ञानिक, प्रतिवेदनों, अर्ध-प्रकाशित सामग्री सांख्यिकी आदि से संबंधित सूचनाओं के अधिग्रहण, व्यवस्थापन तथा संप्रेषण एवं संचार से संबंधित अध्ययन।

श्वेत-पत्र (White Paper)–ब्रिटेन की विशेष विषय पर सरकारी रिपोर्ट या दस्तावेज।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. यू.के. में सार्वजनिक पुस्तकालय के इतिहास तथा विकास पर एक लेख लिखें।
   Write an essay of History and Development of Public Library in UK.
2. अमेरिका में जन-पुस्तकालय के इतिहास एवं विकास पर एक लेख लिखें।
   Write an essay of History and Development of Public Library in USA.
3. यू.के. में सन् 1850 ई. से आरंभ पुस्तकालय आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और उसकी मुख्य उपलब्धियों को लिखिए।
   Briefly write the Library Development in UK from the year of 1850 and write its major achievements.
4. टिप्पणी लिखिए (Write Notes on) –
   (*i*) पुस्तकालय संघ यूके (Library Association UK).
   (*ii*) अमेरिकी पुस्तकालय संघ (American Library Association).
   (*iii*) ब्रिटिश लाइब्रेरी (British Library).
   (*iv*) लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस (Library of Congress).

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- शैनी, ओमप्रकाश : ग्रंथालय एवं समाज, वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा, 2009
- त्रिपाठी, एस.एम. : आधुनिक ग्रंथालय, वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा, 2008
- सिंह, रामशोभित प्रसाद : पुस्तकालय प्रशासन एवं संगठन, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2000
- Kelley, Thomas : Early Public Libraries. London : The Library Association 1996.
- Kelley, Thomas : A History of Public Libraries in Great Britain (1845 – 1975), London. The Library Association, 1997.
- World Encyclopeadia of Library and Information Science. (ed.3) : American Library Association, Chicago, 1993.

इकाई-4
(Unit–4)

नोट

पुस्तकालय विकास के विशिष्ट संदर्भ में आर.आर. आर.एल.एफ. तथा यू.जी.सी. की भूमिका (Library Development with Special Reference to Raja Rammohan Roy Library Foundation and University Grants Commission)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (RRRLF)
- आर.आर.आर.एल.एफ. की कार्य एवं गतिविधियाँ (Function and Activities of RRRLF)
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) (UGC)
- यू.जी.सी. की कार्य एवं गतिविधियाँ (Function and Activities of UGC)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

परिचय (Introduction)

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के बढ़ावा एवं विकास के लिए अनेक संस्थाओं, संगठनों एवं प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई है जो क्रमशः अपने-अपने कार्य क्षेत्रों के विकास एवं प्रगति में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। इन्हीं संस्थाओं में से एक है–राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जहाँ राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (राममोलिब्री) विशिष्ट पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है तो वही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विकास में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है।

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई में भारत में पुस्तकालय एवं उच्च शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए स्थापित दो प्रमुख संस्था राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आर.आर.आर.एल.एफ) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) की स्थापना, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना एवं इनकी प्रमुख गतिविधियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

इस अध्याय का उद्देश्य यह स्पष्ट करने का है कि राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के विकास में इन संस्थाओं की भूमिका एक सलाह, उत्प्रेरक, अनुदान देने वाली तथा सेवा प्रदान करने वाली संस्था के रूप में रही है।

इस अध्याय या इकाई में स्थापित इन संस्थाओं के सभी पहलुओं का विशद् रूप से वर्णन किया गया है।

नोट

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (Raja Rammohan Roy Library Foundation)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना मई 1972 में इनके द्वितीय जन्म शताब्दी के अवसर पर की गई। यह एक स्वायत्तशासी संगठन है, जिसे भारत सरकार के मानव संसोधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा-स्थापित एवं प्रयोजित किया जाता है।

बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए संस्थान में नई दिल्ली में एक मंडल कार्यालय-सह-अतिथि भवन की स्थापना की है। तीन और मंडल कार्यालय पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्र के लिए क्रमशः मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता में स्थापित किए हैं। संस्थान द्वारा प्रदत्त सहायता के कार्यान्वयन एवं प्रभाव के अनुश्रवण के लिए सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीन मंडल कार्यालयों का गठन किया गया है। वर्तमान मंडल कार्यालय इस प्रकार है--(1) पूर्व मंडल कार्यालय, आर.आर.आर.एल.एफ., DD-34, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता-700064, (2) उत्तर मंडल कार्यालय सह-अतिथि भवन, आर.आर.आर.एल.एफ, बी-127, दूसरी मंजिल, कालकाजी, नई दिल्ली-19, (3) दक्षिण मंडल कार्यालय, आर.आर.आर.एल.एफ, एल.एल.ए. बिल्डिंग एनेक्सी, 735, ग्राउंड फ्लोर, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002 एवं पश्चिमी मंडल कार्यालय, आर.आर.आर.एल.एफ, द्वारा पुस्तकालय निदेशालय टाउन हॉल, 5, भगह सिंह मार्ग, मुंबई 400023. इसका केंद्रीय कार्यालय DD 34, साल्ट लेक, सेक्टर-1, कोलकाता में अपने भवन में स्थित है। यह संस्थान 'पश्चिम बंगाल के रजिस्ट्रेशन एक्ट' के तहत पंजीकृत है तथा भारत सरकार से इसे पूर्ण वित्तीय सहायता मिलती है।

संगठन (Organisation)

इसको प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। इस प्रतिष्ठान का अध्यक्ष भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्री या उनका प्रतिनिधि होता है। इसके सदस्यों में भारत सरकार के प्रसिद्ध पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय वैज्ञानिकों, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रतिनिधि आदि होते हैं। इसकी एक प्रशासनिक समिति होती है जो प्रशासन एवं वित्त संबंधित मामले देखती है। इसका एक पूर्णकालिक निदेशक, लेखा पदाधिकारी, कार्यकारी पदाधिकारी एवं क्षेत्र पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी होते हैं।

उद्देश्य (Objectives)

इस प्रतिष्ठान को स्थापित करने का मूल लक्ष्य राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासकों तथा पुस्तकालय सेवा एवं जन-शिक्षा को विकसित करने में संलग्न अन्य संगठनों के सहयोग से पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना और सहयोग करना रहा है। प्रतिष्ठान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं--

- राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के निर्माण और उसके अभिग्रहण का प्रयास करना;
- राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालयों और अन्य प्रकार के पुस्तकालयों की समस्त सेवाओं को एकीकृत कर राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का निर्माण करना;
- पुस्तकालय विकास के लिए विचारों और सूचना के समाशोधक केंद्र के रूप में कार्य करना;
- देश में प्रत्येक स्तर पर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना एवं विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने एवं अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना और प्रयास करना;
- पुस्तकालय विकास एवं प्रगति में लगे हुए पुस्तकालयों, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों और ऐसे ही अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;
- पुस्तकालयों के विकास एवं उपयोगिता में वृद्धि हेतु अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना;
- पुस्तकालय विकास के मामलों में सरकार को सलाह देना;

नोट

- पुस्तकालयों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- राज्य सरकारों के सहयोग से समस्त भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रगति की योजना बनाकर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना तथा राज्य सरकारों द्वारा गठित 'राज्य पुस्तकालय योजना समिति' के माध्यम से अनुदान देना एवं
- अन्य ऐसी सभी गतिविधियों का संचालन करना जिससे देश में पुस्तकालय विकास और आंदोलन को बढ़ावा मिल सके।

कार्य एवं गतिविधियाँ (Function and Activities)

यह प्रतिष्ठान देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को समन्वित, संचालित एवं विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करता है। सभी प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास और प्रगति के लिए प्रतिष्ठान ने कई प्रकार के योजनाएँ एवं कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इसकी प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम इस प्रकार है–

यह प्रतिष्ठान सभी तरह के सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए अनेक योजनाएँ चलाई हैं। कुछ योजनाओं के अंतर्गत शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता तथा कुछ योजनाओं के अंतर्गत पचास प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका विवरण निम्नलिखित हैं–

शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता योजना–

- केंद्रीय क्रय के माध्यम से राज्य केंद्रीय तथा जिला स्तर के पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता;
- केंद्रीय संपोषित पुस्तकालयों को सहायता;
- बाल-पुस्तकालयों तथा सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के बाल विभाग के लिए सहायता;
- अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को सार्वजनिक पुस्तकालय चलाने के लिए सहायता करना।

पचास प्रतिशत वित्तीय सहायता योजना–

- पुस्तक एवं दृश्य-श्रव्य सामग्री की वित्तीय सहायता;
- *ग्रामीण पुस्तक संग्रहण केंद्र तथा चल पुस्तकालयों (Mobile libraries) के लिए वित्तीय सहायता;*
- पुस्तक-संचय तथा पुस्तक-प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता देना;
- संगोष्ठियों, सेमिनार तथा पुस्तक प्रदर्शनी के लिए वित्तीय सहायता देना;
- जिला स्तर से निचले स्तर के पुस्तकालयों में स्थान-विस्तार (भवन-विस्तार) के लिए वित्तीय सहायता देना एवं
- जिला तथा राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों को टेलीविजन एवं वीडियो कैसेट रिकार्डर के लिए वित्तीय सहायता देना।

पुस्तकालय संघों को अनुदान (Grants to Library Association)

समय-समय पर यह प्रतिष्ठान पुस्तकालय संघ की विविध गतिविधियों जैसे–सम्मेलन एवं संगोष्ठियों के आयोजन तथा पुस्तकालय आंदोलन में तीव्रता लाने वाले कार्यक्रमों के संचालन हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करता है।

पुस्तकालय अधिनियम (Library Act)

प्रतिष्ठान सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि विभिन्न राज्य अपने-अपने क्षेत्र में पुस्तकालय अधिनियम पारित करें। इसके लिए प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, राज्यों के शिक्षा मंत्री तथा अन्य संबंधित विभागों को पत्र लिखते रहते हैं।

प्रकाशन (Publication)

यह प्रतिष्ठान अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, मार्गदर्शिका आदि का प्रकाशन करती है। इनमें से कुछ मुख्य प्रकाशन इस प्रकार हैं–

- Raja Rammohan Ray and the new Learning.
- Indian Libraries : Trends and Perspectives.

नोट

- Directories of Indian Public Libraries.
- Granthana : Indian Journal of Library Studies.
- RRRLF News Letter.
- Annual Reports.
- Books for millions at their Doorsteps (Information Manual.)

चलित पुस्तकालय (Mobile Library)

जो पाठक पुस्तकालय में नहीं आ सकते उन तक पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकालय सेवाओं को पहुँचाने के लिए यह प्रतिष्ठान चलित पुस्तकालय शुरू किए हैं एवं चलित पुस्तकालय कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता भी इसके द्वारा प्रदान की जाती है।

आँकड़ों का संग्रहण (Colleciton of Data)

देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण कराए जाते हैं और राज्य पुस्तकालय निदेशालयों एवं राज्य पुस्तकालय संघों के संसाधनों को संग्रहित करने के प्रयास किए जाते हैं। प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के संसाधनों पर एक डाटा बैंक के सृजन के लिए डाटा एंट्री का कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

सहयोग (Cooperation)

प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IFLA, ILA, IASLIC एवं अन्य राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों के साथ भी संबंध बनाए रखता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति (National Library Policy)

प्रतिष्ठान ने 'नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम' तैयार करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सन् 1981 में प्रतिष्ठान ने एक कार्यकारी दल का गठन कर उससे राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप तैयार करने को कहा। इसके फलस्वरूप सन् 1983 में 'नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम' का प्रारूप प्रतिष्ठान के निदेशक डॉ. वी.पी. बरूआ ने कार्यकारी दल की ओर से तैयार किया। इसके आधार पर भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने एक 'ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट' जारी किया और डॉ. (प्रो) डी. पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक 'नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फार्मेशन सिस्टम' गठित की। इस समिति ने मई 1986 में अपना प्रतिवेदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कार्यों एवं गतिविधियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में इस प्रतिष्ठान का योगदान प्रशंसनीय है। इस प्रतिष्ठान के प्रयत्नों एवं प्रयासों के कारण ही कई राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए हैं। अतः प्रतिष्ठान की वर्तमान गतिविधियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसके प्रयास एवं सहायता से अधिक-से-अधिक राज्यों में संतोषप्रद पुस्तकालय प्रणाली अपनाई जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) (UGC)

परिचय (Introduction)

उच्च शिक्षा के विकास, शिक्षण संस्थाओं की देखभाल एवं उन्हें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उपयोगी बनाने एवं सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व शासन का होता है। इस कार्य के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने और यह देखने के लिए धन का उपयोग उचित प्रकार से हो रहा है, शासन आवश्यक व्यवस्था करता है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन की उप-समिति की सिफारिश पर 1945 में यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमिटी की नियुक्ति की लेकिन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को पूर्णकालिक न बनाकर और समिति को आवश्यक धन उपलब्ध न करवाकर उसे निष्क्रिय और अनुपयोगी बना दिया। समिति का मुख्य कार्य शिक्षा विभाग को केवल परामर्श देना था, फलस्वरूप

छात्र क्रियाकलाप

1. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम पर प्रकाश डालें।

2. 'राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति' की विवेचना करें।

नोट

उच्च शिक्षा के विकास के संदर्भ में इस समिति की कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं थी। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए राधाकृष्णन आयोग (1948) ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उच्च शिक्षा के विकास तथा सुधार तथा कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को अनुदान देने से सम्बद्ध संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अधिकारों से सम्पन्न एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाना चाहिए। राधाकृष्णन आयोग की इस संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति की और 1956 में एक विधेयक पारित कर संसद ने वैधानिक रूप प्रदान कर दिया। देश के प्रमुख अर्थशास्त्री, प्रशासक एवं शिक्षाविद् डॉ. सी.डी. देशमुख इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों को व्यापक रूप से अध्ययन करने और उनके सुधार तथा विकास हेतु परामर्श देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डॉ. एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने आयोग को पुस्तकालयों के विकास और उन्नयन हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत की।

उद्देश्य (Objectives)

यू.जी.सी. के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना;
- भारत सरकार की एक केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करते हुए देश की उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय अनुदान देना;
- उच्च शिक्षा में आवश्यक सुधारों हेतु केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सुझाव देना;
- उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के उच्च स्तरीय को बनाए रखना तथा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योजनाएँ निर्धारित करना;
- उच्च शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का परिपालन एवं निर्धारण करना;
- विश्वविद्यालयों में अध्यापन एवं शोधकार्य के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना एवं उनका निर्वाह करना एवं
- पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के विकास हेतु उनसे संबंधित अन्य अवयवों जैसे-भवन, अध्ययन-सामग्री, उपकरण और कर्मचारी वर्ग आदि सभी की ओर समय-समय पर ध्यान देना।

यू.जी.सी. की कार्य एवं गतिविधियाँ (Function and Activities of UGC)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा का विकास एवं व्यवस्था करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के विकास के संदर्भ में यू.जी.सी. की प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

पुस्तकालय समिति (Library Committee)

यू.जी.सी. के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. सी.डी. देशमुख ने पुस्तकालयों के संबंध में राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित पुस्तकालयों के विकास हेतु परामर्श देने के लिए 1957 में डॉ. एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में एक पुस्तकालय समिति का गठन किया। इस समिति ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का निरीक्षण एवं अवलोकन करते हुए अपना प्रतिवेदन 1959 में यू.जी.सी. को सौंप दिया।

इस समिति की विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के संबंध में कुछ प्रमुख संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं–

- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए पूरे वित्त का भार क्रमशः 80% एवं 20% के अनुपात में वि.वि. अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए;
- नए विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में प्रारंभिक पुस्तक संग्रह के लिए आयोग द्वारा अतिरिक्त अनुदान देना चाहिए;
- स्नातकोत्तर विभागों के नवीन विकासात्मक प्रस्तावों को स्वीकार करने पर सम्बद्ध विषयों में पुस्तक क्रय करने के हेतु अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान होना चाहिए;
- अध्ययन के प्रति रुचि एवं पुस्तकालय चेतना जागृत करने हेतु पुस्तकालयोन्मुखी शिक्षण पद्धति, संदर्भ सेवा को क्रियात्मक रूप देने का प्रयास होना चाहिए;

नोट

- शोधशक्ति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में प्रलेखन के समस्त पक्षों का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है;
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के समकक्ष ही पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतन एवं पद प्राप्त होना चाहिए;
- कर्मचारी परिसूत्र के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यक संख्या का निर्धारण किया जाना चाहिए;
- विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में प्रशिक्षित कर्मचारी को 4 श्रेणियों में उनके पदानुसार स्तर प्रदान किया जाना चाहिए।
- पुस्तकालय भवन निर्माण, उपकरण और उपस्कर निर्धारित मानकों के अनुसार होने चाहिए।
- खुली प्रणाली की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एक हजार पुस्तकों पर कम-से-कम एक पुस्तक *खोना स्वाभाविक तथा अवश्यसंभावी है अत:* इस अनुपात से पुस्तकों को अपलिखित किया जाना चाहिए।
- आवश्यकतानुसार शैक्षणिक विभागीय पुस्तकालयों का विकास किया जाए। केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रेषित स्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के पुस्तक संग्रह वहाँ उपलब्ध हों।
- विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र स्तर की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। यह पुस्तकालय संघों का कार्य है।
- नवीन पुस्तकालय भवन का निर्माण या विद्यमान भवन में परिवर्तन के कार्य में पुस्तकालयों को परामर्श देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए।

पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता (Financial Support /Assistance to Library)

किसी भी नीति एवं व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए वित्त सबसे पहले और बड़ी आवश्यकता है। निरंतर बढ़ते योजना व्यय, पुस्तक मूल्य, उपकरण एवं सूचना सेवा प्रसार आदि ऐसे कारक हैं जिनके लिए निरंतर धन की आवश्यकता होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पुस्तकालयों के निर्माण के लिए आयोग द्वारा अनुदान दिया जाता है ताकि वे छात्रों, शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं की माँग की पूर्ति कर सकें। इन पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के क्रय हेतु आयोग से पर्याप्त अनुदान उपलब्ध होता है।

आयोग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पुस्तकालय भवन के निर्माण, पुराने भवनों के पुनर्निर्माण, पुस्तकों, पत्रिकाओं और उपकरणों आदि के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर पाठ्यक्रम विकास समिति (सी.डी.सी) (Curriculum Development Committee on Library and Information Science)

आयोग द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन समय-समय पर किया जाता है तथा इस पाठ्यक्रम को अधिक उपादेय बनाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। इस समिति द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशालाओं के लिए दिशानिर्देश दिए जाते हैं जिनका संबंध नामांकन नीति, छात्र तथा संकाय की संख्या, शिक्षा की विधियों, अध्यापन सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि से है। सर्वप्रथम इससे संबंधित पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन 1990 में किया गया। आयोग समय-समय पर ऐसी समिति का गठन करती है जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सुधार हेतु सुझाव देती है।

राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना (Establishsment of National Information Centre)

यू.जी.सी. द्वारा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है। इनकी स्थापना का उद्देश्य है, शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसंधान करने वाले अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों को बदलते हुए परिवेश में उनके अध्ययन क्षेत्र से संबंधित आवश्यक सूचना की पूर्ति की जा सके। अब तक, इस प्रकार के तीन राष्ट्रीय सूचना केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है जो इस प्रकार हैं--

केंद्र का नाम	विषय-क्षेत्र
• नेशनल सेंटर फॉर साइंस इन्फॉर्मेशन, इंडियन इन्सटीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर (National Centre for Science Information, Indian Institute of Science, Bangalore)	भौतिक अनुप्रयुक्त एवं प्रकृति विज्ञान (Physicals Applied and Natural Science)
• महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा (M.S. University of Baroda, Baroda.)	समाज विज्ञान एवं मानविकी (Social Sciences and Humanities.)
• एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुंबई (SNDT Women's University, Mumbai.)	समाज विज्ञान एवं मानविकी (Social Sciences and Humanities)

इन केन्द्रों ने कम्प्यूटर आधारित डेटाबेस भी विकसित किए हैं जिसके द्वारा संदर्भ एवं सूचना सेवाएँ, प्रलेखन सेवाएँ और सामयिक अभिज्ञता आदि सेवाएँ उपयोगकर्ताओं की माँग और माँग की प्रत्याशा में उपलब्ध कराई जाती है।

इनफ्लिबनेट की स्थापना (Establish of INFLIBNET)

महाविद्यालयों, शोध एवं विकास संस्थाओं तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं के पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अप्रैल 1991 में इनफ्लिबनेट (INFLIBNET Information and Library Network) कार्यक्रम की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। इसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCA – Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics) पुणे की परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था।

इनफ्लिबनेट एक बहुमुखी एवं सशक्त एकीकृत पुस्तकालय एवं पुस्तात्मक सूचना प्रणाली है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय सूचना केंद्रों, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, यू.जी.सी. सूचना केंद्रों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के पुस्तकालयों के स्तर पर सूचीकरण, सूची उत्पादन, संकलन विकास, चयनात्मक सूचना प्रसार, सामयिक चेतना सेवा आदि छात्रों, शोध छात्रों, विद्वानों, विषय, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराता है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं–

- देश के पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों को एक साथ संबद्ध कर राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना;
- पुस्तकालयों में संसाधन केंद्रों की स्थापना कर प्रलेख वितरण सेवा को सुलभ करना;
- सहभागी प्रसूचीकरण, अंतर पुस्तकालय आदान-प्रदान सेवा, प्रसूची उत्पादन आदि सूचना संसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करना;
- देश के पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में एक अनुरूप मानक का अनुसरण कर इनकी कार्यपद्धति एवं व्यवस्था तथा सेवाओं को कम्प्यूटरीकरण करना।

विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण (Modernization of University Libraries)

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीकों के क्षेत्र में हो रहे विकास एवं उनकी उपयोगिता ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे अपनी सेवाओं तथा गतिविधियों में अधिक से अधिक कंप्यूटरीकृत सूचना सेवा को शामिल करे तथा स्वयं को इनफ्लिबनेट जैसे विभिन्न नेटवर्क कार्यक्रमों से जोड़े ताकि दक्ष, विश्वसनीय एवं प्रभावी सेवाएँ अपने उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकें।

पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने की दृष्टि से यू.जी.सी. द्वारा 1994-95 तथा 1995-96 के वित्तीय वर्ष में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दो करोड़ एवं 1947 से पूर्व स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों को पचास लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया। इस अनुदान का प्रमुख उद्देश्य पुस्तकालयों के समस्त क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कर इनफ्लिबनेट कार्यक्रम से जोड़ना था। इस अनुदान की राशि का निम्नलिखित उपयोग करने का प्रावधान था–

- कम्प्यूटर, मॉनीटर, प्रिंटर, टर्मिनलस, सॉफ्टवेयर आदि।
- कम्प्यूटर फर्नीचर, बिजली फिटिंग तथा वातानुकूलन की व्यवस्था।
- टेलीफोन एवं अन्य संचार साधन
- सूचना वैज्ञानिक की नियुक्ति

छात्र क्रियाकलाप

1. पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता किस प्रकार से प्रदान की जाती है? विवेचना करें।

2. सीडीसी (CDC) पर नोट लिखें।

नोट

- डाटा इन्ट्री कार्य,
- पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाएँ एवं श्रव्य-दृश्य सामग्री का क्रय
- कर्मचारी प्रशिक्षण
- अन्य आकस्मिक व्यय आदि।

पुस्तकालयों हेतु राष्ट्रीय समीक्षा समिति (National Review Committee on Libraries)

यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालयों हेतु समीक्षा समिति का गठन किया जाता है। इसके तीन उद्देश्य होते हैं–पहला, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा कुछ राज्य विश्वविद्यालयों को क्रमशः दो करोड़ तथा पचास लाख के दिए गए अनुदान की उपयोगिता की समीक्षा करना; दूसरा, भारत के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा तीसरा, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय के भावी कार्यक्रमों के संचालन की योजना तथा दिशा-निर्देश तैयार करना।

सारांश (Summary)

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि भारत में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के स्थापना एवं विकास में आर.आर.आर.एल.एफ तथा यू.जी.सी. का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। ये संस्थाएँ अपने विभिन्न कार्यों एवं क्रियाकलापों के द्वारा पुस्तकालयों के कार्यों एवं सेवाओं के स्तर को उन्नत एवं प्रभावी बनाने के लिए सतत् प्रत्यनशील है। आर.आर.आर.एल.एफ. सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रगति एवं विकास के लिए अनेक तरह के सहायता कार्यक्रम चलाये हैं जैसे–पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता, पुस्तकालय संघों को अनुदान एवं जिस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सका है, उस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाने के लिए राज्य सरकार को सुझाव प्रेषित करना आदि प्रमुख है। आर.आर.आर.एल.एफ. की गतिविधियों से निःसंदेह भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति पहले से बेहतर हुई है तथा सार्वजनिक पुस्तकालय का सेवा न सिर्फ बेहतर हुई है बल्कि प्रभावी एवं विश्वसनीय भी हुई है। इस प्रतिष्ठान के कारण सार्वजनिक पुस्तकालय की उपयोगिता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है एवं लोगों में पुस्तकालय जाकर पढ़ने की संस्कृति भी बढ़ी है।

यू.जी.सी. ने उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय के उन्नयन, विकास एवं प्रभावशाली बनाने हेतु इससे सम्बद्ध जैसे–भवन, अध्ययन सामग्री, उपकरण, आधुनिकीकरण आदि सभी क्षेत्रों पर आवश्यक ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालय पहले की तुलना में न सिर्फ बेहतर हुई है बल्कि आज बदलते हुए समय में प्रभावपूर्ण ढंग से उपभोक्ता को सूचना प्रदान कर रहे हैं।

प्रमुख शब्द (Key Words)

चयनित प्रसार सेवा (SDI)–किसी संस्था द्वारा दी गई वह सेवा है जो नई सूचना स्रोतों से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक पहुँचाती है जहाँ सामयिक उपयोग या अभिरुचि के संदर्भ में उसकी उपयोगिता की संभावना अधिक हो।

राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (National Information System)–विद्यमान सूचना संसाधनों तथा नवीन सेवाओं का ऐसा नेटवर्क जिसमें सेवाओं और संसाधनों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है जिससे प्रत्येक इकाई की गतिविधियों तथा कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।

विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library)–विशिष्ट पुस्तकालय किसी विषय-विशेष या विषयों के समूह में विशिष्टता रखता है और कुछ विशेष व्यक्तियों की सूचना विषयक आवश्यकताओं को पूरा करता है। विशिष्ट पुस्तकालयों में शोध एवं विकास संस्थाओं, निदेशालयों, सरकारी विभागों, व्यावसायिक संघों, अस्पतालों, उद्योग एवं व्यापारिक संस्थानों आदि से संबंधित पुस्तकालय आते हैं।

सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library)–एक ऐसा पुस्तकालय जो सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हो सके।

संदर्भ सेवा (Reference Service)–पुस्तकालय में व्यक्तिगत सेवा के द्वारा प्रलेख एवं उपयोगकर्ता के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना ही संदर्भ-सेवा कहलाता है।

सूचना केंद्र (Information Centre)–एक ऐसा संगठन जो सूचनाओं का एकत्रण, रखरखाव, प्रक्रियाकरण एवं विसरण वैसे व्यक्तियों के लिए करता है जो इसकी माँग करते हैं।

सामयिक ज्ञान सेवा (CAS)–उपयोगकर्ताओं को उनके कार्यक्षेत्रों में अवगत नवीनतम विचारधाराओं और सभी तरह की उनसे संबंधित सामग्रियों से तुरंत से तुरंत परिचित कराने का प्रयास करना।

इलेक्ट्रॉनिक मेल (E-mail)–विडियो टेक्स, ऑन लाइन, नेटवर्कों का प्रयोग कर व्यक्तियों या संगठनों के बीच संवादों, सूचनाओं, ज्ञापनों, पत्रों, प्रतिवेदनों आदि का हस्तांतरण।

अंतर-पुस्तकालय ऋण (ILL)–पुस्तकालय का एक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत अन्य पुस्तकालय के उपयोक्ताओं को वांछित प्रलेख अपने संग्रह से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

प्रलेखन (Documentation)–विशेष रूप में वैज्ञानिक, प्रतिवेदनों, अर्ध प्रकाशित सामग्री; सांख्यिकी आदि से संबंधित सूचनाओं के अधिग्रहण, व्यवस्थापन तथा संप्रेषण एवं संचार से संबंधित अध्ययन।

प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन (Processing and Organisation)–किसी पुस्तकालय में प्रलेखों का प्रसूचीकरण और वर्गीकरण तथा पाठकों के उपयोग के लिए उनका समुचित रीति से प्रदर्शन। सार्वजनिक उपयोग के लिए पुस्तकालय प्रसूची बनाना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य भी प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन के अंतर्गत आते हैं।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में आर.आर.आर.एल.एफ. के योगदान की चर्चा करें।
   Describe the contribution of RRRLF towards the development of public Libraries.
2. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों एवं भूमिका का वर्णन करें।
   State the function of UGC for the development of college and universities Libraries.
3. आर.आर.आर.एल.एफ तथा यू.जी.सी. के उद्देश्यों को लिखें।
   Write the purpose/objective of RRRLF and UGC.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- R.R.R.L.F : Books for the Millions at their Doorsteps. Calcutta : RRRLF, 1988
- R.R.R.L.F. : Newsletter vol. xvii (I) Calcutta, RRRLF (25 years of service of the nation 1972 – 97), 1997
- UGC (1995 – 96) : Annual Report, New Delhi : UGC.
- शैनी, ओमप्रकाश : ग्रंथालय एवं समाज, वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा, 2009
- शर्मा, पाण्डेय एस.के. : पुस्तकालय एवं समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- शर्मा प्रहलाद : पुस्तकालय एवं समाज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002

प्रथम पत्र
(First Paper)

पुस्तकालय तथा समाज
(Library and Society)

खंड 'ब' (Section 'B')

पुस्तकालय के प्रकार एवं उनके कार्य
(Types of Library and their Functions)

इकाई-1	राष्ट्रीय पुस्तकालय : भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता के विशिष्ट संदर्भ में इसकी भूमिका एवं कार्य।
Unit-1	National Library : Its Role and Function with Special Reference to the National Library of India, Kolkata.
इकाई-2	शैक्षणिक पुस्तकालय : विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय : भूमिका एवं प्रकार्य।
Unit-2	Academic Libraries : School, College and University : Role and Functions.
इकाई-3	सार्वजनिक और विशिष्ट पुस्तकालय : भूमिका एवं प्रकार्य।
Unit-3	Public and Special Libraries : Role and Functions.
इकाई-4	व्यावसायिक पुस्तकालय निकाय एवं संघ : आइएलए, आइसलिक, इफ्ला एवं एफआईडी।
Unit-4	Libraries Professional Bodies and Associations : ILA, IASLIC, IFLA, FID.

नोट

इकाई-1
(Unit-1)

राष्ट्रीय पुस्तकालय : भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता के विशिष्ट संदर्भ में इसकी भूमिका एवं कार्य
(National Libary : Its Role and Functions With Special References to the National Library of India, Kolkata)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Purpose)
- राष्ट्रीय पुस्तकालय का अर्थ एवं विशेषताएँ (Meaning and Features of National Library)
- राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता का इतिहास (History of National Library, Kolkata)
- राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका एवं कार्य
  (Role and Functions of National Library, Kolkata)
- ग्रंथसूची एवं संदर्भ सेवा (Booklist and Reference Services)
- प्रलेखन पुनरुत्पादन सेवा (Documentation Reprographic Services)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

प्रत्येक राष्ट्र में एक ऐसे पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस की जाती है जिसमें उस राष्ट्र में प्रकाशित समस्त पाठ्य-सामग्रियों को संकलित किया जा सकें। साथ ही विश्व की प्रमुख रचनाओं को भी संकलित किया जाए ताकि आनेवाली पीढ़ियाँ उनके बारे में जान सके एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयोग में ला सके। इसी आवश्यकता के संदर्भ में प्रत्येक देश अपने-अपने नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना करता है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् उपयोक्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय के समाज के विकास में इनकी उपयोगिता, महत्त्व, कार्य, विशेषता एवं योगदान के साथ-साथ इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में अच्छी तरह परिचित हो सकेंगे।

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition)

किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकार द्वारा संस्थापित तथा अनुरक्षित पुस्तकालय होता है तथा उसमें राष्ट्र में प्रकाशित समस्त पाठ्य-सामग्रियों को संग्रहित एवं अनुरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रावधान समूचे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार किसी देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय में न केवल उसी देश के प्रकाशित समस्त पाठ्य-सामग्रियों का संग्रह किया जाता है बल्कि संसार के सभी देशों की प्रकाशित पाठ्य-सामग्रियाँ जो उस देश के निवासियों के लिए उपयोगी है या हो सकती है, को भी संकलित करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के संग्रह को बढ़ाने एवं अद्यतन बनाये रखने के उद्देश्य से प्रत्येक देश ने अपने यहाँ इस संदर्भ में कानून पारित किए हैं कि देश में प्रकाशित साहित्य की कुछ प्रतियाँ संबंधित प्रकाशक स्वयं ही राष्ट्रीय पुस्तकालय को निःशुल्क प्रदान करेगा। भारत के संदर्भ में डिलीवरी ऑफ बुक्स ऐक्ट, 1954 पारित किया गया है जिससे यहाँ के प्रकाशक राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता को साहित्य की प्रतियाँ उपलब्ध कराते हैं।

परिभाषा (Definition)–राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है–

(*i*) **यूनेस्को के अनुसार** (According to UNESCO)–"एक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में प्रकाशित समस्त ग्रंथों को भावी पीढ़ियों के लाभार्थ हेतु संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी रहता है।"

(*ii*) **अमेरिकन लाइब्रेरी ऐसोसिएशन** (According to ALA)–"राष्ट्रीय पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है, जिसका रख-रखाव राष्ट्र के द्वारा किया जाता है।"

(*iii*) **डॉ. एस. आर. रंगनाथन के अनुसार** (According to Dr. S.R. Rangnathan)–"यह एक ऐसा केंद्रीय स्थल है जहाँ विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण किया जाता है।" हैरोड्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक (Harrod's Librarians' Glossary and Reference Book) के छठे संस्करण (1987) में राष्ट्रीय पुस्तकालय की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है–

(*i*) सरकारी कोष से संपोषित एक पुस्तकालय;

(*ii*) जो संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो;

(*iii*) जिसमें रखी हुई पुस्तकें सामान्यतया केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हों;

(*iv*) जो सामान्यतया एक प्रतिलिप्याधिकार-संपन्न पुस्तकालय हो;

(*v*) अपने देश में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों एवं अन्य प्रलेखों का लंबे समय तक परिरक्षण करना जिसका कार्य हो;

इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता होती है, जिसके प्रावधानों के अनुसार देश के सारे प्रकाशक इस पुस्तकालय में अपनी पुस्तकों को जमा करने के लिए बाध्य हों तथा

(*vi*) जो अन्य देशों में प्रकाशित प्रतिनिधि साहित्य का भी क्रय करता हो।

राष्ट्रीय पुस्तकालय का अर्थ एवं विशेषताएँ (Meaning and Features of National Library)

राष्ट्रीय पुस्तकालय की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं–

- राष्ट्रीय पुस्तकालय एक राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था है;
- राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्रीय सरकार द्वारा लोकनिधि (Public Fund) द्वारा संस्थापित तथा पोषित होती है;
- राष्ट्रीय पुस्तकालय एक संचयन पुस्तकालय है जो पाठ्य-सामग्रियों तथा कर्मचारियों के संबंध में सदैव बाल विकासावस्था में रहता है और इसमें संग्रहित समस्त पाठ्य-सामग्री वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सुरक्षित रहती है;
- राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रतिलिप्याधिकार पुस्तकालय है। किसी देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय में उस देश में प्रकाशित समस्त पाठ्य-सामग्रियाँ अधिनियम के तहत प्राप्त किए जाते हैं एवं उन्हें अनुरक्षित किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय पुस्तकालय अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य संपादित करता है;

- राष्ट्रीय पुस्तकालय देश के अन्य पुस्तकालयों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है;
- राष्ट्रीय पुस्तकालय में ग्रंथ केवल संदर्भ के लिए ही संरक्षित किए जाते हैं,
- यह पुस्तकालय देश के अन्य पुस्तकालयों को दुर्लभ पाठ्य-सामग्री पुनरुत्पादन (reprography) की विधि से उपलब्ध कराता है;
- राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी देश का विशालतम पुस्तकालय होता है और उस देश के पुस्तकालय तंत्र के शीर्ष पर स्थित होता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य (Functions of National Library)

सन् 1964 में मनीला में आयोजित रिजनल सेमीनार ऑन दि डेवलेपमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरिज इन एशिया एंड पैसिफिक एरिया (Regional Seminar on the Development of National Libraries in Asia and Pacific Area) के अंतिम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं–

- राष्ट्र के समस्त पुस्तकालय को नेतृत्व प्रदान करना;
- देश में प्रकाशित समस्त प्रकाशनों के स्थायी निक्षेपागार के रूप में कार्य करना;
- अन्य प्रकार की सामग्री अर्जित करना;
- बाङ्मय सेवाएँ प्रदान करना;
- सहकारी क्रिया-कलापों के लिए समन्वयीकरण केंद्र के रूप में कार्य करना;
- सरकार को सेवा प्रदान करना।

ऊपर के परिभाषाओं एवं दुनिया के कुछ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पुस्तकालयों में प्रचलित गतिविधियों एवं कार्यकलापों के आधार पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्यों का विशद् विवरण निम्नांकित हैं–

- कानूनी निक्षेपण, उपहार तथा विनियम द्वारा देश में प्रकाशित साहित्य के एक केंद्रीय और विस्तृत संग्रह का निर्माण करना;
- अपने देश के ऊपर किसी भी भाषा या रूप में विदेशों में प्रकाशित साहित्य का अधिग्रहण करना;
- चयनित हस्त-लिखित ग्रंथों तथा राष्ट्रीय प्रासंगिकता और महत्त्व के पुरालेखित अभिलेखों का संग्रह तथा परिरक्षण करना;
- भविष्य में उपयोग के लिए राष्ट्र की बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना;
- मुद्रित, माइक्रोफार्म तथा कम्प्यूटर पठनीय रूप में पुस्तकालय प्रसूचियाँ जारी करना;
- अनुरोध होने पर या पूर्वानुमान के आधार पर, पूर्व प्रभावी या कालातीत एवं सांप्रतिक या सामयिक ग्रंथसूचियाँ तैयार करना;
- अनुसंधान या विद्वत-पत्रिकाओं में सद्य: प्रकाशित साहित्य की अनुक्रमणी तैयार करना;
- राष्ट्रीय अभिरुचि के विषयों से संबंधित सामयिक साहित्य के सार तैयार करना एवं जारी करना;
- पुस्तकालय परिसर में पठन की सुविधा तथा गंभीर पाठकों, जैसे–अनुसंधानकर्ताओं, विद्वानों तथा लेखकों के लिए शोध-कोष्ठ/शोध-कक्ष (Research Cell or Room) की सुविधा प्रदान करना;
- संदर्भ, ग्रंथात्मक एवं सूचना सेवाएँ प्रदान करना;
- विद्वानों, शोधकर्ताओं तथा अन्य पाठकों के लिए प्रलेख प्रतिलिपीकरण सेवा चलाना तथा उन्हें स्लाइड बनाने और ओवर हेड ट्रांसपैरेंसी की सुविधा प्रदान करना;
- अंतर-पुस्तकालय ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-पुस्तकालय-ऋण-केंद्र के रूप में कार्य करना;
- सरकारी, व्यावसायिक और औद्योगिक संगठनों को विशेषज्ञ-सेवा प्रदान करना जैसे–व्यवसाय और उद्योग से संबंधित तकनीकी परिपृच्छाओं के उत्तर देना, सरकारी विभागों के अनुरोध पर विशिष्ट विषयों पर विशेष-ग्रंथसूचियाँ एवं सूचियाँ तैयार करना।
- एक रेफरल केंद्र (Referral Centre) के रूप में कार्य करना, अर्थात् विशेष निर्देशिकाओं तथा संदर्शिकाओं में से सूचना के स्रोतों की प्राप्ति में पाठकों की सहायता करना।

छात्र क्रियाकलाप

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों का वर्णन करें।

2. यूनेस्को द्वारा दी गई राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा लिखें।

नोट

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता का इतिहास (History of National Library, Kolkata)

भारतीय संविधान में संघ सूची (Union list) की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता–भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास को तीन कालखंडों में बाँटकर देख सकते हैं जो इस प्रकार हैं–

प्रथम कालखंड (1835-1903) : कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी–कोलकाता में स्थित जिस पुस्तकालय को आज राष्ट्रीय पुस्तकालय की संज्ञा दी जाती है सर्वप्रथम वहाँ के नागरिकों तथा विद्वानों के द्वारा 'कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय' के नाम से 1835 ई० में स्थापित किया गया था। इसे मार्च सन् 1836 में आम जनता के लिए खोला गया। सन् 1844 में इस पुस्तकालय को तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड मेटकॉफ के सम्मान में बनाए गए एवं मेटकॉफ हाल में स्थानांतरित किया गया। पुस्तकालय लोगों द्वारा दिए गए दान एवं उपहार से चलता था। सन् 1857 की क्रांति के बाद कोलकाता के यूरोपीय समुदाय ने इस पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया। सन् 1859 में कोलकाता नगरपालिका ने पुस्तकालय का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। कुल मिलाकर इस अवधि अर्थात् 19वीं सदी के अंत होते-होते इस पुस्तकालय की समस्त गतिविधियाँ मंद पड़ गईं।

द्वितीय कालखंड (1903-1947) : दि इंपीरियल लाइब्रेरी–सन् 1899 में भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जेनरल लार्ड कर्जन इस पुस्तकालय में आए। वे कला और ज्ञान के अनन्य प्रेमी थे। इस पुस्तकालय की दयनीय अवस्था देख कर उन्हें अत्यंत दुख हुआ और इसे विकसित करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने इस पुस्तकालय का स्वामित्व-अधिकार खरीदा और तत्पश्चात् इसे सरकार द्वारा संपोषित इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतर्गत मिला दिया। इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतर्गत उस समय विभिन्न सरकारी विभागों के पुस्तकालय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी लाइब्रेरी के अवशेष कार्यरत थे। इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 30 जनवरी 1903 के दिन मेटकॉफ हाल में जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिश म्युजियम के जॉन मैकफर्लेन को इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने सर्वप्रथम पुस्तकालय पत्रक सूची बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इसके साथ ही भारत में प्रकाशित होने वाली सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का अर्जन करना इस पुस्तकालय का उद्देश्य बनाया गया।

सन् 1928 में भारत सरकार ने इस पुस्तकालय के प्रशासनिक पुनर्गठन के ऊपर राय देने के लिए श्री जे० ए० रिचे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने अन्य बातों के अतिरिक्त, इस पुस्तकालय को प्रतिलिप्यधिकार निक्षेपण पुस्तकालय (Copyright Deposite Library) का दर्जा देने की सिफारिश की। सन् 1911 में श्री. श्रे० ए० चैपमैन ने इस पुस्तकालय का कार्यभार ग्रहण किया। इनके कार्यकाल में पुस्तकालय का चहुँमुखी विकास हुआ। इनके सुझाव पर ही पुस्तकालय को कारखानों से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए इसे छः एस्प्लेनेड में स्थानांतरित किया गया।

सन् 1933 में के० एम० असदुल्ला को इस पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने सन् 1935 में छः माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जो सन् 1945 तक चलता रहा।

तृतीय कालखंड : 1948 : भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय–सन् 1948 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद नवगठित भारत राष्ट्र के निर्माताओं ने पूर्ववर्ती इंपीरियल लाइब्रेरी को देश के नए राष्ट्रीय पुस्तकालय में रूपांतरित किया। उस समय, इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी आवश्यकता अतिरिक्त स्थान की थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी० चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कोलकाता स्थित बेलवेडर पैलेस नामक वायसराय महल को उसके लंबे-चौड़े हरे-भरे सहित राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कराया। इस नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर श्री बी० एस० केसवन की नियुक्ति की गई। इनमें प्रशासनिक कुशलता, भविष्य दृष्टि और अदम्य उत्साह एवं ऊर्जा के गुण भरे हुए थे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पुस्तकालय को भारत के ज्ञानमंदिर के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। भारत संघ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1 फरवरी, 1953 के दिन इस नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया गया।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के संगठन एवं प्रबंधन (Organisation and Management of National Library)–राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक विभाग है। इस संस्था का निदेशक इसका संस्था प्रधान होता है जिसकी सहायता के लिए दो व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किए

जाते हैं। पुस्तकालय के तकनीकी तथा व्यावसायिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई उप-पुस्तकालयाध्यक्षों तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पद भी हैं। प्रशासनिक कार्यों में निदेशक की सहायता करने के लिए दो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

पुस्तकालय की व्यवस्था कार्य-आधारित है। इस पुस्तकालय के दो प्रमुख विभाग है– व्यावसायिक विभाग तथा संरक्षण विभाग, जिनके द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक कार्यों का संचालन किया जाता है। अधिग्रहण, प्रक्रियाकरण, पठन सामग्री और पाठकीय सेवाओं जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में 42 व्यावसायिक विभाग है। संरक्षण विभाग के अंतर्गत प्रतिलिपिकरण ,परिरक्षण तथा लेबोरेटरी से संबंधित मामले आते हैं। प्रशासनिक विभाग का संबंध कार्मिकों, भवन तथा बाग-बगीचों की देखभाल तथा सुरक्षा संबंधी मामलों से हैं। लेबोरेटरी विभाग का प्रधान एक रसायन-विज्ञानी होता है तथा प्रतिलिपिकरण विभाग एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और एक माइक्रोफोटोग्राफर की संयुक्त देख-रेख में कार्य करता है। इनके अतिरिक्त अन्य सारे तकनीकों विभागों के प्रधान, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष होते हैं। इसे चार्ट द्वारा इस प्रकार दर्शाया जा सकता है–

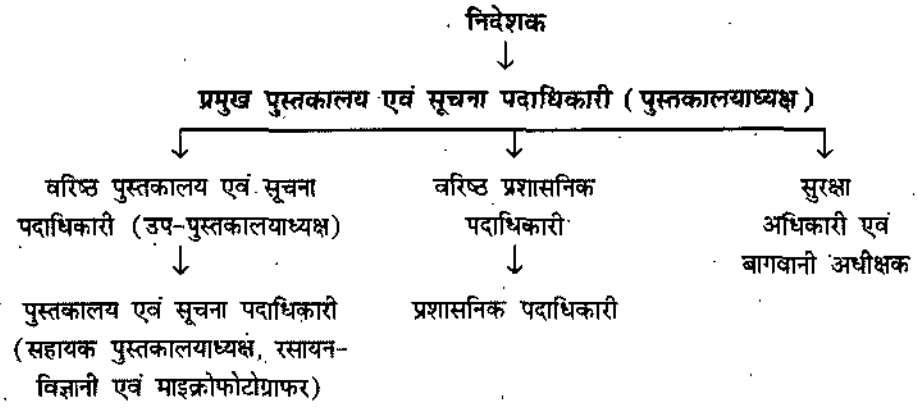

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पुस्तकालय के प्रबंध एवं संचालन हेतु एक समिति गठित की गई है, जिसका नाम 'काउंसिल फॉर नेशनल लाइब्रेरी' है। मंत्रालय द्वारा समिति के निम्न सदस्य निर्धारित किए गए हैं–

सभापति – भारत सरकार का शिक्षा सलाहकार
सचिव – राष्ट्रीय पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष
सदस्य – दो केंद्रीय सरकार की ओर से
– दो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से
– एक कोलकाता विश्वविद्यालय की ओर से
– पाँच अन्य राज्यों से मनोनीत किए जाते हैं।

भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय चार भवनों में स्थित है जिनमें से तीन बेलवेडर परिसर में स्थित हैं तथा एक एस्प्लेनेड में। पुस्तकालय का आंतरिक क्षेत्र लगभग 3,45,696 वर्गफीट में फैला हुआ है।

प्रलेख-संग्रह–पुस्तकालय के प्रलेख संग्रह में लगभग 22 लाख पुस्तकें एवं अन्य सामग्रियाँ हैं। इसके प्रलेख-संग्रह का निर्माण निम्नलिखित स्रोतों से होता है–

- पुस्तक-प्रदाय अधिनियम द्वारा प्राप्त पुस्तकें
- क्रय
- उपहार
- विनिमय एवं
- निक्षेपण विशेषाधिकार

राष्ट्रीय पुस्तकालय में कुछ विशिष्ट, उपहार-आधारित संग्रह भी हैं जिन्होंने पुस्तकालय के संग्रह को समृद्ध बनाया है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय नाम हैं–सर आशुतोष मुखर्जी संग्रह (76,000 पुस्तकें), रामदास सेन संग्रह, बरिद वरण संग्रह, जदुनाथ सरकार संग्रह, डॉ.एस.एन.सेन संग्रह तथा सर तेज बहादुर सप्रू के दस्तावेज। इन समस्त उपहार-संग्रहों में सर आशुतोष संग्रह सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि इनमें मानविकी एवं विज्ञान से संबंधित सारे विषयों की पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों तथा मानव जाति द्वारा अर्जित ज्ञान की जीवंत प्रतिमाएँ हैं।

राष्ट्रीय पुस्तकालय का विनिमय संबंध विश्व के 56 देशों की 170 संस्थाओं तथा अपने देश की अनेकानेक संस्थाओं के साथ है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, संयुक्त राष्ट्र तथा इसके अभिकरणों के प्रकाशनों का संग्रहण-पुस्तकालय है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशनों का एक समृद्ध संग्रह है। भारत सरकार के साथ हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशनों के अलावा अनेक अभिकरणों और सरकारों के प्रकाशित दस्तावेजों को भी राष्ट्रीय पुस्तकालय में जमा किया जाता है। जो हैं–

- अमेरिकी सरकार के प्रकाशित दस्तावेज
- विक्रय द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रकाशित दस्तावेज
- कनाडा सरकार के प्रकाशित दस्तावेज एवं
- यूरोपीयन इकोनॉमिक कम्युनिटी तथा अन्य उपनिवेशी सरकारों के प्रकाशन।

वर्गीकरण एवं सूचीकरण (Classification and Cataloguing)

भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सूचीकरण एंग्लो-अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स (AACR-2) तथा रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग ऑफ दि लाइब्रेरी ऑफ काँग्रेस (Rules for Descriptive Cataloguing of the Library of Congress) के आधार पर किया जाता है। विषय शीर्षकों में एकरूपता बनाए रखने के लिए सबजेक्ट हेडिंग्स यूज्ड इन दि डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ काँग्रेस (Subject Heading Used in the Dictionary Catalogue of Library of Congress) के 8वें संस्करण का उपयोग किया जाता है।

प्रलेखों के वर्गीकरण के लिए "डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन (DDC : Dewey Decimal Classification) का उपयोग किया जाता है। पुस्तक-संख्याओं का निर्माण कटर्स टेबुल अर्थात् त्रि-अंक लेखक सारणी (Three-figure Author Table) के आधार पर किया जाता है।

पुस्तकालय प्रसूची, मुद्रित एवं पत्रक–दोनों रूपों में उपलब्ध है। अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों की पत्रक-प्रसूची कोश प्रसूची के रूप में उपलब्ध है जिसे लेखक तथा विषय-इन दो क्रमों में व्यवस्थित किया गया है।

पुस्तकालय की मुद्रित प्रसूची 10 खंडों में उपलब्ध है। यह लेखक प्रसूची है तथा इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 'A' से लेकर 'S' तक के अक्षर से प्रारंभ होने वाले नाम ही सम्मिलित किए गए हैं।

• **राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ/कार्य** (Provided Services/Role by National Library)–राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी सेवाएँ अनेक माध्यमों के द्वारा प्रदान करता है; जैसे–पठन-कक्ष, देय-आदेय अनुभाग, ग्रंथसूची और संदर्भ विभाग, आदि।

वर्तमान में इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ या कार्य इस प्रकार हैं–

• **देय-आदेय सेवा एवं अंतर-पुस्तकालय ऋण** (Issue-Return Service and Inter-library Loan)–राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें दुर्लभ पुस्तकों, उपहार-संग्रह की पुस्तकों, प्रकाशनातीत पुस्तकों, सरकारी तथा संयुक्त राष्ट्र आदि के दस्तावेज प्रकाशनों तथा क्रमिक प्रकाशनों के अतिरिक्त अन्य सारे प्रकाशन गृह-पठन के लिए ऋण पर जारी करती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का कर्तव्य राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर का संरक्षण एवं परिरक्षण करना है। उसमें रखी पुस्तकों को ज्यादा-से-ज्यादा संदर्भ-मात्र के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, पर यहाँ पर पाठकों को किताब घर ले जाने की सुविधा नहीं है। ऐसा करना राष्ट्रीय पुस्तकालयों की मान्य विचारधारा के विपरीत है। फिर भी, ऐतिहासिक कारणों से, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा गृह-पठन के लिए पुस्तकें ऋण पर दी जाती हैं। औसतन प्रतिदिन यहाँ लगभग 250 पुस्तकें ऋण पर जारी की जाती हैं।

पुस्तकालय के सदस्यों और अन्य संस्थाओं को अंतर-पुस्तकालय ऋण की सेवा दी जाती है। यह सेवा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदान की जाती है। इस सेवा के अंतर्गत रूसी स्टेट लाइब्रेरी, मास्को, दि ब्रिटिश लाइब्रेरी, यू० के० तथा अनेक अन्य देशों जैसे–आस्ट्रेलिया, हंगरी, डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों के पुस्तकालयों से अंतर-पुस्तकालय ऋण पर पुस्तकें मँगायी जाती हैं।

पठन-कक्ष (Reading Room)

राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक पठन-कक्ष है जिसमें एक साथ 320 पाठक बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष सामग्रियों के उपयोग के लिए 70 अन्य पठन-कक्ष भी हैं। मुख्य पठन-कक्ष में सामान्य संदर्भ की पुस्तकें,

छात्र क्रियाकलाप

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लिखें।

2. राष्ट्रीय पुस्तकालय में संगठन एवं प्रबंधन का वर्णन करें।

विभिन्न विषयों की मूलभूत पुस्तकें तथा ज्ञान के विभिन्न विषय क्षेत्रों की संदर्भ पुस्तकें रखी गई हैं। इस कक्ष के पुस्तक-भंडार में लगभग दस हजार पुस्तकें हैं।

ग्रंथसूची एवं संदर्भ सेवा (Booklist and Reference Services)

राष्ट्रीय पुस्तकालय में ज्ञान एवं सूचना के सुसंबद्ध एवं प्रभावी प्रसार के लिए सन् 1951 में ग्रंथसूची विभाग की स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत विद्वानों, अनुसंधानकर्ताओं और लेखकों के अनुरोध पर किसी दिए गए विषय के ऊपर ग्रंथसूचियाँ तैयार कर नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। सामान्यतया ये ग्रंथसूचियाँ संक्षिप्त एवं चयनित होती हैं। समय-समय पर, अन्य संस्थाओं के सहयोग से विस्तृत एवं व्यापक ग्रंथसूचियाँ भी बनायी जाती हैं। भारत में प्रकाशित अनुवादों की सूची तथा ग्रंथसूचियों की सूची बनाकर इन्हें इंडेक्स ट्रांसलेशनम (INDEX TRASLATIONUM) में शामिल करने के लिए यूनेस्को भेजा जाता है।

इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो भारतीय पुस्तकों का मासिक अभिलेख है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय द्वारा संकलित एवं प्रकाशित किया जाता है। यह एक मासिक प्रकाशन है तथा इसमें वे पुस्तकें सम्मिलित की जाती हैं जो पुस्तक प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय में जमा की जाती हैं।

पुस्तकालय में आने वाले व्यक्तियों को संदर्भ सेवा प्रदान की जाती हैं। जो अपनी परिपृच्छा टेलीफोन या डाक से भेजते हैं। संदर्भ सेवा के अंतर्गत तत्काल संदर्भ सेवा से लेकर दीर्घ संदर्भ सेवा तक के कार्य किए जाते हैं।

प्रलेख पुनरुत्पादन सेवा (Documentation Reprographic Services)

विद्वानों और अनुसंधानकर्त्ताओं को पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं, लघु तकनीकों प्रतिवेदनों आदि की प्रतियाँ नाम-मात्र शुल्क पर उपलब्ध करायी जाती हैं। इस कार्य के लिए मुख्य एवं अन्य पठन-कक्षों मे फोटोकॉपियर की व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय में एक आंतरिक मुद्रण एकक भी कार्यरत है जिसके द्वारा सीमित वितरण के लिए लघु-प्रलेख मुद्रित किए जाते हैं।

सारांश (Summary)

राष्ट्रीय पुस्तकालयों का उद्भव और विकास पिछली दो या तीन शताब्दियों में हुआ है। आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में उसका राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित हो चुका है। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने-अपने देश की सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय परंपरा तथा प्रगति को दर्शाते हैं तथा इनका प्रतिनिधित्व करते हैं।

पिछले दो या तीन शताब्दियों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्यों तथा गतिविधियों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। साथ ही, अपने-अपने देश जैसे भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता को विकसित करने के क्रम में अमूल्य अनुभवों के भंडार संचित किए हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय में संस्कृत, फारसी, अरबी तथा तमिल में लिखे गए हस्तलिखित पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह है। विदेशी साहित्य भी अच्छी मात्रा में संग्रहित हैं लेकिन एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वह भारतीय पाठकों की माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक पुस्तकालय सेवाओं का प्रश्न है वह भी राष्ट्रीय पुस्तकालय स्तर से कम है। यह पुस्तकालय आजकल कोलकाता शहर के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहा है।

सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को देश में पुस्तकालयों के विषय में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। भारत सरकार को इसके सुधार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्रमुख शब्द (Key Words)

- **उपयोक्ता** (Users)–वह व्यक्ति जो पुस्तकालय के सूचना संसाधनों, सूचना प्रणाली की सेवाओं और उत्पादों का उपयोग करता है और उनसे लाभ प्राप्त करता है। उपयोक्ताओं को संरक्षक (Patron) या पाठक (Reader) के नाम से जाना जाता है।

- **उपयोक्ता श्रेणियाँ** (User Categories)–उपयोक्ताओं के प्रकार। शैक्षिक पृष्ठभूमि, बौद्धिक स्तर और सूचना की आवश्यकता के अनुसार उपयोक्ताओं को निश्चित श्रेणियों में बाँटा जाता है। जैसे–वैज्ञानिक, अभियंता, चिकित्सक, व्यवसाय प्रबंधक, प्रशासक, छात्र आदि। इस प्रकार के वर्गीकरण को उपयोक्ता समुदाय का श्रेणीकरण कहते हैं।
- **उपराष्ट्रीय** (Sub-national)–किसी राष्ट्र के अंतर्गत कोई संगठन (Organisation)
- **निक्षेपागार** (Deporitory)–ऐसा स्थान जहाँ किसी वस्तु को सुरक्षित रूप में भंडारित किया जाता है।
- **पुनरुत्पादन** (Reprography)–इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1954 में किया गया था। यह एक ऐसी कला है जो फोटोपद्धति में प्रलेख के पुनर्प्रतिलिपीकरण निकालने से संबंधित होती है। इस प्रक्रिया में प्रलेख के पुनर्प्रतिलिपीकरण में प्रकाश, गर्मी या रेडियेशन का प्रयोग किया जाता है।
- **प्रतिलिप्याधिकार** (Copyright)–किसी साहित्यिक (Literary), संगीतात्मक (Musical) या कलात्मक (Aaristic) कृति या उसके रूप (Form) को प्रकाशित तथा बेचने के लिए एकमात्र कानूनी सुरक्षित अधिकार प्रदान करना।
- **संदर्भ सेवा** (Reference Services)–अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सूचना की खोज एवं पुस्तक के संसाधनों का उपयोग करने में प्रत्यक्ष रूप से पाठकों की सहायता करने को ही संदर्भ सेवा कहा जाता है या पुस्ताकलय में व्यक्तिगत सेवा के द्वारा प्रलेख एवं उपयोगकर्ता के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना ही संदर्भ सेवा कहलाता है।
- **सूचना केंद्र** (Information Centre)–एक ऐसा संगठन जो सूचनाओं का एकत्रण, रखरखाव, प्रक्रियाकरण एवं विसरण वैसे व्यक्तियों के लिए करता है जो इसकी माँग करते हैं।
- **सूचना समाज** (Information Society)–वह समाज जिसमें सूचना और ज्ञान ही परिवर्तन, शक्ति तथा निर्देशन के प्रमुख हथियार के रूप में कार्य करते हैं।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए।
   What do you understandy by national library? Discuss the activities of national library of India.
2. 'राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तकालयों का पुस्तकालय है' सिद्ध करें।
   Prove that 'national library is library of libraries.'
3. भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय पर एक निबंध लिखें।
   Write an essay on national library of India.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- शर्मा, पाण्डेय एस. के. : पुस्तकालय एवं समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- Banerjee, D.N : India's National Library : Herald of Library Science, 1994
- Majumadar, Uma : India's National Library : Systematisation and Moderrisation, National Library, Kolkata, 1887
- Krishna Kumar : Library Organization, Vikas Publishing, New Delhi, 1987
- शैनी, ओमप्रकाश : ग्रंथालय एवं समाज, वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा, 1998
- शर्मा, प्रहलाद : पुस्तकालय एवं समाज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002

नोट

इकाई-2
(Unit-2)

शैक्षणिक पुस्तकालय : विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय–भूमिका एवं प्रकार्य (Academic Libraries : School, College and University–Role and Functions)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- विद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of School Library)
- विद्यालय में पुस्तकालय का योगदान (Contribution of Library in School)
- महाविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of College Library)
- विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of University Library)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

शिक्षा सीखने की एक सतत् प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है, प्रत्येक स्तर के लोगों की अंतर्निहित क्षमताओं में वृद्धि करना। इस प्रक्रिया में विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसी क्रम में शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। शैक्षिक पुस्तकालय शैक्षणिक संस्था से जुड़े रहते हैं। जैसी भी जिस स्तर की संस्था होती है, उसी स्तर की पाठकों को सेवा प्रदान करना शैक्षिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय पाठकों के साथ-साथ संस्था के अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं।

पठन तथा संदर्भ के लिए पुस्तकों का उपयोग करना पढ़ाई, शिक्षा एवं अनुसंधान का अभिन्न अंग है। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय छात्रों तथा शिक्षकों को पठन तथा संदर्भ के लिए उपलब्ध कराते हैं तथा इस प्रकार की पठन एवं शिक्षण प्रक्रिया को विस्तृत बनाते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपरिलिखित कार्यों एवं सुविधाओं के अलावा उच्चशिक्षा, शोध तथा ज्ञान के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस इकाई का उद्देश्य विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों की भूमिका एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन करना है।

विद्यालय पुस्तकालय (School Library)–यह सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र या समाज का उज्ज्वल भविष्य उस राष्ट्र के सुशिक्षित युवाओं के हाथों में ही सुरक्षित रहता है। यह कहना कि किसी राष्ट्र के युवा

सुशिक्षित एवं सचरित्र तभी हो सकते हैं जब उनके जीवन के प्रारंभिक काल से ही उचित शिक्षा एवं संस्कार प्राप्त कराने की व्यवस्था की गयी हो, अतिशयोक्ति न होगी।

ऐसा अनुभव किया गया है कि यदि बालकों में अध्ययन रुचि उत्पन्न कर दी जाए तो वह जीवनपर्यंत रहती है। परंतु इस रुचि को उत्पन्न करने और विकसित करना दीर्घकालीन अभ्यास और प्रयास से ही संभव है। यह सर्वविदित है कि जिस छात्र, छात्राओं, विद्वानों या जागरूक नागरिकों को अपने विद्यालयीन शिक्षण काल में उचित एवं सक्षम पुस्तकालय सेवा प्राप्त होती है वही आगे चलकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय सेवाओं का लाभ उठाते हैं। दुसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार की शिक्षण योजना का श्रेष्ठ भवन विद्यालयीन पुस्तकालयीरूपी सुदृढ़ नींव पर ही निर्मित किया जा सकता है।

शैक्षणिक पुस्तकालयों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थिति विद्यालय पुस्तकालय की है, क्योंकि विद्यालय ही छात्र के प्रारंभिक शैक्षणिक जीवन में अध्ययन के प्राप्ति रुचि जागृत कराते हैं। एक बार यह रुचि उत्पन्न हो जाए तो यह जीवनपर्यंत चलते रहता है। विद्यालय पुस्तकालय द्वारा उपयोगी सेवाएँ प्राप्त होतीं रहे तो विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों अपना बहुत सा अतिरिक्त समय रचनात्मक या सृजनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय छात्रों के द्वितीय अध्ययन कक्ष होते हैं। अपने इस रूप में पुस्तकालय विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन की प्रकृति विकसित करने, अपने शक्तियों का राष्ट्र-निर्माण में उपयोग करने, आत्मनिरीक्षण करने, जीवन में उच्च आदर्श अपनाने, सुंदर भावी जीवन-निर्माण करने का प्रति प्रेरित करते हैं। कोई विद्यालय अपने-उद्देश्यों में किस हद तक सफल हो पाता है यह उससे संबद्ध पुस्तकालय को देखकर बताया जा सकता है। यदि पुस्तकालय साधन-संपन्न होगा तो विद्यालय के छात्र अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकेंगे तथा राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

विद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of School Library)

विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख भूमिका एवं कार्य निम्नानुसार हैं-

• पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री संग्रहित करना तथा पाठकों को उपलब्ध कराना। सामग्री ऐसी हो जो पाठकों को राष्ट्र के इतिहास एवं संस्कृति के संबंध में ज्ञान कराए तथा जिससे उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो। सामग्री का चयन पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

• समय-समय पर सामयिक विषयों पर प्रकाशित साहित्य को विशेष रूप से प्रदर्शित कर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके तथा संदर्भ सेवा का विस्तार करके, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना;

• छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पुस्तकों तथा ज्ञान प्राप्ति एवं शिक्षण हेतु आवश्यक अन्य सामग्री के उत्तम संग्रह का निर्माण करना;

• पुस्तकालय के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएँ जैसे–भवन, फर्नीचर तथा उपकरण जुटाना,

• छात्रों में समाज तथा राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न करना तथा समाज और राष्ट्र के प्रति उनके क्या दायित्व है, इससे उन्हें अवगत कराना;

• विद्यार्थियों की पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से परिचित कराना तथा उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृत कराना;

• विद्यालय के पाठ्यक्रमों को दृष्टि में रखते हुए उपयोगी तथा रोचकपूर्ण सामग्री प्रदान करना जिससे छात्रों की पाठ्यक्रम में रुचि उत्पन्न हो सके तथा उन्हें आंतरिक ज्ञान मिल सके।

• राष्ट्र के महापुरुषों के जन्मदिन या समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना ताकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को और निखारा जा सके;

• पाठ्यक्रम से संबंधित ग्रंथों के अतिरिक्त उच्च कोटि के साहित्य के अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करना;

• बच्चों का अध्ययन अनुभव का आनंद लेने तथा खाली समय का सदुपयोग करने में सहायता देना;

• विद्यार्थियों का पुस्तकों, संदर्भ स्रोतों तथा पुस्तकालय की अन्य सामग्री का उपयोग करने में मार्गदर्शन करना;

नोट

• शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप अध्यापकों को पुस्तकालय के माध्यम से अध्यापन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।

विद्यालय पुस्तकालय अपने दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन कर सके इसके लिए आवश्यक होगा कि

• पुस्तकालय को स्वतंत्र कक्ष या भवन प्रदान करना चाहिए और यह विद्यालय भवन से बड़ा होना चाहिए।

• पुस्तकालय कार्य के लिए प्रशिक्षित अध्यापक को पुस्तकालय का प्रभारी बनाया जाना चाहिए;

• प्रभारी को केवल पुस्तकालय कार्य ही दिया जाए। इस कार्य को अध्यापन कार्य के समान ही महत्त्व देना चाहिए।

• प्रभारी को पर्याप्त कर्मचारी, धन तथा संग्रहणीय सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। इसके अभाव में विद्यालय पुस्तकालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है एवं

• अंशकालिक शिक्षक पुस्तकालय के स्थान पर पूर्णकालिक प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी चाहिए।

विद्यालय में पुस्तकालय का योगदान (Contribution of Library in School)

पुस्तकों को पढ़ लेना ही शिक्षा का मर्म नहीं है, वरन् यह एक क्रिया है जो उत्तम प्रकार से शिक्षित होने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होती है। इसलिए विद्यालयों में पुस्तकालयों को शिक्षा की एक अनिवार्य सेवा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान के महान लेखक डा. रंगनाथन का कहना है कि "जिस विद्यालय में छात्रों को परिवर्तित संसार के लिए शिक्षा दी जा रही है, उसके लिए पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला के रूप में होता है।"

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालय में पुस्तकालय के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि "विज्ञान संबंधी विषयों को पढ़ाने के लिए जो स्थान प्रयोगशाला का है, तकनीकी विषयों के लिए जो स्थान कार्यशाला का है, पुर्नगठित विद्यालय में बौद्धिक एवं साहित्यिक ज्ञान अभिवृद्धि के लिए वही स्थान पुस्तकालय का है क्योंकि यह (विद्यालय पुस्तकालय) की ही संस्था का मुख्य केंद्रस्थान एवं धुरी माना जाता है----"

विद्यालय में पुस्तकालय का योगदान इस प्रकार है–

• **व्यक्तित्व के समुचित विकास में योगदान**–विद्यालय में पुस्तकाल का बालक के व्यक्तित्व-निर्माण में सक्रिय योगदान होता है। चूँकि इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क एक प्लास्टिक (नमनीय) की भाँति होता है। उसे जैसे चाह मोड़ा जा सकता है। यदि हम बच्चों के लिए पुस्तकालय खोलते हैं तो वयस्कों के लिए पुस्तकालय अपने आप बनते जायेंगे।

इसी दृष्टिकोण को हमें सामने रखकर संगठित और श्रृंखलाबद्ध योजना के अनुसार विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए। बच्चे और व्यस्क दोनों का काम एक पुस्तकालय से नहीं चल सकता है। दोनों की बुद्धि में अंतर होता है। जहाँ व्यस्कों का मस्तिष्क विकसित रहता है। वहाँ बच्चों का मस्तिष्क विकास के पथ पर अग्रसर रहता है। इस तरह स्पष्ट है कि विद्यालय-पुस्तकालय से विद्यार्थी सच्चाई और विविधता से पूर्ण सामाजिक जीवन का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करता है। यह अनुभव ही बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास करता है।

• **पढ़ने में अभिरुचि उत्पन्न करने में सहायक**–विद्यालय में पुस्तकालय ही है, जहाँ बालक पाठ्य-सामग्री की सराहना उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए कर सकता है। वहाँ उसे केवल कतिपय निश्चित विषय की पुस्तकों के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, जिससे उसे परीक्षा में सफलता मिले, वरन् इसके विपरीत वह अपने मन की पुस्तकें पढ़ने के लिए स्वतंत्र रहता है, जो उसकी अभिरुचि और उत्सुकता को बढ़ाती है। यह रुचि समय-समय पर चर्चित विषयों पर उपलब्ध पुस्तकों का विशेष रूप से प्रदर्शन कर, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर, संदर्भ-सेवा का विस्तार आदि करके, उत्पन्न की जा सकती है।

• **स्वाध्याय को प्रोत्साहन**–स्वतंत्र चिंतन और सृजनात्मक प्रतिभा का विकास सच्चे अर्थ में, तब तक संभव नहीं, जब तक सभी स्तरों पर पुस्तकालय के योगदान को समझा नहीं जा सके। भारतीय मानस और मेधा अपने परिवेश और आवश्यकताओं के अनुरूप तब तक नयी दिशाओं का संधान नहीं कर सकेगी जब तक स्कूल में पुस्तकालय का योगदान नहीं होगा। विद्यालय पुस्तकालय में विद्यार्थी को स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र होकर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। फलस्वरूप उनमें स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है।

• **विद्यालय पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन**–यह निर्भर करता है कि किस स्तर की पाठ्य-सामग्री को पढ़ने का उसे निर्देश मिलता है। इसके अतिरिक्त मार्ग-दर्शन के क्षेत्र में सफलता का संबंध किसी भी वस्तु से उतना अधिक नहीं है, जितना पुस्तकालयाध्यक्ष के व्यक्तित्व और उसके अध्ययन की पृष्ठभूमि से है। यदि पुस्तकाध्यक्ष के व्यक्तित्व का आधार दृढ़ है। बाल मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान का यदि उसे मौलिक ज्ञान है तथा अध्ययन की यदि उसकी पुरानी अटूट आदत है और विद्यार्थियों के लिए यदि सचमुच उसके दिल में स्थान है तो अध्ययन की आदत का विकास होता ही है, साथ ही साथ उसका मार्गदर्शन भी होता रहता है। कुंठित, अनिच्छुक या बाधित पाठक के संबंध में यह बात विशेष रूप से सही है। जब तक पुस्तकालयाध्यक्ष को यह न मालूम हो कि कोई विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ना चाहता, तब तक उसके सुधार या मार्गदर्शन का काम अँधेरे में ढकेलना ही होगा।

• **सामाजिक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहन**–विद्यालय में पुस्तकालय का न होना, एक तरह से बालक को निरुत्साह एवं अकर्मण्य बनाना है। चूँकि बालक में बुद्धि विकास का पहला स्तर ही विद्यालय पुस्तकालय होता है। अतः कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विद्यालय में पुस्तकालय एक कुतुबनुमा है, जिसके सहारे प्रगति की दिशा निर्धारित होती है। विद्यालय पुस्तकालय में समस्त आवश्यक पाठ्य-सामग्री, मनोरंजक एवं दृश्यश्रव्य सामग्री की व्यवस्था के साथ "आदर्श वाक्य" भी चुने जाते हैं जिनके द्वारा बालक के सामाजिक जीवन पर असर पड़ता है। इस तरह जो विद्यालय-पुस्तकालय बालकों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की सामग्री उपस्थित कर पाता है, वह समाज की प्रति छवि बन जाता है।

इन समस्त योगदानों के अतिरिक्त विद्यालय-पुस्तकालय बच्चों को नियम, निष्ठा, एवं अनुशासन की शिक्षा देता है, क्योंकि विद्यालय-पुस्तकालय में बच्चों को नियत समय पर पुस्तकें लेनी एवं लौटानी पड़ती है। इसके साथ ही बच्चों में शब्दकोष, विश्वकोष आदि संदर्भ पुस्तकों का उचित प्रयोग करने की कुशलता का विकास होता है। इस प्रकार बालकों में सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। यही सामान्य ज्ञान स्कूल से निकलने के पश्चात् विद्यार्थी के लिए वरदान सिद्ध होता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विद्यालय में पुस्तकालय का महत्त्वपूर्ण योगदान है जो कि बालक के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करने में योगदान देता है। यही कारण है कि डॉ. रंगनाथन ने कहा है कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। छात्र यहाँ विभिन्न अनुभव, समस्या तथा प्रश्न लेकर आते हैं और उन पर विचार-विमर्श करते हैं तथा दूसरों के अनुभवों को संग्रहीत करते हैं जो कि पुस्तकालयों में सुसज्जित, सुव्यवस्थित तथा प्रदर्शित रहती है, के माध्यम से नवीन ज्ञान एवं तथ्यों की खोज करते हैं।

अंत में, हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय पुस्तकालयों छात्रों के मानसिक विकास के लिए उत्कृष्ट, सर्वोत्तम एवं अनिवार्य संस्था है। अतः विद्यालय में पुस्तकालय के महत्त्वपूर्ण योगदान को कदापि अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

यदि इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना की जाती है तो निःसंदेह विद्यालय पुस्तकालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है एवं छात्रों के समुचित विकास में निर्णायक एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

महाविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of College Library)

महाविद्यालय एक उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था होती है। महाविद्यालय में अध्ययन का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक होता है। इसलिए महाविद्यालय में महाविद्यालय पुस्तकालय का उपयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि भारत के संदर्भ में महाविद्यालय पुस्तकालय की बात करें तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) के उदार अनुदानों के कारण भारत में महाविद्यालय पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का विकास तीव्र गति से हुआ है। आयोग द्वारा पुस्तक अनुदान भवन अनुदान के साथ-साथ पुस्तकालय कर्मचारियों को शिक्षकों के समकक्ष स्तर एवं वेतनमान भी प्रदान किया गया है जिससे पुस्तकालयाध्यक्षों के सामाजिक परिस्थिति मे वृद्धि हुई है।

महाविद्यालय को सामान्य रूप से परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जो पुस्तकालय जिस महाविद्यालय से संबद्ध हो वह उस महाविद्यालय का पुस्तकालय कहलाता है।

नोट

महाविद्यालय पुस्तकालय भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय की तरह महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होता है। लायल के अनुसार-महाविद्यालय पुस्तकालय का कार्य संदर्भ सेवा द्वारा शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से विभागीय सदस्यों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना एवं छात्रों उपयोगी तथा अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। अमेरिकी विद्यालय तथा अनुसंधान पुस्तकालयों के संघ द्वारा महाविद्यालय के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय पुस्तकालय का कार्य विद्यार्थियों में साहित्य के अध्ययन तथा अनुसंधान के प्रति इस प्रकार रुचि जागृत करना है जो जीवन भर बनी रहें। इसके अतिरिक्त उन्हें शैक्षणिक समुदायों के लिए विद्वान तथा व्यवहार में बौद्धिक सामग्री के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

विलियम एम० रेडल तथा एल० डी० गुडरिच ने महाविद्यालय पुस्तकालय के निम्न कार्य बताएँ हैं–

• विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए चुने गए पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकें तथा प्रधानाध्यापकों को अध्यापन के लिए पुस्तक उपलब्ध कराना तथा इस प्रकार की पुस्तकों के उपयोग के लिए प्रेरित करना;

• ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय पुस्तकों का विशाल संग्रह करना तथा पाठकों के उपयोग के लिए उन्हें सुविधापूर्वक उपलब्ध कराना एवं

• छात्र पुस्तकालय सामग्री का उचित उपयोग कर सके। इस कार्य में उन्हें प्रशिक्षित करना एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में पूर्णतया भाग लेना।

इसके अतिरिक्त महाविद्यालय पुस्तकालय द्वारा संपादित की जाने वाली प्रमुख प्रकार्य इस प्रकार हैं–

• संस्था में अध्ययन किए जा रहे विषयों से संबंधित पाठ्य-सामग्री का संग्रह निर्मित करना;

• उसको आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों पर वर्गीकृत एवं सूचीकरण करना;

• पाठ्य-सामग्री का उचित व्यवस्थापन;

• छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षकों के मार्ग-दर्शन तथा सहायता के लिए उचित संदर्भ सेवा तथा पाठक परामर्शदात्री सेवा की व्यवस्था करना;

• पाठ्य-सामग्री के उपयोग हेतु अध्ययन कक्षों की व्यवस्था करना;

• गृह उपयोग के लिए ग्रंथ आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना;

• उपयोगकर्ता की माँग पर या पूर्वानुमान पर अध्ययन सूचियों तथा ग्रंथ-संदर्भ सूचियों का निर्माण करना;

• विषयों से संबंधित सामयिक प्रकाशनों का चयन करके उनको अर्जित करना तथा उपयोग हेतु सुलभ करना;

• प्रलेखन सेवा की व्यवस्था करना;

• माइक्रोफिल्म की व्यवस्था करना;

• अन्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयीन पुस्तकालयों से सहयोग करना;

• पैतृक संस्था को उसके शैक्षणिक कार्य पूरा करने में सहायता देना;

• पाठकों को पुस्तकालय-उपयोग करने में प्रशिक्षित करना;

• प्रलेखों को संरक्षण प्रदान करना;

• महाविद्यालय पुस्तकालय नए पाठकों के लिए शुरू-शुरू में पाठक सप्ताह का आयोजन करते हैं जिससे पुस्तकालय कर्मचारी छात्रों को पुस्तकालय द्वारा दी जा रही सेवाएँ, पुस्तकालय का भौतिक स्वरूप तथा इससे जुड़े नियमों के बारे में बताते हैं। इसके लिए व्याख्यान, पुस्तकालय परिक्रमा (Tour), ऑडियो-विडियो कैसेट आदि का प्रयोग किया जाता है।

• महाविद्यालय पुस्तकालय फोटोकॉपी सेवा प्रदान करता है तथा अपने पाठकों के लिए वाङ्मय सूची विभिन्न विषयों पर तैयार करता है। सी० ए० एस/सी० डी० आई सेवाओं को भी पुस्तकालय देता है।

• ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित उच्चकोटि के मनोरंजनदायक, प्रेरणादायक एवं सूचनादायक साहित्यों का संग्रह करना तथा पाठकों के उपयोग हेतु सुविधापूर्वक उपलब्ध कराना।

महाविद्यालय पुस्तकालय द्वारा संपादित की जाने वाली बहुत से भूमिका एवं कार्य है लेकिन ये सब महाविद्यालय किस स्तर का है, वित्त व्यवस्था कैसी है तथा पाठकों की संख्या आदि पर निर्भर करता है।

छात्र क्रियाकलाप

1. महाविद्यालय पुस्तकालय द्वारा संपादित की जाने वाली प्रमुख प्रकार्य क्या है।

2. महाविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका का वर्णन करें।

नोट

विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं प्रकार्य (Role and Functions of University Library)

विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय-विहीन पुस्तकालय का अस्तित्व हो सकता है, परंतु पुस्तकालय विहीन विश्वविद्यालय के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। चूँकि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है अत: विश्वविद्यालय का हृदय उसका पुस्तकालय होता है। कॉलेज के छात्र-छात्राओं के अध्ययन के विषय पर्याप्त विस्तृत तथा इतने तीव्र गति से परिवर्तित होने वाले होते हैं कि उनका अध्ययन तथा अध्यापन शायद ही गिनी-चुनी या दो या दो से अधिक पुस्तकों के आधार पर संभव हो सकता हो। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता है। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा तथा व्यवहारिक एवं मूल विषयों के सैद्धांतिक पक्ष पर अनुसंधान कार्य होते हैं। अत: पुस्तकालय का योगदान नवीन विषयों की खोज में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता है।

विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों के लिए पुस्तकालय एक कार्यशाला का कार्य करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1500 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय हैं तथा 700 से अधिक जूनियर कॉलेज पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों के संकलन की संपूर्ण संख्या 2000 लाख पुस्तकों की है और इनमें 22000 पुस्तकालयी कार्यरत हैं। 2000 लाख डॉलर प्रति वर्ष पुस्तकालय सेवा प्रकार पर इन पुस्तकालयों के लिए खर्च किया जाता है। संसार का विशालतम विश्वविद्यालय हॉवर्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालय है जिसमें 70 लाख से भी अधिक पुस्तकें हैं। यदि भारत की बात कहें तो यहाँ कुल 114 विश्वविद्यालय स्तर के पुस्तकालय हैं जिनमें पुस्तकों के संकलन की दृष्टि से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सयाजी गायकवाड़ पुस्तकालय है।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय जितना ही विशालतम होगा उतना ही उसकी व्यवस्था भी जटिल होगी। विभिन्न प्रकार के ज्ञान सामग्रियों का संकलन विशाल होता है। इसके अतिरिक्त सामयिकों तथा अन्य प्रकार की सामग्रियों का संकलन विभिन्न संकायों के छात्रों, शोधरत छात्रों एवं प्राध्यापकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संग्रहीत की जाती हैं। इनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है। अनेक विद्यालयों के पुस्तकालयों में संग्रहीत सामग्रियाँ विशेष प्रकार से विशेषतापूर्ण किस्म की होती है। ये वस्तुएँ इस स्तर के अध्यापन, अध्ययन तथा शोध के लिए अनिवार्यत: संकलित की जाती है जिनमें चलचित्र, फिल्मस्ट्रिप्स रेकार्ड, चित्र तथा अन्य प्रकार के अध्यापन उपकरण भी होते हैं। आजकल ज्ञान-विस्फोट तथा छात्रों की विशाल संख्या में वृद्धि जिस प्रकार से हुई है उससे महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में सामग्री संकलन तथा पाठकों की आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में अनेक प्रकार की समस्याएँ पुस्तकालयों के समक्ष उत्पन्न हुई हैं। मानव इतिहास में इसके पूर्व इतनी तीव्र गति से इतनी तीव्र मात्रा में इतने विशाल ज्ञान की खोज एवं आविष्कार कभी नहीं हुए हैं। इन ज्ञान की वस्तुओं का संकलन करना तथा उनकी व्यवस्था करना पुस्तकालयों की कार्य पद्धति को न केवल जटिल बना दिया है बल्कि उन पर एक बड़ा भारी दायित्व का भार उत्पन्न कर दिया है। विशेषकर इन सामग्रियों का अनुसंधान के लिए प्रयोग करने की दृष्टि उनकी व्यवस्था तथा संप्रेषण की प्रक्रिया अधिक जटिल होती जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1948 से 1964 तक कॉलेज छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति भारत में भी उत्पन्न हुई है।

सामान्य अर्थों में विश्वविद्यालय पुस्तकालय को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जो पुस्तकालय जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध होता है उसे उस विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहते हैं।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्यों की चर्चा करते हुए विल्सन एवं टॉबर ने इसके छ: प्रमुख कार्य बताएँ हैं जो इस प्रकार हैं–

- ज्ञान एवं विचारों का संग्रहण
- अध्यापन
- अनुसंधान
- प्रकाशन
- विस्तरण सेवा एवं
- व्याख्या।

डॉ. एस. आर. रंगनाथन ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अग्रलिखित पाँच कार्यों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं–

नोट

• **प्रारंभिक अध्ययन** (Preparatory Study)–इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का अध्ययन कक्ष में जाने से पूर्व सभी विषयों तथा स्तरों की पाठ्य-सामग्री एकत्रित करना एवं उसको व्यवस्थित कर पाठकों के सामने आकर्षित ढंग से प्रस्तुत करना आदि आता है।

• **समांतर अध्ययन** (Parallel Study)–दूसरा कार्य जो पुस्तकालयाध्यक्ष करता है वह है-विद्यार्थियों को व्याख्यान कक्ष से निकलते ही समांतर अध्ययन के लिए पाठ्य-सामग्री प्रदान करना।

• **अनुवर्ती अध्ययन** (Follow-up Study)–तीसरा कार्य जो पुस्तकालयाध्यक्ष करता है वह है अनुवर्ती अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को और पाठ्य-सामग्री प्रदान करना जिससे विद्यार्थियों की उत्सुकता तथा काम का स्तर बढ़ाता है।

• चौथा कार्य पाठकों के खाली समय के सदुपयोग से है। पुस्तकालय विद्यार्थियों के खाली समय में उन्हें मनोरंजनात्मक तथा ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें जुटाता है।

• पाँचवाँ कार्य गहन तथा प्रगतिशील अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अध्यापकों के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्रियाशील अनुसंधान का संग्रहण करता है, ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र के मौलिक विचारों को व्यवस्थित करता है तथा इनको अनुसंधानकर्ताओं को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार साहित्य खोज कर अनुसांधानकर्ताओं को उनकी वांछित सामग्री प्रदान कर पुस्तकालयाध्यक्ष अनुसंधान कार्य में भागीदार बनता है।

वर्तमान समय में विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रलेखन कार्य को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा है। प्रलेखन सेवा माँग पर या प्रत्याशा दोनों स्थितियों में प्रदान की जाती है।

सारांशत: यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य सम्पन्न करने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय दो प्रकार के कार्य करता है–पहला-अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य एवं दूसरा-अनुसंधानकर्ताओं के प्रति कर्तव्य।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक सुव्यवस्थित एवं साधन सम्पन्न पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को उसकी उपयोगिताओं के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1949 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों का हृदय निरूपित किया है। कोठारी आयोग ने भी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में पुस्तकालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए मत व्यक्त किया था कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए नवीन विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति तब-तक प्रदान नहीं की जानी चाहिए, जब तक पुस्तकालय के लिए कर्मचारी, पुस्तक, पत्र-पत्रिकाओं की संख्या के संबंध में विश्वविद्यालय संतुष्ट न हो। इसके साथ पुस्तकालय के लिए पर्याप्त स्थान भी होना आवश्यक है। पुस्तकालयों को कम महत्त्व देना या महत्त्व न देने से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। पुस्तकालय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आकर्षण का प्रमुख केंद्र होना चाहिए।

कोठारी शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्न कार्य बताएँ हैं–

• शिक्षण संस्था में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्षों के सहयोग से पुस्तकालय को विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम बनाना जिससे उसका सही उपयोग हो सके;

• केंद्रीय पुस्तकालय के विभागीय पुस्तकालय तथा अध्ययन गोष्ठी पुस्तकालयों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना तथा अनुसंधानकर्ताओं को यथासंभव मदद देना;

• विश्वविद्यालय द्वारा विशेष अध्ययन के लिए चुने गए या क्षेत्रीय महत्त्व के विषयों में अनुसंधानकार्य करने के लिए आवश्यक साधन तथा सुविधाएँ प्रदान करना;

• पुस्तकालय में ऐसा साहित्य संग्रहीत करना, जिसका उपयोग शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा अनुसंधानकार्य में किया जा सके। ऐसे साहित्य के द्वारा ही प्राध्यापकों तथा छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है;

• विश्वविद्यालयों से संबद्ध प्राध्यापकों को संबंधित विषय-क्षेत्रों में हुए विकास के संबंध में सूचित करना;

• विश्वविद्यालय द्वारा चुने गए विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर सामग्री एकत्रित करना;

• पुस्तकों को विद्यार्थियों एवं विद्वानों के और निकट लाना तथा ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना जिनसे उनमें बौद्धिक जिज्ञासा उत्पन्न हो, अन्वेषण की प्रवृत्ति जागृत हो तथा अध्ययन आनंददायक हो सके।

छात्र क्रियाकलाप

1. डॉ. एस.आर. रंगनाथन द्वारा उल्लिखित विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पाँच कार्यों को लिखें।

2. विलियम एम. रेडल तथा एल.डी. गुडरिच द्वारा बताए गए महाविद्यालय पुस्तकालय के पाँच कार्य लिखें।

नोट

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा सामान्य कार्यों का संपादन इस प्रकार है–

• **ज्ञान का भंडारण** (Storage of Knowledge)–विश्वविद्यालय पुस्तकालय पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, वीडियो-ओडियो टेप, सीडी, डीवीडी का संग्रह करता है। अपने पाठकों के जरूरत एवं स्तर के अनुसार अपने संसाधनों का विकास करता है। पाठकों को उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ सहायक पुस्तकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को उनके विषय पर संदर्भ एवं अन्य ग्रंथ विश्वविद्यालय पुस्तकालय उपलब्ध कराता है। कॉलेज पुस्तकालय भी अपने पाठकों को उनकी विषयों की पुस्तकों के साथ मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध कराते हैं। अध्यापकों को भी उनके स्तर के विषयों को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार उच्च शैक्षणिक संस्था के विकास में विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

• **वर्गीकरण, सूचीकरण एवं वाङ्मय सूची तैयार करना** (Classification Cataloguing and Bibliographics)–विश्वविद्यालय अपने पाठकों की सुविधाओं के लिए खरीदे हुए संसाधनों का वर्गीकरण कर उनके अलमारियों में वर्गीकृत तरीके से लगता है तथा पाठकों के लिए सूची तैयार करता है जो पाठकों को पुस्तकें खोजने के लिए एक चाबी (Key) का काम करती है। दूसरा पुस्तकालय विषयानुसार वाङ्मय सूचियों को भी तैयार करता है जिससे पाठक जान सके कि उनके विषय पर क्या-क्या छप रहा है।

• **इंटर लाइब्रेरी लोन** (Inter Library Loan)–विश्वविद्यालय पुस्तकालय यदि उसके पास कोई पुस्तक या अन्य प्रलेख जो पाठक द्वारा माँगा गया है नहीं है तो दूसरे पुस्तकालयों से अंतर पुस्तकालय ऋण द्वारा मँगवाकर उपलब्ध करवाता है।

• **सी०ए०एस० एवं एस०डी०आई** (CAS/SDI)–इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपने पाठकों को पुस्तकालय में क्या नया आया है उनका प्रदर्शन करता है तथा एस० डी० आई के अंतर्गत पाठकों के रुचि के प्रोफाइल या लिस्ट बनाता है तथा पुस्तकालयों के पास उपलब्ध उस विषय से संबंधित क्या है मिलान करता है और पाठकों को प्रदान करता है।

• **पाठकों के लिए उन्मुख सप्ताह का आयोजन करना** (To Conduct of Orientation Week for Readers)–पुस्तकालय अपने नए पाठकों के लिए हर वर्ष के शुरू में उपयोक्ता शिक्षा के अंतर्गत पाठकों की सहायता के लिए उन्मुख सप्ताह का आयोजन करता है जिसमें पाठकों को पुस्तकालयों के संसाधनों, सेवाओं तथा नियम के बारे में बताया जाता है। कौन-से तल पर किस विषय का पुस्तक रखा गया है तथा अन्य स्थितियाँ जैसे–काउंटर, संदर्भ पुस्तक आदि के बारे बताया जाता है। पुस्तकालय इसके लिए व्याख्यान का, विडियो फिल्म का भी आयोजन करते हैं।

• **पाठकों की अन्य सेवाएँ जैसे-फोटोकॉपी, प्रिंटिंग सर्विस, इंटरनेट प्रदान करना** (To Provide Other Services Like Photocopy, Printing Services Internet etc.)–ये सभी कार्य विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। पुस्तकालय अपना प्रकाशन भी निकालता है। जैसे–वाङ्मय सूची। समय-समय पर पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए पुस्तक सप्ताह (Book Week) प्रदर्शन आदि का भी आयोजन करता है।

विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के कार्य एवं कार्यक्रम उद्देश्य को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। पाठकों का क्या स्तर है? विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? अनुदान कितना मिलता है? आदि के आधार पर कोई भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपनी सेवाओं को देता है।

• **अभिशासन तथा प्रबंधन** (Administration and Management)–विश्वविद्यालय पुस्तकालय का अभिशासन विश्वविद्यालय के सांविधिक नियमों के द्वारा होता है। पुस्तकालय की संवीक्षा तथा मूल्यांकन विश्वविद्यालय की शैक्षिक तथा कार्यकारी परिषद् के अधीन है। पुस्तकालय एक पुस्तकालयाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। पुस्तकालयाध्यक्ष अपने विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ कार्यकारी होता है जो कुलपति के अधीन कार्य करता है। विश्वविद्यालय की पुस्तकालय प्रणाली से संबंधित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए पुस्तकालय सलाहकार समिति या एकशासी निकाय द्वारा नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। पुस्तकालय सलाहकार समिति का अध्यक्ष सामान्यतया विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है। पुस्तकालयाध्यक्ष इस समिति का सदस्य-सचिव तथा संयोजक होता है। इस समिति में सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक, पुस्तकालय के व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के कुछ विशेषज्ञ तथा कुछ

नोट

विद्वान होते हैं। पुस्तकालय के लिए बजट बनाने, पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन, सेवाओं एवं कार्यक्रमों के सावधिक मूल्यांकन तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के सामान्य कल्याण सहित पुस्तकालय प्रणाली से संबंधित शैक्षिक तथा प्रशासनिक मामलों के लिए निदेशक सिद्धांत तथा नीतियाँ बनाना इस समिति का दायित्व है।

पुस्तकालय सलाहकार समिति या शासी निकाय (Governing Body) द्वारा निर्धारित निदेशक-सिद्धांतों तथा नीतियों के अंतर्गत पुस्तकालय के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को चलाना पुस्तकालयाध्यक्ष का दायित्व है। शैक्षिक परिषद् के सदस्य के रूप में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष छात्रों, अध्यापकों, अनुसंधानकर्ता तथा शैक्षिक परिषद् के अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श कर पुस्तकालय के कुशल प्रबंधन के लिए उनकी राय जानने का प्रयत्न करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यकारी परिषद् की बैठकों में विशेष-आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भाग लेता है।

• **उपयोक्ता समुदाय** (Users Community)–विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उपयोक्ताओं के निम्नलिखित कोटि/श्रेणियों के पाठक आते हैं–

- विभिन्न विषयों में विभिन्न अध्ययन-स्तर के छात्र;
- विभिन्न विषयों में तथा विभिन्न स्तर पर छात्रों का शिक्षण एवं पथप्रदर्शन करने वाले अध्यापक।
- एम.फिल तथा पीएच-डी उपाधि के लिए कार्य कर रहे शोध छात्र;
- विशिष्ट परियोजनाओं में शामिल शोधोत्तर शोध छात्र;
- शोध-निदेशक तथा विश्वविद्यालय की शोधपरक गतिविधियों के संचालन से सबद्ध प्रोफेसर तथा विशेषज्ञगण;
- विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशासनिक विभागों के सदस्य;
- विश्वविद्यालय के प्रबंधकगण, जो विश्वविद्यालय रूपी उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के बृहदस्तरीय संस्थान का प्रबंध कार्य संभालते हैं, एवं
- विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उपयोग की विशेष सुविधा प्राप्त बाहरी विद्वान एवं अन्य।

सारांश (Summary)

इस इकाई में शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकारों एवं उनकी भूमिका, विशेषताओं, कार्यों, संगठन आदि का विशद् रूप से व्याख्या की गई है। दूसरे शब्दों में, विद्यालय पुस्तकालय महाविद्यालय पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका, कार्यों एवं इसके अभिशासन एवं प्रबंध आदि की चर्चा की गई है। शिक्षा अनवरत प्राप्त करने वाली प्रक्रिया है और इसे प्राप्त करने में ये शैक्षणिक पुस्तकालय अर्थात् विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय सशक्त एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ विद्यालय पुस्तकालय बालक-बालिकाओं में पठन-रुचि की नींव डालने के लिए उन्हें ऐसी पुस्तकें तथा पठन सामग्री उपलब्ध कराती है जो उनकी पठन-रुचि एवं उत्सुकता को कायम रख सके। साथ ही छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, विशिष्ट एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में जाने के अवसर प्रदान करता है जिससे वे देश की पुस्तकालय प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं एवं पाठकों में ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति के कौशल का विकास करते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। महाविद्यालय पुस्तकालय छात्र-छात्राओं में विभिन्न विषयों की गहन-समझ विकसित करता है, शोध-छात्रों एवं प्राध्यापकों के लिए ग्रंथात्मक सूचनाएँ तथा विशिष्ट सामग्री उपलब्ध कराते हैं, छात्रों को विभिन्न विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए तत्पर करता है एवं अधिक प्रबुद्ध, अधिक ज्ञानवान तथा अधिक उत्तरदायी नागरिकों का समूह तैयार करता है तो वहीं विश्वविद्यालय पुस्तकालय सरकार, उद्योग, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, विधि, रक्षा, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक तथा प्रबंधकीय नेतृत्व प्रदान करने में छात्रों को सक्षम बनाना तथा उनमें सामाजिक सोद्देश्यता का भाव पैदा करता है, भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान तथा विचारों का संरक्षण करता है एवं सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता, विविधतापूर्ण व्यक्तियों के बीच राष्ट्रीय एकता के आदर्शों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

प्रमुख शब्द (Key words)

- **अंतर-पुस्तकालय ऋण** (Inter-Library Loan)–पुस्तकालय का एक तरह क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत अन्य पुस्तकालय के उपयोक्ताओं को वांछित प्रलेख अपने संग्रह से ऋण पर उपलब्ध कराया जाता है।
- **उपयोक्ता** (Users)–पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति, या सूचना संस्थान एवं सूचना का उपभोक्ता।
- **प्रलेखन सेवा** (Document Services)–'प्रलेख' शब्द का पहला उपयोग सन् 1930 में बुलेटिन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी में हुआ। खास विषय पर उपयोक्ता को उपयुक्त प्रलेख उपलब्ध कराने के कार्य को प्रलेखन सेवा कहा जाता है।
- **प्रसूचीकरण** (Cataloguing)–पुस्तकालय के लिए प्रसूची का निर्माण करना ही प्रसूचीकरण कहलाता है। पुस्तकालयों में उपयोक्ताओं के उपयोग के लिए एक ऐसे अभिलेख का निर्माण किया जाता है जो पुस्तकालय के संपूर्ण संग्रह की जानकारी प्रदान करने हेतु निर्मित किया जाता है तो इसे प्रसूची कहा जाता है।
- **संदर्भ सेवा** (Reference Services)–संदर्भ सेवा वह सेवा है जो कि किसी भी प्रकार के अध्ययन में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा दी जाती है। यह सेवा स्वत: कोई अध्ययन नहीं है, बल्कि वह सहायता है जो कि किसी प्रकार के अनुसंधान में लगे पाठक को दी जाती है।
- **सामयिक ज्ञान सेवा एवं चयनात्मक सूचना प्रसार** (CAS and SDI)–पुस्तकालय के विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को बिना उनकी माँग के उनके विषय क्षेत्रों की नित्यप्रति की प्रगति से परिचित तथा अद्यतन रखने के लिए पत्रिकाओं आदि सामयिक साहित्य की सामग्री को तालिकाबद्ध रूप में प्रदर्शित कर उपलब्ध करना सामयिक ज्ञान सेवा कहलाता है जबकि चयनित प्रसार सेवा किसी संस्था द्वारा दी गई वह सेवा है जो नई सूचना को किसी स्रोत से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक पहुँचाती है जहाँ सामयिक उपयोग में उसकी उपयोगिता की संभावना अधिक हो।
- **वाङ्मय सूची** (Bibliography)–यह पठनीय-सामग्री की एक व्यवस्थित तालिका होती है जो सूचना के अथाह सागर में उपयोक्ता के वांछित प्रलेख को खोज करने में एक चाबी (Key) की तरह कार्य करती है। यह प्राय: सूचना का मात्र एक ही अभिगम (Access) बिंदु उपलब्ध कराती है।
- **संसाधन सहभागिता** (Resource Sharing)–भागीदारी पुस्तकालयों के बीच एक प्रकार की सहमति जिसमें प्रत्येक भागीदार अपने संसाधनों को अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए देने के लिए सहमत होता है और इसके बदले में जब भी आवश्यकता हो, अन्य भागीदार सदस्यों के संसाधनों में हिस्सा लेने का इसे विशेषाधिकार प्राप्त होता है।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. विद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं कार्य का वर्णन कीजिए।
   Explain the role and function of the school library.
2. शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकारों का उल्लेख करते हुए महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्यों को लिखें।
   Name the types of academic library and discuss the role of the college library.
3. विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें।
   Explain in brief the role and functions of university library.

नोट

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- शर्मा, पांडेय एस.के. : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- Deshpande, K.S : University Library System in India, Sterling Publishing, New Delhi, 1985
- Krishan Kumar : Library Organisation, Vikas Publishing House, New Delhi 1987.
- Role and Functions of School : Library, Natioanal Book Trust India, New Delhi 1989
- Rangnathan, S.R : New educational school library, Vikas Publication, New Delhi, 1973
- शर्मा, प्रहलाद : पुस्तकालय और समाज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002
- माँगेराम एवं अन्य : पुस्तकालय एवं आधुनिक समाज, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005

नोट

इकाई-3
(Unit–3)

सार्वजनिक एवं विशिष्ट पुस्तकालय : भूमिका एवं प्रकार्य
(Public and Special Libraries : Role and Functions)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library) एवं विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library)
- सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका/कार्य (Role/Functions of Public Library)
- स्थानीय सांस्कृतिक सामग्री केंद्र (Local Cultural Material Centre)
- विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library)
- विशिष्ट पुस्तकालय की विशेषताएँ (Characteristic of Special Library)
- विशिष्ट पुस्तकालय की सेवाएँ (Services of Special Library)
- कार्य (Functions)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

मुद्रण कला के उद्‌भव एवं विकास के परिणामस्वरूप वर्तमान समय में ज्ञान जगत के लगभग सभी विषयों पर असीमित साहित्य का प्रकाशन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप ज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज ज्ञान का क्षेत्र इतना विविधतापूर्ण हो गया है कि पाठकों की श्रेणी, प्रकृति एवं अध्ययन के उद्देश्य भी विविधतापूर्ण हो गया है। आज एक ही तरह का पुस्तकालय विभिन्न श्रेणी के पाठकों की विभिन्न माँगों एवं आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। अत: पाठकों के विभिन्न श्रेणी, प्रकृति एवं अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आज पुस्तकालयों की भी अनेक श्रेणियाँ हो गई हैं जो अपने विशिष्ट पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उन्हीं पुस्तकालयों में से हैं–सार्वजनिक पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय।

प्रस्तुत इकाई में इन दोनों पुस्तकालयों का विशद् रूप से वर्णन किया गया है ताकि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पाठक इन पुस्तकालयों के उद्देश्यों, विशेषताओं एवं कार्यों के बारे में भलीभाँति जान सके कि ये पुस्तकालय समाज के विकास में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं?

नोट

सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library)

सार्वजनिक पुस्तकालय आधुनिक समाज का एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। यह एक सेवा प्रधान संस्था है। सार्वजनिक पुस्तकालय शिक्षा, संस्कृति तथा सूचना ग्रहण करने की एक जीवन शक्ति है। सार्वजनिक पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा अधिक-से-अधिक लोगों को शिक्षित किया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के सभी सदस्यों के संपूर्ण तथा स्वस्थ प्रयोग के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definitions)

विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञों ने सार्वजनिक पुस्तकालय की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। जिन लोगों ने सार्वजनिक पुस्तकालय के शिक्षाप्रदायक पक्ष को अधिक महत्त्व दिया उन्होंने उसे 'लोक-विश्वविद्यालय' कहा, जिन लोगों ने इसके मनोरंजनात्मक पक्ष को अधिक महत्त्व दिया उन्होंने इसे जनसाधारण का 'सांस्कृतिक-केंद्र' माना। कुछ अन्य व्यक्तियों के अनुसार यह जीवन के विविध पहलुओं के ऊपर प्रामाणिक सूचना की प्राप्ति का केंद्र है।

सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा अनेक व्यक्तियों एवं संस्था के द्वारा दी गई है जिनमें से सर्वमान्य एवं व्यापक परिभाषा यूनेस्को के द्वारा दी गई है। इस परिभाषा जो 1949 में बनाई गई तथा 1972 और पुनः 1994 में संशोधित की गई, को यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में दिया गया है। इस मैनिफेस्टो के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा निम्नलिखित हैं–

- लोक-पुस्तकालय ज्ञान-जगत का स्थानीय प्रवेश द्वार है और व्यक्तियों तथा समुदायों को आजीवन ज्ञान प्राप्त करने, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है;
- शिक्षा, संस्कृति एवं सूचना के लिए प्रेरणा-स्रोत है और नर-नारियों के मानस में शांति एवं अध्यात्मिक कल्याण की भावना का विकास करता है;
- यह सूचना का स्थानीय केंद्र है जो लोगों को प्रत्येक प्रकार का ज्ञान तथा सूचना बिना रोक-टोक के तत्काल उपलब्ध कराता है;
- जाति, आयु, लिंग, संबंध, राष्ट्रीयता, भाषा या सामाजिक स्तर के भेद-भाव के बिना जो सबके लिए समान रूप से अभिगम्य हैं।
- जिसके प्रलेख-संग्रहे में समाज की सामयिक प्रवृत्तियों तथा इसके विकास से संबंधित सामग्री के साथ मानव-जाति के प्रयत्नों, उद्यमों और कल्पनाशक्ति का स्मरण दिलाने वाली सामग्री को भी संकलित किया गया है।

यूनेस्को द्वारा दी गई इस परिभाषा में सार्वजनिक पुस्तकालयों के समस्त आयामों को सम्मिलित किया गया है। अतः सार्वजनिक पुस्तकालय की यह एक सर्वांगपूर्ण तथा सुविस्तृत परिभाषा है।

अन्य परिभाषाएँ इस प्रकार हैं–

- **विलियम इवार्ट के अनुसार** "वह ग्रंथालय जो जनता के द्वारा स्थापित, जनता को समर्पित, जनता के मनोरंजन के लिए, निश्चित नियमों के द्वारा संचालित हो, उसे सार्वजनिक ग्रंथालय कहते हैं।

बी. एस. रसेल के अनुसार–"सार्वजनिक ग्रंथालय वास्तव में जनसाधारण के लिए जनसाधारण द्वारा जन संस्थाएँ हैं। ये सफल नागरिकों के लिए निःशुल्क सेवाएँ हैं।"

डॉ. एस. आर. रंगनाथन के अनुसार–"वैसे पुस्तकालय जो स्थानीय प्रशासन द्वारा गठित एवं संचालित होती है एवं जिसमें चल पुस्तकालय एवं अन्य पुस्तक सेवा प्रदान की जाती है। जिसकी सेवा निःशुल्क हो एवं संचालन के लिए भी स्थानीय समितियाँ या सरकार द्वारा कार्य-भार वहन किया जाता है। कोई भी पुस्तकालय जिसे सरकार द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के नाम से घोषित कर दिया गया है, उन्हें सार्वजनिक ग्रंथालय या पुस्तकालय कहा जाता है।

भारत सरकार द्वारा गठित परामर्शदात्री समिति (1958) द्वारा निम्नलिखित शब्दों में सार्वजनिक पुस्तकालय को परिभाषित किया गया है–

- सार्वजनिक पुस्तकालय अधिकांशतः लोकनिधि (Public Fund) से चलता है;

नोट

- पाठकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बिना किसी भेद-भाव के समस्त जनता के पूर्ण उपयोग के लिए खुला रहता है;
- एक सहायक शैक्षणिक संस्था के रूप में कार्य करता है और स्वशिक्षा का उपपरिमित साधन बनता है; और
- अध्ययन सामग्री का संग्रहण करते हुए निरंतर बिना किसी पक्षपात के या अपकृति के अध्यात्मिक विभिन्न विषयों पर पाठकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तथा उन्हें विश्वसनीय सूचना प्रदान करता है।"

विशेषताएँ (Features)

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर सार्वजनिक पुस्तकालय की निम्नलिखित विशेषताएँ उभरकर समाने आती हैं–

- सार्वजनिक पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जिसका उपयोग प्रत्येक नागरिक स्वछंद तथा बिना किसी भेद-भाव के कर सकता है;
- सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं संरक्षण पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए जिसमें पुस्तकालय प्राधिकरण (Library Authority) स्थानीय निकायों (Local Bodies), तदर्थ निकायों (Adhoc Bodies) का प्रावधान होना चाहिए;
- पुस्तकालय सेवाएँ नि:शुल्क होने के साथ-साथ इसका संचालन सार्वजनिक निधि (Public Funds) के द्वारा होना चाहिए; एवं
- डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय में निर्बाध प्रवेश प्रणाली (Open Access System) होनी चाहिए।

उद्देश्य (Objectives)

सार्वजनिक पुस्तकालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- बाल्यावस्था से ही बालक-बालिकाओं में पठन-क्षमता तथा पठन-रुचि का निर्माण एवं विकास करना;
- व्यक्तिगत तथा स्वयं-संचालित शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा को भी समर्थन देना;
- वैयक्तिक सर्जनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध करना;
- बाल तथा युवा-वर्ग में कल्पनाशक्ति तथा सर्जनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना;
- सांस्कृतिक परंपराओं, कला-प्रेम, वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा नव-परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना;
- समस्त निष्पादन कलाओं की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना;
- अंतर-सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहन देना तथा सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करना;
- मौखिक परंपरा को समर्थन देना;
- नागरिकों को सभी प्रकार की सामुदायिक सूचनाएँ उपलब्ध कराना;
- स्थानीय उद्यम-संस्थाओं, संघों तथा हित वर्गों को पर्याप्त सूचना-सेवा उपलब्ध कराना;
- सूचना तथा कंप्यूटर का स्वयं उपयोग करने में लोगों को सक्षम बनाना; एवं
- सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों के लिए साक्षरता से संबंधित गतिविधियों एवं योजनाओं में भाग लेना तथा यदि आवश्यक हो तो ऐसी गतिविधियाँ स्वयं चलाना।

इन प्रमुख लक्ष्यों के कारण सार्वजनिक पुस्तकालय अपने देश में सूचना संपन्न नागरिकों का विकास करेंगे जो अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर पाएँगे तथा आज के बदलते हुए समाज में प्रत्युत्तरात्मक भूमिका का निर्वाह कर पाएँगे।

सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका/कार्य (Role/Functions of Public Library)

आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय शिक्षा, संस्कृति एवं सूचना प्राप्ति की एक महत्त्वपूर्ण सशक्त माध्यम है।

नोट

यह जनसाधारण को उसके इर्द-गिर्द होने वाली आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सामाजिक, धार्मिक प्रगति का ज्ञान कराता है।

अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सार्वजनिक पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य बताएँ हैं–

- समाज के समस्त लोगों की अनौपचारिक शिक्षा में सहायता देना;
- सब लोगों की सूचनाविषयक आवश्यकताओं की पूर्ति करना;
- मनोरंजनात्मक सामग्री प्रदान करना;
- खाली समय का सदुपयोग कराना;
- सभी लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सहायता देना;
- औपचारिक शिक्षा में सहयोग देना।

रॉबर्टस कमिटी जो इंग्लैंड और वेल्स में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं की संरचना विषयक सुझाव के लिए गठित की गई थी, ने सार्वजनिक पुस्तकालय के मुख्य कार्यों को रेखांकित किया है जो इस प्रकार हैं–

- किसी पाठक या पाठकों के समूह को उनकी वांछित पुस्तक या संबंधित सामग्री प्रदान करना;
- केवल पाठकों की संतुष्टि ही नहीं बल्कि उनमें पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करना; जिसके परिणामस्वरूप बाल पुस्तकालय (Children Library) के प्रावधान को पुस्तकालय सेवा के अभिन्न अंग के रूप में मानना चाहिए;
- विद्यार्थियों की सहायता करना तथा प्रदर्शनियों, व्याख्यानों तथा प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं का आयोजन करना।

यूनेस्को मैनिफेस्टो में सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यों के बारे में लिखा गया है कि "सार्वजनिक पुस्तकालयों से आशा की जाती है कि वे सूचना, शिक्षा एवं संस्कृति जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

सूचना केंद्र (Information Centre)

प्रत्येक देश की जनसंख्या एक संसाधन होती है जिसे मानव संसाधन की संज्ञा दी जाती है। इस मानव संसाधन को उपयोगी एवं फलोत्पादक बनाने की आवश्यकता होती है। सूचना के अभाव में तथा लोगों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह के अभाव के कारण इस दिशा में उठाए गए कदम प्रभावकारी नहीं हो पाते। अत: विभिन्न व्यक्तियों तथा विविध समूहों के लिए उपयोगी सूचना उनकी भाषा में उनके दरवाजे तक उपलब्ध कराने की नीति अपनाने की आवश्यकता है। इस नीति से मुख्य अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं–

***(i)* ग्राम्य समाज** (Rural Society)–गरीबी की विभीषका को दूर करने के लिए पुस्तकालयों द्वारा लोगों को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करानी चाहिए जिसका उपयोग रोजगार पाने, हुनर बढ़ाने तथा स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए किया जा सके। जैसे–सरकार की उन नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण जनता को उपलब्ध करानी चाहिए जिनके अंतर्गत उन्हें कृषि कार्य के लिए उचित कीमत पर उत्तम बीज तथा कृषि उपकरणों की खरीद के लिए जमीन की सिंचाई के लिए तथा अन्य ऐसे कार्यों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इसी प्रकार कृषि उद्योग से संबंधित सरकारी नीतियों को गाँवों तथा कस्बों में लोकप्रिय बनाने के प्रयास होने चाहिए। इससे कृषि उद्योगों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न होती है।

***(ii)* विकासात्मक गतिविधियाँ** (Development Activities)–इसके अंतर्गत नहरों, बाँधों और सड़कों के निर्माण, कूप-उत्खनन, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए गृह-निर्माण, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना आदि विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित सूचना के प्रचार-प्रसार से ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

समाज में व्याप्त अस्वस्थ एवं असामाजिक परंपराओं और कुरीतियों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार कर इन कार्यकलापों के ऊपर खुली बहस की शुरुआत की जा सकती है तथा इन मुद्दों का मुकाबला करने के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार किया जा सकता है। जैसे–बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, सरकारी सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार, मद्यपान आदि के ऊपर लोगों में सोच को जगाने में सार्वजनिक पुस्तकालय उल्लेखनीय भूमिका निभा सकता है।

***(iii)* विज्ञान को लोकप्रिय बनाना**–(To Popularize of Science)–लोगों द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना का उपयोग करने के लिए समुचित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से ऐसी सूचना

छात्र क्रियाकलाप

1. सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्यों को लिखें।

2. अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सार्वजनिक पुस्तकालय के क्या-क्या कार्य बताएँ हैं?

नोट

को सरल बनाकर व्यापक रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। इन विषयों के ऊपर व्याख्यानों, प्रदर्शनी आदि आयोजित कर यह कार्य किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से स्वास्थ्य, साफ-सफाई, बालकों की देख-रेख, बाल-रोग आदि के ऊपर सूचना देकर तथा प्रदर्शनों का आयोजन कर समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुँचाया जा सकता है।

***(iv)* भाषिक वर्ग** (Languistic Group)–हमारे देश में बहु भाषी लोग रहते हैं। इसलिए पुस्तकालयों को छोटी-बड़ी क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि ग्रामीण लोग उन सूचनाओं को भरपूर फायदा उठा सके। पुस्तकालयाध्यक्षों को सुनियोजित रीति से पुस्तक सूची बनाकर तथा विभिन्न भाषाओं के साहित्य में विभिन्न विषयों के ऊपर प्रकाशित सूचना को लेखकों तथा साहित्य-प्रणयन से संबंधित अन्य व्यक्तियों तक प्रसारित करना चाहिए।

***(v)* धार्मिक वर्ग** (Religious Group)–विभिन्न धर्मों के उद्देश्यों, विश्वासों तथा रीति-रिवाजों का परिचय देने वाला साहित्य भी लोगों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जन-सामान्य के मन में मानवीय मूल्यों के प्रति आदर-भाव तथा एकता की भावना उत्पन्न हो सकें।

***(vi)* विधिक वर्ग** (Law Group)–परिवार, संपत्ति, अपराध आदि से संबंधित कानूनी जानकारी का भी व्यापक प्रसार करना चाहिए। परिवार के प्रति कर्तव्य, अपराध से जुड़े नकारात्मक परिणामों की जानकारी, अपने अधिकारों के प्रति जुड़ी कानूनी जानकारियों की सूचना सार्वजनिक पुस्तकालयों को लोगों को दी जानी चाहिए।

स्व-शिक्षण केंद्र (Self-study Centre)

एक स्व-शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करना सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक प्रमुख कार्य है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएँ किसी व्यक्ति को किसी अवधि-विशेष के अंदर किसी विषय-विशेष में अत्यंत औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराती है, लेकिन शिक्षा अनवरत प्राप्त करने वाली प्रक्रिया होती है ऐसी स्थिति में व्यक्ति सार्वजनिक पुस्तकालय से लगातार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। किसी व्यक्ति की रुचि किसी विषय-विशेष तक ही सीमित नहीं होती। उसकी रुचि अनेक विषयों और विविध क्षेत्रों में होती है जिनके ऊपर वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा संस्थान है जो व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसे आजीवन स्व-शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है।

सांस्कृतिक केंद्र (Cultural Centre)

सार्वजनिक पुस्तकालय स्व-शिक्षण तथा सूचना केंद्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ स्थानीय तथा क्षेत्रीय संस्कृति के संवर्धक केंद्र के रूप में महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। सार्वजनिक पुस्तकालय सार्वजनिक कोष से संपोषित, स्थानीय आबादी को निष्पक्ष सेवा प्रदान करने का एक अनिवार्यत: निःशुल्क पुस्तकालय है जो एक सहायक शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रजातांत्रिक संस्थान है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सूचना, शिक्षा तथा सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध कराता है।

स्थानीय सांस्कृतिक सामग्री केंद्र (Local Cultural Material Centre)

अपने क्षेत्र में उपलब्ध सांस्कृतिक सामग्रियों का पता लगाकर उनका संकलन करना भी आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय का एक कार्य है। ऐसी सामग्रियाँ हो सकती हैं–कला या मूर्तिकला की कृतियाँ, चित्र, साहित्यिक लेखन, प्राचीन या पूर्वकालिक संगीत उपकरण आदि। भारत के प्रत्येक शहर या गाँव में ऐसी सांस्कृतिक सामग्रियाँ मौजूद हैं परंतु ये यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हुई हैं। ऐसी सामग्रियों की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए एवं उनमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी स्थानीय संस्कृति के ऊपर गर्व हो सके तथा उसके प्रति लगाव पैदा हो सके।

इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य इस प्रकार हैं–

- समुदाय के वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य-सामग्री का संग्रह एवं संरक्षण करना;
- पाठकों के शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय, अभिरुचि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य-सामग्रियों का चयन करना;
- पाठकों को बिना किसी भेदभाव के मुक्त प्रवेश एवं मुक्त सेवा प्रदान करना;

नोट

- पाठकों में अध्ययन की अभिरुचि जाग्रत करना;
- पाठकों की सहायता हेतु पुस्तक, पत्र-पत्रिका, मानचित्र, रिकॉर्ड, माइक्रोफिल्म आदि एकत्रित करना एवं उसे पाठकों के उपयोग हेतु प्रस्तुत करना;
- ज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार, अन्वेषण और शोधों पर प्रकाश डालने वाली अद्यतन सामग्री का विशेष रूप से संकलन कर जिज्ञासु पाठकों को नवीन ज्ञान से परिचित कराना।
- नागरिकों को अवकाश के दिनों का सर्जनात्मक चिंतन एवं मनोरंजन में उपयोग हेतु प्रेरित करना एवं उपयुक्त वातावरण तैयार करना;
- ज्ञान के विकास और शोधकार्य में लगे पाठकों को विशेष सहयोग देना;
- विभिन्न प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से पुस्तकालय सेवाओं को और अधिक उपयोगी एवं सार्वजनिक बनाना एवं
- राष्ट्र की गतिविधियों के संबंध में पाठकों को सही जानकारी प्रदान कर उन्हें प्रबुद्ध बनना तथा इस प्रकार राष्ट्र के लिए स्वस्थ जनमत तैयार करने में सहयोग देना।

विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library)

परिचय एवं उद्देश्य (*Introduction and Purpose*)

पुस्तकालय के चार प्रमुख प्रकार स्वीकार किए गए हैं–राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library) सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library), शैक्षिक पुस्तकालय (Educational Library) एवं विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library)। प्रथम तीनों पुस्तकालयों की व्याख्या की जा चुकी है। इस इकाई में पुस्तकालय के अंतिम प्रकार अर्थात् विशिष्ट पुस्तकालय की व्याख्या करना है। विशिष्ट पुस्तकालय से जुड़ी तमाम जानकारियाँ अर्थात् इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ, कार्य एवं इसके द्वारा दी जानेवाली सेवाओं का व्याख्या करना है ताकि एक जागरूक पाठक इससे जुड़ी सभी गतिविधियों को मालूम कर सकें।

विशिष्ट पुस्तकालय प्रथम दो प्रकार यानी राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों से बिल्कुल भिन्न है परंतु विशिष्ट पुस्तकालय एवं शैक्षिक पुस्तकालय के बीच विभाजन-रेखा खींचना एक कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि कोई शैक्षिक संस्थान एक विशिष्ट संस्थान भी हो सकता है; जैसे–इंजीनियरी और चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने वाले संस्थान को विशिष्ट संस्थान भी माना जा सकता है। इसी प्रकार विशिष्ट पुस्तकालय का पुस्तक संग्रह किसी ऐसे विशेष विषय के ऊपर हो सकता है जो उस विषय की शिक्षा से संबंधित हो। इसलिए शैक्षिक पुस्तकालय तथा विशिष्ट पुस्तकालय के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट पुस्तकालय के अर्थ एवं परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है।

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition)

अन्य प्रकार के पुस्तकालय विविध उद्देश्यों–जैसे शैक्षिक, अनुसंधानपरक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए सूचना उपलब्ध कराना–के लिए कार्य करते हैं, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय का प्रमुख और संभवतः एकमात्र उद्देश्य है–'संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए पैतृक संगठन को सूचना उपलब्ध कराना'। विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना विविध प्रकार के संगठनों में की जाती है तथा इनमें से अधिकतर संगठन वृहत्तर संगठन की इकाई होते हैं। इन पुस्तकालयों का उद्देश्य शैक्षणिक तथा पारंपरिक पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करना नहीं होता, बल्कि ये ऐसी सूचना प्रदान करते हैं जो इनके पैतृक संगठनों की सूचनापरक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना सरकारी विभागों, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, निदेशालयों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, विद्वत संस्थानों, व्यावसायिक संघों, व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित संघों, अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित संस्थाओं, राष्ट्रीय कला दीर्घा आदि में की जाती है। पाठकों के किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष विषय के ऊपर कार्य करने वाले विशेषज्ञों या विशेष प्रकार के प्रलेखों के संग्रह के लिए भी विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है।

परिभाषा–विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा अनेक विशेषज्ञों ने इस प्रकार दिया है–

एम.एल.एम हैरोड–"विशिष्ट पुस्तकालय विद्वत संगठनों, शोध-संस्थानों, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी विभागों और यहाँ तक कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा किसी सीमित क्षेत्र में वर्णित पुस्तकों तथा

नोट

अन्य मुद्रित, चित्रात्मक तथा अभिलेखित सामग्रियों का संग्रह-स्थल है। कोई सार्वजनिक पुस्तकालय भी, किसी विशेष व्यवसाय-वर्ग के लोगों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी पुस्तकालय या विशिष्ट विषय-पुस्तकालय के रूप में अपनी विशिष्ट शाखा चला सकता है। जैसे–संगीत से संबंधित सूचना के लिए कोई सार्वजनिक पुस्तकालय एक विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में संगीत पुस्तकालय (शाखा) खोल सकता है।"

ब्रॉडफिल्ड–"विशिष्ट पुस्तकालय न तो शैक्षिक पुस्तकालय है, न वाणिज्यिक पुस्तकालय है, न राष्ट्रीय पुस्तकालय है और न ही सार्वजनिक पुस्तकालय। किसी विशेष पाठक-वर्ग को किसी सीमित विषय-क्षेत्र के ऊपर विस्तृत सूचना प्रदान करना उद्देश्य है।"

डी. जे. फॉस्केट के अनुसार–"पुस्तकालयेतर अस्तित्व वाला एक ऐसा पुस्तकालय जिसकी स्थापना व्यक्तिगत उपयोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि ऐसे पाठक-वर्ग के लिए की गई हो जिनकी कम-से-कम गतिविधियाँ समान लक्ष्यों और उद्देश्यों द्वारा संचालित होती हों। अत: शैक्षिक पुस्तकालयों को विशिष्ट पुस्तकालय नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके पाठक पुस्तकालय का उपयोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए करते हैं तथा किसी भी अर्थ में उनकी गतिविधियाँ समान उद्देश्य तथा लक्ष्यों द्वारा संचालित नहीं होती।"

डॉ. एस. आर. रंगनाथन विशिष्ट पुस्तकालयों को 'विशेषज्ञों का पुस्तकालय' मानते हैं, जिनका कार्य किसी विशेष विषय-क्षेत्र जैसे वैज्ञानिक तकनीकी आदि क्षेत्र के ऊपर विस्तृत सूचना उपलब्ध कराना है।

विशिष्ट पुस्तकालय की विशेषताएँ (Characteristics of Special Library)

विशिष्ट पुस्तकालयों की समस्त गतिविधियों के मूल में दो प्रमुख सूचना सेवाएँ हैं जिन्हें वे उपलब्ध कराते हैं। पहली सेवा माँग आधारित या प्रत्युत्तरात्मक सूचना सेवा है जिसके अंतर्गत संदर्भ तथा साहित्य की खोज कर पाठक द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी सेवा अनुमान आधारित या अनुमानित सूचना सेवा है, जिसके अंतर्गत पाठकों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उन्हें सामयिक सूचना की अद्यतन जानकारी देने के लिए अनुक्रमणिका तथा सार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

विशिष्ट पुस्तकालय की निम्नांकित विशेषताएँ हैं–

• **पुस्तकालय सामग्री** (Library Material)–विशिष्ट पुस्तकालय में सामग्री किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र से ही संबंधित होती है। इसमें किसी एक विशेष विषय या विषयों के समूह का साहित्य संग्रहित होता है। यह साहित्य उपभोक्ताओं की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित रूप से व्यवस्थित किया जाता है।

कभी-कभी सामग्री के स्वरूप के आधार पर भी विशिष्ट पुस्तकालय हो सकते हैं जैसे-मानचित्र पुस्तकालय, फिल्म पुस्तकालय, रिकॉर्ड पुस्तकालय आदि। विशिष्ट पुस्तकालय में पैतृक संस्था की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार की सामग्री हो सकती है। जैसे–अनुसंधान प्रबंध, रिपोर्ट्स, सामयिक प्रकाशन आदि। संग्रह का आकार, वित्त, सामग्री की उपलब्धता तथा पैतृक संस्था के उद्देश्यों पर आधारित होता है।

• **विशिष्ट पाठक/उपभोक्ता** (Special Readers/Users)–विशिष्ट पुस्तकालय के उपभोक्ता विशेष प्रकार के होते हैं जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संस्था या संस्थाओं के समूह में कार्यरत रहते हैं। ये पुस्तकालय सभी के लिए न होकर विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए होते हैं जिनकी विशिष्ट रुचि तथा विशिष्ट दक्षता/कुशलता होती है।

जो पुस्तकालय व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं उनके उपभोक्ता या पाठक बहुत ही व्यस्त रहते हैं तथा उनके लिए समय बहुत ही मूल्यवान होता है। अत: उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशिष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष विस्तृत साहित्य खोज कर अपने निष्कर्ष संदर्भ ग्रंथ, लेखों का सारांशीकरण तथा अनुवाद के रूप में प्रस्तुत करता है।

• **संदर्भ तथा सूचना सेवाएँ** (Reference and Information Services)–विशिष्ट पुस्तकालय की विशिष्ट, गहन तथा व्यावहारिक संदर्भ सेवा मुख्य पहचान है। यही संदर्भ सेवा विशिष्ट पुस्तकालय को प्राय: सूचना ब्यूरो कहा जाता है। विलियम, ए. कार्ट्ज ने कहा है "विशिष्ट पुस्तकालय का कार्य है-सूचना उपलब्ध कराना, जबकि सार्वजनिक या शैक्षणिक पुस्तकालय का कार्य है–पुस्तकें उपलब्ध कराना।"

• **पुस्तकालय का स्थान** (Location of Library)–विशिष्ट पुस्तकालय एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है। यह अपनी पैतृक संस्था के प्रांगण में ही होता है। जैसे–सरकारी विभागीय पुस्तकालय अपने विभागों के साथ ही होंगे जैसे–श्रम मंत्रालय पुस्तकालय, शिक्षा मंत्रालय पुस्तकालय, संसद पुस्तकालय आदि।

छात्र क्रियाकलाप

1. विशिष्ट पुस्तकालय की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें।

2. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें–
   (*a*) स्व-शिक्षण केंद्र (*b*) सांस्कृतिक केंद्र

नोट

अनुसंधान संगठनों तथा व्यावसायिक सोसाइटियों से संबंध पुस्तकालय जैसे–National Dairy Research Institute library, All India Agricultural Research Institute Library; American Chermical Society Library, Royal Asiatic Society Library.

• **आकार एवं उपकरण** (Size and Equipments)–विशिष्ट पुस्तकालय प्राय: छोटे होते हैं। पुस्तकालयों में प्राय: एक व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के लिए कुछ गैर-व्यावसायिक कर्मचारी होते हैं। बड़े विशिष्ट पुस्तकालयों में अनुवादक, सारांशीकरणकर्ता, अनुक्रमणिकाकर्ता तथा सूचना प्रणाली विशेषज्ञ भी होते हैं।

विशिष्ट पुस्तकालय का स्थान तथा संग्रह भी कम होता है। इसमें पुनरोत्पादन, अनुवाद, अध्ययन तथा प्रलेखों के संग्रहण के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है।

• **प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन** (Procesive and Organisation)–विशिष्ट पुस्तकालय अपने प्रलेख संग्रह के व्यवस्थापन के लिए विविध विधियाँ अपनाते हैं। प्रलेखों को कैसे रखा जाए, इसका निर्णय उनके उपयोग के आधार पर किया जाता है। प्रसूचियों, अनुक्रमणिकाओं तथा सारों के उपयोग की सुविधा, पैतृक संगठन की गतिविधियों की विस्तार-सीमा एवं विस्तार-क्षेत्र के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। यथासंभव, सरल वर्गीकरण पद्धति, प्रसूचीकरण संहिता तथा अनुक्रमणीकरण प्रणाली को चुना जाता है, परंतु इसका ध्यान अवश्य रखा जाता है कि वे पुस्तकालय की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करें।

विशिष्ट पुस्तकालय की सेवाएँ (Services of Special Library)

संदर्भ सेवाएँ (Deference Services)

विशिष्ट पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली संदर्भ एवं शोध सेवाओं के अंतर्गत सरल संदर्भ प्रश्नों का उत्तर देने से लेकर शोध तथा साहित्य-खोज से संबंधित जटिल सेवाएँ तक रखी जा सकती हैं। साहित्य-खोज सेवा में पाठकों की सामान्य सहायता की जाती है, परंतु माँगी गई सूचना का पता लगाने तथा उसे पाठक तक पहुँचाने में बहुधा सूचना-विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाती है। वस्तुत: यह विशेषज्ञता विशिष्ट पुस्तकालय के कर्मचारियों में ही विकसित की जाती है ताकि वे सूचना-संचालन से संबंधित जटिल एवं मुश्किल समस्याओं को हल कर सके। कुछ विशिष्ट पुस्तकालय अनुवाद सेवा स्वयं ही देते हैं या किसी बाह्य अभिकरण के माध्यम से अनुवाद सेवा उपलब्ध कराते हैं। पुस्तकालय की गतिविधियों और सेवाओं से पर्याप्त लाभ पाने के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों तथा पाठकों के बीच निकट एवं कार्यात्मक संबंध का होना आवश्यक है।

सामयिक जागरूकता सेवा एवं परिसंचार सेवा (CAS and Routing Services)

अपने पाठकों को नवीन तथा सामयिक घटनाओं की जानकारी देने के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएँ चलाई जाती हैं। पत्रिकाओं के नए अंकों का परिसंचार (Routing) करना विशिष्ट पुस्तकालयों की एक सामान्य सेवा है। पुस्तकालय अपने पाठकों का सर्वाधिक सर्वेक्षण कर यह जानने का प्रयत्न करता है कि पाठक कौन-सी पत्रिकाएँ नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं। पुस्तकालय में पत्रिका के नवीन अंक की प्राप्ति के तुरंत बाद उसे संबंधित पाठकों के बीच बाँटा जाता है। सामयिक अधिग्रहण बुलेटिन, पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका तथा टाइटल एलर्ट (Title Alerts) आदि जैसी सामयिक जागरूकता सेवाएँ विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाती हैं।

अनुमानित सेवा

उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा कुछ अनुमानित सेवाएँ भी चलाई जाती हैं। जैसे–व्याख्यात्मक सूचियाँ, सार, बुलेटिन, समाचार सारांश, डाइजेस्ट आदि तैयार करना। कुछ दशकों से विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा कंप्यूटर आधारित सूचना के चयनित प्रसार (SDI) की सेवा भी पाठकों को उपलब्ध कराई जा रही है। भारत में यह (SDI) सेवा लगभग समस्त विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा चलाई जा रही है।

सूचना की पुनर्प्राप्ति सेवा (Retrieval Services of Information)

विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए सारकरण, अनुक्रमणिका तथा डाइजेस्ट सेवाओं का अत्यधिक महत्त्व है। पैतृक

संगठन की परियोजनाओं, उत्पादों तथा प्रक्रिया-विकास आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा इन परियोजनाओं आदि से संबंधित अनुक्रमणियाँ या सार आदि बनाए जाते हैं। इस कार्य को करने के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों में विशेष परियोजनाएँ चलाई जाती हैं तथा सार एवं अनुक्रमणियों की फाइलें आरंभ से रखी जाती हैं।

नोट

बुलेटिन का प्रकाशन (Publication of Bulletin)

अधिग्रहण सूची या बुलेटिन का प्रकाशन कर पुस्तकालय में प्राप्त नए प्रलेखों की सूचना पाठकों को दी जाती है। कभी-कभी, इस सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के अंतर्गत व्याख्यात्मक टिप्पणी (Annotation) भी दी जाती है। कुछ विषय-क्षेत्रों में यह सेवा वाणिज्यिक रूप में भी उपलब्ध है।

विशिष्ट पुस्तकालय के कर्मचारी (Staff of Special Library)

सामान्यतया विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए बहुत बड़े कर्मचारी-समूह की आवश्यकता नहीं होती। बहुत समय से यह तथ्य मुद्दा का विषय बनी हुई है कि विशिष्ट पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष मुख्य रूप से एक विषय-विशेषज्ञ होना चाहिए या पुस्तकालय व्यवसायी होना चाहिए या उनमें दोनों योग्यताएँ होनी चाहिए। परंतु यह विवाद धीरे-धीरे सीमित होता जा रहा है क्योंकि अब विभिन्न विषयों में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं तथा इस व्यवसाय को अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का यह नया वर्ग विशिष्ट पुस्तकालयों की गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने में सक्षम है।

विशिष्ट पुस्तकालय के कार्य (Functions of Special Library)

विशिष्ट पुस्तकालय ज्ञान के उत्पादन, भंडारण तथा उपयोग के ऊर्जा-केंद्र हैं। ये निम्नलिखित कार्यों को पूरा करते हैं–

- अपने पैतृक-संस्थान की निरंतर विकासशील आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूचना तथा आँकड़ों का संग्रह, रख-रखाव, भंडारण तथा पुनर्प्राप्ति करना;
- सूचना तथा आँकड़ों का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन करना;
- समालोचनात्मक समीक्षाएँ, मोनोग्राफ, प्रतिवेदन और संकलन उपलब्ध कराना;
- समालोचनात्मक सूचनाओं का संग्रह तैयार करना;
- यथा-वस्तु-स्थिति प्रतिवेदन (State of Art-reports) उपलब्ध कराना;
- किसी सूचना से संबंधित पूछताछ के उत्तर उपलब्ध कराना;
- साहित्य-खोज तथा अनुवाद सेवाएँ चलाना;
- सार, अनुक्रमणिका तथा निष्कर्षिका उपलब्ध कराना;
- *अधिगृहीत पुस्तकों की सूची, बुलेटिन, न्यूज लेटर, सारांश, हैंडबुक या मैनुअल तैयार करना; तथा*
- नवीन सूचना तथा सूचना के चयनित प्रसारण द्वारा अनुसंधान-कार्य को उत्प्रेरित करना

इन कार्यों के अतिरिक्त, विशिष्ट पुस्तकालय कुछ और कार्यों को भी पूरा करता है; जो हैं–

- सिंपल आर्डर रिकार्ड स्थापित करना;
- पुस्तकालय में किस विषय का संग्रह दुर्बल है, यह जानने के लिए पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह की समीक्षा करना; तथा
- कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक परिवीक्षण (Monitoring) प्रणाली का विकसित करना।

सारांश (Summary)

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर सार्वजनिक एवं विशिष्ट पुस्तकालयों के कार्यों एवं भूमिकाओं को सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि इन दोनों पुस्तकालयों की भूमिका एवं कार्य शैक्षणिक पुस्तकालयों की तरह है लेकिन थोड़ी-सी विभिन्नताएँ हैं। ये विभिन्नताएँ कार्यों के साथ-साथ उद्देश्यों के स्तर भी हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य समाज के प्रत्येक सदस्य को बिना किसी भेदभाव के प्रलेख एवं सूचना सेवा को निःशुल्क

नोट

प्रदान करना होता है और चूँकि पुस्तकालय एक सार्वजनिक सामाजिक संस्था है, जो निरंतर समाज कल्याण में रत रहते हुए ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। अत: यह ज्ञान के प्रसारण, विद्वता की प्रगति और शिक्षा तथा अनुसंधान की वृद्धि में सहयोग करने वाली है। इस संदर्भ में सार्वजनिक पुस्तकालय का द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं और उसकी ज्ञान विपासा शांत करते हैं। यह जनसाधारण को आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायक है। शैक्षणिक पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में अंतर यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय का सदस्य तभी तक रह सकता है जब तक कि उस विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा होता है एवं तभी तक उस पुस्तकालय का लाभ उठा सकता है लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय के साथ ऐसा नहीं है। सार्वजनिक पुस्तकालय का सदस्य बनकर जीवनपर्यंत अपना ज्ञान संवर्द्धन कर सकता है। अत: सार्वजनिक पुस्तकालय वह पुस्तकालय है जिसके द्वारा क्षेत्र-विशेष में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नि:शुल्क सेवा उपलब्ध कराते हैं तथा जिसके पास व्यक्तियों एवं समुदायों के विभिन्न व्यापक हितों को यथासंभव पूर्ण करने के लिए विशद् पुस्तक संग्रह होता है, जिसे वे प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य भेदभाव के नि:शुल्क उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक पुस्तकालय विश्व भर में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह पुस्तकालय सबसे अधिक संख्या में पाठकों की सेवा करते हैं, अतएव अन्य पुस्तकालयों की तुलना में इनका अधिक महत्त्व हैं।

जहाँ तक विशिष्ट पुस्तकालय का उद्देश्य है तो इनका उद्देश्य अपनी पैतृक संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है एवं इनकी स्थापना भी इसी के लिए की जाती है। इस संदर्भ में **विलफ्रेड एशवर्थ** द्वारा संपादित पुस्तक **"हैंडबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरियनशिप एंड इन्फॉर्मेशन वर्क"** के अनुसार "विशिष्ट पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय है, जिसमें किसी विशिष्ट विषय या विषयों पर ही अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो।" इस प्रकार के पुस्तकालयों का औचित्य इसलिए है कि सार्वजनिक या शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्य पाठकों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। उनमें अनेक विषयों पर साहित्यों का संग्रहण किया जाता है। अतएव ऐसे पाठकों के लिए जिन्हें कुछ विषयों पर विशिष्ट एवं अद्यतन जानकारी या साहित्य। पुस्तक चाहिए, ये विशिष्ट पुस्तकालय कार्य करते हैं। ऐसे पाठकों के अतिरिक्त पाठक के कुछ ऐसे वर्ग भी होते हैं जो अपनी विशेष परिस्थितियों, सीमाओं या विवशताओं के कारण सामान्य पुस्तकालयों का या तो उपयोग नहीं कर पाते या उन्हें उनमें अपनी वांछित सामग्री नहीं मिल पाती। वैसे पाठकों को अध्ययन सामग्रियाँ तथा पुस्तकालय सेवाएँ विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

मुख्य शब्द (Key Words)

- **अनुक्रमणिका** (Index)–अनुक्रमणिका एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित एवं आंकलित तालिका होती है जो अनुक्रमणिकाकृत प्रत्येक आलेख या प्रलेख का विस्तृत वाङ्मयात्मक विवरण प्रस्तुत करती है जिससे उस आलेख या प्रलेख को खोजने एवं जानकारी देने में सहायता एवं सुविधा हो सके।
- **चयनित सूचना प्रसार सेवा** (Selective Dissemination of Information Service)–इसका सर्वप्रथम उपयोग **लुहन** ने किया। चयनित प्रसार सेवा किसी संस्था द्वारा दी गई वह सेवा है जो नई सूचना को किसी स्रोत से प्राप्त कर संस्था के उन भागो तक पहुँचाती है जहाँ सामयिक उपयोग या अभिरुचि के संदर्भ में उसकी उपयोगिता की संभावना अधिक हो। इस सेवा मे केवल चुनी हुई पत्रिकाओं के लेखों तथा प्रलेखों के संबंध में जानकारियाँ प्रसारित की जाती हैं। इसमें प्रत्येक शोधकर्ता या विशेषज्ञ को व्यक्तिगत स्तर पर उनके लिए उपयोगी प्रलेखों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। यह सेवा पाठकोन्मुखी होती है।
- **सूचना** (Information)–किसी भी भौतिक माध्यम पट या रूप में अलिपिबद्ध संदेश।
- **संस्कृति** (Culture)–व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जितने भी तत्वों का योगदान होता है, उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही संस्कृति है।
- **संस्था** (Institution)–संस्था का तात्पर्य उन सभी नियमों तथा कार्य-पद्धतियों से है जो सामाजिक संबंधों को नियमित बनाए रखती है।
- **सूचना केंद्र** (Information Centre)–वह समाज जिसमें सूचना और ज्ञान ही परिवर्तन शक्ति तथा निर्देशन के प्रमुख हथियार के रूप में कार्य करते हैं।

- **संदर्भ सेवा** (Reference Services)–संदर्भ सेवा से तात्पर्य किसी पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पाठकों को दी गई उस सामान्य सहायता से है जो कि सूची की गूढ़ता से परिचय कराने में प्रश्नों का उत्तर देने में एवं अपने पुस्तकालयों के सीमित साधनों के भीतर हर प्रकार की सेवा सुलभ करने में हैं।

नोट

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. सार्वजनिक पुस्तकालय को परिभाषित करें एवं इसके उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन करें।
   Define public library. Explain its objective and features.
2. विशिष्ट पुस्तकालय को परिभाषित करें। इसके उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन करें।
   Define special library. Explain its objective and features.
3. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें।
   Write short Notes.
   (*i*) सूचना केंद्र (Information Centre)
   (*ii*) पुस्तकालय सामग्री (Library Material)

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- शर्मा, प्रहलाद : पुस्तकालय और समाज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002
- शर्मा, पांडेय एस. के. : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- माँगेराम एवं अन्य : पुस्तकालय और आधुनिक समाज, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
- Gerard, D (ed.) : Libraries in Society : A Reader, Bingley Publication, London, 1978
- Mahapatra, P.K. Thomas : Public Libraries in Developmening Countries–Status Trends, Vikas Publishing House, New Delhi, 1996
- Raman Nair R. : Public Library Development, Ess Publication, New Delhi, 1993

नोट

इकाई–4
(Unit–4)

पुस्तकालय व्यावसायिक निकाय एवं संघ : आईएलए, आइएसलिक, इफ़्ला, एफआईडी (Library Professional Bodies and Association : ILA, IASLIC, IFLA, FID)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- भारतीय पुस्तकालय संघ (ILA : Indian Library Association)
- विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों का भारतीय संघ (IASLIC : Indian Association of Special Libraries and Information Centre)
- इफ़्ला (IFLA : International Federation of Library Association and Institutions)
- इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इनफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन (FID : International Federation for Information and Documentation)
- सारांश (Summary)
- मुख्य शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तकें (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

संघ किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का एक संगठन होता है। ये संगठन सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर, सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। हर व्यवसाय के अपने संघ होते हैं। चूँकि पुस्तकालय व्यवसाय भी इसका अपवाद नहीं है। इसलिए पुस्तकालय व्यवसाय के भी संघ होते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना प्रसारण सेवाओं के विकास, उन्नति एवं भविष्य के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन कार्यरत हैं। पुस्तकालय संघ एक व्यावसायिक संघ है। यह संघ पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों का संघ है। ऐसा ही संघ आईएलए आइएसलिक, इफ़्ला एवं एफआईडी हैं। ये संघ ही पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की अभिधारणा को स्पष्ट करने में सहयोग प्रदान करते हैं तथा उपयुक्त मंच पर उपयुक्त प्रस्ताव एवं सुझाव प्रदान करते हैं।

प्रस्तुत इकाई में इन चारों संगठनों के विशद् वर्णन किए गए हैं कि ये चारों संघ/संगठन किस प्रकार पुस्तकालय सेवा को बेहतर बनाने में किस तरह अपना योगदान करते हैं अर्थात् इनके कार्यों, भूमिका, इनकी संरचनात्मक स्थिति, उद्देश्यों, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया है। इन संघों के वर्णन से पहले पुस्तकालय संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि संघों का निर्माण क्यों किया जाता है।

पुस्तकालय संघों के लक्ष्य एवं उद्देश्य (Target and Objectives of Library Association)

पुस्तकालयों के संघ की स्थापना अग्रलिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है–

नोट

- अपने देश में ज्ञान एवं सूचना तथा मानव संसाधन विकास के लिए पुस्तकालय आंदोलन में अग्रदूत की भूमिका का निर्वाह करना;
- सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लागू कराने के लिए काम करना, इसके लिए प्रगतिशील तथा स्वास्थ्य सिद्धांतों पर आधारित एक विधेयक का प्रारूप तैयार करना, जनता में पुस्तकालय चेतना को जगाना, ताकि वे उपयुक्त सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के लिए अधिकारपूर्ण माँग कर सकें, स्वास्थ्य पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए सामाजिक दबाव को गतिशील करना;
- राष्ट्रीय नीति पर आधारित एकीकृत राष्ट्रीय एवं सूचना प्रणाली के विकास के लिए प्रयास करना; पुस्तकालय के वर्तमान बुनियादी ढाँचे में व्याप्त कमियों की ओर पदाधिकारी वर्ग का ध्यान आकृष्ट करना;
- पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए सूचना, विचारों, अनुभवों तथा सुविज्ञता के परस्पर विनिमय के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करना, पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन, पदमान, सेवा-शर्तों आदि की बेहतरी के लिए कार्य करना;
- पुस्तकालय व्यवसाय के प्रति समाज में उच्च धारणा का निर्माण करना, पुस्तकालयों एवं पुस्तक व्यवसायियों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना;
- संसाधनों की साझेदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यों में होने वाली पुनरावृत्ति को रोकना; एवं
- पुस्तकालय एवं सूचना कार्य के लिए जनशक्ति विकसित करना जिसके अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, प्रेरणादायक कार्य, पुरस्कार एवं इनाम आदि सम्मिलित है।

भारतीय पुस्तकालय संघ (ILA : Indian Library Association)

परिचय (Introduction)

भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सन् 1933 में कोलकाता में की गई थी। यह एक पंजीकृत संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में कार्यरत है। यह संघ एक राष्ट्रीय स्तर का प्रथम राष्ट्रीय संघ है जो पूरे देश के पुस्तकालय व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है।

इस संघ की स्थापना सितंबर 1933 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के समय कोलकाता में हुई है। पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ए.सी. बुलर ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इंपीरियल पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री के.के. असादुल्लाह इसके सचिव थे। उस दिन सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि यह संघ पुस्तकालयों और पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ाने के लिए, पुस्तकालयाध्यक्षों की पद-गरिमा को ऊपर उठाने के लिए और पुस्तकालयाध्यक्षों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए कार्य करेगा। सन् 1946 से 1953 तक डॉ. एस. आर. रंगनाथन इस संघ के अध्यक्ष रहे। इनके कार्यकाल में इस संघ का बहुमुखी विकास हुआ और इसे 'यूनेस्को', 'इफ्ला' और 'एफआईडी' के निकट संपर्क में ले आए। यूनेस्को ने भारतीय पुस्तकालय संघ को दो मुख्य परियोजनाएँ दी। पहला, एशियाई नामों का लेखन तथा दूसरा, एशियाई पत्रिका निर्देशिका। इसके अतिरिक्त 1992 में आईएलए द्वारा सफलतापूर्वक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन (IFLA) सम्मेलन का आयोजन किया गया।

उद्देश्य (Objectives)

आईएलए का लक्ष्य है, देश में पुस्तकालय व्यवसाय एवं पुस्तकालय सेवा के स्तर को ऊँचा उठाना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए हैं--

- देश में पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहन देना तथा पुस्तकालय अधिनियम को पारित कराना;
- पुस्तकालय सेवा में निरंतर सुधार लाना;
- पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा तथा प्रशिक्षण में विकास लाना तथा उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाले पुस्तकालय विज्ञान विद्यापीठों को अधिमान्य करना;
- पुस्तकालयकर्मियों के वेतन, उनकी सेवा, शर्त तथा उनके स्तर में सुधार लाना;
- विभिन्न पुस्तकालयों एवं उनके कार्मिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना;

नोट

- शोध एवं ग्रंथात्मक अध्ययनों को बढ़ावा देना;
- राज्य स्तर के एवं अन्य पुस्तकालय संघों को संबद्धता प्रदान करना;
- समान उद्देश्य रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य राष्ट्रीय संघों के साथ सहयोग करना;
- सूचना के प्रसार के लिए क्रमिक एवं अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करना;
- सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा बैठकों का आयोजन कर पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए एक समान मंच प्रदान करना तथा
- पुस्तकालय एवं सूचना पद्धतियों एवं सेवाओं आदि के प्रबंधन हेतु विभिन्न मानकों, मानदंडों तथा संदर्शिकाओं को तैयार करना एवं उनमें सुधार लाना।

सदस्यता (Membership)

भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्यता पुस्तकालयों, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा पुस्तकालय में रुचि रखनेवाले किसी भी व्यक्ति या संस्था; जैसे–पाठक, प्रकाशक आदि के लिए खुली होती है जो इसके उदारवादी नीति का प्रतीक है। इसकी सदस्यता **आठ** प्रकार की होती है–

- संरक्षक सदस्यता;
- मानद सदस्यता;
- विदेशी सदस्यता;
- आजीवन सदस्यता;
- साधारण सदस्यता;
- संस्थागत सदस्यता;
- पुस्तकालय संघ सदस्यता तथा
- सहायक सदस्यता।

संघ के स्थापना वर्ष (1933) में इसके केवल 70 सदस्य थे तथा इ. [1988 में लगभग 2800 सदस्य थे। भारत जैसे विशाल देश में ये सदस्य संख्या में बहुत ही कम है लेकिन आशा की जा सकती है कि जैसे-जैसे पुस्तकालय विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी वैसे-वैसे सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी।

संगठन (Organisation)

संघ की आम सभा द्वारा एक अध्यक्ष, छह उपाध्यक्ष, एक महासचिव तथा प्रत्येक एक सौ साधारण सदस्यों पर बीस परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक कार्यों की देखरेख के लिए ग्यारह विभागीय समितियों का गठन किया गया है। इन विभागीय समितियों के अध्यक्ष, राज्य पुस्तकालय संघों का एक प्रतिनिधि तथा भारतीय पुस्तकालय संघ के सारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष भी आईएलए परिषद् के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है जिसमें संघ के अध्यक्ष, संघ के महासचिव, संघ का एक उपाध्यक्ष, दो सचिव, एक जनसंपर्क पदाधिकारी तथा तीन परिषद् के सदस्य होते हैं। यह समिति दैनिक व्यवस्थापन की देखरेख करती है। आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार बुलायी जाती है जो प्राय: "अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन" के समय ही संपन्न होती है। परिषद् की बैठक तीन माह में एक बार तथा कार्यकारी समिति की बैठक आवश्यकतानुसार जब चाहे बुलाई जा सकती है। संघ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा-जोखा आम सभा की बैठक में प्रस्तुत एवं पारित किए जाते हैं। संघ का एक पूर्णतया अनुमोदित लिखित संविधान है। संघ की कार्यप्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ उप-नियम भी बनाए गए हैं। इसके डाक का पता है–

"इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन"

ए 40-441, फ्लैट संख्या-20।

अंसल बिल्डिंग, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली–110009

गतिविधियाँ (Activities)

भारतीय पुस्तकालय संघ निम्नलिखित गतिविधियों को संपन्न करता है–

- **सम्मेलन तथा संगोष्ठियाँ** (Conference and Symposion)–देश के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मेजबान संस्था के रूप में किसी विश्वविद्यालय या स्थानीय पुस्तकालय संघ को रखा जाता है। अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के कार्यक्रमों में किसी एक या एकाधिक महत्त्वपूर्ण विषयों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक हित के किसी विषय पर भी समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है।

नोट

तकनीकी विषयों पर चर्चा-परिचर्चा के लिए संघ द्वारा व्याख्यानों, गोलमेज वार्तालाप आदि का आयोजन ःया जाता है, जिसे विशेषकर दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवबर माह में राष्ट्रीय तकालय सप्ताह के दौरान आईएलए अन्य संघों, पुस्तकालयों आदि से मिलकर कार्यक्रम आयोजित करता है।

• **प्रकाशन** (Publication)–संघ द्वारा त्रैमासिक रूप में आईएलए बुलेटिन शीर्षक के नाम से पत्रिका ा प्रकाशन किया जाता है। यह संघ का आधिकारिक (Official) मुखपत्र है तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान त्र से संबंधित व्यवसायियों द्वारा लिखित विद्वत लेखों के प्रकाशन का प्रमुख माध्यम है। सर्वोत्कृष्ट लेख के लिए सके रचियता को पी.वी. वर्गीज पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। संघ द्वारा सदस्यों की अद्यतन (up-to-ate) रुचि से संबंधित विषयों पर सूचना प्रसारित करने के लिए प्रत्येक माह एक आईएलए न्यूजलेटर का प्रकाशन ःया जाता है। सन् 1978 से संघ द्वारा नियमित रूप से अखिल भारतीय सम्मेलन के कार्यवाही का प्रकाशन भी ःया जा रहा है, जिसमें संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए लेखों को भी प्रकाशित किया जाता है। सन् 1955 में संघ रा पुस्तकालयों के लिए 'नालंदा' के नाम से एक डेटाबेस का निर्माण किया गया है। इस डेटाबेस में लगभग ,000 पुस्तकालयों को शामिल किया गया जिनमें से 5336 शैक्षिक पुस्तकालय, 1470 सार्वजनिक पुस्तकालय था 3280 विशिष्ट पुस्तकालय हैं।

• **सतत् शिक्षा** (Sustainable Education)–*संघ द्वारा कार्यरत व्यावसायिककार्मिकों के लाभ हेतु* ल में सतत् शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। पिछले दशक में पुस्तकालय एवं सूचना प्रक्रिया में कंप्यूटर अनुप्रयोग के ऊपर विभिन्न शहरों में कार्यशालाओं का आयोजन शृंखलाबद्ध रूप में किया जा चुका है। साथ , भविष्य में इस तरह के और भी कार्यक्रमों के लिए योजना बनाई जा रही है।

• **परामर्शी सेवा** (Consultancy Service)–आईएलए द्वारा पुस्तकालय के विभिन्न तकनीकी एवं न्य मामलों में परामर्शी सेवा भी दी जाती है। इसी क्रम में संघ द्वारा लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक कादमी, देहरादून के एक विशिष्ट संग्रह के 35,000 खंडों के तकनीकी प्रक्रियाकरण की परियोजना को पूरा या गया। इस प्रकार की एक अन्य परियोजना नवंबर, 1987 में इंदिरा गाँधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में भी लाई गई।

• **व्यावसायिक प्रयास** (Occupational Effect)–राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम को रित कराने के लिए भी आईएलए द्वारा प्रयास किया जाता है ताकि स्वस्थ सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति का कास किया जा सके। यह संघ पुस्तकालय अधिनियम लागू कराने की प्रक्रिया पर कार्रवाई करने के लिए राज्य रकारों को याद दिलाता रहता है। यह राज्य सरकारों, यूजीसी तथा अन्य संबंधित निकायों से पुस्तकालय वसायियों को बेहतर वेतनमान दिलाने और उनकी *सेवा-शर्त तथा सेवा-स्तर में सुधार के लिए भी सक्रिय रूप* प्रयास करता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का एक प्रारूप (Draft) भी तैयार किया गया था तथा न विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा इस विषय पर एक मिति का गठन किया गया।

जकीय निकायों में प्रतिनिधित्व (Representation in Government Bodies)

पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गठित ार्यकारी दल में भी भारतीय पुस्तकालय संघ का भी प्रतिनिधित्व किया था। इस कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन लाई, 1984 में प्रस्तुत किया। चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश भारत सरकार द्वारा शासकीय पुस्तकालयों में ार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए अच्छे वेतनमान देने के संबंध में विचार करने के लिए एक समीक्षा समिति का ठन किया गया जिसमें भी आईएलए का प्रतिनिधित्व था। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी ाउण्डेशन, गुड ओफिसेज कमिटी, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्ड्स, प्रलेखन पर मानक हेतु गठित कार्यकारी मिति-2 प्रलेखन के मानकीकरण पर विभागीय समिति, यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग तथा राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट द्वारा गठित श्व पुस्तक मेला समिति आदि में भी आईएलए का प्रतिनिधित्व है।

ंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ (International Activities)

आईएलए पुस्तकालयों के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। वर्तमान मय में यह कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे–इफ्ला, राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ आदि से जुड़ा हुआ है। इन संस्थाओं े सहयोग से आईएलए ने कई सम्मेलनों का सफल आयोजन किया है। जैसे–

नोट

→ सन् 1985 में इफ़्ला के सहयोग से "डॉ. रंगनाथन के दर्शन" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

→ सन् 1985 में ही इफ़्ला की योजना "यूनिवर्सल एवेलबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन" विषय पर संगोष्ठी आयोजित किया गया।

→ सन् 1985 में ही एक एफआईडी/सीआर (FID/CR) के क्षेत्रीय अध्ययन संगोष्ठी आयोजन किया।

→ सन् 1992 में इफ़्ला का एक आम सम्मेलन दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

• **मूल्यांकन एवं सुझाव** (Evaluation and Suggestion)–यद्यपि आईएलए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक सफलता पायी है लेकिन फिर भी संघ उन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न नहीं कर पाया है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। इसके लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते हैं–

• **वित्तीय स्रोत** (Financial Source)–कोई भी संस्था बिना वित्त के नहीं चल सकती है। संस्था सुचारु रूप से चल सके इसके लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इस संघ के आय के स्रोत हैं–सदस्यता चंदा, उपहार, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों से अनुदान आदि। यह आय पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सभी सदस्यों को सदस्यता चंदा समय पर देने चाहिए एवं यह प्रयास होना चाहिए कि सरकार संघ को अधिक अनुदान दे।

• **संघ का संविधान** (Constitution of the Assocation)–इस संघ के संविधान में संशोधन करके इसे ऐसा नम्य बनाया जाए जिससे सभी प्रकार के पुस्तकालय, पुस्तकालय कर्मचारी तथा पुस्तकालय हितैषी उसके सदस्य बन सके। यदि संघ मजबूत होगा तभी वह अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक पूर्ण कर सकेगा।

• **संघ का पूर्णकालिक सचिव** (Permanent Secratary of ILA)–यू.के. की भाँति भारतीय पुस्तकालय संघ का सचिव भी पूर्णकालिक होना चाहिए तभी वह संघ के कार्यों को भली-भाँति संपन्न करने तथा संघ के निर्णयों को कार्य रूप देने में समर्थ हो सकता है।

• **सदस्यता** (Membership)–पुस्तकालय कर्मचारियों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को आईएलए का सदस्य बनना चाहिए। सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करनी चाहिए कि वे संघ की ईमानदारी, निष्ठा तथा लगन से सेवा करेंगे। सदस्यों को आचार-संहिता का पालन करना चाहिए।

विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों का भारतीय संघ (IASLIC : Indian Association of Special Libraries and Information Centre)

परिचय (Introduction)

आइएसलिक का पूरा नाम 'एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इनफॉर्मेशन सेंटर्स' है। यह विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों का भारतीय संघ है। इसका गठन 3 सितंबर, 1955 को कोलकाता में हुआ। भारत के गणतंत्रात्मक राज्य घोषित होने के बाद देश में अनेक वैज्ञानिक औद्योगिक तथा शोध संस्थानों की स्थापना हुई। इन सब ने अपने-अपने विशिष्ट पुस्तकालय खोले। इन विशिष्ट पुस्तकालयों की गतिविधियाँ अन्य कोटि के पुस्तकालयों से अलग होती है। जैसे–इन पुस्तकालयों में सूचना के एकत्रण तथा पुनर्प्राप्ति के लिए प्रलेखन, सीएएस, एसडीआई आदि नयी तकनीकों का अधिक प्रयोग प्रारंभ किया गया। इन पुस्तकालयों के पाठक तथा उनकी आवश्यकताएँ भी सामान्य पुस्तकालयों के पाठकों से भिन्न होती हैं। अत: यह महसूस किया गया कि ऐसे पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों का एक अलग संघ होना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में 25 जून 1955 को पुस्तकालयाध्यक्षों की एक बैठक डॉ. एस. एल. होरा की अध्यक्षता में बुलायी गई जिसमें यह विचार प्रकट किया गया कि पूरे भारत के स्तर पर एक ऐसे संघ की स्थापना की जाए जो विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों के विकास के लिए समर्पित हो। इसी उपक्रम में 3 सितंबर, 1995 को एक अन्य बैठक बुलायी गई जिसमें आइएसलिक को औपचारिक रूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा पूर्ण उत्साह से इसके विकास के लिए सहज ही सहयोग प्रदान किया गया तथा कुछ समर्पित संस्थापक सदस्यों के प्रयासों द्वारा इस संघ की सुदृढ़ स्थापना की गई। इन 45 वर्षों से अधिक के अंतराल में आइएसलिक द्वारा अपने स्वरूप एवं क्रियाकलाप के क्षेत्रों में व्यापक विस्तार कर लिया गया है तथा यह देश में विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों के विकास के लिए विभिन्न विधियों से सहयोग

दे रहा है। यह एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्यरत है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके पत्राचार का पता है–

आइएसलिक
पी-291 सी आई टी-स्कीम
6 एम, कांकुरगाछी, कोलकाता–700054

नोट

उद्देश्य (Purpose)

आइएसलिक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- ज्ञान के विधिवत् अधिग्रहण, व्यवस्थापन तथा प्रसार को प्रोत्साहन एवं आगे बढ़ाने वाले कार्य को करना;
- पुस्तकालय एवं सूचना सेवा तथा सूचना प्रसार के स्तर में निरंतर सुधार करना;
- विभिन्न विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों की गतिविधियों में समन्वय लाने तथा उनके बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य करना;
- पुस्तकालयों, सूचना निदेशालयों, प्रलेखन केंद्रों आदि के साथ सक्रिय संपर्क रखने के लिए कार्य करना;
- विशिष्ट पुस्तकालयों, सूचना केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता में सुधार लाना तथा उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा करना;
- विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए प्रलेखन तकनीक के केंद्र के रूप में कार्य करना;
- वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना एवं
- आवश्यकता पड़ने पर उन अन्य कार्यों को संपन्न करना जो संघ के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों।

संगठन (Constitution)

संघ के समस्त सदस्यों, व्यक्तिगत एवं संस्थागत को मिलाकर इसकी साधारण सभा (General Meeting) बनती है। यह साधारण सभा 'काउंसिल' का चुनाव द्वारा गठन करती है जिसके 34 सदस्य होते हैं- (14 कार्यालय पदाधिकारी तथा 20 सदस्य)। काउंसिल, संघ के कार्यों की देख-रेख करनेवाली सर्वोच्च सभा है। यह काउंसिल अपनी सहायता के लिए कार्यकारी समिति (Executive Committee) तथा वित्त समिति (Finance Committee) का गठन करती है। इसके अतिरिक्त इस संघ के कार्यों को इसके विभिन्न विभाग देखते हैं, जैसे–प्रलेखन सेवा विभाग, प्रकाशन एवं प्रचार विभाग आदि। हर विभाग में एक सचिव तथा चार सदस्य होते हैं। संघ का सारा कार्य इसके सदस्य अवैतनिक रूप में सायंकाल में करते हैं।

कुशल एवं कारगर सेवाएँ प्रदान करने के लिए संघ को निम्नलिखित विभागों में बाँटा गया है–

- प्रलेखन विभाग
- शिक्षा विभाग
- प्रलेख पुनरुत्पादन तथा अनुवाद विभाग
- प्रकाशन एवं प्रचार विभाग
- पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग
- अंतः पुस्तकालय सहयोग तथा समन्वय विभाग

संघ में विभिन्न विषयों के समूह इस प्रकार बनाये गए हैं–

- औद्योगिक सूचना
- सामाजिक विज्ञान
- कंप्यूटर प्रयोग एवं
- मानविकी समूह।

गतिविधियाँ (Activities)

इस संघ की निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ हैं–

- **प्रकाशन** (Publication)–संघ ने अनेक उच्च कोटि की पुस्तकों तथा पर्चलेटों तथा पत्रिकाओं का

नोट

प्रकाशन किया है; जैसे–स्पेशल लाइब्रेरियनशिप एंड डाक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट जनरल कोड फॉर इंटर लाइब्रेरी लोन, ग्लोसरी ऑफ कैटलॉगिंग टर्म्स इन रीजनल लैंग्वेज आदि। पुस्तकों के अतिरिक्त संघ अपने सम्मेलनों तथा सेमिनारों में प्रस्तुत लेखों का भी समाकलित प्रकाशन करता है।

पुस्तकों तथा कॉन्फ्रेंस प्रकाशनों के अतिरिक्त संघ निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, जो अपने उच्च स्तर के लिए जानी जाती है–

आइएसलिक बुलेटिन (IASLIC Bulletion)–इसका प्रकाशन 1956 से त्रैमासिक के रूप में शुरू हुआ। इसका वार्षिक ग्राहकत्व शुल्क 300 रुपए है। यह इसका अधिकारिक मुख-पत्र है और इसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित विद्वत लेखों को सम्मिलित किया जाता है।

आइएसलिक न्यूजलेटर (IASLIC Newsletter)–इसका प्रकाशन मासिक रूप में किया जाता है। इसमें पुस्तकालय व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों तथा संगठनों की गतिविधियों से संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं। यह निःशुल्क प्रकाशन है और संघ के सदस्यों को निःशुल्क भेजा जाता है।

इल्सा (Indian Library Science Abstracts)–इसमें भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित पत्रिका-लेखों (Periodical Articles) के सार प्रकाशित किए जाते हैं। यह सशुल्क प्रकाशन है तथा इसे प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले सदस्यों को भी इसका चंदा देना पड़ता है।

सन् 1985 में डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरिज इन इंडिया के दूसरे संस्करण का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया गया है। इन प्रकाशनों के अतिरिक्त कुछ मोनोग्राफ, एक मैनुअल, एक संहिता तथा एक पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रकाशन किया गया है। संघ द्वारा नियमित रूप से वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-विवरण तथा सदस्यों की सूची का प्रकाशन भी किया जाता है। आइएसलिक द्वारा वर्ष के सबसे अच्छे पुस्तकालयाध्यक्ष तथा आइएसलिक बुलेटिन में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ लेखों के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है।

सम्मेलन (Conference)–आइएसलिक द्वारा द्विवार्षिक रूप में एक संगोष्ठी तथा प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंतराल पर एक सम्मेलन का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया जाता है। मेजबान संस्था द्वारा नियत किए गये मिलन स्थल पर इनका आयोजन किया जाता है। इसके लिए प्रायः विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विभागों, संस्थाओं, संघों आदि का चुनाव किया जाता है। आइएसलिक द्वारा विशिष्ट अभिरुचि वर्गों (Special Interest Group) का गठन किया गया है। ये औद्योगिक सूचना, समाजविज्ञान सूचना, कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं मानविकी से संबंधित है।

संघ के सदस्य वार्षिक सम्मेलन में समान रुचि से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं। आइएसलिक समय-समय पर तदर्थ संगोष्ठी, व्याख्यान, प्रदर्शनी आदि का भी आयोजन करता है। विभिन्न शहरों में अध्ययन समूह का गठन भी किया गया है। इन अध्ययन समूहों की बैठकें प्रत्येक माह में आयोजित की जाती हैं तथा इनमें तकनीकी मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education and Training)–पूर्व में आइएसलिक द्वारा नियमित रूप से विदेशी भाषाओं एवं पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। वर्तमान समय में यह कंप्यूटर के अनुप्रयोग, अनुक्रमणीकरण, सीडीएस/आईएसआईएस (CDS/ISIS) आदि विषयों पर शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, यह कोलकाता तथा अन्य स्थानों में कार्यरत पुस्तकालय व्यवसायियों के लाभ के लिए लघुकालीन के प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करता है। प्रतिवर्ष तीन से चार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

ग्रंथसूची एवं अनुवाद सेवा (Bibliography and Translation Service–व्यक्तियों और संस्थाओं के लाभार्थ हेतु आइएसलिक द्वारा अनुवाद तथा ग्रंथसूची संकलन सेवा लाभ-निरपेक्ष रूप से चलाई जाती है। आइएसलिक का अपना एक पुस्तकालय भी है जिसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित सामग्री रखी जाती है।

अन्य निकायों के साथ संबंध (Relationship With Other Body)–भारतीय पुस्तकालय संघ तथा अन्य पुस्तकालय संघों के साथ आइएसलिक के अत्यंत मधुर एवं स्वस्थ संबंध हैं। पुस्तकालय संघों के बीच पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए इसने जोकलाई (JOCLAI) का गठन किया है। निस्सात से विभिन्न परियोजनाएँ लेकर यह निस्सात के साथ सहयोग करता है। इंडियन स्टैण्ड्डर्स इन्सटीट्यूशन (Indian Standard Institution) में भी इसका प्रतिनिधित्व है। आईएसआई को अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्ड्डर्स (Bureau of Indian Standard) कहा जाता है।

छात्र क्रियाकलाप

1. आइएसलिक के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

2. इफ़्ला का विस्तरित रूप लिखें।

नोट

अन्य गतिविधियाँ (Other Activities)–संघ द्वारा विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों द्वारा संचालित सेवाओं के मानकों में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। इसी संदर्भ में संघ द्वारा पुस्तकालयाध्यक्षता के लिए आचार-शास्त्र से संबंधित एक संहिता को विकसित करने का प्रयास भी किया गया है। यह संहिता प्राधिकारियों का ध्यान उन बिंदुओं की ओर आकृष्ट करती है जो विकास तथा सुधारात्मक स्थिति के लिए कदम उठाने में सहायक है। यह संघ पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के विकास में रुचि रखता है तथा इस दिशा में प्रभावकारी योजनाएँ बनाकर उपयुक्त कदम उठाने का प्रयास करता रहता है। इसके द्वारा पुस्तकालय सहयोग के लिए अंतरपुस्तकालय आदान-प्रदान हेतु एक संहिता (Inter Library Loan) का एक प्रारूप बनाने का भी प्रयास किया जा चुका है। पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए अच्छे वेतनमान तथा उनके सेवा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आइएसलिक प्रयास करता रहा है।

इफ़्ला
(IFLA : International Federation of Library Association and Institutions)

परिचय (Introduction)–यह विश्वस्तर पर कार्यरत एक गैर-सरकारी संगठन है। पुस्तकालयों, सूचना तथा प्रलेखन के सभी क्षेत्रों एवं क्रियाकलापों में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इन्स्टीट्यूशन्स अर्थात् इफ़्ला की भूमिका बड़ी ही महत्त्वपूर्ण रही है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग में हुई तथा इसका मुख्य कार्यालय दि हेग में स्थित है। इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 1305 है जो विश्व के 132 देशों, संघों एवं संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य विभिन्न पुस्तकालय संघों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित कराना है। प्रथम दो दशकों में यह प्राय: यूरोप तथा अमेरिका के पुस्तकालय व्यवसायियों का मंच बना रहा लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इसे यूनेस्को द्वारा परामर्शक का दर्जा प्रदान कर दिया गया और यह धीरे-धीरे इस दिशा में इसका विकास होने लगा। सन् 1961 में इफ़्ला ने प्रसूचीकरण सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया जिसके कारण इसको बहुत प्रसिद्धि मिली। वर्तमान समय में कुछ प्रमुख परियोजनाओं तथा विभिन्न लघु कार्यक्रमों के द्वारा इफ़्ला विश्वस्तर पर पुस्तकालयों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहा है।

उद्देश्य (Purpose)–इफ़्ला अशासकीय संघों का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय महासंघ एवं संगठन है। इसके सदस्य विशेष रूप से पुस्तकालय संघ, संबंधित संघ तथा पुस्तकालय एवं अन्य सादृश्य संस्थाएँ हैं। एक संस्थागत संघ के रूप में इसका पंजीयन नीदरलैंड में किया गया है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 1305 से अधिक है जो विश्व के 132 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इफ़्ला के मूल्य लक्ष्य/उद्देश्य निम्नांकित हैं -

- पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं के क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, सहयोग, विचार-विमर्श तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना;
- कर्मियों की सतत् शिक्षा को प्रोत्साहित करना;
- अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एवं अभिरुचि से संबंधित विषयों में पुस्तकालयी कला एवं विज्ञान के प्रतिनिधित्व के लिए एक संगठन/निकाय/मंच प्रदान करना;
- अनेक प्रकार के पुस्तकालय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित एवं विकसित करना तथा उनकी मार्गदर्शिका तैयार करना, सांख्यिकीय विवरण संकलित करना, वाङ्मयात्मक आधार सामग्रियों को अभिलेखबद्ध करना और संप्रेषित करना आदि।

इफ़्ला इन क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे सदस्य-संघों को दिशा एवं आयाम प्राप्त हो सके। इन उद्देश्यों का तात्पर्य-सार्वभौमिकता एवं व्यापकता स्थापित करना है।

संरचना (Structure)–इफ़्ला की संरचना इसके विभिन्न अंगों से हुई है। इसे इस प्रकार दर्शाया गया है–

इफ़्ला की संरचना (Structure of IFLA)

- **कौंसिल** (Council)–सामान्य सदस्यों की बैठक का नाम समिति अर्थात् कौंसिल है। वर्तमान में इफ़्ला की सदस्य संख्या 130 से अधिक है, जिसमें 135 देशों के पुस्तकालय संघ, विभाग आदि सम्मिलित हैं। यह इफ़्ला

नोट

का सर्वोच्च अंग है तथा नीति निर्धारण करता है। इफ्ला की कार्यकारी परिषद् को कौंसिल ही मनोनीत करती है तथा विभिन्न पदों के लिए कौंसिल में ही चुनाव होते हैं। सदस्यों को विभिन्न अनुभागों में अपना नाम पंजीकृत कराने का अधिकार है। पंजीकृत होने के बाद वे स्टैंडिंग समितियों के लिए निर्वाचन/मनोनयन कर सकते हैं।

• **कार्यकारी परिषद्** (Executive Board)–कार्यकारी परिषद् का मनोनयन कौंसिल ही करती है। इसके सदस्य हैं–प्रधान (President), विभिन्न व्यावसायिक परिषद् (Professional Board) के अध्यक्ष (Chairman) तथा 7 सदस्य जिनका चुनाव होता है। इसका कार्य सामान्य व्यवस्था है। फेडरेशन का प्रशासन तथा व्यवस्थापन पर इसका पूरा अधिकार है।

• **व्यावसायिक परिषद्** (Professional Board)–ये संख्या में 49 हैं। इफ्ला के आठों विभागों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। ये आगत (Incoming) सदस्य अपने विगत (Outgoing) व्यावसायिक परिषद् के सदस्यों में से किसी एक को अपने अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। इस परिषद् का कार्य संघ के व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन तथा तालमेल बैठाना है।

• **विभाग** (Division)–ये संख्या में 8 हैं। इनका कार्य विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को बढ़ावा देना तथा तालमेल बनाए रखना है। इनका गठन सारे (32) अनुभागों के अनुभाग अधिकारियों (Section Officers) को मिलाकर होता है।

• **अनुभाग** (Section)–ये संख्या में 32 हैं। विभिन्न विषयों के ऊपर अनुभाग होते हैं, जैसे–सरकारी पुस्तकालय अनुभाग, संसदीय पुस्तकालय प्रभाग आदि। स्टैंडिंग समितियों के 400 विशेषज्ञ इनके सदस्य होते हैं। इन विभागों का कार्य अपने-अपने विषय या क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम बनाना है।

• **सदस्यता** (Membership)–इफ्ला की सदस्यता दो प्रकार की होती है–सदस्य एवं संबद्ध। इन दोनों की भी दो-दो श्रेणियाँ हैं जिसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है–

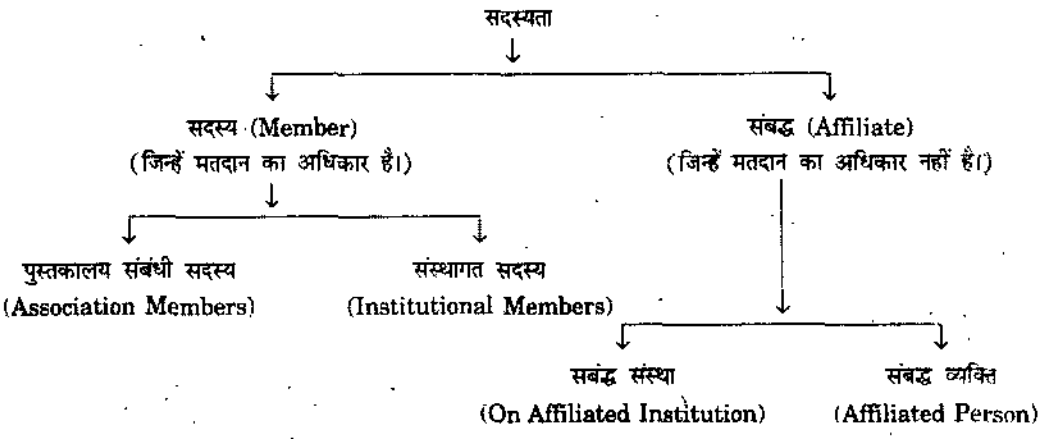

इफ्ला के प्रमुख कार्यक्रम (Important Programme of IFLA)

इफ्ला ने कुछ कोर कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। ये निम्नलिखित हैं–

→ **यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क** (UBCIM)–इसका उद्देश्य इस प्रकार है–

- राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथात्मक सूचना के नियंत्रण (Bibliographic Control) से संबंधित प्रणालियों तथा मानकों का विकास कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथात्मक डेटा के हस्तांतरण को सुनिश्चित करना।
- यूनिमार्क रूप (Unimarc Form) को बढ़ावा देना तथा विशेषज्ञों की सहायता से इसमें सुधार की आवश्यकता को देखते रहना तथा उसका तालमेल करना;
- इस विषय से संबंधित प्रतिवेदनों आदि का प्रकाशन।

यूनिवर्सल एवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस (UAP)

इसका उद्देश्य इस प्रकार है–

- *प्रकाशित सामग्री–चाहे वह किसी भी रूप में प्रकाशित हो, को उसके संभावित उपभोक्ता चाहे वह जहाँ* भी हों, को उपलब्ध कराकर प्रकाशनों की विश्वस्तर पर उपलब्धि के लिए प्रयास करना;

नोट

- इस दिशा में सीमाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने तथा संभावनाओं का पता लगाकर उन्हें विकसित करने का प्रयास करना।
- **परिरक्षण एवं संरक्षण** (PAC)–इसका उद्देश्य इस प्रकार है–
- प्रकाशित या अप्रकाशित पुस्तकालय सामग्री चाहे वे किसी रूप में हों, को यथासंभव लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए प्रयास करना;
- पुस्तकालय सामग्री के भौतिक स्वरूप को नुकसान पहुँचानेवाली समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान ढूँढने का प्रयास करना;
- पुस्तकालय सामग्री के उत्पादन, परिरक्षण तथा उपचार से संबंधित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास।
- **यूनिवर्सल डेटाफ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन** (UDT)–इसका उद्देश्य इस प्रकार है–
- विभिन्न पुस्तकालयों तथा उपयोक्ताओं के बीच डेटा का विद्युतीय हस्तांतरण;
- दूरसंचार के अवरोधों को कम करने की दिशा में प्रयास;
- विद्युतीय डेटा संचार में अनुकूलन के लिए विशेष पुस्तकालय प्रयुक्तियों के लिए मानकों का विकास;
- अन्य कोर कार्यक्रमों की अपने संचार माध्यम के द्वारा सहायता करना;
- **एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन दि थर्ड वर्ल्ड** (ALP)–इसका उद्देश्य इस प्रकार है–
- विकासशील देशों में पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं को विकसित करना तथा इसके लिए छात्रवृत्तियाँ, अनुदान, फेलोशिप आदि देना। यह केवल विकासशील देशों के पुस्तकालय तथा सूचना वैज्ञानिकों, पुस्तकालय-संस्थाओं आदि को उपलब्ध है।

गुस्टव हॉफमैन स्टडी ग्रांट (Gustav Hoffman Study Grant)

सन् 1992 से 1996 की अवधि तक यह अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। यह अनुदान उस देश के नवयुवक पुस्तकालयाध्यक्षों को पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में किसी विशेष विषय के ऊपर किसी पाश्चात्य देश मे अध्ययन के लिए उपलब्ध है।

तीसरी दुनिया के उन पुस्तकालयाध्यक्षों, जो इफ्ला के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबद्ध हैं को यह अनुदान तीसरी दुनिया में चल रही परियोजनाओं के लिए मिल सकती है। इफ्ला का पता है–

IFLA Headquarters
POB 05312, 2509 CH
The Hague Netherlands.

इफ्ला में भारत की भागेदारी (Participation of India in IFLA)

जहाँ तक इफ्ला में भारत की भागीदारी का प्रश्न है, इसने विलंब से ही अब इफ्ला के कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। आई एल ए तथा देश के अन्य कुछ दूसरे व्यावसायिक संघ तथा संस्थान भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। इफ्ला के कार्यकारी मंडल में भारत का भी प्रतिनिधित्व है। यू ए पी (UAP) पर इफ्ला के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन सन् 1985 में नई दिल्ली में आइ एल ए द्वारा किया गया था। यहाँ एक तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि सन् 1992 में इफ्ला का जेनरल कान्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था जिसकी मेजबानी आइ एल ए ने की थी।

इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन (FID : International Federation for Information and Documentation)

परिचय (Introduction)

एफ आइ डी की स्थापना दो बेल्जियम पुस्तकालय वैज्ञानिकों हेनरी लॉ फाण्टेन तथा पॉल ऑट्लेट ने 1895 में बेल्जियम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के रूप में की थी। इसके नाम में 'इन्फार्मेशन' शब्द 1986 में जोड़ा गया परंतु इसका संक्षिप्त रूप एफ आइ डी प्रचलित रहा। इसकी स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य था,

डेवीडेसिमल क्लैसिफिकेशन के आधार पर यूनिवर्सल डेसिमल क्लैसिफिकेशन (UDC : Universal Decimal classification) का निर्माण तथा रख-रखाव, ताकि पुस्तकालय प्रविष्टियों के सार्वभौमिक ग्रंथसूची का भंडार बनाया जा सके।

नोट

उद्देश्य (Purpose)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं सहयोग के माध्यम से सभी विषय क्षेत्रों में प्रलेखन/सूचना सेवा तथा सूचना विज्ञान में अनुसधानों, गहन अध्ययनों तथा संगठनों एवं व्यवस्थाओं, पद्धतियों एवं विधियों को प्रोत्साहित एवं विकसित करना एफ आई डी का प्रमुख वर्तमान लक्ष्य रहा है। परिणामत: विज्ञानों, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी एवं पुरालेख (Archives) के क्षेत्र में इसके द्वारा विशेष योगदान प्रलेखन सेवा को उन्नत बनाने हेतु किया किया जा रहा है।

एफ आई डी वस्तुत: एक अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संघ है जो सूचना विज्ञान तथा प्रलेखन क्षेत्र के समुदाय से संबद्ध एवं संगठित है। वरीयता के आधार पर इसके द्वारा आयोजित एवं सुनियोजित क्रिया-कलाप के अल्पकालीन कार्यक्रम निम्नांकित हैं–

- सूचना विज्ञान/प्रलेखन के सैद्धांतिक एवं भाषा वैज्ञानिक पक्षों का गहन अध्ययन एवं अनुसंधान तथा विधियों एवं प्रविधियों का निर्माण तथा विकास;
- सूचना विज्ञान की प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाबद्धकरण के कार्यक्रमों का आयोजन तथा उनका विकास तथा अनुप्रयोग;
- सूचना विशेषज्ञों तथा सूचना के उपयोगकर्ताओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का आयोजन तथा सहायता करना;
- सूचना पद्धति, प्रविधियों एवं नेटवर्क की स्थापना; प्रारूप एवं प्रबंध के आयामों एवं कार्यक्रमों का आयोजन;
- उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकता तथा प्रवृत्तियों (Needs and Habits) का अध्ययन-अन्वेषण तथा उपयुक्त विधियों का प्रतिपादन करना आदि।

इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य इस प्रकार है–

- UDC का विकास एवं विस्तार करना;
- प्रलेखन से संबंधित संगठनों, केंद्रों एवं व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करना;
- प्रलेखन सेवाओं का विकास एवं विस्तार;
- विश्व साहित्य का संयुक्त सूचीकरण;
- प्रलेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बढ़ाना एवं समय-समय पर प्रशिक्षणों का आयोजन करना;
- वाङ्मय सूची प्रबंध एवं प्रलेखन सेवा, विकास पर सम्मेलनों, गोष्ठियों आदि का आयोजन करना तथा
- विकासशील राष्ट्रों में सूचना के आदान-प्रदान सेवाओं, नेटवर्क एवं प्रलेखन सेवाओं के विस्तार के लिए सहायता देना।

संगठन (Organisation)–इसका संगठन इस प्रकार है–

साधारण सभा (General Assembly)–इस सभा का निर्माण सभी सदस्यों द्वारा होता है। यह संगठन की कार्यनीतियों, कार्यक्रमों एवं चुनाव आदि कराती हैं।

ब्यूरो परिषद् (Executive Assembly)–इसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, क्षेत्रीय आयोगों के अध्यक्ष आदि होते हैं।

सदस्यता (Membership)

दो प्रकार की होती है–

- पूर्णकालिक सदस्य-इसमें शब्दों के प्रलेखन केंद्रों के प्रतिनिधि होते हैं।
- चयनीत सदस्य-जो FID के उद्देश्यों के ज्यादा नजदीक एवं उनमें विश्वास रखने वाले हो।

नोट

• सचिवालय–इसका एक सचिवालय भी है जो हेग (Hegue) में स्थित है। जहाँ से सारे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन होता है।

गतिविधियाँ (Activities)

अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एफ आइ डी (FID) ने अनेक क्षेत्रीय आयोगों एवं समितियों का संगठन किया है जिसमें निम्नांकित प्रमुख हैं–

• **FID/CCC Central Classification Committee**–यू.डी.सी. के संशोधन तथा परिवर्धन हेतु 30 यू.डी.सी. संशोधन समितियाँ गठित की गई हैं जो इसके विकास हेतु अनेक प्रयास करती है।

• **FID/CR Classification Research**–वर्गीकरण एवं अनुक्रमणिकाकरण के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रोत्साहित एवं प्रायोजित करने में इस समिति की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

• **FID/DT Terminology of Information and Documentation**–सूचना एवं प्रलेखन के क्षेत्र की प्रौद्योगिकी की परिभाषिक पदावलियों, विधियों, सिद्धांतों, वस्तु स्थिति एवं समस्याओं का अनुसंधान तथा इनके विकास को प्रोत्साहित एवं आयोजित करने में इस समिति का योगदान महत्त्वपूर्ण है।

• **FID/ET Education and Training**–सूचना विज्ञान एवं प्रलेखन के प्रशिक्षण की समस्याओं एवं विधियों की वस्तु-स्थिति का अध्ययन तथा उनका निराकरण करने के क्षेत्र में इस समिति का योगदान प्रमुख होता है।

• **FID/IM Information**–सूचना विज्ञान में गणित के अनुप्रयोग की विधियों तथा साधनों के मूल्यांकन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना करना।

• **FID/LD Linguistics in Documentation**–भाषा विज्ञान की दृष्टि से सूचना विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन एवं अनुसंधान संचालित कर उनका हल निकालना इस समिति का दायित्व है।

• **FID/PD Patent Information and Documentation**–पेटेंट की प्रेलखन सेवा को त्वरित एवं सूचनाप्रद बनाने हेतु इनका अधिकाधिक उपयोग किए जाने के क्षेत्र में इस समिति को आवश्यक प्रयास करने का दायित्व दिया गया है।

• **FID/RI Research on Theoretical Basis of Information Science**–अन्य वैज्ञानिक विषयों के परिप्रेक्ष्य एवं संदर्भ में सूचना विज्ञान के सैद्धांतिक पक्षों एवं आधारों के क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से सिद्धांतों का विकास एवं प्रतिपादन करना तथा ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना इस समिति का दायित्व है।

• **FID/SD Social Science Documentation**–सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अधिकाधिक सूचना आवश्यकता की पूर्ति तथा प्रलेखन सेवाओं के आयोजन हेतु क्रियाकलापों का आयोजन तथा सेवाओं को उन्नत बनाने का दायित्व इस समिति का है।

प्रलेखन के प्रशिक्षण के कार्यक्रम (Training Activities in Documentation)

प्रलेखन प्रशिक्षण की दृष्टि से अपेक्षाकृत किसी प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए एफ आइ डी इससे संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था करता है। एफ आइ डी सचिवालय ने एक पाठ्यक्रम "Syllabus for a Documentation Course" की व्याख्या के अंतर्गत प्रकाशित किया है। फ्रेंच के पाठ्यक्रम का अंग्रेजी रूपान्तर 1972 में प्रकाशित किया गया है।

उद्योगों की सूचना सेवा और आवश्यकता (Information Service and Need of Industries)

1967 से "Technical Journal for Industry" का प्रकाशन कमेटी ऑन इनफॉरमेशन फॉर इंडस्ट्री (FID/99) के तत्त्वाधान में किया जा रहा था जिसे अब समाप्त कर दिया गया। इस समिति द्वारा प्रबंधकों तथा सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु मार्गदर्शिकाएँ तैयार की जाती हैं जिसे अब भी चालू रखा गया है। सूचना के आर्थिक महत्त्व का मूल्यांकन भी यह समिति करती है।

इस समिति द्वारा प्रस्तुत एवं 1971 में प्रकाशित "Selected Readings on Information for Industry" अधिक सूचनाप्रद है और "National Referral Service for Industry" जिसका चौथा संस्करण प्रकाशित किया गया है, अत्यधिक सूचनाप्रद है।

छात्र क्रियाकलाप

1. FID का पूर्ण रूप लिखें।

2. इफ़्ला के प्रमुख कार्यक्रम का संक्षेप में वर्णन करें।

नोट

इस समिति की बैठक मई-जून, 1982 में हेल्सिंकी में संपन्न हुई जिसमें स्पेन की राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया गया। उद्योगों के लिए निम्नांकित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया–

→ उद्योगों के लिए राष्ट्रीय रेफरल सेवा क्षेत्रीय निर्देशिकाएँ (National Referral Services for Industry-Regional Directories)

→ उन्नयन हेतु सूचना (Information for Innovation)

→ सूचना संसाधनों का प्रबंध (Information Resources Management)

→ सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण (Training for Information Officers)

प्रलेखन एवं सूचना के क्षेत्र में अनुसंधान के क्रियाकलाप

सूचना विज्ञान के सैद्धांतिक पक्षों की वस्तुत-स्थिति, प्रलेखीय सूचना की तीव्रगतिशील वृद्धि (World Flow of Documentary Information) का मूल्यांकन विज्ञान एवं प्राविधिक सूचना के विकास की वास्तविक घोषणा आदि पर अनेक परियोजनाओं का संचालन तथा प्रोत्साहन अनुसंधान समिति (Committee on Research on the Theoretical Basis of Information (FID/RI) द्वारा किया जाता है। अत: इस क्षेत्र में इस समिति ने आवश्यक प्रयास किया है।

मशीनीकरण (Mechanisation)

मशीनीकरण समिति (Committee FID/TMO) के कार्यक्रमों के अंतर्गत पुस्तात्मक आधार सामग्री के विनिमय मानकों का निर्माण एवं निर्धारण, टेलीकम्युनीकेशन की सुविधाओं, मशीनीकृत सूचना प्रणालियों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अनुप्रयोग आदि सम्मिलित किए गए हैं जिनके अनुप्रयोग, उपयोग तथा विकास के कार्यक्रमों को इस समिति द्वारा प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

एफआईडी के प्रमुख एवं उपयोगी प्रकाशन (Useful and Prominent Publications of FID)

एफ आइ डी द्वार उपयोगी निर्देशिका तथा अनेक मोनोग्राफों का प्रकाशन किया गया है, जो निम्नांकित हैं–

- FID Directory 1981-82
- International Form on Information and Documentation (Quarterly)
- R and D Projects in Documentation and Librarianship (Bimonthly)
- FID News Bulletin
- Current Issues and Trends in Education and Training for Information work in Developing and Developed Countries, 1981.
- Guide to Agricultural Information Sources in Asia and Oceania/by GRT Levick, 1980.
- Criteria of the Quality of Information System and Process, 1981.

इस प्रकार एफ आइ डी उक्त समितियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रलेखन सेवाओं की प्रगति एवं सक्रिय आयोजनों में अपनी भूमिका अदा कर रही है। प्रलेखन एवं सूचना सेवाओं का स्वयं आयोजन करने की अपेक्षा एफ आइ डी इनके आयोजन एवं क्रियाकलापों का प्रोत्साहन एवं समन्वय का कार्य कर रहा है।

सारांश (Summary)

इस इकाई में पुस्तकालय संघों- आईएलए, आइएसलिक, इफ्ला एवं एफआईडी के विभिन्न क्रियाकलापों, उद्देश्यों, विशेषताओं एवं इनके संगठनों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। इन संघों के बारे में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सर्वांगीण विकास में इन आइ एल ए, आइएसलिक, इफ्ला एवं एफआईडी ने निर्णायक होने के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पुस्तकालय संघ को पुस्तकालय आंदोलन की अगर रीढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यावसायिक योजना, दूरदर्शिता, सूझबूझ तथा क्रियाशीलता के लिए शुरुआत करने वाला पुस्तकालय संघ पुस्तकालय को एवं पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रगति की जितनी ऊँचाई तक ले जा सकता है उतनी ऊँचाई तक ले जाना शायद किसी और के

द्वारा कठिन है। व्यावसायिक संघ पुस्तकालय के उद्देश्य तथा दृष्टिकोण का प्रतिपादन या दिशानिर्देश जितनी स्पष्टता तथा कुशलता के साथ कर सकता है उतनी पुस्तकालय प्रबंधकों द्वारा कठिन है। पुस्तकालय की अभिवृद्धि के लिए वांछित प्रस्ताव देना, पुस्तकालय अधिनियम का समुचित प्रारूप तैयार करना, समाज के सदस्यों में पुस्तकालय के प्रति चेतना तथा लगाव उत्पन्न करना तथा अस्वस्थ पुस्तकालयों के उपचार के प्रति सरकार तथा प्रबंधकों को उनके उत्तरदायित्व का एहसास कराना और इसके साथ ही साथ समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तकालय सेवा के स्वरूप में परिवर्तन या संशोधन करना पुस्तकालय संघों के उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों का सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए आईएलए, आइएसलिक, एफआईडी एवं इफ़्ला जैसे संघ सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्य शब्द (Key Words)

- **आधिकारिक मुखपत्र** (Official Organ)–किसी समूह-विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई पत्र, पत्रिका, समाचार-पत्र या अन्य प्रकाशन।
- **अनवरत शिक्षा** (Continuing Education)–अपने ज्ञान तथा अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए कार्य में संलग्न व्यवसायियों के लाभार्थ अनौपचारिक शिक्षा।
- **अनौपचारिक शिक्षा** (Non-formal Education)–शिक्षा की ऐसी प्रणाली जिस छात्रों को स्वयं-अध्ययन एवं स्वयं-निर्देशन के माध्यम से ज्ञानार्जन करना पड़ता है।
- **कार्यक्रम** (Programme)–एक समन्वित कार्य-समूह जिसे संपादित या निष्पादित करना हो।
- **पुस्तकालय आंदोलन** (Library Movement)–ज्ञान एवं सूचना के सार्वजनिक अभिगम को सुलभ बनाने के लिए पुस्तकालयों का उत्तरोत्तर विकास।
- **प्रलेखन** (Documentation)–विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रतिवेदनों, अर्ध-प्रकाशित सामग्री, सांख्यिकी आदि से संबंधित सूचनाओं के अधिग्रहण, व्यवस्थापन तथा संप्रेषण एवं संचार से संबंधित अध्ययन।
- **मानक** (Standard)–आदर्श, पथ-प्रदर्शक, या पथ-प्रदर्शन के लिए प्रतिमान।
- **व्यवसाय** (Profession)–किसी ऐसी आजीविका में संलग्न व्यक्तियों का निकाय (Body) जिसमें भाग लेने के लिए कला या विज्ञान की किसी शाखा में गहन शिक्षा की आवश्यकता हो।
- **सार्वभौम ग्रंथसूची** (Universal Bibliography)–एक ऐसी ग्रंथसूची जिसमें पूरे विश्व के सभी देशों, सभी भाषाओं तथा सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जाए।
- **संसाधनों की सहभागिता** (Resource Sharing)–किसी प्रणाली के संसाधनों, सुविधाओं एवं सेवाओं के उपयोग को औपचारिक या अनौपचारिक अनुबंध के आधार पर सहभागिता के माध्यम से अधिकाधिक बढ़ाना और उपादेय बनाना।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. पुस्तकालय सेवा को बेहतर बनाने के लिए भारतीय पुस्तकालय संघ की भूमिका पर प्रकाश डालें।
   Throw light on the role of Indian library association for the betterment of library services.
2. भारत के महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय संघों का नाम बताइये तथा आइएसलिक के विषय में विस्तृत विवरण दें।
   Name the important library association of India and explain in detail about IASLIC.
3. इफ़्ला की गतिविधियों पर एक निबंध लिखिए।
   Write an essay on activities of IFLA.
4. इफ़्ला की संरचना एवं प्रमुख कार्यक्रमों को लिखिए।
   Write the structure and programme of IFLA.
5. एफआईडी के कार्यक्रम के कौन-से क्षेत्र हैं? विवेचना कीजिए।
   What are the programme areas of FID? Discuss.

6. निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे;
   (*a*) इफ़्ला के उद्देश्य एवं संगठन
   (*b*) आइएसलिक के उद्देश्य एवं संगठन
   (*c*) इफ़्ला के उद्देश्य
   (*d*) एफआईडी के उद्देश्य एवं संगठन

   Write notes on any two;
   (*a*) Purpose and Organisation of IFLA
   (*b*) Purpose and Organisation of IASLIC
   (*c*) Purpose of IFLA
   (*d*) Purpose and Organisation of FID.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- शर्मा, प्रहलाद : पुस्तकालय और समाज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002
- शर्मा, पांडेय एस. के. : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- माँगेराम एवं अन्य : पुस्तकालय और आधुनिक समाज, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
- Stern, J : An Encyclopeadia of Library and Information Sciences, Marcel Decker, New York, 1986
- Prytherch, Ray : Harrod's Librarian's Glossary and Reference Book, 6th ed, Gower Publication Corporation, USA, 1987
- Steyenson Grace, T : An Encyclopeadia of Library and Information Science, Marcel Decker, American Library Association, New York, 1968.

प्रथम पत्र
(First Paper)

पुस्तकालय तथा समाज
(Library and Society)

खंड 'स' (Section 'C')

पुस्तकालय अधिनियम
Library Legislation

इकाई-1	पुस्तकालय अधिनियम की अवधारणा एवं आवश्यकता
Unit-1	Concept and Need of Library Legislation
इकाई-2	मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट
Unit-2	Model Public Library Act
इकाई-3	बिहार में पुस्तकालय अधिनियम
Unit-3	Library Legislation in Bihar

नोट

इकाई-1
(Unit-1)

पुस्तकालय अधिनियम की अवधारणा एवं आवश्यकता (Concept and Need of Library Legislation)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- पुस्तकालय अधिनियम के अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definition of Library Legislation)
- पुस्तकालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Important Features of Library Legislation)
- पुस्तकालय अधिनियम के तत्व (Factors of Library Legislation)
- भारत में पुस्तकालय अधिनियम (Library Legislation in India)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

परिचय (Introduction)

शिक्षा देश की शक्ति और पुस्तकालय उसका शक्ति स्रोत होता है। पुस्तकालय ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो सकता है। किसी देश की उन्नति का मापदंड उस देश में विद्यमान पुस्तकालयों की संख्या और उनका उपयोग होता है। शिक्षा का प्रसार शिक्षण संस्थाओं में अनुष्ठित पुस्तकालयों के माध्यम से ही हो सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय देश की शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नैतिक उन्नति को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय को लोक विश्वविद्यालय कहा गया है।

देश में सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए और देश में पुस्तकालयों का जाल बिछाने के लिए पुस्तकालय अधिनियमों की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। पुस्तकालय अधिनियम का इतिहास 19वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होता है। विश्व का सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1850 ई. में इंग्लैंड में पारित एवं लागू हुआ। तत्पश्चात् अन्य देशों को भी इसकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी और वे पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप बनाने तथा लागू कराने की दिशा में प्रयत्नशील हुए। अब तक विश्व के 108 देशों एवं राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू किए जा चुके हैं। भारत में पुस्तकालय अधिनियम की दिशा में कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् डॉ. एस. आर. रंगनाथन के सक्रिय योगदान से प्रारंभ हुआ।

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई में पुस्तकालय अधिनियम के विभिन्न पक्षों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया मसलन इसकी आवश्यकता, अर्थ, इसके कारक, विशेषताओं आदि क्योंकि किसी भी राष्ट्र में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं नियोजित विकास के लिए सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम की ही आवश्यकता पड़ती है।

पुस्तकालय अधिनियम के अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Library Legislation)

नोट

अर्थ (Meaning)

पुस्तकालय अधिनियम एक ऐसा कानून होता है जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विकास एवं नियमित संचालन हेतु पारित किया जाता है तथा पुस्तकालयों के विकास के लिए अनुदानों (Grants) एवं प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जाती है।

वर्तमान समय में सभी राष्ट्रों के द्वारा पुस्तकालयों के सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसी संदर्भ में भारत के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रणेता डॉ. एस. आर. रंगनाथन ने जोर देकर कहा है कि "पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना एवं प्रबंध कानूनी आधार" पर होने चाहिए।

परिभाषाएँ (Definitions)

पुस्तकालय अधिनियम की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है–

- **डॉ. एस. आर. रंगनाथन के अनुसार**–यदि राज्य कल्याण के लिए पुस्तकालय सेवाएँ स्थापित करनी हैं तो सेवाएँ वैधानिक अधिनियम द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए।
- **एस. दास गुप्ता के अनुसार**–"पुस्तकालय अधिनियम एक ऐसे उपयुक्त तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से पुस्तकालयों के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा अनिवार्य रूप से अनुदान राशि का निर्धारण कर दिया जाता है।

पुस्तकालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Important Features of Library Legislation)

जहाँ तक पुस्तकालय अधिनियम की विशेषताओं का प्रश्न है तो इसकी विशेषताओं पर Unesco Regional Seminar on Library Development in South Asia, Delhi (Oct 3-14) में मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार अनुशंसित की गई हैं–

- अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विषय में सरकार का उत्तरदायित्व स्पष्ट शब्दों में वर्णित होना चाहिए।
- विधि निर्माण में राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरों पर पुस्तकालय प्राधिकरण का संविधान तथा कार्यों का वर्णन होना चाहिए।
- विधि निर्माण में पुस्तकालय वित्त का सुनिश्चित आधार होना चाहिए। जैसे–एक विशेष पुस्तकालय उपकर, दूसरा–शैक्षणिक बजट के कुछ प्रतिशत का आरक्षण।
- अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र के ढाँचे की रूपरेखा का विवरण होना चाहिए एवं
- अधिनियम में प्रावधान होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यों में प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो।

डॉ. एस. आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएँ बतायी हैं–

उत्तम व्यवस्था

अधिनियम में राज्य पुस्तकालय समिति, स्थानीय पुस्तकालय समिति आदि के गठन का प्रावधान होना चाहिए। इनके कार्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का पूर्ण विवरण होना चाहिए।

वित्त (Finance)

अधिनियम में स्थानीय तथा राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को पुस्तकालय उपकर की दर में वृद्धि का अधिकार और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान में वृद्धि करने का प्रावधान होना चाहिए।

प्रशासन (Administration)

अधिनियम में अग्रलिखित प्रशासनिक प्रावधान होने चाहिए–

→ पुस्तकालय विज्ञान का गठन एवं पृथक् राज्य पुस्तकालय सेवा।

→ राज्य पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय सेवा के प्रधान हों।

→ पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यता, कार्य तथा अधिकारों का पूर्ण विवरण होना चाहिए।

→ पुस्तकालय के सभी विभागों के लिए अलग कर्मचारी होने चाहिए।

नोट

दायित्व (Responsibility)

पुस्तक चयन में सामंजस्य, अंत: पुस्तकालय सहयोग, पठन सामग्री का आदान-प्रदान, कंप्यूटर सेवा का उपयोग आदि का प्रावधान होना चाहिए।

कुशल एवं कारगर पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि देश में केंद्रीय पुस्तकालय अधिनियम तथा राज्यों में अलग-अलग पुस्तकालय अधिनियम होने चाहिए। इन अधिनियमों द्वारा पुस्तकालयों को राजकीय शिक्षण संस्थान घोषित किया जाना चाहिए और इनकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।

पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता (Needs of Library Legislation)

पुस्तकालय की स्थापना, संचालन एवं विकास के लिए राज्य के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उसे पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र अर्थात् 'प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पाठ्य-सामग्री मिले' इस सूत्र को तभी ही संतुष्ट किया जा सकता है जबकि राज्य पुस्तकालय अधिनियम पारित कर सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति को विकसित करे। सारे राज्य में पुस्तकालय का जाल बिछाया जा सके।

पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता निम्नलिखित दृष्टिकोणों से है–

पुस्तकालय अधिनियम सरकार को पुस्तकालय के विकास के लिए बाध्य करता है–जब तक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं होता तब तक राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास राज्य सरकार की उदारता पर निर्भर रहता है। कानूनी बाध्यता नहीं रहने के कारण पुस्तकालयों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितनी सरकार से अपेक्षा की जाती है। इस स्थिति को हाल तक बिहार में देखा जा सकता था यद्यपि अब यहाँ पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। किसी राज्य में एक बार पुस्तकालय अधिनियम पारित हो जाने से चाहे कोई भी सरकार आए उसका पालन करना पड़ता है। एक बार अधिनियम पारित हो जाने के बाद उसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन शायद ही कोई अधिनियम रद्द किया जाता है। पुस्तकालय अधिनियम पारित हो जाने के बाद राज्य सरकार पुस्तकालयों को समुचित अनुदान तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करती है। इस प्रकार सरकार पुस्तकालय अधिनियम पारित हो जाने के बाद अपने दायित्वों के प्रति सजग हो जाती है एवं इसके विकास के लिए तत्पर रहती है।

मानक पुस्तकालय सेवा (Standard Library Services)

मानक पुस्तकालय केवल पुस्तकालय तंत्र द्वारा ही अपेक्षित है। पुस्तकालय के कार्यों एवं सेवाओं में एकरूपता तथा उचित स्तर बनाए रखने के लिए पुस्तकालय अधिनियम अनिवार्य है। सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थानीय, जिला, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर किन-किन कार्यों तथा सेवाओं को संपन्न करना है यह सब पुस्तकालय अधिनियम में प्रतिभाषित होगा जिससे पुस्तकालय तंत्र के सभी पुस्तकालयों में मानक पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय योजना में सहायक होता है–पुस्तकालयों की आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकालय अधिनियम स्थानीय, राज्य तथा केंद्रीय प्राधिकरणों पर वित्त का दायित्व सौंप देता है। वित्त के लिए अधिनियम में न्यूनतम राशि का निर्धारण कर दिया जाता है। साथ ही कर की राशि पर पुस्तकालय शेष निर्धारित किया जाता है और सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अंश (Share) का निर्धारण किया जाता है। वित्त के प्रावधान का सबसे आवश्यक पहलू है जिसके लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता मानी जाती है।

पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय सहयोग स्थापित करने के लिए प्रावधान किए जाते हैं–कोई भी पुस्तकालय सभी पाठकों की आवश्यकताओं को अपने संकलन से पूरा नहीं कर सकता। एक पुस्तकालय की वित्तीय एवं स्थान आदि की सीमा होती है। अत: ऐसी स्थिति में एक पुस्तकालय को दूसरे पुस्तकालयों के संकलन अर्थात् अंत: पुस्तकालय सहयोग की आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरे शब्दों में पुस्तकालयों को संसाधन साझेदारी करती पड़ती है। यह संसाधन साझेदारी किस प्रकार हो, किस रूप में हो आदि का प्रावधान पुस्तकालय अधिनियम में किए जाते हैं।

नोट

नि:शुल्क पुस्तकालय सेवा (Free Library Services)

प्रजातांत्रिक तथा जनकल्याण राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक को पुस्तकालय सेवा नि:शुल्क प्रदान करे। पुस्तकालयों की स्थापना तथा उनके संचालन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन पुस्तकालय अधिनियम बनाकर ही इकट्ठा किया जा सकता है। अधिनियमों से नगरपालिकाएँ आदि जनता पर पुस्तकालय उपकर आदि लगाकर धन एकत्रित कर सकती हैं। जब लोग थोड़ा सा पुस्तकालय उपकर देंगे तो उनमें पुस्तकालयों के प्रति जागरूकता की भावना पैदा होगी एवं पुस्तकालय जाकर पढ़ने की संस्कृति का विकास होगा।

पुस्तकालय अधिनियम का लक्ष्य (Objectives of Library Legislation)

पुस्तकालय अधिनियमों के उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए जिनसे सार्वजनिक पुस्तकालयों में नि:शुल्क सेवा प्रदान की जा सके। पुस्तकालय अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य लक्ष्य हैं–

- विश्वसनीय सूचना तथा स्वस्थ मनोरंजन सामग्री का संग्रह करना।
- पुस्तकालय सामग्री की ऐसी व्यवस्था करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग हो सके।
- अपाठकों को पाठक तथा पाठकों को सक्रिय विद्यार्थी बनाने के लिए उत्साहित/प्रेरित करना।
- नि:शुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त वित्त की व्यवस्था करना।

पुस्तकालय अधिनियम के तत्व (Factors of Library Legislation)

पुस्तकालय के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। इन तत्वों को इफ़्ला के सार्वजनिक पुस्तकालय अनुभाग द्वारा तैयार किए गए एक वर्किंग पेपर 'The Development of Public Libraries' में प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रकार है–

- उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरणों को सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यों के लिए सार्वजनिक वित्त को खर्च करने की शक्ति प्रदान होनी चाहिए।
- खर्च करने की राशि सीमित नहीं होनी चाहिए।
- सार्वजनिक पुस्तकालय कार्य जिनके लिए धन खर्च करना पड़ता है ऐसे वर्णित होने चाहिए जिससे पुस्तकालय के विकास में बाधा न पड़े।
- प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को पुस्तकालय समिति नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए जो स्थानीय परिषद् के प्रति सीधी उत्तरदायी हो।
- स्थानीय प्राधिकरणों को अधिकार होना चाहिए कि वे अन्य प्राधिकरणों के साथ पुस्तकालय सेवाओं में सहयोग प्रदान कर सकें।
- प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को पुस्तकालय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार करने का अधिकार होना चाहिए।
- पुस्तकालय की सभी सेवाएँ नागरिकों को नि:शुल्क होनी चाहिए।
- सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों में निबद्धि प्रवेश्य प्रणाली होनी चाहिए।
- पुस्तकालय कर्मचारी सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने चाहिए।
- पुस्तकालय कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए।
- पुस्तकालय तंत्र में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान उनके उत्तरदायित्व, विशिष्टीकरण तथा अनुभव के आधार पर होने चाहिए। प्रोन्नति तथा व्यक्तिगत प्रगति के लिए अवसर होने चाहिए।
- पर्याप्त तथा संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करने के लिए पुस्तकालय प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए।
- पुस्तकालय विज्ञान संस्थाएँ होनी चाहिए एवं
- एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय संगठन का अस्तित्व अनिवार्य है"

डॉ. रंगनाथन के अनुसार एक आदर्श पुस्तकालय अधिनियम में अग्रलिखित तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए–

नोट

• राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण जो कि शिक्षा मंत्री से निर्मित होता है और राज्य पुस्तकालय समिति जिसकी सहायता करती है तथा राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष जो कि पुस्तकालय विभाग का अध्यक्ष होता है, के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन पुस्तकालय अधिनियम में अवश्य किया जाना चाहिए।

• पुस्तकालय अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधानों के साथ राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना का उल्लेख होना चाहिए–

→ राज्य प्रतिलिप्याधिकार संग्रह;

→ नेत्रहीनों के लिए राज्य पुस्तकालय;

→ अंतर पुस्तकालय आदान-प्रदान के लिए राज्य कर;

→ बिब्लियोग्राफी के लिए राज्य ब्यूरो;

→ सहकारी वर्गीकरण एवं सूचीकरण के लिए राज्य ब्यूरो।

• स्थानीय पुस्तकालयों प्राधिकरणों का निर्माण एवं उनके कर्त्तव्यों तथा अधिकारों का निर्धारण;

• पुस्तकालय कार्य के परिपालन में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया और इस प्रकरण में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का अंशदान;

• स्थानीय पुस्तकालय समितियों का गठन, शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रावधान;

• राज्य के पुस्तकालयों में समन्वयीकरण;

• पुस्तकालय वित्त, लेखा परीक्षण का प्रावधान;

• निरक्षरत उन्मूलन के लिए प्रावधान;

• अन्य संघटक राज्यों में स्थित पुस्तकालयों तथा राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालयों से सहयोग का प्रावधान।

डॉ. एस. आर. रंगनाथन का कहना है कि अधिनियम के तहत पुस्तकालयों की स्थापना लोक वित्त (Public Finance) पर आधारित होगी। इसीलिए लोक वित्त से संस्थापित तथा अनुरक्षित संस्था का संविधान ठोस रूप से निर्मित किया जाना चाहिए।

अधिनियम के तहत स्थापित पुस्तकालय प्राधिकारों की स्वायत्तता की मात्रा का निर्धारण अधिनियम में किया जाना चाहिए। आय-व्यय एवं लेखा परीक्षण का प्रावधान होना चाहिए तथा समय-समय पर उसके कार्यों का परीक्षण करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान होना चाहिए।

भारत में पुस्तकालय अधिनियम (Library Legislation in India)

पुस्तकालय आंदोलन को अधिक शक्तिशाली एवं पुस्तकालय-सेवा को पूर्णरूपेण सफल बनाने के लिए पुस्तकालय अधिनियम का होना अति आवश्यक है। पुस्तकालय अधिनियम का इतिहास पाश्चात्य देशों में 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। जब इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1850 ई. में पुस्तकालय-अधिनियम स्वीकृत हुआ। अब तक विश्व के लगभग 110 देशों एवं राज्यों में पुस्तकालय-अधिनियम स्वीकृत हो चुके हैं।

भारत में पुस्तकालय-विधान तैयार करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास डा. रंगनाथन द्वारा किया गया। उन्होंने सन् 1930 ई. में बनारस में अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन (All Asia Educational Conference) में आदर्श पुस्तकालय-अधिनियम का प्रारूप (Draft) प्रस्तुत किया और अधिवेशन में इस प्रारूप पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। भारत में अभी तक 28 राज्यों एवं 7 केंद्रशासित प्रदेशों में सिर्फ 16 राज्य एवं 1 केंद्रशासित प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम लागू किए गए हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख राज्यों के अधिनियमों की चर्चा नीचे की जा रही है–

मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 (Madras Public Library Act, 1948)

मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम स्वतंत्र भारत में अपने तरह का पहला अधिनियम है। इस अधिनियम ने पूर्ववर्ती मद्रास राज्य (नवंबर 1956 से पहले) तथा तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का आधार उपलब्ध कराया।

इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• यह अधिनियम राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करने की सुविधा प्रदान करता है।

• पुस्तकालयों से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण (State Library Authority) के गठन का प्रावधान;

• सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान (यद्यपि इसके लिए 1972 में अलग विभाग बना दिया गया)।

• मद्रास शहर के लिए तथा प्रत्येक जिले के लिए एक-एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन। जिला पुस्तकालय अधिकारी, स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का पदेन सचिव होता है;

• प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण संपत्ति कर तथा गृह कर पर 5 पैसे प्रति रुपया की दर से पुस्तकालय अधिकर वसूल करेगा। सिवाय (Except) मद्रास के, प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण को उसके द्वारा वसूल किए गए पुस्तकालय अधिकर (Cess) के बराबर की राशि राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी;

• कोन्नेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय (Connemara Public Library), मद्रास को तमिलनाडु के राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया।

• इस अधिनियम में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट (Press and Registration of Books Act), 1867 के अनुच्छेद 9 तथा सेंट्रल ऐक्ट (Central Act), XXV, 1867 को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि प्रदेश स्थित प्रत्येक मुद्रक अपनी प्रत्येक पुस्तक की पाँच प्रतियाँ राज्य सरकार को देगा जिनमें से चार प्रतियाँ राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, मद्रास में जमा की जाएँगी।

आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960 (A. P. Public Library Act, 1960)

सन् 1956 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो इसके लिए अलग सन् 1960 में आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना। इसमें 1964, 1969, 1987 तथा 1989 में संशोधन हुआ। इन व्यापक संशोधनों के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश 'पुस्तकालय परिषद्' का गठन हुआ जो एक प्रकार से राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का शीर्ष निकाय है। यह अधिनियम मद्रास अधिनियम का उन्नत रूप है।

इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• वैधानिक अधिकारों और कार्यों से युक्त पुस्तकालयों के शीर्ष निकाय के रूप में आंध्र प्रदेश पुस्तकालय परिषद् का गठन। इसका गठन मनोनीत सदस्यों द्वारा, सरकार द्वारा किया जाता है।

• सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना।

• सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्य नामित कर प्रत्येक नगर तथा जिले के लिए 'पुस्तकालय संस्था' का गठन;

• शहर/जिला केंद्रीय पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष, 'नगर/जिला पुस्तकालय संस्था' के पदेन सचिव का कार्य करेंगे;

• गृह कर तथा संपत्ति कर पर आठ पैसे प्रति रुपया तक की दर से स्थानीय निकायों द्वारा पुस्तकालय अधिकर इकट्ठा करने का प्रावधान;

• सरकार द्वारा शहर/जिला पुस्तकालय संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के संस्थापनात्मक व्यय का भुगतान एवं

• सरकार तथा नगर/जिला पुस्तकालय संस्थाओं द्वारा निजी पुस्तकालयों को अनुदान।

कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1965 (Karnataka Public Library Act, 1965)

कर्नाटक अधिनियम एक उत्तम अधिनियम है। इस अधिनियम ने कर्नाटक राज्य में पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• एक कार्पोरेट निकाय के रूप में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान। इसके सदस्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं।

• सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने का प्रावधान, जिसका प्रधान एक पुस्तकालय व्यवसायी होगा;

नोट

• राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के शीर्ष पुस्तकालय के रूप में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान;

• नगरों तथा जिलों के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों का गठन;

• शाखा तथा ग्रामीण पुस्तकालय सेवा के लिए सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान;

• केंद्रीय तकनीकी प्रक्रियाकरण का प्रावधान;

• राज्य के राजस्व के किसी भी मद के ऊपर लगाए गए कर के ऊपर अधिभार के रूप में पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान। जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक अनुदान मिलता है एवं

• राज्य पुस्तकालय सेवा प्रारंभ कर पुस्तकालय कर्मचारियों को अन्य राजकीय कर्मचारियों के समरूप सुविधाएँ तथा लाभ दिलाना।

महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967 (Maharashtra Public Library Act, 1967)

महाराष्ट्र राज्य का निर्माण 1960 ई. में हुआ। यद्यपि इसके निर्माण के 7 साल पश्चात् अर्थात् 1967 ई. में महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ।

इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• सरकार द्वारा राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन। शिक्षा मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा। अधिनियम को लागू करने से संबंधित सभी विषयों में राज्य सरकार को यह परिषद् सलाह देगी।

• एक अलग पुस्तकालय विभाग का गठन तथा इसके निदेशक के रूप में किसी पुस्तकालय व्यवसायी की नियुक्ति;

• एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय तथा प्रत्येक प्रमंडल के लिए एक-एक प्रमंडल पुस्तकालय की स्थापना;

• प्रत्येक जिले के लिए जिला पुस्तकालय समिति का गठन। जिला परिषद् की शिक्षा समिति का अध्यक्ष जिला पुस्तकालय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। वृहत्तर (Greater) मुंबई के लिए महानगरपालिका की शिक्षा समिति का अध्यक्ष पुस्तकालय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

• महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा की स्थापना तथा इस सेवा के सभी सदस्यों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा;

• यद्यपि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकर लगाने का प्रावधान नहीं है लेकिन यह प्रावधान है कि राज्य सरकार पुस्तकालयों के लिए प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय कोष में कम-से-कम 25 लाख रुपए का अनुदान देगी।

• स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों का अनुदान देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979 (West Bengal Public Library Act, 1979)

पश्चिम बंगाल में 1979 ई. में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना। यह अधिनियम मद्रास अधिनियम की लगभग प्रतिकृति (Copy) है।

इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए राज्य के पुस्तकालयों के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन;

• राज्य पुस्तकालय परिषद् में पुस्तकालय कर्मचारियों का परिषद् के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व;

• सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित विषयों के निदेशन तथा प्रशासन के लिए पुस्तकालय विभाग का गठन;

• प्रत्येक जिला के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन;

• स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के लिए कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान एवं

• इस अधिनियम के अंतर्गत पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान नहीं है लेकिन पुस्तकालयों के लिए अग्रलिखित वित्तीय-स्रोतों का उल्लेख किया गया है जैसे–अंशदान, उपहार, संस्थागत आय, विशेष उद्देश्य के लिए

छात्र क्रियाकलाप

1. 'मानक पुस्तकालय सेवा' पर टिप्पणी लिखें।

2. मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 की विवेचना करें।

सरकारी अनुदान, स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा एकत्रित धन, राज्य सरकार द्वारा वार्षिक अनुदान के रूप में धन उपलब्ध कराने आदि का उल्लेख किया गया है।

नोट

मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1988 (Manipur Public Library Act, 1988)

मणिपुर में पुस्तकालय संघ की स्थापना सन् 1987 ई. में की गई। इस संघ द्वारा पुस्तकालयों के विकास एवं संरक्षण हेतु पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप (Draft) तैयार कर सन् 1988 में राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसको स्वीकृति मिलने के बाद सन् 1988 में ही इसे लागू कर दिया गया।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- पुस्तकालय विकास एवं संरक्षण के सभी मामलों की देख-रेख करने हेतु राज्य पुस्तकालय समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है;
- इस अधिनियम के तहत राज्य के सभी जिलों में जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है;
- इस अधिनियम में पुस्तकालय कोष का निर्माण राज्य सरकार के अनुदानों से होगा तथा पुस्तकालय अधिकर वसूल नहीं किया जाएगा।
- इस अधिनियम के तहत जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के संचालन एवं प्रबंध हेतु कार्यकारी समिति गठित करने का प्रावधान है;
- इस अधिनियम के तहत राज्य में एक पृथक सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग का गठन करने का प्रावधान है।

केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989 (Kerla Public Library Legislation, 1989)

केरल में पुस्तकालय संघ की स्थापना 1945 ई. में की गई थी। इस संघ को सरकारी अनुदान भी प्राप्त होता है। इस संघ के प्रयासों से सन् 1989 ई. में केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। यद्यपि इस अधिनियम को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इसका लोकतांत्रिक एवं विकेन्द्रीकृत स्वरूप का होना है;
- इस अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय परिषद् पुस्तकालयों के विकास हेतु समस्त कार्य करने का अधिकर एवं उत्तरदायित्व रखती है;
- इस अधिनियम के तहत जिला पुस्तकालय परिषद् अपने क्षेत्र में पुस्तकालय कार्य, सेवा, प्रबंध एवं नियंत्रण संबंधी सभी मामलों को निपटाने का अधिकार रखती है;
- इस अधिनियम में पुस्तकालय कोष हेतु पुस्तकालय अधिकर लेने का अधिकार प्राप्त है एवं
- इस अधिनियम के तहत सभी स्तरों के परिषदों, संघों एवं समितियों के पदाधिकारी की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया द्वारा की जाती है।

हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989 (Haryana Public Library Act, 1989)

पंजाब राज्य से हरियाणा सन् 1966 में कटकर एक नए राज्य के अस्तित्व के रूप में सामने आया। सन् 1967 ई. में अंबाला जिला पुस्तकालय को हरियाणा राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया। पुस्तकालय आंदोलन एवं विभिन्न संगठनों, विद्वानों एवं कार्यकर्ताओं के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप सन् 1989 ई. में हरियाणा में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया, परंतु यह अधिनियम भी पूरे राज्य में पूर्णतया प्रभावी नहीं हो सका है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताऐं इस प्रकार हैं–

- इस अधिनियम के तहत राज्य में पुस्तकालय सेवा को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान है;
- इस अधिनियम के तहत पुस्तकालय मामलों में परामर्श देने हेतु राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है;

नोट

• इस अधिनियम के तहत राज्य के उन सभी नगरों एवं उपनगरों में पुस्तकालय समिति गठित करने का प्रावधान है, जहाँ एक लाख से अधिक जनसंख्या हो;

• इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य पुस्तकालय निदेशालय का गठन करने का प्रावधान है;

• इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के प्रत्येक स्तर (राज्य, जिला, नगर, प्रखंड, पंचायत आदि) पर पुस्तकालय कोष के निर्माण का प्रावधान किया गया है;

• इस अधिनियम के तहत सरकार पुस्तकालय अधिकर वसूल करने का अधिकार रखती है एवं

• इस अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण पुस्तकालय संघों एवं संगठनों को मान्यता देने का अधिकार रखती है।

मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993 (Mijoram Public Library Legislation, 1993)

मिजोरम राज्य की स्थापना सन् 1987 में एक पूर्ण राज्य के रूप में की गयी, इस राज्य की स्थापना के लगभग 5 वर्ष के अंतराल में ही यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1993) पारित किया जा चुका था। इस अधिनियम के पारित होते ही राज्य केंद्रीय पुस्तकालय एवं दो जिला पुस्तकालयों की स्थापना की गई। लेकिन राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने के बावजूद भी अधिनियम के प्रावधानों को अभी भी लागू नहीं किया जा सका है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• राज्य में पुस्तकालयों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं विकास संबंधी समस्त मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन किया गया है;

• राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण एवं रख-रखाव के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग का गठन किया गया है;

• इस अधिनियम के तहत राज्य में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, प्रत्येक जिले में जिला पुस्तकालय, प्रत्येक अनुमंडल में अनुमंडलीय पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई है;

• इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत राज्य की जनता से किसी भी प्रकार का पुस्तकालय अधिकर वसूल नहीं किया जाता है एवं

• इस अधिनियम के अधीन राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना विकास एवं रख-रखाव का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1994 (Goa Public Library Legislation, 1994)

गोवा राज्य प्रारंभ से ही पुस्तकालय के संदर्भ में जागरूक रहा है अर्थात् गोवा में पुर्तगाली शासन के पहले से ही एक केंद्रीय पुस्तकालय, पाँच ताल्लुक पुस्तकालय तथा 56 ग्रामीण पुस्तकालय विद्यमान थे।

गोवा राज्य में सन् 1994 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था, परंतु इस अधिनियम के प्रावधानों को अभी भी उचित ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। गोवा के सार्वजनिक पुस्तकालय केंद्रीय, पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। गोवा के राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का नाम "बिब्लियोथेका नेशनरल डे–नोवा गोवा है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• सार्वजनिक पुस्तकालयों के सभी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एक राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष राज्य का पुस्तकालय प्रभारी मंत्री होता है।

• इस अधिनियम के अधीन एक राज्य पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना की गयी है, जिसके निर्देशन एवं नियंत्रण में राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अपना कार्य करते हैं।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य में सभी स्तरों पर अर्थात् राज्य, जिला, ताल्लुक एवं ग्रामीण सभी पर पुस्तकालयों की उचित व्यवस्था करने का प्रावधान है।

नोट

• इस अधिनियम के तहत राज्य की जनता से किसी भी प्रकार का पुस्तकालय कर वसूल नहीं किया जाता है।

• इस अधिनियम के तहत राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, विकास एवं रखरखाव का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार के समेकित कोष से किया जाता है।

• इस अधिनियम में राज्य के गैर-सरकारी पुस्तकालयों को भी सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया है एवं

• इस अधिनियम के अधीन राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी गई है।

उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2001 (Urisa Public Library Legislation, 2001)

उड़ीसा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख-रखाव, नियंत्रण, समन्वय एवं विकास की गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से संचालित एवं नियंत्रित करने तथा पूरे राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक विधेयक सन् 1997 में प्रस्तावित किया गया, जिसे सन् 2001 में उड़ीसा विधानमंडल में प्रस्तुत कर पारित किया गया और 2002 में इस अधिनियम को लागू किया गया।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालय के मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु "उड़ीसा सार्वजनिक परिषद्" गठित करने का प्रावधान किया गया है।

• "उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय परिषद्" का अध्यक्ष राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय विकास मंत्री को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

• "उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय परिषद्" इस अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों पर राज्य सरकार को उचित सलाह देने तथा राष्ट्रीय योजना प्रक्रिया के अंश के रूप में पंचवर्षीय विकास योजनाओं के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी होगी।

• इस अधिनियम के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संयुक्त निकाय के रूप में "उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण" गठित करने का भी प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से संबंधित योजनाओं को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए "सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा निदेशालय" स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

• इस अधिनियम के अधीन निदेशालय "प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट" के तहत राज्य में प्रकाशित पुस्तकों की निःशुल्क प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

• इस अधिनियम के अधीन निदेशालय का यह अनिवार्य दायित्व होगा कि वह प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट का निर्माण कर उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।

• इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य में प्रत्येक स्तर पर अर्थात् राज्य स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ विकास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

• पुस्तकालयों के सतत् एवं सुदृढ़ विकास हेतु इस अधिनियम के अधीन "पुस्तकालय वित्तीय कोष" गठित करने का भी प्रावधान किया गया है।

• इस वित्तीय कोष में धनराशि का संग्रह विभिन्न मदों से किया जाएगा, जैसे–सरकार द्वारा अनुदान, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान, निजी संस्थाओं द्वारा अनुदान या उपहार आदि।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य में प्रत्येक स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, मूल्यांकन एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्तर पर पुस्तकालय समिति गठित करने का प्रावधान है, जैसे–जिला पुस्तकालय समिति, प्रखंड पुस्तकालय समिति आदि।

उत्तराखंड लोक पुस्तकालय अधिनियम, 2005 (Uttrakhand Public Library Act, 2005)

उत्तराखंड विधानमंडल द्वारा पारित "उत्तराखंड लोक पुस्तकालय विधेयक 2005" को भारतीय संविधान के

अनुच्छेद संख्या 200 तथा उत्तराखंड अधिनियम संख्या 79 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। यह अधिनियम "उत्तराखंड लोक पुस्तकालय अधिनियम 2005" के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य लोक पुस्तकालयों में कंप्यूटरीकरण को प्रोत्साहन देना, जन-समुदाय में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करना, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि है।

नोट

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को पुस्तकालयों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं नीतिगत मामलों पर परामर्श देना तथा अधिनियम के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु "राज्य पुस्तकालय समिति" गठित करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन गठित "राज्य पुस्तकालय समिति" का अध्यक्ष-शिक्षा मंत्री तथा उपाध्यक्ष प्रमुख सचिव (शिक्षा) होते हैं।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के पुस्तकालयों के प्रयोजनार्थ पुस्तकालय शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

• इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालय प्राधिकरण एक निधि का गठन करेगी, जिसमें धनराशि का संग्रह 'राजा राममोहन राय पुस्तकालय फाउण्डेशन, केंद्रीय सरकार तथा अन्य प्राधिकृत अथवा निजी निकायों से प्राप्त अनुदानों से करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन शिक्षा निदेशालय में एक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य में पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास हेतु प्रत्येक जिले में एक "जिला पुस्तकालय प्राधिकरण" स्थापित करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले में हर स्तर पर पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण समय-समय पर अपनी गतिविधियों की सूचना एवं रिपोर्ट राज्य पुस्तकालय निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006
(Rajsbthan Public Library Legislation, 2006

सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रोन्नति एवं विकास के लिए विधानमंडल में एक विधेयक पारित किया गया जिसे राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 कहा जाता है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालयों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं नीतिगत मामलों पर परामर्श देने हेतु "राज्य पुस्तकालय परिषद्" गठित करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन गठित "राज्य पुस्तकालय परिषद्" का अध्यक्ष-पुस्तकालयों का प्रभारी मंत्री तथा उपाध्यक्ष-शासन सचिव (पुस्तकालय) होता है।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य में प्रत्येक स्तर पर अर्थात् राज्य स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर, पंचायत स्तर तथा ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य के प्रत्येक स्तर के पुस्तकालयों को परामर्श देने हेतु प्रत्येक स्तर पर "पुस्तकालय सलाहकार समिति" गठित करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए निदेशक का पद निर्मित करने का प्रावधान है जो राज्य सरकार के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रशासनिक मामलों की देख-रेख करे।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए पुस्तकालय कोष गठित करने का प्रावधान है जिसमें धनराशि का संग्रह केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों से करने का प्रावधान है।

नोट

• इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालय निदेशक प्रतिवर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय तथा उससे संबंधित अन्य संघों एवं संस्थाओं के क्रियाकलापों पर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर, उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगी।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006 (Uttar Pradesh Public Library Act, 2006

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पारित "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक 2006" को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 01 सितंबर 2006 को लागू किया गया। यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख-रखाव एवं विकास की व्यवस्था करना तथा राज्य की जनता के उपयोग हेतु समस्त आवश्यक पाठ्य-सामग्रियों को संग्रहित कर वितरित करने की व्यवस्था करना है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• इस अधिनियम के तहत राज्य स्तर के दो पुस्तकालयों (प्रथम-"राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद" तथा द्वितीय "राज्य संदर्भ पुस्तकालय, लखनऊ) के गठन का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को ही सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक नियुक्त करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास योजनाओं हेतु राज्य के केंद्रीय एवं अकेंद्रीय वार्षिक बजट तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से वित्तीय कोष निर्मित करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपनी आवश्यकतानुसार पुस्तकालयों के विकास हेतु अतिरिक्त वित्तीय विकल्पों का सृजन कर सकती है।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को पुस्तकालयों के प्रशासनिक मामलों पर परामर्श देने हेतु "राज्य पुस्तकालय परिषद्" गठित करने का प्रावधान है। इस परिषद् का अध्यक्ष "माध्यमिक शिक्षा विभाग का मंत्री होगा।

• इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास की योजनाओं के निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु परामर्शदात्री समिति गठित करने का भी प्रावधान है।

• इस अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय परिषद् की योजनाओं को सुनियोजित तरीके से क्रियान्वित कराने हेतु "राज्य स्थायी समिति" गठित करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की योजनाओं को तैयार करने, अनुश्रवण (Audit) करने तथा मूल्यांकन करने हेतु "जिला पुस्तकालय समिति" गठित करने का प्रावधान है। इस समिति का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट प्रविधित है।

• इस अधिनियम के तहत प्रति वर्ष निदेशक द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा इनसे संबंधित संघों एवं संस्थाओं की गतिविधियों पर एक प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्राविधित (Provision) है।

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक, 2008 (Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008

बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पुनर्गठन एवं पुस्कालयों के विनियमन, मार्गदर्शन, नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा उनके सुव्यवस्थित विकास हेतु विधानमंडल में एक विधेयक प्रस्तुत कर पारित किया गया, जिसे "बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक 2008" के नाम से जाना जाता है।

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पुनर्गठन एवं पुस्तकालयों के विनिमयन, मार्गदर्शन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा उनकी सुनियोजित विकास करना है।

छात्र क्रियाकलाप

1. मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की विवेचना करें।

2. बिहार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पर प्रकाश डालें।

नोट

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• इस अधिनियम के अधीन राज्य में हर स्तर पर अर्थात् राज्य, प्रमंडल, जिला, प्रखंड, पंचायत, ग्रामीण, निजी सभी स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास का प्रावधान किया गया है।

• इस अधिनियम के अधीन राज्य में सभी स्तर एवं श्रेणी के पुस्तकालयों की स्थापना, विकास एवं सेवाओं पर राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु "राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकरण" गठित करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक पृथक् पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय के गठन का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। जो राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के समस्त निर्धारित कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

• इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए "राज्य पुस्तकालय निधि" के रूप में स्वतंत्र कोष गठित करने का प्रावधान है।

• इस वित्तीय कोष में धनराशि का संग्रह राज्य सरकार के अनुदान, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अनुदान, संसद या विधायक निधि से प्राप्त सहायता राशि तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों से निर्मित करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के तहत राज्य में प्रकाशित सभी पुस्तकों की एक-एक प्रति प्रकाशक या लेखक "श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, पटना को निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन "राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय" द्वारा राज्य सरकार के सूचनार्थ समय-समय पर उचित प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

• इस अधिनियम के अधीन निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों का निरीक्षण करने का प्रावधान है।

सारांश (Summary)

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, संचालन एवं विकास के लिए राज्य द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उसे पुस्तकालय अधिनियम कहा जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों का समाज में विशिष्ट महत्त्व है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ सूचना संग्रहण एवं संचार साधनों का विकास तीव्र गति से हुआ है। परिणामस्वरूप पाठकों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्त्ताओं एवं सामान्य पाठकों की अपेक्षाएँ पुस्तकालयों से काफी बढ़ गई है। आज सार्वजनिक पुस्तकालय प्रजातंत्र की सफलता संस्कृति एवं सभ्यता के विकास एवं जनसाधारण की प्रतिभा को सामने लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका (Important Role) अदा कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति में सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि ऐसी संस्था की स्थापना एवं संचालन का संपूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले ले। और यह कार्य पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा ही सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है क्योंकि पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय की संरचना को निर्धारित करता है तथा एक आदर्श (Model) ढाँचे के अंतर्गत इसका विकास सुनिश्चित करता है, अधिनियम बेवजह किसी हस्तक्षेप पर रोक लगाता है चाहे वह किसी नेता, मंत्री, प्रशासक या नौकरशाह का ही क्यों न हो तथा इसके द्वारा पुस्तकालय के प्रशासक के लिए उपयुक्त सत्ता एवं कर्तव्य को सुनिश्चित कर देता है तथा पुस्तकालय अधिनियम (Library Legislation) स्थायी तथा क्रमिक रूप से पुस्तकालय हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर देता है जिससे वित्त के अभाव में इसका विकास नहीं रुक सके। साथ ही पुस्तकालय अधिनियम लागू होने से पाठकों को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा सुनिश्चित होता है; पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय प्रबंधन में जनता की भागीदारी को प्रश्रय देता है, पुस्तकालय अधिनियम लागू होने से राज्यों में पुस्तकालयों का जाल स्थापित होता है। इससे राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति विकसित होता है, एवं अंततः पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता के बारे में कहा जा सकता है कि जब पुस्तकालय अधिनियम के तहत जनता को पुस्तकालय उपकर भुगतान करना पड़ता है तो उनमें पुस्तकालय से लाभ उठाने की भी बात ध्यान में आता है। परिणामस्वरूप पुस्तकालयों के प्रति जनता का झुकाव बढ़ता है जिसका अंततः प्रभाव जनता की शिक्षा, प्रबुद्धता एवं जागरूकता पर पड़ता है।

नोट

प्रमुख शब्द (Key Words)

- **अधिकर** (Cess)–कुछ वैधानिक करों पर अधिभार लगाकर एकत्रित की गई धन-राशि।
- **नीति** (*Policy*) –किसी सामान्य कार्य पद्धति के लिए प्रतिबद्ध एवं आश्वासन का ऐसा वक्तव्य जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक एवं सहायक हो।
- **निक्षेपागार** (Depository)–ऐसा स्थान जहाँ किसी वस्तु को सुरक्षित रूप में भंडारित किया जाता है।
- **मानक** (Standard)–आदर्श, पथ-प्रदर्शक या पथ-प्रदर्शन के लिए प्रतिमान।
- **संस्कृति** (*Culture*)–संस्कृति भौतिक एवं अभौतिक तत्त्वों की वह जटिल संपूर्णता है जिसे व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है तथा जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है।
- **सभ्यता** (Civilization)–केवल वे वस्तुएँ जिनके माध्यम से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सभ्यता के अंतर्गत आती है। सभ्यता का संबंध ऐसी सभी भौतिक पदार्थों से है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन होते हैं।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय अधिनियम की विशेषताएँ एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें।
   What do you understand by library legislation? Write/Explain the characteristics and need of library legislation.
2. पुस्तकालय अधिनियम के प्रमुख तत्व क्या है? विस्तृत रूप में लिखें।
   What are the important factors of library legislation? Write in detail form.

प्रस्तावित पाठ पुस्तक (Suggested Readings)

- शर्मा, पांडेय एस.के. : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, दिल्ली, 1998
- Mittal, R.L. : Public Library Law : An International Survey, Metropolitan Publishing, New Delhi, 1971
- Venkatappaiah, Yelaga : Modern Library Legislation, Concept Publishing Company, New Delhi, 1994
- Ranganathan, S.R. and Neelamegham A. (ed) : Public Library System : India, Srilanka, UK, USA, Comparative Library Legislation, Sharda Ranganathan Endowment for Library Science, Bangalore, 1972
- शैनी, ओम प्रकाश : पुस्तकालय एवं समाज, वाई.के.पब्लिशर्स, आगरा, 2009
- माँगेराम एवं अन्य : पुस्तकालय एवं आधुनिक समाज, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005

नोट

इकाई-2
(Unit-2)

मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट
(Model Public Library Act)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- मॉडल यूनियन लाइब्रेरी ऐक्ट, 1951 (Model Union Library Act, 1951)
- डॉ. एस.आर. रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट, 1930-1972 (Library Act of Dr. S.R. Rangnathan, 1930-1972)
- शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1963 (Model Public Libraries Bill of Education Ministry, 1963)
- योजना आयोग का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1963 (Model Public Libraries Bill of Planning Commission, 1963)
- मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऐक्ट, 1989 (Model Public Library and Information Services Act, 1989)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

सार्वजनिक पुस्तकालय आधुनिक समाज का एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। यह एक सेवा प्रधान संस्था है। जिस प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं के लिए समाज में अस्पताल/चिकित्सालय स्थापित किया गया है उसी प्रकार मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हुई। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली संस्था है। सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वसाधारण को जीवन पर्यन्त क्रमबद्ध शिक्षा का साधन है।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि किसी समाज तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समृद्धि तथा विकास मौलिक मानवीय मूल्य है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के उपयोग द्वारा सूचना-संपन्न नागरिक इन मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हैं। संपूर्ण विश्व की यह मान्यता है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा तथा निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करना राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों का दायित्व है। सार्वजनिक पुस्तकालय वस्तुतः लोक विश्वविद्यालय भी होते हैं।

प्रस्तुत इकाई में आदर्श (Model) सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की चर्चा की गयी है कि भारत में अब तक कितने मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट बनाये गये हैं। इन सभी अधिनियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट की विशेषताएँ
(Characteristics of Model Public Library Act)

नोट

आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- पुस्तकालय सेवा प्रणाली के मूल विचार, उपकरणों या तत्वों का इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए;
- इसे पुस्तकालय प्रणाली के संरचनात्मक विन्यास को परिभाषित करना चाहिए;
- इसमें अभिशासनात्मक निकायों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जैसे–पुस्तकालय समिति, प्रबंध-परिषद् आदि;
- इसमें पुस्तकालय तथा सूचना सेवा संवर्ग, कर्मचारियों की चयन-प्रक्रिया तथा पुस्तकालय एवं सूचना व्यावसायियों की व्यावसायिक गुणवत्ता को स्पष्ट करना चाहिए;
- निरंतर वित्तीय समर्थन एवं उसके सदुपयोग के लिए इसे विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था करनी चाहिए।
- पुस्तकालयों का नियमित उपयोग करने वाले पाठकों तथा विशेषज्ञ नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए;
- एक आधुनिक पर्यवीक्षण प्रणाली की स्थापना के द्वारा इसे पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के प्रतिवेदन व्यावसायिक अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों को प्रस्तुत करने से संबंधी प्रावधान बनाने चाहिए;
- इसे एक ऐसी सर्वांगपूर्ण पुस्तकालय प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए जो विभिन्न प्रकार के प्रलेखों के संरक्षण तथा उनमें निहित सूचनाओं के संप्रेषण को सुनिश्चित करें।

मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट के महत्त्वपूर्ण तत्व/घटक
(Important Element/Factors of Model Public Library Act)

मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट के महत्त्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित है–

- अधिनियमों के आमुख/प्रस्तावना (PREAMBLE) में पुस्तकालय अधिनियम का सुनिश्चित प्रतिपादन होना चाहिए, अत: इसे स्पष्ट होना चाहिए;

राज्य स्तरीय प्राधिकरण (State Based Authority)

अधिनियम में राज्य स्तर पर, राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में एक परिषद् (Board) के गठन का प्रावधान होना चाहिए।

पुस्तकालय के प्रभारी मंत्री को राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए तथा राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए राज्य में गठित विभिन्न स्तरों के पुस्तकालय प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी पुस्तकालय सेवा चला रहे हैं तथा ये प्राधिकरण अपने निर्धारित कार्यों को पूरा कर रहे हैं–इसका निरीक्षण करना तथा इन सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कदम उठाना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है। राज्य के सभी नागरिकों को व्यापक एवं सक्षम पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, उसके लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा उसका प्रशासन करना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं।

राज्य का मुख्य कार्यकारी (Chief Executive of State)

इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी होगा जो सूचना विज्ञान क्षेत्र का व्यावसायिक व्यक्ति होगा। राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के निर्देशन में निदेशक राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा।

- **पुस्तकालयों का नेटवर्क** (Network of Libraries)–अधिनियम में पुस्तकालयों की स्थापना तथा कार्यात्मकता के लिए संरचना का प्रावधान होना चाहिए जिसमें कस्बों तथा गाँवों से लेकर शहरों, जनपदों और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय तक के विभिन्न स्तर के पुस्तकालय एक-दूसरे से जुड़े हों।
- **वित्तीय प्रावधान** (Financial Provisions)–अधिनियम में पुस्तकालयों के समुचित विकास के लिए नियमित वित्तीय स्रोतों का उल्लेख होना चाहिए और समस्त संभावित स्रोतों से पुस्तकालय अधिकर एकत्र करने का प्रावधान होना चाहिए। भारत में पुस्तकालय अधिनियम के प्रवर्तक डॉ. एस.आर. रंगनाथन ने मॉडल ऐक्ट

नोट

में पुस्तकालय अधिकर लगाने का समर्थन किया है। इसी तरह श्री. के. पी. सिन्हा की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक पुस्तकालयों की सलाहकार समिति ने इस विषय पर कहा कि पुस्तकालय अधिकर के द्वारा ही पुस्तकालयों को स्थायी वित्तीय आधार उपलब्ध कराया जा सकता है। अत: पुस्तकालयों के सुनियोजित एवं सुसंबद्ध विकास के लिए पुस्तकालय अधिकर लगाना अत्यंत आवश्यक है। पुस्तकालय अधिकर लगाने से लोगों में पुस्तकालय जाकर पढ़ने की आदत पड़ेगी एवं पुस्तकालय जाने की संस्कृति की भी पैदा होगी।

• **कर्मचारी** (Staff)–अधिनियम में राज्य पुस्तकालय सेवा के एक संवर्ग की स्थापना का प्रावधान होना चाहिए, इस सेवा के सारे सदस्यों को राजकीय कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए तथा उनकी नियुक्ति के नियमों तथा सेवा-शर्तों को भारत के संविधान की धारा 309 के प्रावधानों (Provisions) के अनुरूप होना चाहिए।

• **पुस्तक पंजीकरण** (Book Registration)–राज्य में प्रकाशित पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए विधि-सम्मत निक्षेपण नियम का प्रावधान होना चाहिए।

• **नियम** (Rules)–सारे संबंधित कार्यालयों, कर्मचारियों और अनुभागों के प्रशासन, नियंत्रण तथा कार्यात्मकता के लिए राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण (State Library Authority) द्वारा नियम बनाना चाहिए। ऊपर वर्णित सारे घटक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के आवश्यक तत्व हैं जिन्हें आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बनाते समय सम्मिलित किया गया है।

• **मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट** (Model Public Library Act)–भारत में समय-समय पर पाँच मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट के प्रारूप बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं–

मॉडल यूनियन लाइब्रेरी ऐक्ट, 1951 (Model Union Library Act, 1951)

नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की संभावना पर विचार करने के लिए सन् 1948 में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की। डॉ. एस.आर. रंगनाथन ने इस समिति के सदस्य के रूप में "दि लाइब्रेरी डेवलॅपमेंट प्लान-थर्टी ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया, विद ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल्स फॉर यूनियन एंड कॉस्टीट्यूएंट स्टेट्स (The Library Development plan-thirty year programme for India, with draft Library Bills for Union and Constituent States)" का प्रारूप तैयार किया। 'यूनियन लाइब्रेरी बिल (Union Library Bill)' इसी प्रलेख में दिया गया है।

मॉडल यूनियन लाइब्रेरीज ऐक्ट की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण (National Library Authority) का गठन;

• राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार पुस्तकालय की स्थापना;

• इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों के ऊपर राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति (National Library Committee) की स्थापना;

• 'राष्ट्रीय पुस्तकालय कोष (National Library Fund)' का गठन;

• पुस्तक तथा समाचार-पत्र प्रदाय अधिनियम (1954) में संशोधन।

लेकिन संघीय सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय खोलने तथा संघीय पुस्तकालय अधिनियम (Union Library Act) पारित करने में रुचि नहीं दिखायी। संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान में संशोधन किए बिना संघीय पुस्तकालय विधेयक पारित नहीं हो सकता है क्योंकि संविधान में पुस्तकालय तथा शिक्षा विषय प्रारंभ में राज्य सूची में सम्मिलित किए गए थे लेकिन संविधान के 42वें संशोधन (1976) में शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची (Concurrent List) में सम्मिलित कर दिया गया, परंतु पुस्तकालय का विषय राज्य सूची में बना रहा। संघीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन कर पुस्तकालय विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाना पड़ेगा तभी ही राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय अधिनियम पारित हो सकता है।

डॉ. एस. आर. रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट, 1930-1972 (Model Library Act of Dr. S. R. Rangnathan, 1930-1972)

डॉ. रंगनाथन ने सन् 1930 में आल एशिया एडुकेशनल कॉन्फ्रेंस (All Asia Educational

छात्र क्रियाकलाप

1. आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को लिखें।

2. मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट के महत्त्वपूर्ण तत्व क्या हैं?

नोट

Conference) बनारस में, 'मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट (Model Library Act)' के ऊपर एक लेख प्रस्तुत किया और बाद में उन्होंने इसे 'मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज ऐक्ट (Model Public Libraries Act)' के रूप में संशोधित किया। इस मॉडल ऐक्ट को पश्चिम बंगाल में सन् 1931 में तथा मद्रास में सन् 1933 में लागू करने के प्रयास किए गए। परंतु इसमें कुछ ऐसे अनिवार्य प्रावधान (Provisions) थे जिनके कारण इसे अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया जा सका।

इस मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- आदर्श पुस्तकालय अधिनियम (Model Library Act) द्वारा शहरों, गाँवों तथा अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी;
- राज्य का शिक्षा मंत्री, राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण (State Library Authority) के रूप में कार्य करेगा। राज्य में पर्याप्त पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व होगा;
- इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय समिति (State Library Committee) का गठन किया जाएगा;
- प्रत्येक शहर और प्रत्येक जिले के लिए एक-एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण (Local Library Authority) का गठन किया जाएगा;
- राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण और सरकार तथा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण समय-समय पर निश्चित किए गए दर से पुस्तकालय अधिकर का निर्धारण एवं उसकी वसूली करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1963 (Model Public Libraries Bill of Education Ministry, 1963)

पुस्तकालय सलाहकार समिति (1958) की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉ. एम. डी. सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने सन् 1963 में एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल (Model Public Libraries Bill) बनाया।

इस बिल की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- पुस्तकालयों के विकास से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में एक राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण (State Library Authority) का गठन किया जाएगा;
- पुस्तकालय प्रणाली के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए राज्य पुस्तकालय निदेशालय (State Library Directorate) का गठन किया जाएगा;
- प्रत्येक जिले में जिला पुस्तकालय समिति का गठन किया जाएगा;
- पुस्तकालय कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा;
- गृह कर तथा संपत्ति कर पर 6 पैसा (6 Paise) प्रति रुपए की दर से पुस्तकालय अधिकर की वसूली।

योजना आयोग का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1963 (Model Public Libraries Bill of Planning Commission, 1963)

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान भारत सरकार के योजना आयोग ने पुस्तकालय विकास पर सलाह देने के लिए पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह (Working Group) का गठन किया। इस कार्यकारी समूह ने चौथी योजना काल में एक पुस्तकालय विकास योजना लागू करने की सिफारिश की और इसे लागू करने के लिए 30 करोड़ 90 लाख रुपए की संस्तुति की। इस योजना अवधि में नए पुस्तकालयों की स्थापना तथा विद्यमान पुस्तकालयों के रख-रखाव तथा विकास के ऊपर इस धन को खर्च करने का विचार था। कार्यकारी समूह ने अपना प्रतिवेदन (Report) सन् 1965 में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के साथ एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल (Model Public Libraries Bill) संलग्न किया गया था।

इस बिल की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- प्रत्येक राज्य में पर्याप्त तथा एकीकृत सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की स्थापना, रख-रखाव और विकास;
- सेवा के मानक निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन;

• पुस्तकालय सेवाओं के विकास के ऊपर सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद् (State Library Council) का गठन;

• राज्य में पुस्तकालय प्रणाली के नियंत्रण, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के लिए राज्य पुस्तकालय निदेशालय का गठन;

• राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय (मात्र द्विभाषा-भाषी राज्यों में) और जिला पुस्तकालय प्रणाली को समाहित (Merge) करने वाली सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना;

नोट

• इस प्रणाली में कार्यरत सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार कर्मचारी का दर्जा देना;

• यद्यपि इस 'मॉडल बिल' में पुस्तकालय अधिकर का प्रावधान नहीं है परंतु राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का पोषण राज्य सरकार का दायित्व माना गया है।

मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऐक्ट, 1989 (Model Public Library and Information Services Act, 1989)

सन् 1989 में भारतीय पुस्तकालय संघ (Indian Library Association) के अनुरोध पर डॉ. वी. वेंकट पैया ने आधुनिक विकास एवं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। नई दिल्ली में हुए पुस्तकालय अधिनियम के ऊपर राष्ट्रीय संगोष्ठी (National Seminar on Library Legislation) में इस आदर्श (Model) अधिनियम पर विचार-विमर्श किया गया।

देश में हुए नवीन विकासों जैसे नवीन पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम, सन् 1992 में संविधान संशोधन, सन् 1994 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनीफेस्टो के संशोधित संस्करण का प्रकाशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान (1988), सभी स्तरों पर सूचना की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुभव को ध्यान में रखते हुए डॉ. वेंकटपैया द्वारा तैयार किए गए पहले वाले मॉडल ऐक्ट (Model Act) को आदर्श पुस्तकालय एवं सूचना सेवा अधिनियम (Model Library and Information Services Act) के रूप में 1995 में संशोधित किया गया।

इस ऐक्ट की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

• राज्य नीति पर आधारित राज्य पुस्तकालय तथा सूचना सेवा;

• शीर्ष स्तर पर पुस्तकालय मंत्री की अध्यक्षता में नीति निर्धारण तथा कार्यकारी निकाय (Executive Body) के रूप में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन;

• प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना;

• जिला स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए नगर तथा जिला पुस्तकालय प्राधिकरणों का गठन;

• राज्य स्तर से गाँव स्तर तक सार्वजनिक पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के नेटवर्क (Network of Information Service) की स्थापना;

• राज्य पुस्तकालय एवं सूचना सेवा का गठन;

• गृह कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर, व्यवसाय कर, वाहन कर आदि के ऊपर पुस्तकालय अधिकर की वसूली;

• शिक्षा, पुस्तक प्रकाशन, समन्वयन आदि के लिए राज्य स्तर पर परिषदों (Boards) का गठन एवं

• सार्वजनिक व्यय एवं सेवाओं का दायित्व निर्धारण।

आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का प्रभाव (Effect of Model Public Libraries Act)

सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक को पश्चिम बंगाल तथा मद्रास में लागू करने के प्रयास किए गए थे लेकिन जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि वित्त से संबंधित कुछ अनिवार्य प्रावधानों के कारण अधिनियम पारित नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मद्रास (1948), हैदराबाद (1955), आंध्रप्रदेश (1960), कर्नाटक (1963), महाराष्ट्र (1965), पश्चिम बंगाल (1979), मणिपुर (1988), केरल (1989), हरियाणा (1989), मिजोरम (1993) तथा गोवा (1994) में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए। डॉ. एस. आर. रंगनाथन के मॉडल ऐक्ट (Model Act) से इन अधिनियमों में कुछ हद तक संरचनात्मक साम्यता (Structural Similarity) है।

छात्र क्रियाकलाप

1. लाइब्रेरीज बिल की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

2. आदर्श पुस्तकालय एवं सूचना सेवा अधिनियम, 1995 की प्रमुख विशेषताओं को लिखें।

सारांश (Summary)

नोट

आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में सारांशत: यह कहा जा सकता है कि मानक के किसी भी क्षेत्र एवं प्रयास का कमबद्ध एवं सुनिश्चित विकास उसी स्थिति में संभव होता है जब वह सुनियोजित योजनाओं एवं उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित कार्यक्रमों पर आधारित होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में पुस्तकालयों के विकास की दिशा में नियोजन एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अनेक प्रयास किए गए हैं। यद्यपि उन प्रयासों का प्रतिफल विभिन्न स्वरूपों में सीमित ढंग से हुआ है लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि भारत में पुस्तकालय सेवाओं के आयोजन हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों के आधार पर विस्तृत विभिन्न आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप बनाया गया जिनमें से प्रमुख हैं–मॉडल यूनियन लाइब्रेरी ऐक्ट, 1951, मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट (1930-1972), मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1963 एवं मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऐक्ट, 1989

पुस्तकालयों के विकास और बेहतरी के लिए उठाए गए इन कदमों के बावजूद भी पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के विकास की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। पुस्तकालय तथा सूचना प्रणालियों का एक नेटवर्क स्थापित करने में कंप्यूटर तथा संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करने से इस दिशा में समन्वय तथा एकीकरण स्थापित किया जा सकता है क्योंकि अभी भी अधिकांश पुस्तकालयों में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों की राष्ट्रीय नीति को शीघ्र ही लागू किए जाने की आवश्यकता है तभी ही पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के एकीकृत ढाँचे का संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास हो सकेगा।

प्रमुख शब्द (Key Words)

- **अभिशासन** (Governance)–शासन या प्रबंधन की एक पद्धति या प्रणाली।
- **अधिकर** (Cess)–कुछ वैधानिक करों पर अधिभार लगाकर एकत्रित की गई धनराशि।
- **नेटवर्क** (Network)–परस्पर-संबंधित तथा परस्पर-जुड़ी हुई कड़ियों की ऐसी शृंखला जो एक पूर्ण-सत्ता का निर्माण करें।
- **प्राधिकरण** (Authority)–कार्यकारी अधिकारों से युक्त एक वैधानिक निकाय।
- **प्रतिलिप्याधिकार** (Copy-right)–प्रतिलिप्याधिकार ऐसा वैधिक अधिकार है जो लेखकों, कलाकारों तथा रचयिताओं की कृतियों को दूसरों द्वारा बिना अनुमति पुनरुत्पादित, प्रतिपादित या प्रसारित करने से रक्षित करता है।
- **मॉडल ऐक्ट/बिल** (Model Act/Bill)–विधेयक बनाने या उसे विधान सभा/लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया एक मार्गदर्शक प्रलेख।
- **प्लानिंग (नियोजन)** (Planning)–किसी कार्य के निष्पादन के लिए प्रतिपादित पद्धति या किसी कार्य एवं उद्देश्य को सोचने-विचारने की एक विधि। योजना, परियोजना नियोजन अभिकल्प-रूपरेखा (Design Out Line) ये सारे शब्द प्राय: एक पर्यायवाची पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
- **सूचना** (Information)–किसी भी भौतिक माध्यम पर या रूप में अलिपिबद्ध संदेश।
- **सूचना समाज** (Information Society)–वह समाज जिसमें सूचना और ज्ञान ही परिवर्तन, शक्ति तथा निर्देशन के प्रमुख हथियार के रूप में कार्य करते हैं।
- **सूचना केंद्र** (Information Centre)–एक ऐसा संगठन जो सूचनाओं का एकत्रण, रखरखाव, प्रक्रियाकरण एवं विसरण वैसे व्यक्तियों के लिए करता है जो इसकी माँग करते हैं।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ एवं घटकों को लिखिए।
   Write the important characteristics and component of model public library legislation.

नोट

2. मॉडल यूनियन लाइब्रेरी ऐक्ट, 1951 की विशेषताओं के बारे में विवेचना कीजिए।
   Explain about the characteristics of model union library act, 1951.
3. डॉ. रंगनाथन के मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट के बारे में लिखिए।
   Write about model library act of Dr. Rangnathan.
4. निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें।
   (*a*) मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, 1963
   (*b*) मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, योजना आयोग, 1963
   (*c*) मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऐक्ट, 1989
   (*d*) आदर्श अधिनियमों का प्रभाव
   Write notes on any two
   (*a*) Model public libraries bill, 1963
   (*b*) Model public libraries bill, planning commission, 1963.
   (*c*) Model public library and information services act, 1989.
   (*d*) Effect of model act.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- शर्मा, प्रहलाद : पुस्तकालय एवं समाज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, 2002
- शर्मा, पांडेय एस.के. : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- माँगेराम एवं अन्य : पुस्तकालय और आधुनिक समाज, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
- Rangnathan, S. R. and Neelameghan A : Public Library System: India, Srilanka, UK, USA, Comparative Library Legislation, Sharda Ranganathan Endowment for Library Scieence, Bangalore, 1972
- Venkatappaiah, Velaga : Model Library Legislation, Concept Publishing Corporation, New Delhi, 1994
- Mittal, R.L. : Public Libraries Law : An International Survey, Metropolitan Publishing Corporation, New Delhi, 1971.

इकाई-3
(Unit-3)

नोट

बिहार में पुस्तकालय अधिनियम
(Library Legislation in Bihar)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- बिहार पुस्तकालय अधिनियम : अर्थ एवं परिभाषा
  (Bihar Library Legislation : Meaning and Definitions)
- सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तत्व
  (Factors/Elements of Public Library Act)
- पुस्तकालय अधिनियम की वर्तमान स्थिति (Current Status of Library Legislation)
- बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक, 2008
  (Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी पुस्तकालय विधान (Legislation) को उन्नत करने के लिए भारत सरकार ने 1867 ई. में Press and Registration of Book Act को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत पुस्तकालय के प्रकाशक को बिना किसी मूल्य के प्रत्येक पुस्तक की प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजनी पड़ती थी। 1902 में सरकार ने Imperial Library (Indentures Validation) Act पास किया। 1948 ई. में भारत सरकार ने इम्पीरियल लाइब्रेरी को 'राष्ट्रीय पुस्तकालय' घोषित करने के लिए अधिनियम पास किया।

भारत में पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने का सर्वप्रथम प्रयास डा. रंगनाथन द्वारा किया गया। उन्होंने सन् 1930 में All Asia Education Conference, Varanasi में आदर्श पुस्तक अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस अधिनियम में राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं रक्षण प्रणाली का दायित्व तथा शहर, ग्राम एवं अन्य प्रकार की पुस्तकालय सेवाओं के विकास का प्रावधान था।

प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य पुस्तकालय अधिनियम से जुड़े तथ्यों जैसे–इसकी आवश्यकता, विशेषताएँ, इसके तत्वों की विस्तृतपूर्वक विवेचना करनी है तथा बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक, 2008 का भी वर्णन करना है।

नोट

बिहार पुस्तकालय अधिनियम : अर्थ एवं परिभाषा (Bihar Library Legislation : Meaning and Definition)

एक ऐसा विधान, अधिनियम, विधि या कानून तैयार करना है जो पुस्तकालयों के संबंध में सरकार के अधीन एक अच्छी पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना तथा उसका रख-रखाव, सेवाओं, कार्यों अधिकारों एवं प्रबंध को एक वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, संचालन एवं विकास के लिए राज्य द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उसे पुस्तकालय अधिनियम कहा जाता है।

पुस्तकालय अधिनियम को परिभाषित करते हुए एस. दास. गुप्ता ने जिक्र किया है "पुस्तकालय अधिनियम एक ऐसे उपयुक्त तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसके एक तंत्र के सहारे पुस्तकालयों के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा अनिवार्य रूप से अनुदान राशि का निर्धारण कर दिया जाता है।"

डॉ. रंगनाथन ने कहा है "यदि राज्य कल्याण के लिए पुस्तकालय सेवाएँ स्थापित करनी हैं तो सेवाएँ वैधानिक अधिनियम द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए।"

आवश्कयता (Need)

यह एक सर्वविदित एवं स्वीकृत तथ्य है कि किसी समाज तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समृद्धि तथा विकास मौलिक मानवीय मूल्य हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के उपयोग द्वारा सूचना-संपन्न नागरिक इन मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय वस्तुतः लोक विश्वविद्यालय होते हैं जिसका उद्देश्य देश की जनता को निःशुल्क सेवा प्रदान कर साक्षर बनाना है। किसी भी राज्य में मजबूत, स्थिर, कुशल, दक्ष, एकीकृत पुस्तकालय सेवा प्रदान करना तभी संभव होगा जब सार्वजनिक पुस्तकालयों का राज्य भर में उपयोगी नेटवर्क (Network) तैयार किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है।

यूनेस्को, इफ्ला, एफआईडी, आईएलए, आइएसलिक और दूसरे अन्य उच्च प्राधिकरणों ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं इसके सुचारु ढंग से कार्य करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम बनाने के लिए पुरजोर वकालत एवं समर्थन किया है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के कारण निम्नलिखित हैं–

- यह सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था की संरचना के लिए मागदर्शन प्रदान करता है, अर्थात् इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र एवं संबंधित प्राधिकारी;
- यह नौकरशाही एवं राजनीति द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना व्यवस्था में होने वाले हस्तक्षेप को रोकता है ताकि यह व्यवस्था प्रभावपूर्वक एवं सुचारु रूप से कार्य कर सके;
- इसके आधार पर पुस्तकालयों को एक स्थायी तथा सुदृढ़ वित्तीय स्रोत उपलब्ध होगा;
- यह सरकार के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना व्यवस्था के विकास के लिए जवाबदेही का निर्धारण/परिभाषित करता है;
- यह पुस्तकालय प्राधिकरण के संरचना एवं कार्यों को प्रस्तुत करता है जैसे–राष्ट्रीय, राज्य, जिला, पंचायत स्तर पर।
- इसके अंतर्गत मानकों पर आधारित पुस्तकालय सेवाएँ चलाई जाएँगी;
- इसके आधार पर राज्य एवं जिला स्तर पर और दूर-दराज के गाँवों तक सभी नागरिकों द्वारा निःशुल्क उपयोग के लिए एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय प्रणाली का गठन किया जाएगा।

उद्देश्य एवं कार्य (Purpose and Function)

भारतीय योजना आयोग द्वारा पुस्तकालय अधिनियम जारी करते हुए उसके उद्देश्यों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है–

उद्देश्य

- वैसे संसाधनों का भंडारण करना जिससे आवश्यक सूचना प्राप्त कर पाठकों को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो सके;
- इन संसाधनों को व्यवस्थित रूप से उपयोग किय जा सके;

- पुस्तकालय द्वारा निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाया जाए एवं साक्षर पाठकों का सोद्देश्य छात्र बनने के लिए आकृष्ट किया जा सके।

कार्य

- सार्वजनिक पुस्तकालय संगठन एवं संरक्षण में सरकार के उत्तरदायित्वों की सुस्पष्ट जानकारी देना;
- सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यवाही को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुस्तकालयों के माध्यम से संचालित करना;
- एक स्थायी निधि (Fund) का बंदोबस्त करना चाहे वह विशेष उपकर (Cess) द्वारा या शिक्षा समुचित वित्त योजना का अंश निश्चित कर संपादित कर सके;
- सार्वजनिक पुस्तकालय की संरचना के लिए दिशा निश्चित करना एवं
- समाज के सभी स्तरों में प्रत्यक्ष योगदान के लिए पुस्तकालय प्रतिनिधि नियुक्त कर पुस्तकालय कार्य संबंधित जानकारी देना एवं उन्हें पुस्तकालयों के प्रति आकर्षित करना।

नोट

सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तत्व (Factors/Elements of Public Library Act)

सार्वजनिक पुस्तकालयों के सर्वांगीण विकास हेतु इफ़्ला (IFLA) कार्यकारिणी समिति द्वारा निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख किया गया है–

भूमिका/प्रस्तावना (Preamble)–प्रत्येक विधान, अधिनियम, संविधान में शीर्षक के रूप में संक्षिप्त सभी बातों को लिखा जाता है। मुख्य-मुख्य अंश दिए जाते हैं जिससे पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर क्या-क्या होगा?

सर्वोच्च प्रबंध (Top Management)–पुस्तकालय अधिनियम का संचालन कौन-सा व्यक्ति करेगा तथा पुस्तकालय अधिकारी कौन होगा। राज्य एवं केंद्र सरकार के पुस्तकालय अधिनियम के अधिकारी राज्य एवं केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। उनकी नियुक्ति कैसे एवं कितने समय तक होगी। यह सब सर्वोच्च प्रबंध के आते हैं।

वित्त व्यवस्था (Finance)–यह सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है। पाठकों को नि:शुल्क सेवा प्रदान करना एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पंच सूत्रों में से एक द्वितीय सूत्र के अनुसार 'पुस्तकें सभी के लिए हैं (Books are for all)' ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा ही संभव है। धन की व्यवस्था *अधिनियम पुस्तकालय उपकर (Library Cess) एवं पुस्तकालय अनुदान द्वारा करता है। पुस्तकालय अनुदान* राज्य एवं केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। कुछ पुस्तकालय विशेषज्ञ नागरिकों पर कर लगाने का समर्थन नहीं करते हैं जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुस्तकालय वित्त के लिए उपकर एक अच्छा एवं स्थायी साधन है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है सरकार पुस्तकालयों के लिए धन का आवंटन सही समय पर नहीं कर पाती है। अत: ऐसी स्थिति में पुस्तकालय के कार्यों में बाधा आ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपकर एक अच्छा साधन विकल्प के रूप में हो सकता है। इसी आधार पर विद्वानों ने इसका समर्थन किया है।

लेखा और लेखा परीक्षण (Accounts and Audit)–इसके अंतर्गत पुस्तकालय की आय एवं व्यय का हिसाब रखना आता है। इसके अंतर्गत पुस्तकों का चुनाव, (Selection of Books), सूचीकरण (Cataloguing), वर्गीकरण (Classification), कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, श्रेणी, सेवाकाल आदि का भी उल्लेख होता है।

नियम (Rules)–पुस्तकालय अधिनियम के इतने सारे कार्यों के करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं नियमों पर पूरी तरह व्यवस्था चलती है।

तालमेल (Cooperation)–पुस्तकालय अधिनियम में ऐसी व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जिससे सभी पुस्तकालयों का आपस में तालमेल बना रहे। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी पुस्तकालयों में अंतर्-पुस्तकालय ऋण (Inter Library Loan) के तहत तालमेल स्थापित कर सकते हैं। आज सूचना क्रांति (Information Revolution) के युग में यह तालमेल बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि आज कोई भी पुस्तकालय सभी सूचनाओं के संग्रहण करने का दावा नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज एक ही विषय पर सैकड़ों-हजारों सूचनाएँ आ रही हैं एवं दूसरा कारण यह है कि आज उपयोक्ताओं की भी अनेक

श्रेणियाँ हो गई हैं जो अपनी-अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर अलग-अलग सूचनाओं की माँग करते हैं। अत: ऐसी स्थिति में कोई एक पुस्तकालय उपयोक्ताओं की माँग को पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि इनकी माँग विविधतापूर्ण हो गई है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी पुस्तकालयों में तालमेल (सहयोग) का होना जरूरी हो गया है। इसे ही दूसरे शब्दों में संसाधन साझेदारी की संज्ञा दी गई है।

नोट

पुस्तकालय मानक (Library Standard)–पुस्तकालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालय सेवाओं, तकनीक (वर्गीकरण, सूचीकरण), पुस्तकालय भवन, उपस्कर, फर्नीचर, कर्मचारी, वेतन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित मानक लागू किए जा सकते हैं।

मानक (Standards)–मानकीकरण किसी गतिविधि के सूत्रबद्ध प्रवर्तनार्थ नियम निर्धारित करने तथा उन्हें लागू करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा समग्र अर्थव्यवस्था एवं कार्य का अभीष्टतम (Optimum) उन्नयन हो सके, इस हेतु तत्संबंधी उपस्करों, साधनों एवं कार्य-प्रणाली में निश्चितता तथा एकरूपता स्थापित करनी होती है। यह कार्य अपने में बड़ा दुरूह एवं श्रमसाध्य है। इसके लिए हर कदम पर व्यवसाय, वितरक तथा उपभोक्ता सबका सक्रिय सहयोग करना प्राप्त होता है। एक परस्पर के विचार-विमर्श की लंबी प्रक्रिया के पश्चात् मानक स्थिर होता है। फिर प्रश्न उठता है उसके क्रियान्वयन का। किसी मानक के अनुसार कार्य करना कानूनी तौर से आवश्यक नहीं है। अत: मानकों को लागू करने के लिए भी तत्संबंधी व्यक्तियों को प्रेरित किया जाता है। साथ ही उपभोक्ताओं को यह समझाया जाता है कि मानक-सम्मत कार्य या वस्तुएँ किस प्रकार अमानकित वस्तुओं से श्रेष्ठ हैं। इससे उपभोक्ताओं में मानकों के प्रति विश्वास एवं आदर का उदय होता है। यह विश्वास तथा आदर ही बाजार में मानकित वस्तुओं की माँग बढ़ाता है। उत्पादकगण उस माँग का अनुसरण करते हैं।

मानकीकरण की अधिकृत परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा इस प्रकार दी गई है–"मानकीकरण किसी गतिविधि विशेष के सूत्रबद्ध प्रवर्तन के लिए सभी लोगों के सहयोग से उनके लाभ के लिए और कार्यपरक स्थितियाँ सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं का ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से समग्र अर्थव्यवस्था के अभीष्टतम उन्नयन के लिए नियम निर्धारित करने तथा उनके लागू करने की प्रक्रिया है।"

सूत्र रूप में कहा जाए तो मानकीकरण मानव को बहुविध गतिविधियों में नियमन तथा पद्धति-परायणता का अध्ययन है। वैसे मानकीकरण का प्रमुख उपयोग आज के संदर्भ में उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में होता है और यह प्रक्रिया विज्ञान, तकनीक तथा व्यावहारिक अनुभव के समेकित परिणामों पर आधारित होती है। यह न केवल वर्तमान विकास का बल्कि भविष्य के विकास का भी आधार निर्धारित करती है। इसी प्रकार मानक भी मानकीकरण संबंधी विशिष्ट प्रयत्न का किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परिणाम होते हैं। मानक निम्नलिखित में से किसी भी रूप में हो सकते हैं–

(क) प्रलेख के रूप में जिसमें पालनार्थ शर्तें दी गई हैं।

(ख) किसी मूल इकाई या भौतिक अचर के रूप में, जैसे–एम्पीयर, निरपेक्ष शून्य, केल्विन आदि।

(ग) भौतिक तुलना के लिए पैमाने, जैसे–मीटर, किलोग्राम, घंटा आदि।

भारतीय मानक (Indian Standards)–ISI

इस क्षेत्र में भारत में सराहनीय कार्य हुआ है, यह कार्य दो प्रकार का है : एक तो औपचारिक मानकीकरण, दूसरा अनौपचारिक मानकीकरण। औपचारिक मानकीकरण में भारतीय मानक संस्थाकृत कार्य आता है एवं अनौपचारिक श्रेणी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकालय समिति द्वारा कृतार्थ आता है। इन मानकों में पुस्तकों एवं सामयिकों के मानक इनके विन्यास का क्रम निर्धारित करते हैं। इसके पश्चात् हर अवयव के लिए उसके विन्यास-निर्धारणार्थ अलग-अलग मानक हैं–जैसे पुस्तक के आख्यापत्र, विषय-सूची एवं निर्देशी आदि। इसी तरह वर्णक्रम की रीति एवं ग्रंथ लेखा संदर्भों के मानक भी हैं। वर्गीकरण एवं सूचीकरण की शब्दावली के भी मानक हैं। पुस्तकालय जिल्दबंदी पर भी मानक है। पुस्तकालय, भवन एवं उसके विभागों एवं पुस्तकालय में प्रयुक्त उपकरणों तथा उपस्करों के भी मानक हैं। पुस्तकालय में प्रकाश-व्यवस्था आदि पर भी मानक हैं।

अनौपचारिक श्रेणी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकालय समिति की रिपोर्ट एवं "प्रकाशक से पाठक" विषय पर हुए सेमिनार की रिपोर्ट है। ये दोनों रिपोर्ट विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की कार्य-प्रणाली का मानकीकरण उपस्थित करती है।

पुस्तकालय अधिनियम की वर्तमान स्थिति (Current Status of Library Legislation)

नोट

भारत पुस्तकालय अधिनियम के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पीछे है। सबसे पहले इंग्लैंड में पुस्तकालय अधिनियम सन् 1850 में पारित हुआ। भारत में इस दिशा में प्रयास सबसे पहले डॉ. रंगनाथन द्वारा किया गया। सन् 1930 में बनारस में अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन में एक आदर्श पुस्तकालय अधिनियम प्रस्तुत किया। 1933 में इन्होंने मद्रास विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जो स्वीकार तो किया गया लेकिन आगे प्रगति नहीं हो सकी। 1942 में डॉ. रंगनाथन ने फिर एक आदर्श विधेयक तैयार किया एवं इसको तत्कालीन बंबई में समस्त भारतीय पुस्तकालय संघ के पाँचवें अधिवेशन में प्रस्तुत किया। परंतु इस बार भी सफलता नहीं मिल सकी। 1946 में इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी विधेयक तैयार किया परंतु सफलता नहीं मिली। इन असफलताओं के बाद मद्रास पुस्तकालय विधेयक 1948, को 29 जनवरी 1949 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली। इस प्रकार यह भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम बना। अभी तक भारत के जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया है वे राज्य हैं–

(1) तमिलनाडु (मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1948
(2) आंध्र प्रदेश (हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1960
(3) कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1965
(4) महाराष्ट्र (कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1955, 1967
(5) पश्चिम बंगाल (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1979
(6) मणिपुर (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1988
(7) केरल (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1989
(8) हरियाणा (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1989
(9) मिजोरम (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1993
(10) गोवा (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1994
(11) पांडिचेरी (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 1996
(12) उड़ीसा (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 2001
(13) गुजरात (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 2002
(14) उत्तरांचल (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 2005
(15) उत्तर प्रदेश (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 2006
(16) राजस्थान (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम), 2006
(17) बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक, 2008

इस प्रकार 16 राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है लेकिन अभी भी 12 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित होना बाकी है।

जहाँ तक बिहार में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने का प्रश्न है तो बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008 में पारित हुआ है। बिहार में पुस्तकालय अधिनियम 2008, का विवरण इस प्रकार है–

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक, 2008 (Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008)

उद्देश्य एवं हेतु–गाँव तथा शहरों में जन सहयोग से पुस्तकालयों की स्थापना तथा उन्नति जिससे कि पुस्तकों के पठन-पाठन में आम लोगों की अभिरुचि बढ़े और पुस्तकालय, ज्ञान के अर्जन तथा प्रसार का एक माध्यम बनाने के लिए प्रावधान करना तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। इसके लागू होने से गाँव तथा शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं उनका सुव्यवस्थित विकास होगा।

नोट

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक को 18 अप्रैल, 2008 को राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप इसकी अधिसूचना 23 अप्रैल, 2008 को जारी की गई। यह अधिनियम छः अध्यायों में विभक्त है जिसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है–

• **प्रस्तावना** (Preamble)–बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पुनर्गठन एवं पुस्तकालयों के विनियमन, मार्गदर्शन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा उनके सुव्यवस्थित विकास हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित (Enacted) है–

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम विस्तार लागूकरण और प्रारंभ–
   (*i*) यह अधिनियिम बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।
   (*ii*) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (*iii*) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएँ–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में–
   (*i*) "राज्य पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा राज्य पुस्तकालय के रूप में घोषित पुस्तकालय।
   (*ii*) "राजकीय पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संपोषित पुस्तकालय।
   (*iii*) "सहायता प्राप्त पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा पुस्तकालय प्राधिकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः संपोषित पुस्तकालय।
   (*iv*) "गैर-सहायता प्राप्त पुस्तकालय" से अभिप्रेत है वैसे पुस्तकालय जिन्हें सरकार या पुस्तकालय प्राधिकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं है।
   (*v*) "विशिष्ट पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा घोषित विशिष्ट पुस्तकालय।
   (*vi*) "प्रमंडलीय पुस्तकालय" से अभिप्रेम है राज्य में स्थित प्रमंडल स्तर के पुस्तकालय।
   (*vii*) "जिला पुस्तकालय" से अभिप्रेत है जिला मुख्यालयों स्थित पुस्तकालय।
   (*viii*) "अनुमंडलीय पुस्तकालयों" से अभिप्रेत है अनुमंडल मुख्यालयों में स्थित पुस्तकालय।
   (*ix*) "प्रखंड पुस्तकालयों" से अभिप्रेत है प्रखंड स्तर पर अवस्थित पुस्तकालय।
   (*x*) "पंचायत पुस्तकालयों" से अभिप्रेत है पंचायत स्तर पर अवस्थित पुस्तकालय।
   (*xi*) "ग्रामीण पुस्तकालयों" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित पुस्तकालय।
   (*xii*) "सार्वजनिक पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य पुस्तकालय प्राधिकार से मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम के प्रायोजनार्थ (Purpose) इस रूप में घोषित कोई पुस्तकालय।
   (*xiii*) "निजी पुस्तकालय" से अभिप्रेत है सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय से भिन्न कोई पुस्तकालय।
   (*xiv*) "निदेशक" से अभिप्रेत है धारा-6 के अधीन नियुक्त निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र।
   (*xv*) "जिला" से अभिप्रेत है कोई राजस्व जिला।
   (*xvi*) "पुस्तकालय प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार।
   (*xvii*) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार।
   (*xviii*) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।
   (*xix*) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

छात्र क्रियाकलाप

1. 'पुस्तकालय मानक' की विवेचना करें।

2. 'पुस्तकालय अधिनियम की वर्तमान स्थिति' पर टिप्पणी लिखें।

पुस्तकालय का कोटिवार विभाजन

नोट

3. राज्य में निम्नांकित कोटि के पुस्तकालय होंगे–

(*i*) राज्य पुस्तकालय
(*ii*) प्रमंडलीय पुस्तकालय
(*iii*) जिला पुस्तकालय
(*iv*) अनुमंडलीय पुस्तकालय
(*v*) विशिष्ट पुस्तकालय
(*vi*) प्रखंड पुस्तकालय
(*vii*) पंचायत पुस्तकालय
(*viii*) ग्रामीण पुस्तकालय
(*ix*) निजी पुस्तकालय

अध्याय–2

राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार
(State Library and Information Centre Authority)

1. राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार का गठन–राज्य सरकार राज्य के सभी कोटि के पुस्तकालयों और पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विषयों पर सरकार को परामर्श देने के प्रायोजनार्थ बिहार के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार का गठन अथवा पुनर्गठन कर सकेगी जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित 12 सदस्य होंगे।

2. राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर राज्य सरकार द्वारा मनोनयन–यह मनोनयन राज्य के प्रमुख शिक्षाविदों, पुस्तकालय विज्ञान विशिष्टता वाले व्यक्तियों भाषा, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के पैनल से किया जाएगा। पैनल मानव संसाधन विकास द्वारा तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आलावा प्राधिकार में मानव संसाधन विकास विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं वित्त विभाग के एक-एक प्रतिनिधि होंगे जो उप-सचिव स्तर से अन्यून (Less) नहीं होंगे। राज्य सरकार शेष सदस्यों का मनोनयन करेगी। निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र इस प्राधिकार के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

3. बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार की शक्तियाँ और कार्य–राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के संगठन, संचालन, मार्ग-दर्शन एवं विकास के लिए राज्य पुस्तकालय प्राधिकार की निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे–

(*i*) राज्य पुस्तकालय विधि का नियंत्रण तथा इससे पुस्तकालयों को सहायता उपलब्ध कराना तथा सहायता हेतु शर्त एवं अर्हता (Conditions and Qualifications) का निर्धारण करना।
(*ii*) विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयों की स्थापना एवं स्थापित पुस्तकालयों के संचालन एवं उन्नति के लिए पहल करना तथा इसके लिए आवश्यक शर्तों, परिस्थितियों और मानकों का निर्धारण करना।
(*iii*) इस अधिनियम के उद्देश्यों के प्राप्ति की लिए नियम/नियमावली बनाना।
(*iv*) पुस्तकालयों के विकासार्थ अल्पकालीन/दीर्घकालीन योजनाओं का सूत्रण (Initiate) एवं समीक्षा (Analyse) करना एवं तत्संबंधी अनुशंसा सरकार के सक्षम रखना।
(*v*) राज्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रसार करना एवं उसके लिए मानक तैयार करना।

अध्याय–3

पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय एवं पृथक् निदेशालय
(Separate Directerate and Library and Information Centre Directerate)

1. पृथक् निदेशालय–

(*i*) इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पृथक् पुस्तकालय एवं

सूचना केंद्र निदेशालय का गठन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा एक निदेशक और एक सहायक निदेशक नियुक्त किया जायेगा। निदेशालय के कार्यों के अतिरिक्त पुस्तकालय अधीक्षक के दायित्वों का निर्वहन भी निदेशक करेगा।

बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में पूर्व से सृजित पुस्तकालय अधीक्षक का पद ही निदेशक, पुस्तकालय निदेशालय के रूप में समपरिवर्तित (Convert) हो जायेगा। सहायक निदेशक का पद विभाग/बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के किसी चलायमान पद (Floating Post) के समपरिवर्तन से सृजित होगा। वर्तमान पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार के कार्यालय में सृजित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद ही निदेशालय के कर्मचारियों के पद माने जायेंगे।

नोट

(*ii*) पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय, बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार के निदेशानुसार निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा–

(क) राज्य के विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों की निधि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हुए नियंत्रण करना। इस संबंध में वित्त विभाग, महालेखा की व्यवस्था कराना और इसका प्रतिवेदन मानव संसाधन विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ख) इस अधिनियम के अधीन निर्धारित नियमानुसार राज्य के विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों को राज्य पुस्तकालय निधि से आवश्यकता आधारित अनुदान हेतु सुझाव देना।

(ग) राज्य में पुस्तकालयों एवं पुस्तकाध्यक्षों की अद्यतन पंजी तैयार करना।

(घ) राज्य में विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के कार्यों के संबंध में विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक प्रतिवेदन तैयार करना तथा राज्य पुस्तकालय प्राधिकार के माध्यम से सरकार को समर्पित करना।

(ङ) केंद्रीय प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट, 1867 से संबंधित सभी कार्यों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और निष्पादन करना तथा स्टेट कॉपीराइट लाइब्रेरीज का संगठन, रख-रखाव प्रभावकारी प्रबंधन एवं इस प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों की बिब्लियोग्राफी तैयार कर इसके प्रकाशन की व्यवस्था करना।

अध्याय–4

राज्य पुस्तकालय निधि
(State Library Fund)

1. राज्य पुस्तकालय निधि–राज्य सरकार, राज्य पुस्तकालय निधि के नाम से एक स्वतंत्र कोष गठित करेगी। इस निधि में निम्न प्रकार की राशियाँ जमा होंगी–

(*i*) राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दी गयी राशि।

(*ii*) विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के विकास हेतु भारत सरकार अथवा राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कोई अंशदान (Donations) अथवा दान।

(*iii*) जिला विकास कोष से अनुदान स्वरूप प्राप्त राशि।

(*iv*) पुस्तकालय भवन निर्माण, मरम्मती (Repair), उपस्कर (Furniture), आधुनिकीकरण एवं पाठ्य-सामग्री आदि के क्रय के लिए सांसद अथवा विधायक कोष से सहायता प्राप्त राशि।

(*v*) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार द्वारा संग्रहित निधियाँ एवं अन्य रकमें।

(*vi*) राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार के किसी निवेशित (Investment) धन से प्राप्त सभी ब्याज (Interest) एवं लाभ (Profits)

(*vii*) निजी कंपनियों, संस्थानों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त अनुदान एवं दान।

2. पुस्तकालय निधि का उपयोजन–इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार द्वारा राज्य पुस्तकालय निधि का उपयोग निम्नांकित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा–

(*i*) राजकीय पुस्तकालयों के अनुरक्षण (Maintenence) एवं विकास के लिए सहायता।

(*ii*) प्राधिकार एवं इसकी उपसमितियों के सदस्यों को देय मानदेय एवं भत्ता (Allonances and Honorarium admissible)

(iii) निदेशक, राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय द्वारा नियमों के अधीन अनुमोदित कोई अन्य आवश्यक व्यय।

3. लेखा एवं लेखा परीक्षा–

(i) राज्य पुस्तकालय निधि का लेखा विहित रीति से संधारित किया जायेगा।

नोट

(ii) इस लेखा की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष महालेखाकार द्वारा अथवा ऐसी रीति से और ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकार द्वारा की जायेगी, जो विहित की जाए तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति विहित रीति से सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय–5

प्रकीर्ण
(Miscellaneous)

1. अधिनियमों का विधिमान्यकरण–प्राधिकरण की कोई धारा/उप-धारा किसी प्रारंभिक या पश्चात्वर्ती रिक्ति की केवल विद्यमानता के कारण अथवा प्राधिकार के गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी।

2. प्रतिवेदन एवं विवरणी–प्रत्येक विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के प्रभारी, राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतिवेदन विवरण प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी सूचना देगा जैसा कि निदेशालय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति समय-समय पर अपेक्षा करे।

3. विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों का निरीक्षण–निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों या उससे सम्बद्ध किसी संस्था का निरीक्षण अपना यह समाधान करने के लिए कर सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों का पालन सम्यक रूप से किया गया है।

4. नियमावली बनाने की शक्ति–

(i) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(ii) विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में ऐसे सभा या किन्ही विषयों का उपबंध किसा जा सकेगा जो विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हों।

(iii) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के यथाशीघ्र **बाद** विधानमंडल के सदन के समक्ष 14 दिन तक रखे जायेंगे तथा उनमें ऐसा उपंतरण (Modification) किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य विधान मंडल उस सत्र के दौरान करेगा जिसमें उन्हें रखा गया हो।

अध्याय–6

1. प्रेस एवं पुस्तकों का पंजीकरण–प्रेस एवं पंजीकरण संबंधी अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य क्षेत्र में यह निम्न प्रकार से लागू होगा–

राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्रकाशित सभी पुस्तकों की एक-एक प्रति प्रकाशकों/लेखकों द्वारा निम्न पुस्तकालय में निःशुल्क देनी होगी–

श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं **सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, पटना** से संबंधित पुस्तकालय द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों की अलग पंजी रखी जायेगी जो केवल शोध एवं संदर्भ के लिए उपयोगार्थ पुस्तकालय के भीतर उपलब्ध की जायेगी।

2. दंड– इस धारा के अनुसार लेखकों/प्रकाशकों द्वारा पुस्तक जमा नहीं करने पर लेखक/प्रकाशक दंड के भागी होंगे। दंड की राशि का निर्धारण प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
सरकार के सचिव

छात्र क्रियाकलाप

1. 'पृथक् निदेशालय' पर टिप्पणी लिखें।

2. 'राज्य पुस्तकालय निधि' की विवेचना करें।

नोट

कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण

विषय–बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक, 2008

निर्णय का सारांश	योजना लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रीति मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदन किया जाना (अधिकतम सात दिन)।
बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक, 2008 को स्वीकृति दी गयी है।	इसके लागू होने से गाँव तथा शहरों में पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका सुव्यवस्थित विकास होगा तथा पठन-पाठन में आम लोगों की अभिरुचि बढ़ेगी।	ससमय

सारांश (Summary)

सारांश के रूप में बिहार में पुस्तकालय अधिनियम के साथ-साथ भारत में भी पुस्तकालय अधिनियम की स्थिति के बारे में कहा जा सकता है कि उन्नत पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में पुस्तकालयों का घना जाल (Network) बिछा दिया जाए और उन पुस्तकालयों की वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो, ताकि अशिक्षा एवं अज्ञान के गहन अंधकार को मिटाकर शिक्षा एवं ज्ञान के प्रकाश को फैलाया जा सके। यह तभी संभव होगा जब देश में एक केंद्रीय पुस्तकालय अधिनियम के साथ ही साथ प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम हो। इस अधिनियम द्वारा पुस्तकालयों को राजकीय शिक्षण-संस्था घोषित किया जाना चाहिए और इसके पोषण और विकास की जिम्मेवारी पूर्णत: सरकार पर होनी चाहिए। यदि प्राचीन समय में पुस्तकालयों की स्थिति पर प्रकाश डालेंगे तो हम पाएँगे कि यहाँ अनेक समृद्ध एवं संसाधनों से परिपूर्ण पुस्तकालय थे जिनकी ख्याति केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई थी। जैसे–तक्षशिला का पुस्तकालय, नालंदा पुस्तकालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, बल्लभी विश्वविद्यालय का पुस्तकालय आदि। यद्यपि वर्तमान समय में भी ऐसे बहुत से समृद्ध पुस्तकालय हैं किंतु वर्तमान व्यवस्था में सुधार तथा भविष्य की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम का होना अत्यंत जरूरी होता है तथा इसे बनाने के लिए केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यद्यपि 16 राज्यों एवं 7 केंद्रशासित प्रदेशों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है लेकिन अभी भी इस दिशा में और कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि 12 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों में पुस्तकालय अधिनियम अभी भी लागू नहीं हो पाया है। इस कमी को दूर कर के ही भारत में पुस्तकालय सेवा को और भी बेहतर बनाया जा सकता है।

प्रमुख शब्द (Key Words)

अधिकर (Cess)–कुछ वैधानिक करों पर अधिभार लगाकर एकत्रित की गई धन-राशि को अधिकर कहा जाता है।

अभिशासन (Governance)–शासन या प्रबंधन की एक पद्धति या प्रणाली।

आधारभूत संरचना (Infrastructure)–आधारभूत एवं अंतर्निहित ढाँचा।

आदर्श अधिनियम (Model Act)–विधेयक बनाने या उसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया एक मार्गदर्शक प्रलेख।

अंतर-पुस्तकालय ऋण (Inter-library Loan)–पुस्तकालय की एक गतिविधि जिसके अंतर्गत अन्य पुस्तकालयों के उपयोक्ताओं को मनपसंद प्रलेख अपने संग्रह से ऋण पर उपलब्ध कराया जाता है।

नेटवर्क (Network)–परस्पर संबंधित तथा परस्पर जुड़ी हुई कड़ियों की ऐसी शृंखला जो एक पूर्ण सत्ता का निर्माण करें।

प्राधिकरण (Authority)–कार्यकारी (Executive) अधिकारों से युक्त एक वैधानिक निकाय।

प्रलेखन (Documentation)–सभी प्रकार के बौद्धिक कार्यकलापों से संबंधित सभी प्रकार की पाठ्य-सामग्री का संग्रह करने, वर्गीकरण करने तथा तत्काल उपलब्ध करने के कार्य को प्रलेखन कहते हैं।

प्लानिंग (नियोजन) (Planning)–किसी कार्य के निष्पादन के लिए प्रतिपादित पद्धति या किसी कार्य एवं उद्देश्य को सोचने-विचारने की एक विधि। योजना, परियोजना, नियोजन, अभिकल्प-रूपरेखा ये सारे शब्द प्रायः एक पर्यायवाची पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

नोट

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. पुस्तकालय अधिनियम को परिभाषित करें तथा इसकी आवश्यकताओं को लिखें।
   Define library legislation and write the needs of library legislation.
2. पुस्तकालय अधिनियम के तत्वों की विवेचना करें।
   Describe the elements of library legislation.
3. किन-किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है? सभी को संक्षिप्त रूप में लिखें।
   Mention the states in which library legislation has been enacted? all the write in briefly.
4. आदर्श पुस्तकालय अधिनियम के संदर्भ में बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक का वर्णन कीजिए।
   Explain Bihar state public library and information centre legislation context to model library legislation.
5. निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें–
   Write Notes on any two following–
   (*a*) पुस्तकालय अधिनियम के उद्देश्य एवं कार्य
   Objective and Purpose of Library Legislation.
   (*b*) पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता
   Needs of Library Legislation.
   (*c*) पुस्तकालय अधिनियम के घटक
   Factors of Library Legislation.
   (*d*) बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र विधेयक।
   Bihar State Public Library and Information Centre Act.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- शर्मा, पांडेय एस.के. : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- शर्मा, प्रहलाद : पुस्तकालय एवं समाज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002
- शैनी, ओमप्रकाश : ग्रंथालय एवं समाज, वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा, 2009
- Mittal, R. L. : Public Libraries Law : An International Survey, Metropolitan Publishing Corporation, New Delhi, 1971
- Ranganathan, S.R. : Library Legislation : Handbook of Madras Library Act, Madras Library Association, Madras, 1953

प्रथम पत्र
(First Paper)

पुस्तकालय तथा समाज
(Library and Society)

खंड 'द' (Section 'D')

संसाधन सहभागिता, नेटवर्किंग और उपयोक्ता अध्ययन
Resource Sharing, Networking and User Studies

इकाई-1	संसाधन सहभागिता, नेटवर्किंग : अवधारणा, आवश्यकता और रूप
Unit-1	Resource Sharing, Networking : Concept, Need and Forms.
इकाई-2	इनफ्लिबनेट, डेलनेट, नासडॉक, निस्सात
Unit-2	INFLIBNET, DELNET, NASSDOC, NISSAT
इकाई-3	एग्रिस, इनिस, मेडलर्स, ओसीएलसी
Unit-3	AGRIS, INIS, MEDLARS, OCLC
इकाई-4	उपयोक्ता अध्ययन एवं उपयोक्ता शिक्षा
Unit-4	User Studies and User Education.

नोट

इकाई-1
(Unit-1)

संसाधन सहभागिता, नेटवर्किंग : अवधारणा, आवश्यकता और रूप
(Resource Sharing, Networking: Concept, Need and Forms)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- संसाधन सहभागिता : अर्थ एवं परिभाषा (Resource Sharing : Meaning and Definition)
- संसाधन सहभागिता की आवश्यकता एवं उद्देश्य (Needs and Objective of Resource Sharing)
- संसाधन सहभागिता के रूप (Forms of Resource Sharing)
- पुस्तकालय नेटवर्क (Library Network)
- नेटवर्क का रूप (Forms of Network)
- पुस्तकालय के नेटवर्क के लिए पूर्व अपेक्षाएँ (Pre-requisites for Library Network)
- पुस्तकालय में नेटवर्क की उपयोगिता (Utility of Network in Library)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

परिचय (Introduction)

वर्तमान समय में कोई भी पुस्तकालय चाहे वह कितना भी बड़ा एवं संसाधन सम्पन्न क्यों न हो, वह केवल अपने बलबूते के आधार पर उपयोगकर्त्ता की बढ़ती हुई माँगों एवं समस्त पुस्तकालय सेवा को प्रदान नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए उसे बाहर के संसाधनों से मदद लेनी पड़ती है। इस मदद के कारण अनेक हैं जैसे–सूचना विस्फोट, पाठ्य-सामग्रियों की बढ़ती हुई कीमत, पुस्तकालयों के पास स्थान की कमी, पुस्तकालयों की वित्त संबंधी समस्या एवं विशाल प्रलेख-संग्रह के प्रक्रियाकरण और रखरखाव पर होने वाला खर्च है।

अत: उपरोक्त कारणों के समाधान निकालने एवं पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों की संतुष्टि के लिए पुस्तकालयों के बीच प्रभावी संसाधन सहभागिता की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। संसाधन सहभागिता को प्रारंभ में पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता था। इसे ही परिमार्जित रूप में संसाधन सहभागिता कहते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में इस अवधारणा को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय पुस्तकालय को इस पद से परिचित कराने का श्रेय डॉ. एस.आर. रंगनाथन को जाता है। इन्होंने पुस्तकालयों के सफल संचालन के लिए पुस्तकालयों के बीच संसाधन सहभागिता एवं पुस्तकालय नेटवर्किंग पर जोर दिया था।

नोट

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई में संसाधन सहभागिता की अवधारणा, परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य, इसके व्यवस्थापन हेतु पूर्व-अपेक्षाएँ एवं इसके विभिन्न रूपों या स्वरूपों के साथ-साथ पुस्तकालय नेटवर्किंग की भी परिभाषा, स्वरूपों एवं आवश्यकता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है क्योंकि वर्तमान सूचना विस्फोट युग में कोई भी पुस्तकालय केवल अपने संग्रह के आधार पर समस्त पुस्तकालय सेवाओं को प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए उसे बाहर के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अत: वर्तमान समय में उपयोकर्त्ता की बढ़ती हुई माँगों के कारण संसाधन सहभागिता एवं पुस्तकालय नेटवर्किंग एक अनिवार्य माँग के रूप में उभरकर सामने आया है।

संसाधन सहभागिता: अर्थ एवं परिभाषा (Resource Sharing: Meaning and Definition)

संसाधन सहभागिता का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक सहभागी के पास ऐसा कुछ हो, जो दूसरे प्रतिभागी सदस्यों के लिए उपयोगी हो और प्रत्येक सदस्य अपने सदस्यों को अन्य सदस्यों की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने की इच्छा शक्ति के साथ समर्पित हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक पुस्तकालयों द्वारा संग्रह, तकनीकी कार्यक्रम तथा सेवाओं में एक-दूसरे से सहयोग करने को संसाधन सहभागिता कहते हैं। सहभागिता के इस कार्यक्रम में प्रत्येक सदस्य पुस्तकालय एक-दूसरे को कुछ देने को तैयार रहता है तथा सहभागिता के इस प्रक्रिया में लगने वाला समय, श्रम तथा धन का भार सम्मिलित रूप से वहन करते हैं।

परिभाषा (Definition)

संसाधन सहभागिता की 'इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन' में परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि "पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अनेक पुस्तकालय अपने कार्यों की सहभागिता में चलाते हैं। इस सहभागिता के उद्देश्य हैं–सभी पुस्तकालयों में उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को एक दूसरे के पाठकों को लाभ पहुँचाना तथा कम खर्च में उत्तम सेवा या और अधिक सेवा उपलब्ध कराते हुए बजट का सदुपयोग करना। इन उद्देश्यों को पूरा करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सदस्य पुस्तकालयों के निजी उद्देश्यों को हानि न पहुँचे।"

जेफर्सेन के अनुसार–"*सहभागिता सीमित साधनों की अक्षमता को कम करने, प्रणालियों एवं क्रियाकलापों* में समन्वय एवं मानकीकरण द्वारा जन-साधारण को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संचालन में एकरूपता लाने में सहायक है।"

डब्लयू. पी. वाटकिंस के अनुसार–"सहभागिता सामाजिक संगठन की एक पद्धति है, जो एकता, मितव्ययता, लोकतंत्र, न्याय तथा स्वतंत्रता पर आधारित है।"

संसाधन सहभागिता की आवश्यकता एवं उद्देश्य (Need and Objective of Resource Sharing)

आवश्यकता (Need)

पुस्तकालय सहयोग के व्यापक स्वरूप को ही संसाधन सहभागिता कहा जाता है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के प्रलेखों का आदान-प्रदान, अर्जन, प्रक्रियाकरण एवं संग्रहण सम्मिलित रहते हैं। पुस्तकालय के संसाधनों में पुस्तकालय सामग्री, पुस्तकालय के प्रशिक्षित कर्मचारी, पुस्तकालय के समस्त कार्य तथा पुस्तकालय में उपलब्ध सभी सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं। अत: पुस्तकालय के संदर्भ में सहभागिता, पुस्तकालयों द्वारा आवश्यकतानुसार सहभागिता में सम्मिलित अन्य पुस्तकालयों को अपने संसाधन उपलब्ध कराता है। वर्तमान समय में निम्न कारणों से इसकी आवश्यकता है–

- **असीमित संख्या में प्रकाशन**–कम्प्यूटर के प्रयोग से प्रकाशन जगत में अभूतपूर्व विकास हो गया है जिसके परिणामस्वरूप कम समय में ही बहुसंख्यक पुस्तक संपूर्ण विश्व की विभिन्न भाषाओं में निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं। किसी भी विषय से संबंधित प्रकाशनों की बहुलता ने पुस्तकालयों के सम्मुख चुनौतीपूर्ण समस्या खड़ी कर दी है क्योंकि पुस्तकालयों के वित्तीय साधन सीमित होते हैं तथा अल्प बजट में मूल्यवान एवं महत्त्वपूर्ण पुस्तकों

नोट

एवं पत्रिकाओं का अर्जन करना संभव नहीं हो सकता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों को भी पुस्तक चयन करके ही संग्रह संवर्धन करना पड़ता है। इस संदर्भ में विकासशील देश भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय विश्व में प्रकाशित पत्रिकाओं के 1/1000 भाग का भी क्रय नहीं कर पाता है। अत: साहित्य विस्फोट एवं माँगों में आशातीत वृद्धि के कारण संसाधन सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है।

• **पाठ्य-सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि**–पुस्तकों की कीमतें, सामयिक प्रकाशनों के चंदे, पुस्तकालयों में नयी-नयी सेवाओं का आगमन, प्रलेखों के अनुरक्षण पर व्यय आदि लगातार पुस्तकालय वित्त को प्रभावित कर रहे हैं। आज जिस अनुपात में पाठ्य-सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में पुस्तकालय की आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। अत: किसी भी पुस्तकालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह समस्त प्रकाशित पाठ्य-सामग्रियों का संकलन कर सके, इसलिए पुस्तकालयों के लिए संसाधन सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है।

स्थान की कमी–यद्यपि पुस्तकालय की भवन योजना भविष्य के विस्तार तथा संग्रह क्षमता में उपयुक्त समायोजन पर आधारित होती है किंतु पुस्तकालयों में नवीन सेवाओं को प्रारंभ करने हेतु स्थान की आवश्यकता पड़ती है। साथ-साथ पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएँ, कर्मचारी तथा अन्य पठनीय सामग्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। इसके परिणामस्वरूप स्थान पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है। अत: इस संदर्भ में संसाधन सहभागिता की आवश्यकता पड़ती है।

उपयोक्ता की विविध आवश्यकताएँ–सूचना समाज के सदस्य के रूप में आज के उपयोक्ता की विविध आवश्यकताएँ होती हैं। पुस्तक, पत्र-पत्रिका के अतिरिक्त वह कंप्यूटर पर आधारित डेटाबेसों, सीडी-रोम, इंटरनेट, ई-मेल आदि सेवाओं की अपेक्षा पुस्तकालय से करता है जिसके लिए पुस्तकालय को आधुनिकतम बनना पड़ता है। उपयोक्ता आकस्मिक रूप से भी किसी रिपोर्ट, प्रलेख या किसी विशिष्ट सामग्री की माँग कर सकता है जिसके लिए पुस्तकालय को अन्य किसी पुस्तकालय से सहायता लेनी पड़ सकती है।

वाङ्मय नियंत्रण–आज आधुनिक पुस्तकालय में यह अनिवार्य है कि उसके द्वारा संग्रहित समस्त पाठ-सामग्रियों का एक व्यवस्थित एवं संपूर्ण रिकार्ड हो। प्रत्येक पाठ्य-सामग्री का स्थान निर्धारित हो। यह कार्य स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल सक्रिय सहकारी प्रयत्नों द्वारा ही संभव है। संदर्भ-ग्रंथ सूचियों, संघीय सूचियों, अनुक्रमणिकाओं आदि का संकलन सहकारी प्रयत्नों द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए भी पुस्तकालयों के बीच संसाधन सहभागिता आवश्यक हो जाती है।

पंचसूत्रों की संतुष्टि हेतु–डॉ. रंगनाथन के प्रथम सूत्र 'पुस्तकें उपयोगार्थ हैं' तथा दूसरे सूत्र 'प्रत्येक पाठक को उसकी अभीष्ट पुस्तक मिले' को तभी संतुष्ट किया जा सकता है कि पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता की व्यवस्था प्रचलित हो।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एक व्यवसाय के रूप में–आज का पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों का मात्र रक्षक नहीं रह गया है। उसका जीवन स्तर ऊँचा है तथा उसे व्यावसायिक योग्यताएँ प्राप्त हैं। इन सब विशेषताओं के कारण पुस्तकालयाध्यक्ष को एक व्यवसाय का दर्जा प्राप्त हो गया है जिसके फलस्वरूप पाठकों को श्रेष्ठ तथा कारगर पुस्तकालय सेवाएँ मिलने लगी हैं। पाठकों या उपयोक्ताओं की पूर्ण संतुष्टि के लिए संसाधन सहभागिता आवश्यक हो गया है।

उद्देश्य (Objective)

संसाधन सहभागिता के उद्देश्य बहुत ही आदर्शवादी हैं। इनका लक्ष्य पुस्तकालय उपयोक्ताओं को सुविधापूर्वक सूचना का अभिगम प्रदान करना होता है चाहे संसाधन कहीं भी अवस्थित हो। दूसरे शब्दों में, पुस्तकालय अपने संसाधनों से परे भी उपयोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। यह अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों में सहभागिता करके ही किया जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के संदर्भ में पुस्तकालय सहकारिता या संसाधन सहभागिता के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- सफल लागत में कमी लाना;
- सूचना संसाधनों और उनके प्रक्रियाकरण तथा उनके रख-रखाव की लागतों में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचना;
- उपयोक्ताओं के विस्तृत वर्ग के लिए सूचना संसाधनों के अभिगम की व्यवस्था करना;
- संग्रह के विशेषीकृत क्षेत्रों का विकास करना, जिससे प्रत्येक पुस्तकालय अपने स्वयं से संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सके;

नोट

- प्राप्त स्रोतों का सर्वश्रेष्ठ स्तर पर उपयोग करना;
- सीमित संसाधनों एवं सेवाओं के द्वारा पाठकों को श्रेष्ठतम सुविधा एवं सेवा प्रदान करना;
- सहयोगी सूचीकरण, केंद्रीय संग्रहण आदि द्वारा पुस्तकालयी क्रियाकलापों की उपयोगिता, कुशलता एवं सुरक्षा में वृद्धि करना;
- विभिन्न पुस्तकालयों के आपसी सहयोग से पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण एवं विशिष्टीकरण प्रदान करना एवं
- ऐसी पाठ्य-सामग्रियों को सहयोगी पुस्तकालयों में भेजना, जहाँ उसकी आवश्यकता एवं माँग हो।
- वस्तुत: संसाधन सहभागिता के क्रियाकलाप का बुनियादी उद्देश्य है–पुस्तकालय सामग्रियों और सेवाओं पर कम से कम खर्च द्वारा उनकी अधिकतम उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसमें सूचना स्रोतों के अभिगम पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कोई भी पुस्तकालय संपूर्ण विश्व के साहित्य को अपने संग्रह में नहीं रखा जा सकता इसलिए उसे अपने पाठकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन सहभागिता पर निर्भर रहना पड़ता है।

संसाधन सहभागिता के व्यवस्थापन हेतु पूर्व-अपेक्षित अनिवार्यताएँ
(Pre-requisites for Organisation of Resource Sharing)

संसाधन सहभागिता तभी संभव हो सकता है जबकि प्रत्येक पुस्तकालय का अधिकारी अन्य पुस्तकालयों के अधिकारियों के प्रति सहयोग प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध हों। प्रत्येक पुस्तकालय अकेले जो कार्य न कर सकते हों और अन्य पुस्तकालयों के सहयोग से उन कार्यों को कर सकें, ऐसे समान हितों और रुचियों के कार्यों को करने में परस्पर भरपूर सहयोग के लिए सदा तत्पर रहें। साथ ही पुस्तकालय में कुछ ऐसी पुस्तकें और पत्रिकाएँ हो सकती हैं जिनका उसके अपने उपभोक्ताओं द्वारा काफी उपयोग किया जाता है और जिन्हें परिसर से बाहर ले जाने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रलेख संसाधन सहभागिता के दायरे में नहीं आते। इसलिए पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता को प्रभावी बनाने के लिए पूर्व-अपेक्षित अनिवार्यताएँ होती हैं जो इस प्रकार हैं–

- सहभागिता पर उपलब्ध सामग्री की श्रेणी एवं प्रकार;
- अधिग्रहण की नीति, जिसका उद्देश्य है–अपने संग्रह के सतत् विकास को सुनिश्चित करना और साथ ही ऐसे प्रलेखों के क्रय की पुनरावृत्ति से बचना जिनका क्रय या अधिग्रहण सदस्य पुस्तकालयों द्वारा अनुत्पादक या फलहीन माना जाए;
- देय-आदेय की अवधि, नवीकरण की प्रक्रिया, लेन-देन के दौरान गुम हो गई सामग्री के लिए अदायगी आदि।
- इस कार्य के लिए विभिन्न उपकरणों को तैयार करना, जैसे–संघ सूचियाँ तैयार करना, जिनमें ग्रंथात्मक नियंत्रक के लिए एकरूपता और मानकीकरण हो;
- सहकारी सूचीकरण या साझा सूचीकरण
- अद्यतन सूचियों आदि का रख-रखाव आदि।

उपर्युक्त पहलुओं के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि–

- सहभागी पुस्तकालयों को सबसे पहले इस बात पर सहमत होना चाहिए कि जो भी स्रोत विभिन्न पुस्तकालयों या सूचना केंद्रों में उपलब्ध है, वह सभी की संयुक्त संपत्ति है तथा वे इस बात के इच्छुक हों कि वे परस्पर इसका संयुक्त लाभ के लिए उपयोग करेंगे।
- अंत: पुस्तकालय आदान-प्रदान संहिता के नियमों का पालन करने के लिए स्वीकृति होनी चाहिए।
- स्वीकृत विषयों के बड़ा एवं सूक्ष्म प्रलेखों के अर्जन तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए;
- अपने संग्रह में उपलब्ध सामग्री या आदेशित या प्रक्रियाकरण के लिए प्रतीक्षित सामग्री का पुंस्तात्मक अभिगम सुनिश्चित करना चाहिए;
- अनिवार्य उपकरण जैसे संग्रह की संघीय सूची, उपकरण आदि होने चाहिए;
- पुस्तकालयों का सहकारिता तथा स्रोत सहभागिता कार्यों में प्रवेश करने के लिए प्रबंधन की स्वीकृति होनी चाहिए; एवं

- कम उपयोग में आने वाली या रद्द की गई सामग्री का रख-रखाव और आवश्यकता पड़ने पर उनके उपयोग के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए।

नोट

संसाधन सहभागिता के रूप (Forms of Resource Sharing)

पुस्तकालयों में संकलित साधनों का समेकित एवं व्यापक उपयोग कराने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के सहयोगी कार्यक्रम एवं प्रणालियों का अनुसरण किया गया है ताकि ज्ञान का प्रचार-प्रसार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन प्राप्त होता रहे और सभी पुस्तकालय पृथक इकाई होते हुए भी सामूहिक रूप से एक इकाई के रूप में कार्यरत हो सकें। इस दृष्टि संसाधन सहभागिता के रूप निम्नलिखित हैं–

- **सहयोगिक अधिग्रहण** (Cooperative Acquisition)–अधिग्रहण के क्षेत्र में सहयोगिकता अपना कर, धन, समय तथा श्रम की बचत की जा सकती है। इससे सीमित साधनों द्वारा अधिकतम पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, जैसे–एक पुस्तकालय 'Encyclopaedia Americana' का पूरा सेट अधिग्रहण कर ले तथा दूसरा पुस्तकालय 'Encyclopaedia Britannica' के सभी खंड अधिग्रहण कर ले और एक-दूसरे को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग हेतु आदान-प्रदान करे तो इससे कम खर्च में अधिक-से-अधिक पाठकों की सेवा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि देश के समस्त पुस्तकालय अपनी विशिष्टता निश्चित करके प्रलेख अर्जन करें तो पाठकों को अंत: पुस्तकालय आदान-प्रदान सेवा द्वारा अभीष्ट प्रलेखों की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकती है। इससे डुप्लीकेट क्रय, धन एवं श्रम की बचत होगी।

सहयोगिक अर्जन सामयिक प्रकाशनों के क्षेत्र में भी अत्यन्त उपयोगी है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सामयिक प्रकाशन बहुत मूल्यवान होते हैं। यदि स्थानीय पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय Biological Abstracts, दूसरा Chemical Abstracts तीसरा Mathematical Abstracts खरीद लें तो इस प्रकार पाठकों को एक ही नगर में तीनों सामयिक प्रकाशन उपलब्ध हो सकते हैं। इससे अनावश्यक सामयिक प्रकाशनों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अमेरिका का फार्मिंगटन प्लान इसके लिए प्रसिद्ध है।

- **सहयोगी सूचीकरण** (Cooperative Cataloging)–सहयोगी सूचीकरण सहकारिता का वह कार्यक्रम है जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुस्तकालय पारस्परिक सहयोग के आधार पर सूचीकरण करते हैं जिसमें पुस्तकों का संलेख एक केंद्रित स्थान पर विशेषज्ञों द्वारा संपन्न किया जाता है और इसके व्यय को सामूहिक रूप से सहयोगी पुस्तकालय वहन करते हैं और उत्तम प्रकार के मुद्रित पत्रकों को प्राप्त करते हैं। इससे कम कीमत पर सूचियों के लिए उत्तम प्रकार के सूची व्यंजक पत्रक सुलभ हो जाते हैं और प्रसूचीकरण का व्यय एवं श्रम बच जाता है और सूचियों में समानता भी बनी रहती है।

- **संघ सूची** (Union Catalogue)–सहयोगी पुस्तकालयों में संकलित पाठ्य-सामग्रियाँ एवं विशिष्ट विषयों की कृतियों की सूचियों को संघ सूची कहते हैं। संघ सूची संसाधन सहभागिता का महत्त्वपूर्ण रूप है। अंतर पुस्तकालय आदान-प्रदान की दृष्टि से पाठ्य-सामग्रियों का विवरण ज्ञात करने तथा उनकी प्राप्ति के स्थान की जानकारी के लिए संघ सूचियाँ बड़ी उपयोगी होती हैं। पुस्तकों को इनके माध्यम से ज्ञात करके किसी भी पुस्तकालय में मँगवा कर पाठकों को प्रदान की जाती है। संघ सूचियों का निर्माण पुस्तकालय सहकारिता के आधार पर ही किया जाता है।

- **कर्मचारी विनिमय** (Staff Exchange)–यह पुस्तकालयों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुभव प्रदान करने वाली प्रणाली है। आधुनिक पुस्तकालय में आवश्यक है कि कर्मचारी उच्च शैक्षणिक योग्यता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करें तभी वे सक्षम तथा कारगर सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। पुस्तकालय कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, उनमें सद्भावना, प्रेम, सहयोग बढ़ाने, उनकी सोच की विस्तृत करने के लिए अंत: पुस्तकालय कर्मचारियों का विनिमय काफी हद तक सहायक सिद्ध होता है। यदि पुस्तकालय सहभागिता है तो एक पुस्तकालय जिसको अपना कार्य समयबद्ध करना है और उसके पास कर्मचारियों की कमी है तो वह अन्य पुस्तकालयों से कर्मचारी मँगा सकता है। यह कार्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही संभव है।

- **सहयोगी भंडार** (Cooperative Storage)–सभी प्रकार के पुस्तकालयों जो पाठ्य-सामग्री अधिग्रहण की जाती है उनमें से काफी सामग्री कुछ समय पश्चात् पाठकों द्वारा उपयोग नहीं की जाती है। इसके कारण हो सकते हैं–जैसे कुछ प्रलेख गतिविधि पुराने (Out of Date) हो जाते हैं या फिर पाठ्यक्रम से बाहर की सामग्री आदि। ऐसी पाठ्य-सामग्रियाँ अनावश्यक रूप से पुस्तक संग्रहक में स्थान घेरे रहती हैं। अत: पुस्तकालयाध्यक्षों का

छात्र क्रियाकलाप

1. संसाधन सहभागिता की आवश्यकता क्यों पड़ी?

2. संसाधन सहभागिता के व्यवस्थापन हेतु पूर्व-अपेक्षित अनिवार्यताएँ लिखिए।

नोट

दायित्व बन जाता है कि ऐसी सामग्री को समय-समय पर निरसित किया जाए। यदि इन पुरानी पाठ्य-सामग्रियों को पूर्णत: नष्ट कर दिया जाय तो भावी पीढ़ी को इस ज्ञान एवं संस्कृति को जानने एवं समझने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि एक ऐसा केंद्रीकृत भंडार गृह बनाया जाय जिसमें विभिन्न पुस्तकालय अपनी ऐसी सामग्री को भेज सकें। उस केंद्रीकृत भंडार में संकलित पाठ्य-सामग्रियों को आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है। अमेरिका में बड़े-बड़े पुस्तकालयों में कम उपयोग तथा अप्रचलित पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य-सामग्रियों को एक केंद्रित स्थान पर संग्रह करके रखने के लिए सहयोगी संग्रह केंद्रों की व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है।

• **उपकरणों का विनिमय** (Exchange of Aided Machines)–आज के इस वैज्ञानिक एवं आर्थिक युग में उसी पुस्तकालय की उपयोगिता ज्यादा है जो समय की माँग के अनुसार कार्य करता हो। पुस्तकालय उपयोक्ता अविलंब सूचना चाहता है। अविलंब सूचना प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों में कम्प्यूटर, रिपोग्राफिक मशीन, फोटोग्राफिक मशीन, स्लाइड फिल्म प्रोजेक्टर, नेटवर्किंग जैसी सेवाएँ होनी चाहिए। इन सबके लिए भारी वित्त की आवश्यकता होती है, जो सभी पुस्तकालयों के लिए संभव नहीं हो पाती है। इसका समाधान संसाधन सहभागिता के जरिए ही हो सकता है। इसके अंतर्गत एक क्षेत्र या शहर के पुस्तकालय मिलकर इन उपकरणों को खरीद सकते हैं और उनका सहभागिता के आधार पर उपयोग कर सकते हैं।

• **अध्ययन सामग्री का विनिमय** (Exchange of Study Material)–जो सामग्री पुस्तकालय में उपयोगहीन हो जाती है उस सामग्री को किन्हीं अन्य पुस्तकालयों में भेज दिया जाता है जहाँ पर उनका अधिकतम उपयोग होता है। इसी तरह अन्य पुस्तकालयों से ऐसी सामग्री को लिया जाता है। इससे सभी पुस्तकालय परस्पर लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार के निक्षेप तथा विनिमय से पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होकर सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री का सदुपयोग हो सकता है। परंतु पहले ऐसी सामग्री की सूची बनाकर सहयोगी पुस्तकालयों में भेजी जानी चाहिए और उसकी आवश्यकता की जानकारी मिलनी चाहिए। ये सूचियाँ समय-समय पर भेजते रहना चाहिए।

• **अंत: पुस्तकालय आदान-प्रदान प्रक्रिया** (Inter Library Loan)–आज कोई भी पुस्तकालय अपने सभी उपयोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति अंत: पुस्तकालय आदान-प्रदान प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो सकता है। अंत: पुस्तकालय आदान-प्रदान का तात्पर्य है कि सभी पुस्तकालय सहभागिता के आधार पर अपने संसाधनों, सभी प्रकार की पाठ्य-सामग्रियों को अन्य पुस्तकालयों के पाठकों के उपयोग के लिए उस पुस्तकालय विशेष के माध्यम से आपसी सहयोग के आधार पर प्रदान करें। इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी पुस्तकालय की कोई भी पाठ्य-सामग्री किसी भी पुस्तकालय में प्राप्त करने के पश्चात् पाठकों के उपयोग के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। इससे यह लाभ होता है कि पर्याप्त साधनों के अभाव में या किसी प्रकाशन की अनुपस्थिति की स्थिति में भी पाठकों की सेवा इस प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है। संघ सूची इस दृष्टि से बड़ी ही उपयोगी होती है, जिसके माध्यम से पुस्तकों की सुलभता का विवरण मिल जाता है।

• **अन्त: पुस्तकालय पठन सुविधा** (Inter Library Study Facilities)–इस सुविधा के अंतर्गत एक ही शहर या क्षेत्र में स्थापित कई विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालय प्रवासी पाठकों को पुस्तकें निर्गम की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। पाठकों को रीडर्स टिकट्स उनके सम्बद्ध पुस्तकालय से ही जारी होंगी लेकिन वे अपनी वांछित पुस्तकें शहर या क्षेत्र के जिस भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध हों, वहाँ से अपनी टिकटों पर निर्गत करा सकते हैं। पुस्तकालय सहभागिता में यह एक नयी अवधारणा है। इस सुविधा के लिए पाठक की पूर्ण पहचान, उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री तथा देर से लौटाने या खो जाने की स्थिति में किसका दायित्व होगा, यह सब बातें इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने से पूर्व पुस्तकालयों के बीच निश्चित कर ली जाती हैं।

• **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** (International Cooperation)–संसाधन सहभागिता केवल स्थानीय, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर भी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ UNISIST, FID, IFLA, ISO आदि सूचना के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में कार्य कर रही है। International Seriaes Data System विश्व की Current Serial Publication की सूचना के प्रसारण का कार्य कर रही है जो अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता का एक सर्वोत्तम उदाहरण है।

इसी प्रकार IFLA की दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों–(*a*) Universal Bibliographical Control (UBC) तथा (*b*) Universal Availability of Publications का एक मात्र उद्देश्य है–समस्त प्रकाशनों के

नोट

लिए वाङ्मय सूचना के विनिमय के लिए World Wide Scheme का निर्माण करना तथा उपयोक्ताओं को त्वरित गति और सटीक प्रलेख उपलब्ध कराना।

संसाधन सहभागिता में Library of Congress की MARC परियोजनाओं–MEDLARS, CAS,BIOSIS, ISI Data Bases जिनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र है का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

वर्तमान समय में संसाधन सहभागिता (Resource Sharing in Modern age)–कुछ समय पहले पुस्तकालय आपसी संसाधन सहभागिता डाक द्वारा, स्वयं जाकर, टेलीफोन द्वारा करते थे। जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती थी एवं सूचना, प्रलेख के पहुँचते-पहुँचते उसकी उपयोगिता भी कम हो जाती थी। समय बहुत खर्च होता था। लेकिन आज सूचना के संप्रेषण में अत्यधिक परिवर्तन हो चुका है। जिसमें पुस्तकालयों के परंपरावादी क्रियाकलाप, तकनीक तथा विधियाँ पूर्ण रूप से बदल चुकी हैं। साथ ही आज संसाधन सहभागिता का स्वरूप भी बदल गया है।

पुस्तकालय नेटवर्क (Library Network)

परिचय (Introduction)

पुस्तकालय नेटवर्क संसाधन सहभागिता का एक उत्तम एवं प्रभावी माध्यम है। पुस्तकालयों में कम्प्यूटर के उपयोग के साथ-साथ पुस्तकालय नेटवर्क की विचारधारा को लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पुस्तकालयों में कम्प्यूटर के आगमन के पहले पुस्तकालयों के बीच नेटवर्क स्थापित करने की विचारधारा सामने नहीं आयी थी। डॉ. रंगनाथन ने समय-समय पर इसकी आवश्यकता पर जोर दिया था। यद्यपि उस समय में भारत में कम्प्यूटर का युग नहीं था। डॉ. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय नेटवर्क का तात्पर्य था–प्रत्येक स्तर के पुस्तकालयों अर्थात् राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय आदि को एक सूत्र में पिरोकर पुस्तकालयों का एकीकृत जाल बिछाना, जिससे एक पुस्तकालय का सदस्य या उपयोक्ता देश के किसी पुस्तकालय के स्रोतों का लाभ उठा सके। डॉ. रंगनाथन ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ यहाँ-वहाँ पुस्तकालय खोलना मात्र नहीं, बल्कि उनके बीच संबंध स्थापित कर उनका जाल बिछाना है। अतः यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग के पूर्व की पुस्तकालय नेटवर्क की विचारधारा विद्यमान थी, परंतु उस समय इसे व्यवहार रूप में कार्यान्वित करना संभव नहीं था।

परिभाषा (Definition)

पुस्तकालय नेटवर्क को परिभाषित करने से पूर्व कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ जानना आवश्यक है क्योंकि यही पुस्तकालय नेटवर्क से जुड़ा रहता है।

कम्प्यूटर नेटवर्क–कम्प्यूटर नेटवर्क वह होता है जिसमें एक या एक से अधिक संचार परिपथों (Paths) द्वारा बहुत से कम्प्यूटर अंतर्संबंधित होते हैं।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कम्प्यूटर नेटवर्क एक भौतिक पृथक कम्प्यूटर प्रणाली (Physically Seperate Computers Process) है जो दूरसंचार से जुड़ी होती है और प्रत्येक सहभागी संस्था के स्रोतों की दूसरी सहभागी संस्थाओं के साथ सहभागी या बाँटने की अनुमति देती है। कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली में अनेक कम्प्यूटर बिंदु या टर्मिनल्स किसी एक कमरे या भवन या शहर या राज्य या राष्ट्र या विश्वभर में फैले होते हैं तथा आपस में सूचना संचार के लिए परस्पर जुड़े होते हैं।

पुस्तकालय नेटवर्क–पुस्तकालय नेटवर्क वह होता है जिसमें बहुत से पुस्तकालय, सूचना, सामग्री एवं सेवाओं के विनिमय के उद्देश्य से कम्प्यूटर तथा संचार साधनों से जुड़े होते हैं।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पुस्तकालय नेटवर्क एक अंतर्संबंधित पुस्तकालय प्रणाली है जिसमें एक से अधिक पुस्तकालय बिंदुओं को परस्पर एक-दूसरे के साथ सूचना संचार के लिए जोड़ दिया जाता है।

नेटवर्क का रूप (Forms of Network)

नेटवर्क दो प्रकार का हो सकता है जो इस प्रकार है–

- **स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN** (Local Area Network)–जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कम्प्यूटरों का एक समूह होता है जो परस्पर केबुल (Cables) तथा विशिष्ट सॉफ्टवेयर

नोट

(Software) से जुड़े होते हैं और आँकड़ों (Data) को बाँटने की अनुमति देते हैं। इसमें केंद्रीय कम्प्यूटर या संसाधक एक स्थान पर रखा रहता है तथा उस या साथ के टर्मिनल आदि उससे जुड़े होते हैं। इसमें आँकड़ा निवेश तथा निर्गत (Input and Output) का कार्य किसी भी टर्मिनल आदि से हो सकता है; परंतु आँकड़ा संसाधन का कार्य केवल केंद्रीय संसाधक या केंद्रीय कम्प्यूटर ही करता है। यह कार्यालयों, पुस्तकालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि के लिए अत्यंत उपयोगी है, जहाँ एक भवन के अंतर्गत सूचना का आदान-प्रदान होता है।

- **विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क WAN** (Wide Area Network)–जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह नेटवर्क व्यापक स्थानों में कार्य करता है तथा इन स्थानों में रखे कंप्यूटर एक-दूसरे से आँकड़ा (Date) संचारण के लिए जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क में किसी शहर, एक देश या अनेक देशों में कंप्यूटर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इन नेटवर्क के कार्य करने की विधि यह है कि संचार प्रणाली द्वारा अनेक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्कों को एक-दूसरे से 'गेटवे' के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। 'गेटवे' का कार्य विशाल भंडारण (Storage) क्षमता तथा विपुल सामर्थ्यवाले कंप्यूटर करते हैं, जिन्हें विभिन्न केंद्रों में प्रतिष्ठापित किया जाता है।

पुस्तकालय नेटवर्क के लिए पूर्व-अपेक्षाएँ (Pre-requisities for Library Network)

किसी भी पारस्परिक सहयोग एवं साझेदारी हेतु कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित किए जाने हेतु कुछ पूर्व-अपेक्षाएँ सम्मिलित की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं–

- सहयोग के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध;
- निरंतर उपयोगी संग्रह संवर्धन के लिए अधिग्रहण नियमों का निर्माण;
- उपयोगकर्ताओं तक शीघ्रता से प्रलेख संप्रेषण के उपाय;
- आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था जिसमें मानव यंत्र, वित्त तथा प्रलेख सम्मिलित हो सकते हैं;
- कंप्यूटर एवं नेटवर्क प्रणाली की स्थापना;
- सहभागी पुस्तकालयों के एक समान विषय क्षेत्र;
- संस्थागत सहयोग;
- टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल से संप्रेषण संयोजन;
- ऑनलाइन डेटाबेसों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त मानक के सॉफ्टवेयर, एवं
- प्रशिक्षित कर्मचारी।

पुस्तकालयों में नेटवर्क की उपयोगिता (Utility of Network in Library)

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में नेटवर्क की उपयोगिता इस प्रकार है–

- कंप्यूटर द्वारा संचालित नेटवर्क की व्यवस्था से अंत:पुस्तकालय ऋण के नियमानुसार कई पुस्तकालयों में अधिकतम सेवा प्रदान कर संसाधन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- पुस्तक वितरण के लिए यांत्रिक सहायता मिलती है।
- पाठ्य-सामग्रियों के संग्रहण में पुनरावृत्ति से बचने में काफी सहायक होता है।
- रेफरल सेंटर का गठन कर सूचीकरण एवं खोज कार्य का निरीक्षण किया जाता है एवं इस तरह ऑनलाइन संघीय सूची तैयार कर सदस्य पुस्तकालय आपसी उपयोग के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं।
- नेटवर्क के द्वारा समस्त पुस्तकालय सूचना को बाँट सकते हैं। कुछ फाइल या डेटा को सारे पुस्तकालय में निरंतर उपयोग में लाया जा सकता है।
- विश्व के किसी भी जगह में कंप्यूटर का उपलब्ध सूचना को किसी भी स्थान पर अतिशीघ्र, स्थानांतरित, संग्रहित तथा मुद्रित किया जा सकता है। प्रलेख की प्रतियाँ ई-मेल (e-mail) द्वारा वितरित की जा सकती है।

छात्र क्रियाकलाप

1. आप कैसे समझाएँगे कि नेटवर्क बिना पुस्तकालय अधूरा है।

2. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क में क्या अंतर है?

नोट

- नेटवर्क के द्वारा विभिन्न सूचना केंद्रों के डेटा प्रोसेसिंग (Data Processing) कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं।
- नेटवर्क के द्वारा ज्ञान को भी स्थानांतरित तथा संचरित किया जा सकता है। कक्षायें टर्मिनल्स के माध्यम से किसी भी भवन, शहर, राज्य, राष्ट्र तथा विदेश के किसी भी स्थान पर लगाई जा सकती है।
- पुस्तकों के खोज एवं अभिगम को सुनिश्चित करने के लिए वाङ्मय सूची का डाटाबेस बनाकर पुस्तकेत्तर सामग्री एवं सीरियल का तथ्य प्राप्त किया जा सकता है एवं
- दूरस्थ पुस्तकालय एवं उपयोक्ताओं को त्वरित गति से सूचना उपलब्ध कराया जा सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है–नेटवर्क के द्वारा पुस्तकालय के कार्यदक्षता को सटीक एवं उन्नत बनाने में एवं उपयोक्ताओं को वांछित सूचना उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण योगदान है।

सारांश (Summary)

मुद्रण कला के आविष्कार के बाद से अभिलिखित ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अभिलिखित साहित्य के क्षेत्र में इस उत्तरोत्तर वृद्धि को विद्वानों ने 'सूचना विस्फोट' की संज्ञा भी दी है। यह वृद्धि इतनी अत्यधिक मात्रा में हो रही है कि कभी-कभी यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि यदि अभिलिखित ज्ञान के नियंत्रण एवं संगठन के लिए कोई प्रभावकारी कदम न उठाया गया तो वह कहीं अपने ही दबाव से नष्ट न हो जाए। एक ओर तो साहित्य विस्फोट की स्थिति है, तो दूसरी ओर पुस्तकालयों के साधनों की सीमितता स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता में एक बहुत ही बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। कोई भी पुस्तकालय आर्थिक साधनों में चाहे जितना भी सशक्त क्यों न हो, अपनी आवश्यकता की सभी पाठ्य-सामग्रियों को प्राप्त नहीं कर सकता और सभी पाठ्य-सामग्रियाँ सभी पुस्तकालय के लिए अभीष्ट नहीं होती; ऐसी स्थिति में पुस्तकालय पाठ्य-सामग्रियों का चयन अपनी आवश्यकतानुसार करता है। ये वे पाठ-सामग्रियाँ होती हैं जो उस पुस्तकालय के लिए अत्यन्त आवश्यक होती हैं। प्राय: पुस्तकालयों में उपयोक्ता इस प्रकार की पाठ्य-सामग्री की भी माँग करते हैं जो उस पुस्तकालय में नहीं है। ऐसी स्थिति में ही पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता का महत्त्व बढ़ जाता है।

संसाधन सहभागिता के माध्यम से एक क्षेत्र विशेष के पुस्तकालय आपसी सहमति से मिल-जुलकर कार्य करते हुए अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं ताकि वृहद स्तर पर उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा संसाधन सहभागिता को व्यवहार रूप में कार्यान्वित करने के लिए कुछ पूर्व-अपेक्षाएँ होती हैं जिसे पूरा किया जाना आवश्यक होता है ताकि भविष्य में संसाधन सहभागिता के उद्देश्यों को पूरा करते समय पुस्तकालयों के बीच कोई भ्रम या मन-मुटाव की स्थिति उत्पन्न न हो जाए।

इस अध्याय में इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि संसाधन सहभागिता के क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कुछ मूलभूत अभिलेखों का रखरखाव जरूरी होता है। इस बात पर बल दिया गया है कि कंप्यूटर के उपयोग से कार्य में सुविधा होगी। नेटवर्किंग की अवधारणा और संसाधन सहभागिता से जुड़े क्रियाकलापों के लिए दूरसंचार नेटवर्क की उपयोगिता पर भी चर्चा की गई है। नेटवर्क के द्वारा उपयोक्ता को सूचनाओं को सटीक एवं त्वरित गति से उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही पुस्तकालयों के द्वारा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा सूचना संचार तकनीकियों का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने पर संसाधन सहभागिता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रमुख शब्द (Key Words)

अंत:-पुस्तकालय ऋण (ILL–Inter Library Loan)–पुस्तकालय का एक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत अन्य पुस्तकालय के उपयोक्ताओं को वांछित प्रलेख अपने संग्रह से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक मेल (Electronic mail-e-mail)–विडियो टेक्स, ऑन-लाइन, नेटवर्कों का प्रयोग कर व्यक्तियों या संगठनों के बीच संवादों, सूचनाओं, ज्ञापनों, पत्रों, प्रतिवेदनों आदि का हस्तांतरण।

उपभोक्ता (User/Reader)–पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या सूचना संस्थान एवं सूचना का उपभोक्ता।

नेटवर्क (Network)–भौतिक दृष्टि से अलग, किंतु दूरसंचार माध्यम से जुड़े कंप्यूटरों की प्रणाली जिसमें

प्रत्येक भागीदार एक-दूसरे के संसाधनों को अपने कंप्यूटर में देख सकता है तथा उनका प्रयोग कर सकता है। यदि ऐसे नेटवर्क का प्रयोग पुस्तकालय संसाधनों में सहभागिता के लिए किया जाता है तो उसे पुस्तकालय संसाधन सहभागिता नेटवर्क कहते हैं।

प्रोग्राम (Programme)–किसी कार्यशैली के कार्यान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली निर्धारित गतिविधियों तथा लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में किए जाने वाले व्यवहारकुशल कार्य।

प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन (Processing and Organisation)–किसी पुस्तकालय में प्रलेखों का प्रसूचीकरण और वर्गीकरण तथा पाठकों के उपयोग के लिए उनका समुचित रीति से प्रदर्शन। सार्वजनिक उपयोग के लिए पुस्तकालय प्रसूची बनाना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य भी प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन के अंतर्गत आते हैं।

संसाधन सहभागिता (Resource Sharing)–किसी भागीदारी पुस्तकालयों के बीच एक प्रकार की सहमति या अनुबंध जिसमें प्रत्येक भागीदार अपने संसाधनों को अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए देने पर सहमत होता है और बदले में जब भी आवश्यकता हो, अन्य भागीदार सदस्यों के संसाधनों में हिस्सा लेने का इसे विशेषाधिकार प्राप्त होता है।

सूचना (Information)–किसी भी भौतिक माध्यम पर या रूप में अलिपिबद्ध संदेश।

नोट

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. संसाधन सहभागिता को परिभाषित करें एवं इसकी आवश्यकता को बताएँ।
   Define Resource Sharing and Discuss its Needs.
2. संसाधन सहभागिता के उद्देश्यों एवं इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें।
   Explains the Objective or Resource Sharing and its Forms.
3. नेटवर्क को परिभाषित करते हुए पुस्तकालय में इसकी उपयोगिता का वर्णन करें।
   Define Network and explain its utility in Library.
4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें–
   Write short notes on any two of the following.
   (*i*) संसाधन सहभागिता के लिए पूर्व-अपेक्षित अनिवार्यताएँ।
   Pre–requistic of Resource Sharing.
   (*ii*) नेटवर्क का रूप
   Forms of Network.
   (*iii*) पुस्तकालय नेटवर्क के लिए पूर्व-अपेक्षित अनिवार्यताएँ।
   Pre–requistic of library Network.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- मौंगेराम एवं अन्य : पुस्तकालय और आधुनिक समाज, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
- मुखर्जी, नंदिता बी. : बदलते परिवेश में सार्वजनिक पुस्तकालय, श्री अनीरबता मुखर्जी, पटना, 2009
- शैनी, ओमप्रकाश : ग्रंथालय एवं समाज, वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा, 2009
- शर्मा, पांडेय एस.के. : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- Kent, A and Galvin, T : Library Resource Sharing, Marcel Decker, New York, 1977
- Kent, A and Galvin, T : The Structure and Governance of Library Network, Marcel Decker, New York, 1979
- Murthy, S.S. : Library Network in India : An Overview DESIDOC Bulletin of Information Technology, 1996

नोट

इकाई-2
(Unit-2)

इनफ्लिबनेट, डेलनेट, नासडॉक, निस्सात (INFLIBNET, DELNET, NASSDOC, NISSAT)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- इनफ्लिबनेट (INFLIBNET)
- डेलनेट (DELNET)
- राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नासडॉक)
  (National Social Science Documentation Centre) (NASSDOC)
- नेशनल इन्फॉरमेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नालॉजी (निस्सात)
  (National Information System in Science and Technology) (NISSAT)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

प्रस्तुत अध्याय में राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय नेटवर्क जैसे–इनफ्लिबनेट, डेलनेट, नासडॉक एवं निस्सात के उद्देश्यों, कार्यों, आवश्यकता आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। साथ ही इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् जिज्ञासु पाठक को जानकारी मिल जाएगी कि भारत में पुस्तकालय सेवाओं और सूचना सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं उनके उन्नयन तथा संसाधन सहभागिता के उद्देश्यों को पूरा करने में इन पुस्तकालय नेटवर्कों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत में पुस्तकालय नेटवर्किंग (Library Networking in India)

संसाधन सहभागिता के उद्देश्य से भारत में पुस्तकालयों की नेटवर्किंग की आवश्यकता 1980 के दशक में तब अनुभव की गई थी जब इस दिशा में विकसित देशों द्वारा की गई भारी प्रगति देखी गई। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर योजना आयोग के एक 'कार्यदल' जिसके अध्यक्ष ,डॉ. एन. शेषगिरी थे, पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए और सातवीं योजना काल (1985-90) में पुस्तकालय प्रणालियों को परस्पर जोड़ने की सिफारिश की थी।

सन् 1985 में निस्सात ने सी.एस.आई.आर. (CSIR) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक की सिफारिशों में से एक थी–कोलकाता में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी (Science and Technology Library) की स्थापना करना और इस शहर में पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। निस्सात ने सी.एम.एस. लिमिटेड (CMS Ltd) को कोलकाता पुस्तकालय नेटवर्क (CALIBNET Kolkata Library Network) पर व्यवहार्यता प्रतिवेदन (Feasibility Report) तैयार करने के लिए नियुक्त किया।

यह प्रतिवेदन सन् 1989 में पूरा हुआ और प्रकाशित हुआ। इसी दौरान जनवरी 1988 में निस्सात के समर्थन से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (India International Centre) नई दिल्ली ने पुस्तकालय नेटवर्क (डेलनेट) पर इस केंद्र की एक परियोजना के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। जुलाई 1992 में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (Societies Registration Act, 1860) के अंतर्गत इसका एक संस्था के रूप में पंजीकरण हुआ।

इनफ्लिबनेट, डेलनेट, नासडॉक, निस्सात

पुस्तकालय सेवा और सूचना विज्ञान के आधुनिकोकरण पर डॉ. शेषगिरी की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों ने सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क (Information and Library Network)अर्थात् इनफ्लिबनेट (INFLIBNET) के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इनफ्लिबनेट के ऊपर सन् 1989 में प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। सन् 1991 में इनफ्लिबनेट ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी बीच चेन्नई, पुणे, मुंबई और बंगलौर जैसे शहरों में अन्य नेटवर्कों की स्थापना के बारे में प्रस्ताव रखे गए। इसलिए कैलिबनेट, डेलनेट और इनफ्लिबनेट के अतिरिक्त पुस्तकालय नेटवर्क किसी-न-किसी रूप में मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद में भी शुरू किए गए।

नोट

प्रमुख भारतीय पुस्तकालय नेटवर्क (Important Indian Library Network)

भारत में पुस्तकालय नेटवर्किंग का कार्य यद्यपि विलंब से आरंभ हुआ किंतु निस्सात द्वारा इस क्षेत्र में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया जिसके फलस्वरूप स्थानीय एवं क्षेत्रीय नेटवर्कों का विकास हो सका। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दिशा में काफी प्रयास किए गए। कुछ प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क इस प्रकार है–

इनफ्लिबनेट (INFLIBNET)

अर्थ एवं परिचय (Meaning and Introduction)

इसका पूरा नाम है, इन्फार्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (Information and Library Network)। इस योजना का प्रारंभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने किया था। अब इसका स्वशासित कार्यालय अहमदाबाद में कार्य कर रहा है। इस नेटवर्क के द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे–विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों तथा अन्य शोध संस्थानों के पुस्तकालयों के बीच संबंध स्थापित करने की योजना है।

इनफ्लिबनेट कार्यक्रम की अवधारणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. यशपाल ने की थी। उनका यह मानना था कि इनफ्लिबनेट के आकार का पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के मौजूदा संदर्भ में, देश के लिए अत्यन्त अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे नेटवर्क विकसित विश्व में पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनफ्लिबनेट के लिए बनाए गए संपूर्ण कार्यक्रम का वर्णन और विवेचन डेवलपमेंट ऑफ इन इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क: रिपोर्ट ऑफ द इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप यू.जी.सी., 1988 (Development of an Information and Network: Report of the Inter Agency Working Group UGC, 1988). नामक प्रलेख में दिया गया है।

इस प्रतिवेदन के बाद इनफ्लिबनेट का जो प्रस्तावित रूप सामने आया वह इस प्रकार था–

- इनफ्लिबनेट कंप्यूटर आधारित सहकारी नेटवर्क होगा, जो विश्वविद्यालय एवं अन्य शोध तथा राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के पुस्तकालयों को एक-दूसरे से जोड़ेगा, जिससे उनमें उपलब्ध शिक्षा सामग्री का अधिकतम उपयोग संभव हो तथा
- इसे प्रारंभ करने के लिए इन पुस्तकालयों में कंप्यूटर प्रयुक्ति कर इन्हें आधुनिक रूप में विकसित किया जाए।

उद्देश्य (Objectives)

इनफ्लिबनेट के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य तय किए गए हैं–

- एक ऐसे राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक एवं शोध संस्थानों के पुस्तकालय के सूचना केंद्रों को परस्पर जोड़ सके और सूचना संचालन और सेवा में दक्षता को सुधार सकें;
- मोनोग्राफों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकेत्तर सामग्रियों की ऑन-लाइन संघ-सूची बनाकर विविध स्थानों के पुस्तकालयों के प्रलेख संग्रह का अभिगम उपलब्ध कराना;

नोट

- पुस्तात्मक, संख्यात्मक तथा तथ्यात्मक डेटाबेसों के प्रति अधिक-से-अधिक अभिगम उपलब्ध कराना– विशेषतौर से उन डेटाबेसों का अभिगम जो निस्सात के क्षेत्रीय सूचना केंद्रो (Sectoral Information Centre) तथा यूजीसी (UGC) के सूचना केंद्रों द्वारा अपने देश में बनाए गए हैं;
- सूचना की ऑनलाइन प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए गेटवे स्थापित करना;
- जिन पुस्तकालयों के पास विशेष क्षेत्रों में पुस्तकों के प्रचुर संग्रह हैं, उनके सूचना स्रोतों को समुन्नत करके प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करना;
- संसाधन सहभागिता के माध्यम से सूचना संसाधन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना;
- एकसमान मानकों का अनुसरण कर पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के कार्यों और सेवाओं का कंप्यूटरीकरण;
- इलेक्ट्रॉनिक मेल, बुलेटिन बोर्ड (Bulletin Board), फाइल अंतरण, कंप्यूटर आधारित श्रव्य/दृश्य कॉन्फरेंसिंग (Conferencing) आदि के जरिए वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, शोधकर्त्ताओं, समाजशास्त्रियों, शिक्षाविदों, अध्यापकों और छात्रों के बीच वैज्ञानिक संचार को सुगम बनाना;
- पुस्तकों, मोनोग्राफों, पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकेतर सामग्रियों को उनके स्रोतों का पता लगाकर जहाँ उपलब्ध हैं, देश-भर में फैले हुए उपयोक्ताओं की पहुँच के दायरे में लाना और नई प्रौद्योगिकी तथा लेखों की संघ सूची के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराना;
- देश के पुस्तकालयों, प्रलेखन केंद्रों और सूचना केंद्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना ताकि सुदृढ़ संसाधन केंद्रों तथा कमजोर संसाधन केंद्रों के हित के लिए संसाधनों का एकीकरण किया जा सके;
- इनफ्लिबनेट को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए तथा उसे गतिशील रखने के लिए समुचित गुणवत्ता युक्त व्यावसायिक जनशक्ति विकसित करना;
- तकनीकी, विधियों, प्रक्रियाओं, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर और सेवाओं आदि में मानकों और एकसमान निर्देशों को विकसित करना तथा सभी पुस्तकालयों द्वारा उनको (मानकों आदि को) वास्तविक व्यवहार में लाना ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके;
- स्थान एवं दूरी का विचार किए बिना देश के किसी भी कोने में उपभोक्ताओं को उनकी वांछित सामग्री उपलब्ध कराना;
- वाङ्मय सूचना स्रोतों का उद्धरण (citation) तथा सारांश के साथ बेहतर अभिगम प्रदान करना एवं
- इनफ्लिबनेट को स्थापित, व्यवस्थित तथा पोषित करने के लिए उचित प्रकृति की उपयुक्त व्यावसायिक मानवशक्ति का विकास करना।

संगठन (Organisation)

इसकी तीन समितियाँ मुख्य रूप से हैं–

- **कार्यकारी समिति** (Executive Council)–इसका मुख्य कार्य नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना है।
- **वित्त समिति** (Finance Council)–वित्त संबंधित सभी मामलों का निपटारा वित्त समिति करती है।
- **सलाहकार समिति** (Advisory Council)–जो अपनी सलाह देती है। सामान्य समस्याओं और अन्य मामलों पर भी इसकी सलाह ली जाती है। इसके संगठन में यूजीसी, विज्ञान अभिकरण, विज्ञान विकास विभाग एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इसने अपने क्षेत्रीय केंद्र भी खोले हैं।

आवश्यकता (Need)

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालयों में पुस्तकों तथा सामयिक प्रकाशनों पर करीब 170 करोड़ रुपए व्यय किए जाते हैं फिर भी इस सीमित धन से प्रत्येक विद्यार्थी, अनुसंधानकर्त्ता तथा अध्यापक के लिए उनकी वांछित सामग्री या सेवा प्रदान करना दुष्कर कार्य हो जाता है। देश-भर के सभी पुस्तकालय चाहे वह कितना ही संसाधन संपन्न क्यों न हों, वह अपने उपयोक्ताओं या पाठकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। यदि उपयोक्ताओं को देशभर के सभी पुस्तकालयों के संसाधन तथा सेवाएँ उपयोग में लाने के लिए अनुमति दे दी जाए तो वे उनका अधिकतम तथा सही उपयोग कर सकेंगे। इससे पुस्तकों तथा सामयिक प्रकाशनों की डुप्लीकेट खरीद से भी मुक्ति मिलेगी। और इस प्रकार बचे धन से अतिरिक्त वांछित सामग्री का क्रय हो सकेगा। इसके अतिरिक्त नेटवर्क से

उपभोक्ता किसी भी पुस्तकालय से शैक्षणिक सूचना के लिए संपर्क कर सकता है। इस नेटवर्क प्रणाली से सभी प्रकार से मितव्ययिता और कार्यकुशलता को प्राप्त किया जा सकता है और आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों से भी बचा जा सकता है जो प्राय: पुस्तकालयों से उत्पन्न होती हैं। शैक्षणिक कार्यों के लिए देश के अन्य दूरस्थ स्थानों के शिक्षाविदों, विशेषज्ञों से शैक्षणिक समुदाय तुरंत संपर्क स्थापित कर सकता है जिसमें इनफ्लिबनेट पर्याप्त सहायक सिद्ध होगा।

नोट

सेवाएँ/गतिविधियाँ (Services/Activities)

इनफ्लिबनेट का आयोजन और अभिकल्प बहुत कार्यों/सेवाओं वाले नेटवर्क के रूप में किया गया है। यह निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कर रहा है–

- महाविद्यालय पुस्तकालयों से लेकर विश्वविद्यालय पुस्तकालयों एव अन्य महत्त्वपूर्ण केंद्रों को नेटवर्क द्वारा एक-दूसरे से जोड़ना इसका प्रमुख कार्य है;
- राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अपने केंद्र स्थापित कर एक शृंखला तैयार करना;
- सूचना सेवाओं को प्रदान करना। वाङ्मय सूची तैयार करना तथा विषयानुसार डेटाबेस तैयार करना;
- अपने केंद्रों एवं नेटवर्क पुस्तकालयों से डेटाबेस ग्रहण करना एवं उसका वितरण करना;
- देश में हो रहे शोध पी.एच.डी. का डाटा ग्रहण करना एवं उसको ऑनलाइन करना ताकि शोध की पुनरावृत्ति न हों;
- जर्नल (Journal) का डेटाबेस तैयार करवाना एवं ग्रहण करना। ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करना;
- सामयिक अभिज्ञता सेवा (Current Awareness Service) एवं चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा (Selective Dissemination of Information) प्रदान करना;
- सभी सहभागी पुस्तकालयों की सूची तैयार करना एवं उनकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करना;
- समय-समय पर प्रशिक्षणों का आयोजन करना;
- वरिष्ठ पुस्तकालय प्रबंधनों के लिए 'Workshops on Management of Computerized Libraries' का समय-समय पर आयोजन किया जाता है ताकि प्रबंधकों में ऐसी प्रबंधकीय दक्षता का विकास हो सके जिससे वे अपने पुस्तकालयों में कंप्यूटर तथा संचार की आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सके;
- बंगलौर में 'National Centre for Science and Technology' के सहयोग से इनफ्लिबनेट ने 'Contents with Abstracts of Periodicals in Science and Technology' कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
- समरूपता के लिए पुस्तकें, धारावाहिक, शोध प्रबंधों, लघु शोध प्रबंधों के डाटा कैप्चरिंग (Data Capturing) के लिए मानक आगम फार्मेट (Standard Input Format) तैयार किया है जिसका सभी पुस्तकालय प्रयोग करते हैं।
- डेटाबेस का विकास भी इसका एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। अभी तक इसको 45 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों तथा 5 अनुसंधान एवं शोध संस्थाओं का डाटा प्राप्त हो चुका है।
- संसाधन सहभागिता कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इसने संघ सूची के 50,000 अभिलेखों को पहले ही सृजित कर लिया है; कंप्यूटर
- शोध प्रबंधों एवं लघु शोध प्रबंधों के 65,000 अभिलेखों एवं 30,000 पत्रिकाओं के अभिलेखों के डेटाबेसों को सृजित करने के लिए इनफ्लिबनेट द्वारा किए जा रहे कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयास है;
- इसने विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के स्वचालन के लिए 'सोल (Software of University Libraries: SOUL)' का विकास किया है जो कि क्लाएंट सर्व तकनीक पर विन्डोज एवं विन्डोज एन टी पर प्रचलित किया जाता है एवं
- पुस्तकालयों के कंप्यूटराइजेशन के लिए धन देना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कंप्यूटर खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करना। इनफ्लिबनेट 'वन टाईम ग्रांट (One time grant)' योजना के अंतर्गत 6.5 लाख रुपए देती है जो अब तक 150 विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों को मिल चुका है तथा सूचना वैज्ञानिकों की नियुक्ति के लिए क्रमिक धन की व्यवस्था करता है।

नोट

इस प्रकार इनफ्लिबनेट सूचना नेटवर्किंग एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के स्वचालन के विकास एवं उन्नयन में सकारात्मक योगदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त इनफ्लिबनेट अन्य सेवाएँ प्रदान कर रहा है जैसे–नेटवर्क क्रियाकलापों की व्यवस्था, निरीक्षण एवं नियंत्रण तथा समन्वयन हेतु एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित होगा और चार क्षेत्रीय केंद्र होंगे–उत्तर, पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण–जो अपने-अपने क्षेत्र के पुस्तकालयों के संकलन की संघ प्रसूचियाँ तथा परियोजनाओं, संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के डेटाबेसों को तैयार कर सुलभ करेंगे।

डेलनेट (DELNET)

अर्थ एवं परिचय (Meaning and Introduction)

संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेलनेट की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1988 में निस्सात (NISSAT) के आर्थिक सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (India International Centre), नई दिल्ली के प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। यह आर्थिक सहायता 1988 से 1992 तक मिलती रही। यह भारत का पहला सक्रिय पुस्तकालय नेटवर्क माना जाता है। अब यह डवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कहलाता है। डेलनेट सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

डेलनेट की विशेषताएँ (Features of DELNET)

इस नेटवर्क की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- इसमें 67 संस्थागत पुस्तकालय, सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं यद्यपि सदस्यता की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है;
- सदस्य पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेलनेट ने अनेक कदम उठाए हैं–
  - सदस्य पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की कंप्यूटर पठनीय संघ-सूची (1068 लाख रिकॉर्ड);
- पत्रिकाओं की संघ-सूची (116 पुस्तकालय)–
  - वैज्ञानिक तथा तकनीकी पत्रिकाओं की संघ-सूची (7811 रिकॉर्ड);
  - समाज विज्ञान की पत्रिकाओं की संघ-सूची (6919 रिकॉर्ड);
  - मानविकी की पत्रिकाओं की संघ-सूची (1178 रिकॉर्ड);
- विशेषज्ञों को डेटाबेस (1200 विशेषज्ञ);
- पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों का डेटाबेस (50,000 रिकॉर्ड);
- पत्रिकाओं की संघ-सूची (2391 रिकॉर्ड);
- भाषा संबंधी का डेटाबेस (नमूने का डेटाबेस)।
- बेसिस प्लस (BASIS PLUS) पर आधारित नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, डेल्सिस (DELSIS), जो पुस्तात्मक और पूर्ण पाठ वाले लाखों रिकार्डों को रख सकता है और उनका उपयोजन कर सकता है, को डेलनेट ने विकसित किया है;
- इंटरनेट अभिगम और ई-मेल (e-mail) सुविधाएँ इसके सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं और इंटरनेट पर अभिगम डेलनेट के मुख्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध है। साथ ही डेलनेट ने अपना होम पेज भी बनाया है। इसका अभिगम इंटरनेट पर निम्नलिखित पते पर किया जा सकता है–

HYPERLINK http://www.nic या http://www.nic.in/delnet

- डेलनेट ने दावा किया है कि उसने भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञानों और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विदेशी पत्रिकाओं के अधिग्रहण में यौक्तिकीकरण के द्वारा सहभागी पुस्तकालयों का लगभग 1 करोड़ रुपया बचाया है।
- सदस्य पुस्तकालयों के कर्मचारियों के लिए डेलनेट द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को समझने की व्यवस्था की जाती है।

यह कहा जा सकता है कि डेलनेट में कंप्यूटर आधारित संसाधन सहभागिता क्रियाकलापों में भारत में प्रथम सफलता पायी है और यह भारत का सबसे पहला सक्रियात्मक पुस्तकालय नेटवर्क हो गया है। यह अपने

छात्र क्रियाकलाप

1. भारत में भी पुस्तकालय नेटवर्किंग पर निर्भर है, कैसे?

2. डेलनेट को परिभाषित कीजिए।

क्रियाकलापों को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है और कुछ ख्याति प्राप्त प्रकाशनों के सहयोग से बुक्स इन प्रिंट : न्यू टाइटिल्स (Books in Print : New Titles) का एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर रहा है।

उद्देश्य (Objectives)

नोट

डेलनेट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- सूचना का संकलन, संग्रहण एवं प्रसारण तथा उपयोक्ताओं को कंप्यूटर आधारित सेवाएँ प्रदान कर, पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित कर पुस्तकालयों के मध्य संसाधन सहभागिता को प्रोत्साहित करना;
- सदस्य पुस्तकालयों को सूचीकरण, डेटाबेस सेवाएँ, निर्गम, अधिग्रहण, पत्र-पत्रिका नियंत्रण, ऑनलाइन सेवाएँ, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के चयन आदि के लिए पथ प्रदर्शन करना;
- उपर्युक्त संग्रह संवर्धन एवं अनावश्यक द्विरावृत्ति को जहाँ तक संभव हो रोकने के प्रयासों का समन्वय करना;
- सूची खोज की देख-रेख तथा सुगमता प्रदान करने के लिए एक निर्देशपरक संदर्भ केंद्र की स्थापना करना एवं सभी सहभागी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकेत्तर सामग्रियों के केंद्रीय ऑनलाइन सूची का अनुरक्षण करना;
- यांत्रिक एवं हस्तचालित ढंग से प्रलेखों के वितरण को प्रोत्साहन एवं सुविधा प्रदान करना;
- पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं एवं सामग्रियों के विशिष्ट पुस्तकपरक डेटाबेसों को विकसित करना;
- परियोजनाओं, विशेषज्ञों एवं संस्थाओं के डेटाबेसों को विकसित करना;
- सूचना तथा ई-मेल के वितरण एवं तीव्र संप्रेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तथा यांत्रिक उपकरणों का अधिग्रहण एवं अनुरक्षण;
- सूचना तथा प्रलेखों के विनिमय के लिए अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों के साथ समन्वय स्थापित करना; तथा
- नेटवर्किंग तथा संसाधन सहभागिता को समर्पित समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सुलभता एवं उत्तरदायित्व ग्रहण करना। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि डेलनेट ने भारत के पहले क्रियाशील पुस्तकालय नेटवर्क के रूप में अनेक क्रियाओं में प्रगति की है।

डेलनेट की सेवाएँ (Service of DELNET)

डेलनेट अपने सदस्य पुस्तकालयों को एन.आई.सी. के सहयोग से निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है–

- इसके डेटाबेसों के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन अभिगम;
- आईएलएल, ऑनलाइन अंतर्पुस्तकालय के लिए अनुरोधों पर ऑनलाइन में विचार किया जाता है;
- इंटरनेट तथा ई-मेल सेवाएँ निक द्वारा डेलनेट को उपलब्ध ई-मेल तथा इंटरनेट संयोजकता सभी सदस्य पुस्तकालयों को कम मूल्य पर वितरित की जा रही है। अरनेट ई-मेल भी प्रदान की जा रही है।
- डेलनेट-लिस्टसर्व, इंटरनेट मेलिंग, लिस्ट, इफ्ला पर ऑनलाइन सूचना पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, रोजगार घटनाएँ तथा चिकित्सा संबंधी कतरनें;
- प्रकाशकों को नए एवं आगामी शीर्षक, पुस्तक समीक्षाएँ तथा इंटरनेट से प्राप्त सामयिक अंतर्विषयों के बारे में ऑनलाइन सूचनाएँ;
- डेलनेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं, गोष्ठियों एवं व्याख्यानों का आयोजन करता है;
- सदस्य पुस्तकालयों के लिए पूर्वव्यापी रूपान्तरण की सुविधा प्रदान करता है।

उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त डेलनेट ने संसाधन सहभागिता के लिए नियोजित कार्यक्रम बनाया है। इस नियोजन में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि संसाधन सहभागिता की गतिविधि को तीव्र करने के लिए प्रबल संभावनाएँ रखती हैं।

डेलनेट स्वयं भी साफ्टवेयर विकसित करने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है तथा इस प्रक्रिया में निम्न बाते हैं–

- डेलसिस प्लस सूचीकरण तथा पुस्तकालयों, नेटवर्क एवं सूचना केंद्रों के संघ सूची का निर्माण आरंभ करने के लिए बेसिस प्लस के आधार पर एकीकृत प्रमाणीय सॉफ्टवेयर का विकास करना;

नोट

- डेलसर्च यह एक ऑफलाइन दूरस्थ डेटाबेस प्रणाली है जिसका अभिगम ई-मेल के द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दूरस्थ स्थानों में डेटाबेस अभिगम करने में यह उपयोक्तायों के लिए मैत्रीपूर्ण तथा कम खर्चीली होगी।
- डेल पुस्तकपरक डेटाबेसों एवं सूचियों के सृजन एवं पुनर्प्राप्ति के लिए यह एक उपयोगी प्रभावकारी उपकरण है तथा
- डेल-डॉस डेलनेट में डॉस आधार पर डेटाबेस के सृजन एवं पुनर्प्राप्ति के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। ये सॉफ्टवेयर भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में तथा जिस्ट के उपयोग से भी डेटा निवेश की व्यवस्था करने में सक्षम है।

उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डेलनेट तेजी से विकास कर रहा है तथा ऐसी संभावना है कि भारत के अन्य नेटवर्कों से पहले यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो जाएगा तथा राष्ट्र में एक प्रभावशाली क्रियाशील नेटवर्क के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नासडॉक)
(National Social Science Documentation Centre) (NASSDOC)

अर्थ एवं परिचय (Meaning and Introduction)

सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन में सूचना एवं प्रलेखन सेवा के आयोजन हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Social Science Research: ICSSR) द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (NASSDOC) की स्थापना 1970 में की गई।

इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम 'इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (Indian Council of World Affairs)' एवं 'इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (Indian School of International Studies)' के संयुक्त तत्त्वाधान में 1959 में आयोजित एक विचार संगोष्ठी में 'राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र' की स्थापना की संस्तुति की गई। इसके पश्चात् समय-समय पर भारत में विभिन्न स्थानों पर हुए सम्मेलनों, परिचर्चाओं और संगोष्ठियों में भी इस प्रकार के केंद्र की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सन् 1967 के आरंभ में श्री गिरिजा कुमार द्वारा समाज विज्ञान के क्षेत्र में प्रलेखन की गतिविधियों का सर्वेक्षण किया गया। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप 1969 में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICSSR) की स्थापना की गई तथा इस परिषद् द्वारा 1970 में 'सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र' की विधिवत स्थापना की गई। सन् 1986 में इसका नाम 'राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र' कर दिया गया।

उद्देश्य (Objectives)

इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सूचना प्रसार हेतु प्रलेखन कार्य एवं सेवा का आयोजन करना है। इसके अन्य उद्देश्य एवं कार्य इस प्रकार हैं–

- भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित शोध प्रबंधों तथा भारतीय समस्याओं से संबंधित विदेशी शोध पुस्तकों को संग्रहित करना;
- 'सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्' की वित्तीय सहायता से किए गए शोध एवं अध्ययन के प्रतिवेदनों को उपलब्ध कराना;
- 'सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्' की वित्तीय सहायता से आयोजित संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के शोध आलेखों को संग्रहित कर इस क्षेत्र के अनुसंधानकर्त्ताओं को उपलब्ध कराना;
- सामाजिक विज्ञान से संबंधित पत्रिकाओं को उपलब्ध कराना;
- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु प्रलेखन एवं सूचना सेवा के लिए विषय संदर्भ ग्रंथ सूचियों का संकलन करना;
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्रों को भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित सामयिकियों की प्रलेखन संबंधी सूचनाएँ उपलब्ध कराना;
- देश में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं में प्रलेखन एवं सूचना केंद्र स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करना;

नोट

- कम मूल्य पर अनुसंधानकर्त्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार विशिष्ट ग्रंथ सूची उपलब्ध कराना एवं
- अनुलिपि, आधार सामग्री एवं छाया प्रतिलिपि आदि सेवाएँ उपलब्ध कराना;
- आधार संदर्भ सामग्री–माइक्रोफिल्मस और माइक्रोफिश आदि का संग्रह करना;
- समाज विज्ञान सीरियल्स (Serials) के पुराने खंडों (Volumes) का एक निक्षेपागार पुस्तकालय (Repository Library) स्थापित करना;
- समाज विज्ञान सीरियल्स (Serials) की संघ सूची तैयार करना एवं
- वाङ्मय सूची तथा प्रलेखन काम करने वाली संस्थाओं तथा केंद्रों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करना।

क्रियाकलाप एवं सेवाएँ (Activities and Services)

नासडॉक के सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन एवं अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप एवं सेवाएँ निम्नलिखित हैं–

• **पुस्तकालय सुविधा** (Library Facility)–नासडॉक पुस्तकालय में देश में प्रकाशित सामाजिक विज्ञान विषय की सभी पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान सामयिक प्रकाशनों के सभी सामयिक अंक मँगाएँ जाते हैं। समाज विज्ञान में लगभग 2000 सामयिक प्रकाशन इस केंद्र में आ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की सामयिकियों के लगभग एक लाख संपूर्ण खंडों का संग्रह उपलब्ध है। अब तक 3000 अनुसंधान प्रबंध प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के प्रकाशन भी इस केंद्र पर संग्रहित किए जाते हैं। इस केंद्र में सामाजिक विज्ञान में शोध विधि और 'इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR)' द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से प्रकाशित प्रलेखों की संख्या 9500 है।

केंद्र के पुस्तकालय में विश्वकोशों संदर्भ ग्रंथसूचियों, अनुक्रमणिकाएँ तथा सारांशों का अच्छा संग्रह है। नासडॉक के अनुसंधान सूचना शृंखला के अंतर्गत संकलित एवं प्रकाशित Bibliographies in SSDC: Reference Sources in SSDC तथा Social Science Research Methodology : a bibliography आदि संदर्भ स्त्रोतों के रूप में उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण कृत्तियों का संग्रह है।

• **अंतर-पुस्तकालय संसाधन केंद्र** (Inter-Library Resource Centre)–इस संसाधन केंद्र की स्थापना 1975 में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से की गई थी। यह केंद्र स्थानीय पुस्तकालयों से ऐसे प्रलेखों को मंगाकर संग्रहित करता है जो उनके लिए अधिक उपयोगी नहीं होते किंतु अनुसंधानिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें अधिकांशत: सामयिक प्रकाशन, समाचार पत्र, शासकीय प्रतिवेदन आदि सम्मिलित हैं।

• **प्रलेखन कार्यक्रम** (Documentation Programme)–प्रलेखन कार्यक्रम के अंतर्गत इस केंद के द्वारा दो प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं–

(*i*) ऐसे कार्यक्रम जिन्हें स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अन्य संस्थाओं के सहयोग से प्रारंभ किया गया है एवं

(*ii*) ऐसे कार्यक्रम जिन्हें नासडॉक द्वारा दिए गए अनुदानों के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। ये दोनों प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

• **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के प्रत्यक्ष कार्यक्रम**–नासडॉक अनुसंधान सूचना शृंखला के अंतर्गत निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान की सामयिकियाँ की संघ सूचियों (Union list of Social Science Periodicals) को संकलित किया गया है–

• **Union List of Social Science Periodicals**–चेन्नई, मुंबई, बंगलौर तथा दिल्ली के पुस्तकालयों में उपलब्ध पत्रिकाओं की संघ सूचियाँ 4 खंडों में तैयार की गई हैं। इनका प्रस्तुतीकरण माइक्रोकंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है।

• **Union Catalogue of Social Science Serials**–परिषद् ने 1970 में धारावाहिक प्रकाशनों की संघ सूचियों को संकलित करने की योजना तैयार की थी, जिसे 1976 में पूरा कर लिया गया था। 31,125 धारावाहिक प्रकाशनों की 32 खंडों में सूची तैयार की गई है जो 17 राज्यों तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 550 पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता के धारावाहिकों को अलग सूची तैयार की गई हैं।

• **Union Catalogue of News Papers in Delhi Libraries**–दिल्ली में स्थित 36 पुस्तकालयों में संकलित एवं संग्रहित किए जाने वाले 252 समाचार पत्रों की संघ सूची तैयार की गई है। इसका शुभारंभ 1978 मे किया गया था।

नोट

• **Directory of Social Science Institutions and Organsiations in India**– इंसडॉक द्वारा सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के अनुसंधान संस्थाओं तथा व्यावसायिक संगठनों को दो अलग-अलग निर्देशिकाओं का संकलन एवं प्रकाशन 1977 में किया था। इसे अद्यतन करते हुए 1985 में 1000 सामाजिक विज्ञान के संस्थाओं के पूर्ण विवरण के साथ एक निर्देशिका प्रकाशित की गई। 1987 में "NASSDOC Source Book of Institutions" का प्रकाशन किया गया।

• ***Retrospective Cumulative Index of Indian Social Science Periodicals***– नासडॉक ने 240 पत्रिकाओं की पूर्वव्यापी संचयी अनुक्रमणिका तैयार करने की योजना 1976 में बनाई थी। 1970 तक के आलेखों की अनुक्रमणिका का संकलन एवं प्रकाशन हो चुका है। इसमें शिक्षा, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र तथा समाजविज्ञान संबंधी सामयिकी प्रकाशनों को सम्मिलित किया गया है। इससे ग्रंथात्मक नियंत्रण संभव हो सकेगा।

• **भाषा संदर्भ ग्रंथसूची** (Language Bibliography)–भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों की शोध-सामग्रियों को संदर्भ ग्रंथसूची का संकलन किया जा रहा है। हिंदी में 6000 संदर्भों, गुजराती में 2000 संदर्भों, उड़िया एवं कन्नड़ में 300 संदर्भों का विवरण तैयार किया जा चुका है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (ICSSR – Assisted Projects)

परिषद् द्वारा दिए गए अनुदान एवं सहायता से निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं–

• **प्रलेखन सहायता** (Documentation Assistance)–परिषद् द्वारा प्रलेखन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रलेखन के अंतर्गत कुछ चयनित आख्याएँ इस प्रकार हैं–Annotated Bibliography of the Economic History of India; Encyclopedia of Social Sciences in Marathi; Development of Education in India; A historical Survey of Educational Documents before and after Independence;

• **प्रकाशन सहायता** (Publication Assistance)–महत्त्वपूर्ण एवं उच्चकोटि की संदर्भ कृतियों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी कृतियाँ इस प्रकार हैं–Hindi Sandharbh; Index India, Index to Calcutta Review; Indian Behavioural Science Abstracts: Literature, Social Consciousness and Politics; Library and Information Services in India.

• **पुस्तकालयों एवं प्रलेखन केंद्रों को वित्तीय सहायता**–पत्रिकाओं के अधिग्रहण और प्रलेखन संबंधी क्रियाकलापों के संचालन हेतु Indian Council of World Affairs तथा एम.एन.राय के अभिलेख को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए Indian Renaisance Institute, देहरादून को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य कार्यक्रम–

• **सेवाओं का पंजीकरण** (Automation of Services)–सभी प्रकार की अनुसंधान सामग्रियों पुस्तकों, शोध प्रतिवेदनों, शोध प्रबंधों आदि का कंप्यूटर के माध्यम से डेटाबेसों को तैयार किया गया है। List of Current Social Science Periodicals को 'लापीज' में संग्रहित कर लिया गया है। मशीन पठनीय डेटाबेसों में प्रमुखत: दिल्ली स्थित पुस्तकालयों की पत्रिकाएँ, नासडॉक के शोध प्रबंध, नासडॉक शोध प्रतिवेदन आदि हैं। नासडॉक द्वारा स्थापित यूनेस्कों सी डी-रोम Prototype में 6 डेटाबेस हैं जिनमें प्रकाशनों के पुस्तात्मक संदर्भ संकलित हैं।

• **चयनात्मक सूचना सेवा प्रसार** (SDI Services)–नासडॉक द्वारा इन सेवाओं के आयोजन हेतु विशेषज्ञों और अनुसंधानकर्ताओं के प्रोफाइल तैयार किए जाते हैं और उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

• **क्षेत्रीय सहयोग** (Regional Cooperation)–नासडॉक क्षेत्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। Asia – Pacific Information Network in Social Sciences (APINESS) को UNESCO – AASSREC के अधीन प्रारंभ किया है। इसकी गतिविधियों से अवगत कराने हेतु नासडॉक 'APINESS News Letter' का प्रकाशन करता है।

• **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नासडॉक का प्रतिनिधित्व** (Representation of NASSDOC on International Level)–नासडॉक नवीन गतिविधियों से अवगत होने हेतु प्रलेखन एवं सूचना सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व करता है। इसका अग्रलिखित प्रमुख संगठनों से संबंध है–

नोट

- International Federation for Information and Documentation.
- International Federation of Library Associations and Institutions.

• **प्रशिक्षण कार्यक्रम** (Training Programme)–प्रलेखन तथा सूचना विज्ञान की नवीन उपलब्धियों एवं सेवा-पद्धति के नव विकासों से अवगत रखने हेतु नासडॉक अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत–

- Management Information System (MIS), in Libraries and Documentation Centres.
- Computer Application to indexing in Social Sciences आदि आयोजित किए जा चुके हैं।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त नासडॉक माइक्रोफिल्म इकाई की स्थापना कर रहा है जिससे सामग्रियों को माइक्रोफिल्म के आरूप में उपलब्ध कराया जा सके। राष्ट्रीय सूचना ग्रिड की स्थापना का भी विचार है जिसके द्वारा सामाजिक विज्ञान के महत्त्वपूर्ण केंद्रों से संबद्ध होकर सूचना आवश्यकता की पूर्ति सफलतापूर्वक की जा सके।

प्रकाशन (Publications)

नासडॉक के कुछ प्रमुख प्रकाशन निम्नलिखित हैं–

- Current Contents to Indian Social Science Journals (Quaterly)
- Conference Alert (Quaterly)
- Acquisition Update (Bi–annual)
- APINESS Newsletter (Bi–annual)
- NASSDOC Dockets (Monthly)
- Social Science News (Monthly)
- Social Science Research Index (Irregular)
- सामाजिक विज्ञान, समाजिक विज्ञान समाचार (मासिक)
- Bibliographic Re-Print (Irregular)
- Aqed in India : An Annotated Bibliography.
- Bibliography in India in 2000 A.D. (with Abstracts)
- Indian Diary of Events (Quaterly)

नेशनल इन्फॉरमेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नालॉजी (निस्सात)
(National Information System in Science and Technology (NISSAT)

अर्थ एवं परिचय (Meaning and Introduction)

राष्ट्रीय विकास में अनुसंधान की भूमिका और अनुसंधान को सक्रिय और सफल बनाने में सूचना सेवा की व्यवस्था एवं उपयोगिता के महत्त्व को भारत में तीव्रता से अनुभव किया गया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा समाज विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रलेख पोषण केंद्रों की स्थापना के पश्चात् 1971 में भारत सरकार का ध्यान राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली की स्थापना की दिशा में आकर्षित हुआ। इस संबंध में भारत सरकार ने आवश्यक कदम उठाने की दृष्टि से यूनेस्को से इन्सडॉका को राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (NIS) स्थापित करने हेतु परामर्श प्रदान करने का अनुरोध किया और इसी के साथ अक्टूबर 1971 में ही देश में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस समिति को राष्ट्रीय विकास में, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के कार्यों में सूचना की आवश्यकता की दृष्टि से योजनाएँ तैयार करने और उन्हें अद्यतन रखने का उत्तरदायित्व दिया गया। इस समिति ने सी.एस.आई.आर. (CSIR) से प्रौद्योगिकी से संबंधित एक राष्ट्रीय सूचना प्रणाली विकसित करने का अनुरोध किया। यूनेस्को ने भारत के अनुरोध पर मार्च/अप्रैल, 1972 में डॉ. पीटर लाजर (Peter Lazar) को राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के विकास में सहयोग हेतु भारत भेजा जिन्होंने विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात् भारत में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली (निस्सात) की स्थापना के लिए अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की।

नोट

निस्सात की स्थापना (Establishment of NISSAT)

निस्सात की स्थापना को देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) के अंतर्गत 1975 में इसकी स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया और 1977 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। निस्सात के कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि यह उपलब्ध सूचना सेवाओं एवं सुविधाओं पर निर्भर है और राष्ट्र की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना का एक आवश्यक अंग है। राष्ट्र में वैज्ञानिक सूचना के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके कार्यक्रमों के अंतर्गत वैज्ञानिक सूचनाओं में विस्तार तथा उपेक्षित क्षेत्रों में नए केंद्रों की स्थापना करना भी सम्मिलित किया गया है जिनमें कृषि विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थय, नाभिकीय विज्ञान तथा रक्षा विज्ञान और साथ ही साथ पेटेन्टों और मानकों से संबंधित सूचना को भी इसके अधीन रखा गया है।

• **उद्देश्य** (Objectives)–निस्सात की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध समस्त सूचना संसाधनों, सेवाओं और प्रणालियों को आंतरिक रूप से सम्बद्ध करने, उनमें समन्वय स्थापित करने और देश की सूचना संरचना को सशक्त बनाने तथा मानकीकरण करने का रहा है। निस्सात के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

• राष्ट्रीय वैज्ञानिक सूचना सेवा प्रदान करना;

• बड़ी संख्या में कार्यरत वैज्ञानिक सूचना सेवाओं, सूचना स्रोतों तथा सूचना पद्धतियों में समन्वय तथा अन्तरसंबंध स्थापित करना;

• एक सर्वोच्च समन्वय संस्था के अंतर्गत प्रभावी वैज्ञानिक सूचना तंत्र जो कि राष्ट्रीय सूचना नीति (National Information Policy) द्वारा निर्देशित हो, स्थापित करना।

• सूचना सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नवीनतम सूचना तकनीकी तथा व्यवस्थापन तकनीकों का प्रयोग करना;

• सूचना स्रोतों, उपकरणों एवं सेवाओं में दोषों का पता लगाना तथा उन्हें दूर करना;

• अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य सूचना विनिमय में विकास एवं सहायता के लिए राष्ट्रीय मानक तथा मार्गदर्शिका का निर्माण करना एवं प्रयोग में लाना;

• वैज्ञानिकों, अभियंताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, व्यवस्थाओं, तकनीशियनों, सरकार, उद्योग एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि की विभिन्न स्तरीय सूचना आवश्यकताओं का कुशलतापूर्वक प्रभावी तरीके से तथा न्यूनतम पुनरावृत्ति के साथ करना;

• सूचना रख-रखाव (handling) तकनीकी हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य राष्ट्रीय मानक (National Standard) एवं दिशा-निर्देशों का विकास तथा प्रयोग करना ताकि विनिमय सुविधापूर्वक हो सके।

• सूचना सेवाओं की प्रभावी वृद्धि के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यवस्थापन तकनीकों का प्रयोग करना;

• सूचना वैज्ञानिक के प्रशिक्षण एवं शिक्षण के सुविधाओं के विकास के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि आयोजित करना;

• विज्ञान-साहित्य के प्रत्येक प्रकाशन की कम-से-कम एक-एक प्रति की उपलब्धता की व्यवस्था करना, एवं

• सभी स्तरों पर सूचना सेवा के क्रियाकलापों में यंत्रीकरण को समर्थन एवं सहयोग प्रदान करना।

• प्रबंध एवं निर्णयात्मक कार्यों के लिए प्रौद्योगिकीय-आर्थिक सूचना सुविधाएँ (Techno – Economic information facilities) सुलभ करने के कार्यों तथा सूचना के कार्यों/सेवाओं के लिए आधुनिक कंप्यूटर तथा रिपोग्राफिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा सहायता प्रदान करना।

संगठनात्मक संरचना (Organisational Structure)

संगठनात्मक संरचना की दृष्टि से निस्सात (NISSAT) प्रणाली की योजना तीन स्तरों में विभाजित है। ये तीन स्तर निम्न प्रकार हैं–

• **मंडलीय सूचना केंद्र** (Sectoral Information Centres)–प्रणाली के प्रथम स्तर में मंडलीय सूचना केंद्रों (SIC) की स्थापना की गई है। मंडलीय सूचना केंद्रों का उद्देश्य विषयोन्मुख या उद्योगोन्मुख सूचना

नोट

आवश्यकता की पूर्ति करना है। संपूर्ण सूचना प्रणाली के अंतर्गत मंडलीय सूचना केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मंडल की समस्त संस्थाओं को विशिष्ट प्रकार की सूचना सेवा उपलब्ध कराते हैं। मंडलीय सूचना केंद्रों (SIC) का संबंध उच्चस्तर पर राष्ट्रीय सूचना केंद्रों से और स्थानीय स्तर पर स्थानीय इकाई (LIU) से होता है। इसके प्रमुख सूचना केंद्र निम्न हैं–

केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (NICLAI)	चेन्नई
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (NICFOS)	मैसूर
केंद्रीय मशीन उपकरण संस्थान (NICMAP)	बंगलौर
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (NICDAP)	लखनऊ
वस्त्र एवं अन्य संबंधित उद्योग (NICTAS)	अहमदाबाद

• **क्षेत्रीय सूचना केंद्र** (Regional Information Centre)–निस्सात ने सभी प्रकार की सूचना सेवाओं की पूर्ति को प्रभावी बनाने की दृष्टि से मंडलीय सूचना केंद्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय सूचना केंद्रों (RIC) की स्थापना पर भी विचार किया। देश के प्रमुख बड़े-बड़े नगरों में स्थापित करने की योजना निर्धारित की गई जिसके लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कार्य प्रारंभ हो चुका है। कोलकाता में भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान (Indian Institute of Chemical Biology) तथा चेन्नई में संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र (Structural Engineering Research Centre) कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य कार्य सूचना स्रोतों पर सर्वेक्षण, उस क्षेत्र की सूची का निर्माण, उस क्षेत्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, फोटोकॉपी सेवा, क्षेत्रीय संघ सूची का प्रकाशन आदि है।

• **स्थानीय सूचना इकाइयाँ** (Local Information Units)–इस प्रकार के केंद्र स्थानीय स्तर पर स्थापित किए गए हैं जो निस्सात प्रणाली के अंतिम क्रम के केंद्र हैं। यह मंडलीय सूचना प्रणाली का ही एक अंग है। प्रत्येक मंडलीय केंद्र अनेक ऐसी स्थानीय सूचना इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। स्थानीय इकाइयाँ प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, औद्योगिक संगठनों, प्रशासनिक विभागों तथा अन्य ऐसे संस्थानों में एक अभिन्न अंग के रूप में कार्यरत होती हैं और इनका कार्य अपनी पैतृक संस्था के क्रियाकलापों एवं विषय क्षेत्रों से संबंधित सूचना सेवा का आयोजन करना होता है। ये इकाइयाँ वस्तुतः अपनी मूल पैतृक संस्था पर निर्भर करती है। ऐसी सूचना इकाइयाँ अपनी सूचना सामग्रियों को केंद्रों को फीडबैक के रूप में प्रदान करती है। भारत में लगभग 1000 स्थानीय, सूचना इकाइयाँ कार्य कर रही हैं।

गतिविधियाँ (Activities)

निस्सात की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

अर्जन (Acquisition)–राष्ट्र में प्रकाशित समस्त वैज्ञानिक साहित्य की एक-एक प्रति राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय से समन्वय रखते हुए उपलब्ध करना जिससे वैज्ञानिक इनका उपयोग कर सकें। प्रकाशनों की अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक ऐसी नीति बनाना जिससे प्रलेखों के अर्जन तथा अनेक पुस्तकालयों में उनके वितरण में समन्वय हो सके।

संघ सूची (Union Catalogue)–विभिन्न सूचना केंद्रों में उपलब्ध प्रलेखों की संघ सूची बनाना तथा उनमें अंतर्संबंध स्थापित करना ताकि एक सूत्र से यह सूचना प्राप्त हो सके कि किस सूचना केंद्र में कौन-सी सामग्री कहाँ उपलब्ध है। क्रमिक प्रकाशनों के अतिरिक्त पुस्तकों, रिपोर्टों आदि की संघ सूची भी तैयार करने की योजना है।

• **सामयिक अभिग्यता सेवा एवं चयनित सूचना प्रसार सेवा प्रदान करना** (To Provide Current Awarness Services and Selective Dissemination of Information)–निस्सात स्वयं एवं अपने केंद्रों द्वारा सामयिक अभिग्यता सेवा (CAS) उपलब्ध कराता है। देश में नया क्या-क्या प्रकाशित हो रहा है? निस्सात विज्ञान के क्षेत्र में जानकारी सामयिक अभिग्यता सेवाओं के द्वारा उपलब्ध कराता है। चयनित सूचना प्रसार सेवा भी निस्सात द्वारा दी जाती है। अपने संसाधनों में से पाठकों के माँग के अनुरूप उनके टॉपिक (Topic) आदि का मिलान करके उनको उपलब्ध कराता है।

विशिष्ट सूचना सेवा (उद्योगों के लिए) (Special Information Service for Industry)

राष्ट्र के छोटे एवं बड़े उद्योगों को विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हुए नए विकास एवं अनुसंधानों की सूचना देने के क्रम में मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि उन्हें व्यावहारिक सूचना की ही जरूरत अधिक

छात्र क्रियाकलाप

1. निस्सात की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए।

2. नासडॉक के प्रमुख प्रकाशनों के नाम लिखिए।

इनफ्लिबनेट, डेलनेट, नासडॉक, निस्सात

होती है जिससे वे उन्हें सीधे उपयोग में ला सकें, इसलिए उनके समक्ष सूचनाओं की प्रस्तुति इस तरह होनी चाहिए कि वे सीधे रूप से सुलभ हों। SIET Institute ने इस दिशा में सराहनीय सेवा प्रदान की है।

सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण (Training in Information Science)

नोट

सूचना पद्धतियों में हो रहें निरंतर विकास, कंप्यूटर उपयोग तथा विकासोन्मुखी अंतर्विषयों के संबंध देखते हुए सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण देने की योजना प्रारंभ की है। प्रतिवर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पुस्तकालय नेटवर्क एवं सॉफ्टवेयर का विकास (Development of Library Network and Software)

आज के संदर्भ में इस बात की आवश्यकता बढ़ गई है कि पुस्तकालय के दैनिक क्रियाकलापों में कंप्यूटरों का उपयोग किया जाए ताकि सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति द्रुत गति से की जा सके तथा विश्वस्तरीय डेटा-बेसों का विश्लेषण आसानीपूर्वक किया जाए। निस्सात की पहल पर संजय (SANJAY) नामक एक प्रमुख सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। यह सॉफ्टवेयर पैकेज मेनू चालित (menu driven) है जिसका उपयोग सामान्य कर्मचारी भी कर सकते हैं। निस्सात के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को प्रारंभ में विज्ञान एवं शिक्षा संस्थानों के उपयोक्ताओं के लाभ के लिए प्रारंभ किया गया था लेकिन बाद में इन्हें व्यापार एवं उद्योगों के लाभ हेतु अभिकल्पित (Design) किया जा रहा है।

निस्सात ने सी.डी.एस (CDS)/आई.एस.आई.एस. (ISIS) आधारित एक अन्य पैकेज का भी निर्माण किया है जिसे तृष्णा (TRISHNA) के नाम से जाना जाता है। इसे निसटाड्स (NISTADS : National Institute of Science Technology and Development Studies), नई दिल्ली के सहयोग से बनाया गया है। जिस्ट कार्ड (GIST CARD) के उपयोग द्वारा इसमें देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों में कार्य किया जा सकता है। इस पैकेज का विवरण 'एसटिन्फो' के सदस्य देशों, जैसे नेपाल एवं बंग्लादेश में किया गया है।

• **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** (International Co-operation)–निस्सात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNESCO, FID, IFLA, INIS तथा AGRIS आदि के कार्यक्रमों में भाग लेता है एवं इनसे अपना नेटवर्क संबंध स्थापित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधित केंद्रों से सहयोग बनाए रखता है।

प्रकाशन (Publication)

निस्सात द्वारा निस्सात न्यूजलैटर (NISSAT News Letter) नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसके अंतर्गत निस्सात की गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के साथ-साथ शोध और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मौलिक आलेखों को प्रकाशित करता है। इस प्रकाशन को व्यक्तिगत सदस्यों और व्यावसायिक संगठनों एवं संस्थाओं के मध्य वितरित किया जाता है। निस्सात द्वारा प्रायोजित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के प्रतिवेदनों और कार्यवाहियों का प्रकाशन भी किया जाता है।

उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त निस्सात सूचना के उपयोग तथा प्रबंध हेतु साधनों एवं प्रविधियों का विकास, ऑप्टिकल डिस्क, नेटवर्क, सीडी-रोम जैसी आधुनिक प्रविधियों का उपयोग, मानकीकरण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की रूपरेखा, विशिष्टीकरण आदि पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

सारांश (Summary)

आज के युग में सूचना को शक्ति की संज्ञा दी गई है। सूचना को आज अनिवार्य वस्तु माना गया है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के बहुमुखी विकास हेतु अनुसंधान की आवश्यकता होती है और अनुसंधान तभी निष्पादित किया जा सकता है जब सूचना तथा सूचनात्मक सामग्रियाँ उपलब्ध हों। वर्तमान में जिन राष्ट्रों में सूचना का बाहुल्य है, वे सम्पन्न और शक्तिशाली है। यही कारण है कि पश्चिमी राष्ट्र अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली हैं तथा जिन राष्ट्रों में सूचना का अभाव है, वे सब विपन्न एवं अविकसित हैं। इसलिए किसी भी राष्ट्र के विकास एवं उन्नति तथा सम्पन्नता के लिए उस देश की सूचना तथा सूचना पद्धति का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में भी विविध क्षेत्रों में शोध एवं विकास, औद्योगिक विकास या नियोजन तथा निर्णयन संबंधी कार्यों की सूचना आवश्यकता की पूर्त्ति के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न सूचना प्रणालियों एवं सूचना केंद्रों की विकास पर बल दिया गया। सूचना प्रणालियों में राष्ट्रीय स्तर पर निस्सात की स्थापना मुख्य रूप से सूचना प्रणाली की अवसंरचना के समन्वयकारी तथा समेकित विकास के लिए की गई है। निस्सात सूचना के उत्पादकों,

संसाधनों और उपयोगकर्ताओं की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में निरंतर सहयोग कर रहा है। स्थानीय नेटवर्क नवीनीकरण और विकास के अन्य क्रियाकलापों में सहायता एवं प्रोत्साहन कर संसाधन सहभागिता के क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण है।

राष्ट्रीय स्तर पर नासडॉक सूचना सेवाएँ उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय सूचना आवश्यकता की आपूर्ति में संलग्न है। नासडॉक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित सामयिकी प्रकाशनों की प्रलेखन संबंधी सूचनाएँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान कर रहा है। इनफ्लिबनेट एक बहुमुखी, सशक्त एकीकृत पुस्तकालय एवं पुस्तकालयात्मक सूचना प्रणाली है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय सूचना केंद्रों, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, यू.जी.सी. सूचना केंद्रों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के पुस्तकालयों के स्तर पर सूचीकरण, सूची उत्पादन, संकलन विकास, अंतर पुस्तकालय आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चयनात्मक सूचना प्रसार, सामयिक चेतना सेवा आदि छात्रों, शोधछात्रों, विद्वानों, विषय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराता है तो वहीं डेलनेट दिल्ली महानगर में पुस्तकालयों के संसाधनों के सहभागी उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने एवं सूचना सेवाओं को अधिक-से-अधिक प्राप्त कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और यह भारत का सबसे पहला संक्रियात्मक पुस्तकालय नेटवर्क हो गया है। यह अपने क्रियाकलापों को लगातार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है।

आज के संदर्भ में सूचना की बढ़ती माँग एवं उपलब्ध सुविधा एवं सेवा के बढ़ते उपयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सूचना प्रणालियों तथा सूचना केंद्रों की आवश्यकता हमारे देश में सूचना की अवसंरचनात्मक सुविधा के लिए कितनी आवश्यक है तथा उनका महत्त्व कितना है। राष्ट्रीय स्तर के इन सूचना केंद्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि ये समस्त राष्ट्रीय सूचना सेवा की सर्वांगीण आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे और सूचना के मामलों में ये भारत को विकसित देशों के समीप खड़ा कर देंगे।

नोट

प्रमुख शब्द (Key Words)

अवसंरचना (Intrastructure)–सूचना संसाधनों तथा सुविधाओं से सम्पन्न समस्त संस्थानिक निकाय (body)

आंचलिक केंद्र (Sectoral Centres)–किसी विषय या विद्या के लिए उन्मुख सूचना केंद्र।

इलेक्ट्रॉनिक मेल (e-mail)–विडियो टेक्स, ऑनलाइन, नेटवर्कों का प्रयोग कर व्यक्तियों या संगठनों के बीच संवादों, सूचनाओं, ज्ञापनों, पत्रों, प्रतिवेदनों आदि का हस्तांतरण।

उपयोक्ता (Users)–पुस्तकालयों के संसाधनों का उपयोग करनेवाला कोई भी व्यक्ति या सूचना संस्थान एवं सूचना का उपभोक्ता।

राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (National Information System)–विद्यमान सूचना संसाधनों तथा नवीन सेवाओं का ऐसा नेटवर्क जिसमें सेवाओं और संसाधनों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है जिससे प्रत्येक इकाई की गतिविधियाँ तथा कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकें।

सामयिक ज्ञान सेवा (CAS)–उपयोगकर्त्ताओं को उनके कार्यक्षेत्रों में अवगत नवीनतम विचारधाराओं और सभी तरह की उनसे संबंधित सामग्रियों से तुरंत से तुरंत परिचित कराने का प्रयास करना।

चयनित प्रसार सेवा (SDI)–किसी संस्था द्वारा दी गई वह सेवा है जो नई सूचना स्रोतों से प्राप्त कर संस्था के उन भागों तक पहुँचाती है जहाँ सामयिक उपयोग या अभिरुचि के संदर्भ में उसकी उपयोगिता की संभावना अधिक हो।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. इनफ्लिबनेट के उद्देश्यों एवं गतिविधियों की विवेचना कीजिए
   Explain the objective and activities of INFLIBNET.
2. डेलनेट के उद्देश्यों एवं विशेषताओं को लिखें।
   Write the objective and characteristics of DELNET.
3. नासडॉक की प्रमुख गतिविधियों को लिखें।
   Write the main activities of NASSDOC.

नोट

4. निस्सात के कार्यों की विवेचना कीजिए।
Explain the activities/ function of NISSAT.

5. निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणी लिखिए–
Write notes on any two of the following–

(*i*) इनफ्लिबनेट के संगठन एवं आवश्यकता
Needs and organiation of INFLIBNET.

(*ii*) डेलनेट की सेवाएँ
Services of DELNET.

(*iii*) नासडॉक का उद्देश्य
Objective of NASSDOC.

(*iv*) निस्सात के संगठनात्मक संरचना एवं उद्देश्य
Organisation structure and objective of NISSAT.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- शर्मा, पांडेय एस.के. : पुस्तकालय और समाज, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 2007
- मौंगेराम एवं अन्य : पुस्तकालय और आधुनिक समाज, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
- INSDOC : Annual Report (1996-97). New Delhi : INSDOC
- INFLIBNET : CALIBER – 95 Access through Networks. Ahmedabad : INFLIBNET, 1995
- UGC : Development of an Information and Library Network (INFLIBNET). Report of the Inter-Agency Working Group. (1998)
- Rab, S.F. : Changing Frontiers of Library and Information Science : Concept and Models, New Delhi : Commonwealth Publication, 1994

इकाई-3
(Unit–3)

नोट

एग्रिस, इनिस, मेडलर्स, ओसीएलसी (AGRIS, INIS, MEDLARS, OCLC)

पाठ-संरचना (Lesson-structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- एग्रिस (AGRIS)
- इनिस (INIS)
- मेडलर्स (MEDLARS)
- ओसीएलसी (OCLC)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

प्रस्तुत इकाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ विशिष्ट संगठनों एवं केंद्रों जैसे–एग्रिस, इनिस, मेडलर्स एवं ओसीएलसी की गतिविधियों, विशेषताओं, उद्देश्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन संगठनों का पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास में इनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों को जानना है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जिज्ञासु उपयोक्ता पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के प्रोन्नयन, समन्वयन तथा विकास के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या कर सकेंगे।

एग्रिस (AGRIS)

परिचय एवं अर्थ (Introduction and Meaning)

वर्तमान समय में कृषि एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है जिस पर वर्तमान मानव सभ्यता टिकी हुई है। किसी भी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि वहाँ की कृषि स्थिति और प्रणाली पर अधिकाधिक रूप से निर्भर करती है। कृषि विज्ञान और औद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान के विकास से ही कृषि प्रधान देशों की प्रगति संभव हो सकी है। अनुसंधानिक कियाकलापों के लिए संबंधित सूचना और सूचना सेवाओं का विशेष महत्त्व होता है। अत: अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली सभी देशों में खाद्य पदार्थों और कृषि के क्षेत्र में विकास तथा उन्नयन हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

एग्रिस (AGRIS) का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली (International Information System for Agriculture Sciences and Technology–AGRIS) है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के अभिकरण फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (Food & Agricultural

नोट

Organisation–FAO) ने कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना प्रसार, संप्रेषण और आदान-प्रदान की प्रकियाओं तथा सेवाओं को गतिशील बनाने के उद्देश्य के लिए किया।

दरअसल कृषि विज्ञान अनुसंधान एवं विकास में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना को महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यकता मानते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 1969 में विशेषज्ञों को दल नियुक्त किया, जिसने इस विषय में अध्ययन और विचार-विमर्श के यह सुझाव दिया कि कृषि एवं इससे विषय क्षेत्रों में अनुसंधानिक कार्यों हेतु एग्रिस की स्थापना अति आवश्यक है और 1970 में इसकी स्थापना हुई।

एग्रिस का उद्देश्य (Objectives of AGRIS)

- विकासशील देशों में कृषि वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं को वांछित जानकारी प्रदान करना रहा है;
- जिन विकासशील देशों में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सूचना एवं प्रलेखन सेवाओं एवं प्रणालियों का समुचित विकास एवं व्यवस्था नहीं हो सकी है, उनमें कृषि सूचना की व्यवस्था और प्रबंध हेतु उन्हें इस दिशा में सक्षम एवं सक्रिय बनाना;
- विश्व स्तर पर कृषि साहित्य के लिए एक अनन्य, व्यापक तथा अद्यतन (Up to date) सूची का निर्माण करना जो शोध के प्रतिफलों, खाद्य-उत्पादों तथा ग्रामीण विकास की जानकारी उपलब्ध करा सके, और विश्व स्तर पर खाद्य-आपूर्त्ति के समस्त पहलुओं से संबंधित अपने उपयोक्ताओं की समस्याओं के निदान में सहायक होना;
- उपयोक्ताओं की सूचना-परक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सूचना-पुनर्प्राप्ति सेवा चलाना एवं माँग होने पर प्रलेखों की प्रतियाँ उपलब्ध कराना तथा
- अनावश्यक पुनरावृत्ति को दूर करने तथा सेवाओं की कुशलता को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र की द्वितीयक सूचना सेवाओं से संपर्क बनाए रखना।

एग्रिस की विशेषताएँ (Characteristics/Features of AGRIS)

एग्रिस कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- यह विश्व-स्तरीय कृषि सूचना की सहकारी प्रणाली है जिसमें 125 देशों तथा 20 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा भाग लिया जा रहा है जो स्वैच्छिक सहयोग, सहकारिता और योगदान पर आधारित है;
- यह कम्प्यूटरीकृत सूचना संग्रह तथा पुनर्प्राप्ति प्रणाली है;
- इस सूचना प्रणाली में सम्मिलित की जाने वाली सूचना सामग्रियों का संकलन एवं चयन स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय निवेश केंद्रों द्वारा किया जाता है। अत: यह प्रणाली अधिकांशत: विकेंद्रीकृत सिद्धांत पर आधारित है।
- यह सूचनाओं से अवगत कराने हेतु मासिक अनुक्रमणिकरण पत्रिका का प्रकाशन करता है।
- विषय अनुक्रमणिकरण (Subject-Indexing) के लिए पर्यायवाची शब्दानुक्रमणिका का उपयोग किया जाता है।
- एग्रिस एक उद्देश्य उन्मुख सूचना प्रणाली है जिसमें सूचना व्यवस्था तथा प्रबंध के लिए सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधुनिकतम विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है एवं
- इसके द्वारा अनेक प्रकार की महत्त्वपूर्ण सूचना सेवाओं का आयोजन किया जाता है जैसे–सामयिक चेतना सेवा, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा तथा पूर्वव्यापी सूचना खोज सेवा (Retrospective Information Search Service) आदि। इन समस्त सेवाओं हेतु यंत्रेण पठनीय सामग्रियों जैसे–मैग्नेटिक टेप, सीडी-रोम आदि को उपलब्ध कराया जाता है।
- एग्रिस सूचना प्रणाली में निवेश के लिए उपयुक्त मानकों, प्रारूपों एवं नियमावलियों को विकसित किया गया है जिनका अनुसरण विभिन्न केंद्रों द्वारा एकरूपता तथा साम्यता स्थापित करने हेतु किया जाता है एवं
- एग्रिस के सदस्य राष्ट्रों तथा संगठनों में कार्यरत ग्रंथालियों, सूचना विशेषज्ञों और सूचना वैज्ञानिकों को अद्यतन रखने हेतु समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

एग्रिस द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ (Providing Services from AGRIS)

नोट

[A] एग्रिस स्तर प्रथम (AGRIS Level I)–इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित वाङ्मयात्मक सूचना की तालिकाओं एवं वाङ्मय सूचियों का निर्माण किया जाता है। इस सेवा आयोजन को सफल बनाने में 128 राष्ट्रीय केंद्र तथा 17 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नियमित रूप से निवेश के कार्य में सहयोग देते हैं। इस निवेश की सामग्री को मैग्नेटिक टेप या फ्लॉपी डिस्क के रूप में भेजा जाता है तथा डेटाबेसों में तैयार कर दिया जाता है। इन डेटाबेसों से भिन्न प्रकार की सेवाओं को सुलभ कराया जाता है जो इस प्रकार हैं–

(1) एग्रिन्डेक्स (AGRINDEX)–एग्रिन्डेक्स एक मासिक Indexing Periodicar है जिसके प्रत्येक अंक में 50 भाषाओं के 7000 से अधिक सामयिकियों एवं प्रलेखों से चयन कर लगभग 17000 संदर्भों का उल्लेख होता है। इस अनुक्रमणिकाकरण पत्रिका में प्रलेखों को 17 प्रमुख विषय शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत कर आकलित किया जाता है तथा प्रत्येक विषय के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र या वस्तु के अनुसार एक कोड के अनुसार प्रलेखों की प्रविष्टियों को आकलित किया गया होता है। इस Indexing Periodicar के अंत में 4 अनुक्रमणिकाएँ व्यक्तिगत लेखक समष्टिकृतित्व, प्रतिवेदन/पेटेंट संख्या तथा विषय अनुक्रमणिकाएँ प्रस्तुत की गई होती हैं जिससे वांछित सूचना को प्राप्त करने में सुविधा हो सके। विषय अनुक्रमणिका के लिए एग्रिस की अपनी शब्दावली सूची है जिसे AGROVOC THESAURUS कहते हैं। एग्रिस के डेटाबेसों में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक संदर्भों को सम्मिलित किया जाता है।

(2) AGRIS Magnetic Tape–एग्रिस डेटाबेसों के यंत्रेण पठनीय स्वरूपों को मैग्नेटिक टेप के आरूप में प्राप्त किया जा सकता है। समस्त निवेश केंद्र इन मैग्नेटिक टेपों को एग्रिस के प्रकियाबद्धकरण केंद्र वियना से प्राप्त कर सकते हैं। इन टेपों में सूचना को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रारूप (ISO-2709) के अनुसार अंकित किया गया होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रकियाबद्ध किया जाता है।

(3) AGRIS Online Services–एग्रिस के डेटाबेसों से दूरस्थ स्थानों पर भी वांछित सूचना सामग्रियों की खोज की जा सकती है। ऐसी सेवा प्रमुख कंप्यूटर पर उपलब्ध है तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणालियों जैसे Telex, Telephone तथा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की सहायता से भी सामयिक तथा पूर्वव्यापी सूचना को प्राप्त किया जा सकता है।

(4) AGRIS : CD-ROM–एग्रिस ऑनलाइन सेवाओं में कुछ असुविधाएँ हैं। मैग्नेटिक टेपों के डेटाबसों से खोज करने के लिए अत्यधिक स्मृति या डिस्क स्पेस की आवश्यकता पड़ती है तथा विकासशील देशों में दूरसंचार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कंप्यूटर के माध्यम से सूचना प्राप्त करना समस्यामूलक तो होता ही है साथ ही अधिक खर्चीला भी होता है। लेकिन AGRIS : CD-ROM के माध्यम से एग्रिस की आधार सामग्रियों को उपयोग में लाने के लिए मुख्य कंप्यूटर एवं डिस्क स्पेस (Dick space) की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि CD-ROM को माइक्रोकंप्यूटर की सहायता से संपूर्ण सूचना की खोज ही जा सकती है। इसीलिए किसी भी पुस्तकालय तथा प्रलेखन केंद्र से वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु AGRIS : CD-ROM का उपयोग सरलतापूर्वक किया जा कसता है।

[B] एग्रिस द्वितीय स्तर (AGRIS Level II)–द्वितीय स्तर के अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान (Veterinary Science) वानिकी (Forestry), उष्णदेशीय कृषि (Tropical Agriculture) आदि विषयों को चुना गया और इस एफ.ए.ओ. (FAO) से अलग अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप अनेक विशिष्ट सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है जो कृषि विज्ञान के द्वितीय स्तर के विषयों की सूचना सेवाओं का आयोजन कर रहे हैं। द्वितीय स्तर पर विशिष्ट सूचना सेवाओं, सूचना केंद्रों, सूचना विश्लेषण केंद्रों को आधार सामग्रियों की संचिकाओं को समन्वित प्रणाली का स्वरूप प्रदान करने का रहा है। ऐसे केंद्रों को एग्रिस द्वितीय स्तर के नोडल सेंटर (NODAL CENTRE) माना जाता है।

कुछ प्रमुख नोडल केंद्र इस प्रकार हैं–

- Tropical Grain Leguenes Information Centre, नाजीरिया
- Cassara Information Centre, कोलम्बिया
- Internationl Irrigation Information Centre, इजराइल

नोट

भारत का एग्रिस कार्यक्रमों में योगदान
(Contribution of India in AGRIS Programmes)

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने प्रारंभ में ही यह निर्णय ले लिया था कि एग्रिस के कार्यक्रमों में भारत का सहयोग एक सदस्य राष्ट्र के रूप में सदैव प्राप्त होता रहेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1975 में कृषि अनुसंधान सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी। यह केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी प्रकाशित साहित्य का निवेश एग्रिस प्रणाली में कर रहा है। 1984 तक इस केंद्र द्वारा एग्रिस सूचना प्रणाली में निवेश हेतु 30,000 संदर्भों को भेजा जा चुका है तथा प्रतिवर्ष लगभग 3500 संदर्भों को भेजा जाता है। एग्रिस द्वारा तैयार डेटाबेसों में भारत का योगदान 3.4% है।

एशिया की कृषि सूचना बैंक (Agricultural Information Bank for Asia)

एग्रिस को उपयोगी सूचना प्रसार में योगदान देने पर पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इसी प्रणाली से प्रभावित होकर दक्षिणी पूर्वी एशिया (South East Asia) के नौ देशों के सहयोग से एशिया कृषि सूचना बैंक की स्थापना की गई है जिसे AIBA के नाम से जाना जाता है।

इनिस (INIS)

परिचय एवं अर्थ (Introduction and Meaning)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रलेखन एवं सूचना के कियाकलापों में इंटरनेशनल न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसे संक्षेप में इनिस (INIS) के नाम से जाना जाता है, जो विख्यात एवं लोकप्रिय सूचना प्रणाली है। परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों पर उपलब्ध साहित्य के दिन पर दिन बढ़ते हुए महत्त्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेंसी ने अप्रैल 1970 में आस्ट्रिया स्थित वियना में इनिस (INIS) की स्थापना की। इनिस साधारणतया एक मिशन प्रधान (mission oriental) सूचना सेवा है जिसमें आणविक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (Atomic Science and Technology) का संपूर्ण क्षेत्र आता है। इनिस की स्थापना के पूर्व आणविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली का अभाव था। अत: इनिस इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रथम सूचना प्रणाली है।

इनिस की संरचना (Structure of INIS)

इनिस सूचना प्रणाली के रूप में सहकारी प्रयास है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आणविक शक्ति अभिकरण (IAEA) तथा सदस्य राष्ट्र नाभिकीय एवं आणविक साहित्य के केंद्रीय वाङ्मयात्मक नियंत्रण (Bibliographical Control) के कियाकलापों में सहयोग करते हैं। 44 राष्ट्रीय सदस्य तथा 12 अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र के नाभिकीय साहित्य का क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करते हैं और वाङ्मयात्मक निवेश (Input) इनिस को प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से इनिस एक पूर्ण नेटवर्क प्रणाली है जिसमें एक राष्ट्रीय केंद्र क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। सूचनात्मक कियाकलापों (Informational Activities) के लिए इस प्रणाली के अनेक स्तरों पर केंद्र कड़ियाँ एक साथ सम्बद्ध की गई हैं।

इनिस के उद्देश्य (Aims of INIS)

इनिस की स्थापना वस्तुत: नाभिकीय तथा इससे संबंध अन्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक साहित्य का संग्रह एवं वाङ्मयात्मक नियंत्रण स्थापित कराने तथा इस विषय क्षेत्र की प्रलेखन एवं सूचना सेवा के आयोजन हेतु की गई है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- विश्व के सभी देशों में प्रकाशित आणविक साहित्य का संग्रह करना तथा इनको सारांशबद्ध एवं अनुक्रमणिकाबद्ध करना;
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रलेखन तथा प्रलेख सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा का आयोजन करना;
- अनुसंधानों के परिणामों तथा निष्कर्षों की प्रभावकारी उपयोग हेतु सहयोगी राष्ट्रों को सूचना प्रदान करना;
- सूचना संग्रह विकेंद्रीकरण की नीतियों का अनुपालन करना तथा सूचना-प्रसार के लिए वियना स्थित इनिस के मुख्य केंद्र द्वारा सुलभ सेवाओं का लाभ उठाना;
- कंप्यूटरों का उपयोग करने हेतु मानकों को निर्धारित करना तथा उसके नियमों को निर्मित करना;

छात्र क्रियाकलाप

1. एग्रिस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को बताइए।

2. इनिस की संरचना पर नोट लिखिए।

नोट

- यंत्रेण पठनीय सूचना सेवा को आयोजित एवं सुलभ करना तथा विस्तृत तथा बाङ्मयात्मक आधार सामग्रियों के बैंक की स्थापना करना।

इनिस की विशेषताएँ (Characteristics/Features of INIS)

इनिस एक वर्धनशील सूचना प्रणाली है। इसमें सुधार के लिए निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- इनिस अपने सहयोगी सदस्य राष्ट्रों की सूचना को संरक्षित रखता है;
- यह नाभिकीय तथा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी साहसिक कार्य है;
- यह अंतर्राष्ट्रीय सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के रूप में है जो किसी भी रूप में संग्रहित सूचना को अपने सदस्य राष्ट्रों को उपलब्ध कराने में तत्पर रहता है;
- यह एक महत्त्वपूर्ण अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण सेवा है;
- यह अधिकतम विकेन्द्रीयकरण एवं न्यूनतम केंद्रीयकरण है;
- यह सूचना प्रस्तुतीकरण में आधुनिक प्रविधियों का उपयोग करता है;
- इसके द्वारा मशीन पठनीय सूचना सेवा प्रदान की जाती है;
- यह कंप्यूटर आधारित प्रणाली है एवं
- इसके द्वारा मानकों और नियमों को पूर्ण पालन किया जाता है।

इनिस के क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम (Activities and Programme of INIS)

- **इनिस संदर्भ शृंखला** (INIS Reference Series)–इनिस के 19 प्रलेख हैं जिन्हें इनिस संदर्भ शृंखला कहते हैं और इन्हें इनिस मानक एवं नियमावली (Standards and Rules) भी कहते हैं। इन नियमों का उपयोग निवेश और निर्गत (Input and Output) के लिए किया जाता है।

- **निवेश नियम** (Input Rules)–इनिस के सदस्य राष्ट्रों द्वारा नाभिकीय विज्ञान तथा इससे संबंधित प्रौद्योगिकी का संग्रह कर इनिस के मुख्य केंद्र वियना भेजा जाता है। इन्हें मैग्नेटिक टेप तथा कागज टेप स्वरूपों में भेजा जाता है।

- **केंद्रीयकृत प्रकियाबद्धकरण** (Centerlized Processing)–सदस्य राष्ट्रों द्वारा सूचना, आँकड़े तथा डेटा इनिस के मुख्य कार्यालय वियना में ज्यों का त्यों प्राप्त होते हैं। उनका सत्यापन तथा निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद यंत्रेण पठनीय स्वरूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है और तुरंत केंद्रीय कंप्यूटर डेटाबेस में निवेश कर दिया जाता है। इसको प्रकियाबद्ध करने में कम से कम समय लगता है और निर्माण सदस्य राष्ट्रों को 15 दिनों के अंदर वितरित कर दिया जाता है।

- **इनिस के सूचनात्मक उत्पादन तथा उनका वितरण** (Informative Product & Distribution of INIS)–यह केंद्र सूचना सामग्रियों को मैग्नेटिक टेप, सामयिक प्रकाशन, माइक्रोफिश, माइक्रोफिल्म, ऑन-लाइन सेवाएँ तथा ऑफ-लाइन सेवाओं के प्रकारों एवं स्वरूपों में उपलब्ध कराता है।

- **विषय अनुक्रमणिकाएँ तथा शब्दावली सूची** (Subject Indexing and Thesaurus)–विषय अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए इनिस ने अपने शब्दावली कोश तैयार एवं निर्मित किए हैं जो यूरेटम शब्दावली कोश पर आधारित हैं। इसके लिए शब्दावली कोश को यंत्रेण पठनीय आरूप के अनुरूप निर्मित किया गया है। रूसी, जर्मन, फ्रेंच में 16800 वर्णनात्मक पदों और 57000 अस्वीकृत पदों को सम्मिलित किया गया है।

- **वर्धनशील प्रणाली** (Growing System)–इनिस एक वर्धनशील सूचना प्रणाली है जिसमें अनेक प्रकार के सूचनात्मक उपकरणों को तैयार किया जाता है। इसके द्वारा अनेक रूपों में सूचनात्मक प्रकाशनों को उत्पादन के रूप में सम्पन्न किया जाता है।

- **इनिस के सूचनात्मक प्रकाशन (Informative Publication of INIS)**

- इनिस एटोमिन्डेक्स (INIS Atomindex)–इनिस इसे मासिक सारांशकरण पत्रिका के रूप में प्रकाशित करता है।

- माइक्रोफिल्म आरूप के सारांश–इनिस अपनी चार भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश में माइक्रोफिल्म के रूप में तैयार कर वितरित करता है।

- इनिस एटोमिन्डेक्स डेटाबेस के मैग्नेटिक टेप को मासिक निकालता है।

नोट

भारत का योगदान (Contribution of India)

भारत इनिस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाला पहला देश है। बंबई स्थित भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर (BARC) का पुस्तकालय नाभिकीय साहित्य से संबंधित सामग्रियों का संग्रह कर इनिस के मुख्य कार्यालय वियना में प्रकियाबद्धकरण हेतु भेजता है। प्रतिवर्ष लगभग 200 नाभिकीय प्रलेखों का विवरण वियना भेजा जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इनिस नाभिकीय साहित्य की सूचना सेवा का आयोजन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता सूचना प्रणाली है जो संपूर्ण विश्व को इस विषय क्षेत्र की सूचना को सुलभ कराने का सक्रिय प्रयास करती है।

इनिस में भारत का निवेश सर्वप्रथम 1970 में किया था जो 151 प्रलेखों का था और 1977 में 1000 प्रलेखों का निवेश किया गया था। 1982, 1983, 1984 में क्रमश: 400, 500 तथा 600 प्रलेखों का निवेश किया गया था।

प्रारंभ में भारत निवेश हेतु वर्कशीट पर टाइप कर, तत्पश्चात् चिह्नांकत पेपर टेपों पर फ्लेक्सों राइटर के द्वारा सूचना प्रस्तुत की जाती थी। 1985 से ओसीआर शीट पर निवेश किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से मैग्नोटिक टेपों पर भी भारतीय नाभिकीय साहित्य का निवेश किया जाता है।

मेडलर्स (MEDLARS)

परिचय एवं अर्थ (I2ntroduction and Meaning)

आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय National Library of Medicine नेटवर्क की सेवाएँ परम्परागत रूप से 1880 से निरंतर प्रदान करता आ रहा है जो आयुर्विज्ञान (Medical) एवं इससे संबंधित क्षेत्रों की शोध-पत्रिकाओं के आलेखों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशालतम मुद्रित अनुक्रमणिका इंडेक्स मेडीकस (Index Medicus) का प्रकाशन तभी से है विभिन्न स्वरूपों में करता आ रहा है लेकिन 1964 में इंडेक्स मेडीकस का रूपांतर करके वाङ्मयात्मक डेटाबेस (Bibliographical Database) का निर्माण एक विधि के रूप में किया गया जिसे मेडलर्स (MEDLARS) कहते हैं। इसका पूरा नाम Medical Literature Analysis and Petrival System है। यह कंप्यूटर द्वारा निष्पादित अनुक्रमणीकरण सेवा है।

1968 में ऑनलाइन खोज की दृष्टि से इसे विकसित किया गया तथा 1972 में राष्ट्रीय सेवा के रूप में अमेरिका में Medilars **on-line** को MED-**Line** के रूप में स्थापित किया गया। प्रारंभिक अवस्था में मेड-लाइन सेवा का क्षेत्र उतना विस्तृत एवं व्यापक नहीं था जितना इससे पहले मेडलर्स का था लेकिन 1977 से मेडलाइन सेवा का क्षेत्र उतना ही विस्तृत एवं व्यापक हो चुका है। देश के 350 मेडीकल पुस्तकालयों में कंप्यूटर द्वारा 5 लाख से अधिक शोध-पत्रिकाओं की सामग्रियों का अभिगम इससे उपलब्ध कराया जाता है।

मेडलर्स की उपयोगिता (Utility of MEDLARS)

मेडलाइन के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा मेडलर्स ऑनलाइन सेवा के माध्यम से और अधिक सामग्रियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि इसमें संदर्भों का उल्लेख इन्डेक्स मेडीकस से उद्धृत करके किया जा सकता है। इसमें अन्य निम्न अनुक्रमणिकाओं से भी उद्धरणों को सम्मिलित किया जाता है–

- Population Index
- Index to Dental Literature
- International Nursing Index.

मेडलर्स सभी डेटाबेसों में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत सामग्रियों को डेटाबेस के अंतर्गत संग्रह करने तथा अंत में इंडेक्स मेडीकस के मुद्रित रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा पर्याप्त सराहनीय मानी गई है।

निवेश (Input)

इस अनुक्रमणिका में विख्यात विषय-लेखक भाग तथा विषय एवं लेखक के अनुसार आयुर्विज्ञान की समीक्षाओं को वाङ्मयसूची में प्रस्तुत किया जाता है इसके जनवरी के अंक में Controlled Indexing

नोट

Language दी जाती है जिसे Medical Subject Headings कहते हैं तथा पत्रिकाओं की पूर्ण तालिका भी दी जाती है। विषय शीर्षकों का चयन उपरोक्त तालिका से किया जाता है जिसके लिए 8000 अनुक्रमणिका पदों का एक शब्दकोश तैयार किया गया है। प्रत्येक चार आलेख को औसतन 12 शीर्षक प्रदान किए जाते हैं जिनका मुद्रण इंडेक्स मेडीकस में चार या पाँच विषय शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है।

• **उत्पादन (Output)**–सामग्रियों को ज्यों ही कंप्यूटर में समायोजित कर दिया जाता है त्यों ही यंत्रीकृत कार्य प्रारंभ हो जाता है। पत्रिकाओं की अनुक्रमणिकाओं का विश्लेषण करने पर दो प्रकार के परिणाम (output) प्राप्त होते हैं–

• इंडेक्स मेडीकस की मुद्रित प्रतियाँ तैयार करना;

• मैग्नेटिक टेपों को तैयार करना।

• **मुद्रित प्रतियाँ** (Printed Copies)–कंप्यूटर के माध्यम से खोज करने और इसका उपयोग करने से उद्धरणों का अतिरिक्त अधिगम प्राप्त हो जाता है। इसका दूसरा महत्त्वपूर्ण लाभ उद्धरणों का मुद्रित कर लेना भी होता है।

• **प्रलेखों का वितरण** (Distribution of Documents)–मेड-लाइन प्रलेखों का वितरण करने के साथ-साथ प्रलेखों के उद्धरणों एवं संदर्भों का वितरण भी प्रस्तुत करता है। मेड-लाइन को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडीसिन Inter Loan की सुविधा से जोड़ती है। प्रतिदिन 1100 सामग्रियों की माँग प्राप्त होती है तथा पुस्तकालय प्रति वर्ष 30,000 प्रश्नों का उत्तर प्रदान करता है। उपरोक्त पुस्तकालय में सामग्रियों की माँग आने से पूर्व इसके तीन आपूर्ति स्थल स्रोतों से इनका समाधान कर दिया जाता है जिनका समाधान नहीं हो पाता है उन्हें उपरोक्त पुस्तकालय में भेज दिया जाता है जो अंतिम स्रोत स्थल माना जाता है।

• **मेड-लाइन खोज** (MED line Search)–मेडलाइन खोज के अंतर्गत आलेखों के उद्धरणों के चार दृष्टांत मिलते हैं जिससे विभेद स्पष्ट हो जाता है। इंडेक्स मेडीकस के अंतर्गत पत्रिकाओं की आख्याओं के संकेताक्षरों से प्रत्येक चार उद्धरणों में तीन स्पष्ट हो जाते हैं और चौथा उससे प्राप्त नहीं हो पाता है जो वस्तुत: ऑन-लाइन खोज के द्वारा International Nursing Index से प्राप्त किया जाता है जिनका उल्लेख इंडेक्स मेडीसिन में नहीं होता है अत: इनके विवरण के लिए Nursing Index का अवलोकन करना पड़ता है।

• **मेडलर्स सहयोग** (Co-operation)–मेडलर्स का आठ देशों–ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का द्विपक्षीय अनुबंध स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेडलर्स कंप्यूटर टेपों, प्रलेखन सेवा, प्रशिक्षण तथा 15000 आलेखों की अनुक्रमणिका प्रत्येक केंद्र को प्रदान की जाती है।

ओसीएलसी (OCLC)

यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेटवर्कों में विश्व स्तर का वृहत सूचना नेटवर्क है। इसका पूर्ण नाम कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था जो कि 1967 में ओहियो कॉलेज डबलिन में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसे विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क कहा जाता है। इसका नाम Online Computer Library Centre है। यह सहकारी लाभ रहित सदस्यता प्रदान करता है जिसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 40,000 है जो कि विश्व के 76 देशों में स्थापित है। इसका प्रमुख उद्देश्य कम कीमत पर उपयोगकर्त्ताओं को सूचनाओं का अभिगम प्रदान करना है। इसके लिए यह पुस्तकालय स्वचालन, सहकारी सूचीकरण संदर्भ एवं पुस्तकालय आदान-प्रदान से संबंधित कार्यों को सामर्थ्य प्रदान करता है। अब तक विश्व के 6600 पुस्तकालयों को 7 मिलियन ग्रंथों का पुस्तकालय आदान-प्रदान किया जा चुका है। 17,360 पुस्तकालयों द्वारा इसकी सेवा का लाभ उठाया जा रहा है। वर्तमान में सभी प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप संपूर्ण प्रकार की पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान इस केंद्र में है, जैसे सूचीकरण उपकरण, संदर्भ डेटाबेस तथा ऑन-लाइन खोज सेवाएँ। संसाधन सहभागिता उपकरण संरक्षण उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी विश्व सूची डेटाबेस में प्रति 15 सेकेंड में एक अभिलेख सृजित किया जाता है जिसमें 46 मिलियन सूचीकृत अभिलेख हैं। यह 4000 वर्ष के संग्रहित ज्ञान की 400 भाषाओं का 7084080,705 स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आंतरिक एवं बाह्य अनुसंधान केंद्रों एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का संचालन करता है। डबलिन कोर मेटाडेटा प्रयास वैश्विक स्तरीय 15 मेटाडेटा तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की खोज की सुविधा प्रदान करता है। समय, स्थान एवं विषय के अवरोधकों के बावजूद विशिष्ट

छात्र क्रियाकलाप

1. ओसीएलसी को विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क किस प्रकार मानते हैं?

2. मेडलर्स का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए।

संगोष्ठियों का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। न्यासी मंडल के सदस्य, उपयोक्ता परिषद् तथा सामान्य सदस्यों द्वारा इसका संचालन एवं प्रबंध किया जाता है।

नोट

सारांश (Summary)

विभिन्न सार्वभौमिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सूचना प्रणालियों और सूचना केंद्रों का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि सूचना एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है और इसका स्वतंत्र प्रवाह एवं हस्तांतरण बिना किसी अवरोध के सार्वभौमिक रूप से होना आवश्यक है। यद्यपि औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र सूचना के क्षेत्र में धनी हैं और विकासशील राष्ट्र सूचना के क्षेत्र में पिछड़े एवं निर्धन माने जाते हैं। विश्व विकास एवं प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि सूचना के क्षेत्र में बढ़े हुए इस अंतर को खत्म किया जाए। यद्यपि वर्तमान समय में विकसित राष्ट्र भी अपने को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सूचना के संबंध में कभी पर्याप्त अद्यतन (up to date) नहीं कह सकते, क्योंकि सूचना की प्रकृति निरंतर वर्द्धनशील, गतिमान और अपरिमित है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे द्रुतगति विकास के फलस्वरूप सूचना का निरंतर उत्पादन हो रहा है और इसे नियंत्रित करने के प्रयास भी हो रहे हैं। सूचना के नियंत्रण और इसके विश्वव्यापी उपयोग के लिए सूचना संप्रेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना विनिमय प्रणालियों में अनुरूपता की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो गया है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों ने इसे ध्यान में रखते हुए सूचना के हस्तांतरण हेतु प्रोत्साहन देते हुए प्रयास किया है। सार्वभौमिक सूचना प्रणालियों के अंतर्गत एग्रिस, इनिस, मेडलर्स एवं ओ.पी.एल.सी. महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रणालियाँ एवं सेवाएँ हैं। एग्रिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित सूचना के प्रचार, प्रसार और सहयोग हेतु मानी जाती है। इनिस विश्वस्तर पर प्रकाशित आणविक साहित्य का संग्रह, सारकरण, अनुक्रमणीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रलेख सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। इसी तरह मेडलर्स एवं ओ.सी.एल.सी. भी अपने-अपने संबंधित क्षेत्र इसी तरह का कार्य कर रहे हैं।

प्रमुख शब्द (Key Words)

अंतर-सरकारी (Inter Government)–ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें राष्ट्रीय सरकारें सदस्य होती हैं।

आंचलिक केंद्र (Sectoral Centres)–किसी विषय या विद्या के लिए उन्मुख सूचना केंद्र।

अवसंरचना (Infrastructure)–सूचना संसाधनों तथा सुविधाओं से सम्पन्न संस्थानिक निकाय।

केंद्रीय स्थल (Focus Point)–किसी गतिविधि या ध्यानाकर्षण के लिए निर्धारित किया गया केंद्रीय या प्रमुख निकाय।

प्रोन्नयन (Promotion)–किसी लक्ष्य, उत्पाद, सेवा, संस्था आदि के विकास के लिए प्रोत्साहन या बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (National Information System)–विद्यमान सूचना संसाधनों तथा नवीन सेवाओं का ऐसा नेटवर्क जिसमें सेवाओं और संसाधनों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है जिससे प्रत्येक इकाई की गतिविधियाँ तथा कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके।

विश्वस्तरीय सूचना प्रणाली (Global Information System)–पूरे विश्व के सभी प्रलेखों, विविध सेवाओं तथा उपयोक्ताओं के लिए कम से कम धन, समय तथा प्रयास के द्वारा सूचना प्रदान कराने का अंतर्राष्ट्रीय, विश्वस्तरीय सहकारी या संयुक्त प्रयास।

सूचना केंद्र (Information Centre)–एक ऐसा संगठन जो सूचनाओं का एकत्रण, रखरखाव, प्रक्रियाकरण एवं विसरण वैसे व्यक्तियों के लिए करता है जो इसकी माँग करते हैं।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1 एग्रिस क्या है? इसके उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन करें।
What is AGRIS? Explain the Objective and Features of AGRIS.

2 एग्रिस की गतिविधियों की चर्चा कीजिए।
Discuss the Activities of AGRIS.

3 इनिस के उद्देश्यों एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
Discuss the Objective and Features of INIS.

4 इनिस के गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की चर्चा करें।
Discuss the Activities and Programme of INIS.

5 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें (Write Notes on the Following) –
(*i*) मेडलर्स की उपयोगिता (Utility of MEDLARS).
(*ii*) ओसीएलसी (OCLC).

नोट

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

- त्रिपाठी, एस.एम. : सूचना प्रणालियाँ एवं नेटवर्क, वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा, 2008
- Rab, S.F. : Changing Frontiers of Library and Information Science Concept and Model, Commonwealth Publication, New Delhi, 1994
- INFLIBNET : CALIBER—Access through Networks, Ahmedabad, 1995
- UGC : Annual Report, UGC, New Delhi, 1995-96

नोट

इकाई-4
(Unit-4)

उपयोक्ता अध्ययन एवं उपयोक्ता शिक्षा
(User Studies and User Education)

पाठ-संरचना (Lesson-Structure)

- परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)
- उपयोक्ताओं की विशेषताएँ (Features of Users)
- उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता एवं श्रेणियाँ (Needs and Categories of User Study)
- उपयोक्ता अध्ययन के लिए तकनीकें (Techniques for User Study)
- उपयोक्ता शिक्षा (User Education)
- अध्यापन विधियाँ (Teaching Techniques)
- उपयोक्ता शिक्षा की आवश्यकता एवं लाभ (Need and Advantages of User Education)
- सारांश (Summary)
- प्रमुख शब्द (Key Words)
- मॉडल प्रश्न (Model Questions)
- प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

परिचय एवं उद्देश्य (Introduction and Objectives)

पुस्तकालयों और सूचना प्रणालियों की अभिकल्पना और रचना अपने उपयोक्ताओं की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के प्राथमिक उद्देश्य से की जाती है। सूचना प्रणालियों और सेवाओं को पहले 'उपयोक्ता समादेश (Users Warrant)' की अपेक्षा 'साहित्य समादेश (Literary Warrant)' के आधार पर विकसित किया जाता था।

दरअसल प्रत्येक तथा समस्त सूचना-परक क्रियाकलाप पाठकों की आवश्यकता द्वारा ही निर्देशित होते हैं। सूचना उपयोक्ता के बारे में पी.एम. लिगंट (P.M. Leggate) का कथन है कि "पुनर्प्राप्ति-प्रणालियों और कम्प्यूटर प्रणालियों से विपरीत उपयोक्ता एक मनुष्य है और इसलिए उसको वर्गीकृत करना कठिन है। दुर्भाग्यवश, उपयोक्ता के संबंध में कोई कुछ भी कह सकता है और वह कुछ उपयोक्ताओं के लिए सत्य भी प्रतीत होगा। इस संबंध में कोई भी सामान्य कथन या सामान्यीकरण कम-से-कम कुछ उपयोक्ताओं के लिए सही होगा"। निश्चित उपयोक्ता समूहों की पहचान करने के साथ अनेक जटिल, खर्चीली और अपेक्षापूर्ण प्रक्रियाएँ जुड़ी हुई होती हैं।

किसी भी सूचना प्रणाली, सेवा या उत्पाद की रूपरेखा का अभिकल्प (Design) तैयार करने से पहले उपयोक्ता का अध्ययन करना आवश्यक होता है। उपयोक्ताओं का अध्ययन न केवल सूचना प्रणाली की योजना बनाने या सूचना सेवा या उत्पाद को शुरू करने से पहले किया जाना चाहिए बल्कि इसे प्रणाली या सेवा के जीवनचक्र के दौरान भी निरंतर करते रहना चाहिए। अर्थात् उपयोक्ता अध्ययन से ऐसी प्रणाली के अपेक्षाकृत लंबे

नोट

जीवन चक्र की संभाव्यता बढ़ जाती है जबकि सुविचरित अध्ययन के अभाव में यह अत्यंत तेजी से घट जाती है।

उपयोक्ता अध्ययन का बुनियादी उद्देश्य सूचनाएँ एकत्रित करना है जो उन विशिष्ट सूचना उत्पादों या सेवाओं की संकल्पना करने, उन्हें चलाने तथा उनका मूल्यांकन करने में उपयोगी हों जिन्हें विशिष्ट उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया जाता है। यहाँ इस बात को और जोर देकर कहा जा सकता है कि सूचना संबंधी क्रियाकलापों की सभी अवस्थाओं–जैसे संकल्पना से लेकर मूल्यांकन तक तथा विपणन (Marketing) से लेकर प्रबंधन तक में उपयोक्ता अध्ययन अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं। इसलिए केन्द्रीय प्रश्न यह है कि सूचना के उपयोक्ताओं या उपयोगों के बारे में कौन-सी या कैसी उपयोगी सूचना एकत्रित की जानी चाहिए? उद्देश्य के आधार पर प्रत्येक उपयोक्ता अध्ययन के लिए, उनके उपयोग के आधार पर कुछ निश्चित परिवर्तों (Variables) को सीमित संख्या में ही चुनना चाहिए। उपयोक्ता अध्ययन में जिन सामान्य परिवर्तों (Variables) की जाँच करना संभव है, उनमें से कुछ निम्न हैं–

- सूचना के उपयोक्ता से संबंधित वे कारक या परिवर्तों जो संबंधित समस्या के बारे में उनके प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रभावित करते हैं।
- उनके द्वारा सूचना के उपयोग के लिए अपनाए जाने वाले तरीके तथा उनकी सूचना उपयोग की क्षमता।
- वातावरण जनित एवं सामाजिक अभिलक्षण एवं;
- संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण आदि।

अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

उपयोक्ता एक वृहद संकल्पना है जिसमें सूचना के उत्पादक और उपयोक्ता दोनों ही सम्मिलित हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के साहित्य में 'उपयोक्ता' पद के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये कम या ज्यादा पर्यायवाची जैसे हैं। उदाहरण के लिए, उपयोक्ता की संकल्पना को संबोधित करने के लिए संरक्षक (Patron), मुवक्किल (client), सदस्य (member), ग्राहक (Customer) आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

उपयोक्ता की परिभाषा देते हुए ह्विटेकर लिखते हैं कि "उपयोक्ता वह व्यक्ति है जो पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त एक या एक से अधिक सेवाओं का उपयोग करता है।"

गिनचैट ने उपयोक्ता को दो मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया है, जैसे–(*i*) उद्देश्यपरक मानदंड के आधार पर, जैसे–सामाजिक-व्यावसायिक श्रेणी, विशेषज्ञता का क्षेत्र, उन क्रियाकलापों का स्वरूप जिनके लिए सूचना प्राप्त की जा रही है, सूचना प्रणाली के उपयोगी का कारण और (*ii*) सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक मानदंड के आधार पर, जैसे सामान्य रूप से सूचना के प्रति उपयोक्ता का दृष्टिकोण, उसकी सूचना संबंधी आस्था तथा विशेष रूप से सूचना प्रणाली या सूचना एकक से उसका संबंध।

गिनचैट ने उपयोक्ताओं को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया है–

पहला–वे उपयोक्ता जो सक्रिय जीवन में अभी शामिल नहीं हुए हैं, जैसे–छात्र।

दूसरा–वे उपयोक्ता जो किसी आजीविका में शामिल हैं और जिनकी सूचना संबंधी आवश्यकताएँ उनके काम या नौकरी से संबंधित हैं, ये अपने मुख्य क्रियाकलापों जैसे–प्रबंध, अनुसंधान, विकास, उत्पादन, सेवाएँ आदि के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे (क) क्रियाकलाप की शाखा और अथवा विशेषज्ञता का क्षेत्र कृषि, उद्योग आदि और (ख) शिक्षा तथा उत्तरदायित्व का स्तर (व्यावसायिक कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी) एवं

तीसरा–सामान्य नागरिक, जिन्हें सामान्य सूचना की आवश्यकता होती है।

सामान्यत: वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना प्रणाली के उपयोक्ताओं को उनके क्रियाकलाप की किस्म के आधार पर तीन महत्त्वपूर्ण वर्गों में रखा जा सकता है। ये हैं–

- ★ अनुसंधानकर्त्ता
- ★ प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय या सक्रियात्मक क्रियाकलापों में शामिल व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ एवं
- ★ प्रबंधक, नियोजक तथा अन्य निर्णय लेने वाले व्यक्ति जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विकासीय क्रियाकलापों के समन्वयन में शामिल है।

नोट

उपयोक्ताओं की विशेषताएँ (Features of Users)

किसी भी उपयोक्ता अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऐसी सूचना को एकत्रित करना होता है जो विशिष्ट उपयोक्ताओं के लिए विशिष्ट सूचना उत्पादों या सेवाओं को अभिकल्पित करने, उपलब्ध करने और उनके मूल्यांकन में उपयोगी हो। उपयोक्ताओं की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

• **व्यक्तिगत विशेषताएँ** (Personal Features)–उपयोक्ताओं के व्यक्तिगत अभिलक्षण/विशेषता का संबंध सूचना के उपयोक्ताओं में सन्निहित ऐसे तत्वों से है जो निम्नलिखित तथ्यों को प्रभावित करते हैं–

  * समस्या के बारे में उनका प्रत्यक्षण: संबंधित समस्या की उनकी परिभाषा तथा अपेक्षित सूचना का उनके द्वारा विवरण तथा
  * उनके द्वारा सूचना के उपयोग का विशेष तरीका तथा किसी विशेष प्रकार की सूचना के उपयोग की उनकी क्षमता।

• **सूचना विसरण की अवस्थाएँ** (Stages of Information Diffusion)–इस पहलू का संबंध इस बात से है कि उपयोक्ताओं को किसी विशिष्ट विचार या नवप्रवर्तन के बारे में कितनी जानकारी है। विभिन्न अवस्थाओं में सूचना की आवश्यकताएँ भिन्न होती है, अत: सूचना उत्पादों और सेवाओं को प्रत्येक अवस्था की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त बनाना होता है। यह तभी संभव हो सकता है जब उपयोक्ता की क्षमताओं का स्पष्ट प्रत्यक्षण कर लिया जाए।

• **सामाजिक अभिलक्षण/विशेषता** (Social Features)–सामाजिक विशेषता के अंतर्गत सामाजिक प्रणाली के उन कारकों जैसे–मानदंड, प्रस्थिति, संदर्भ समूह आदि को रखा जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार और संप्रेषण का महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इन कारकों के बारे में जानकारी होने से प्रणाली के अभिकल्पक को उपयोक्ता की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित रूप से स्पष्ट करने में सहायता मिलती है।

• **संप्रेषण संबंधी विशेषता** (Communication Related Features)–सूचना के उपयोक्ता तथा विसरण या प्रसार से संबंधित तत्वों से संप्रेषण संबंधी विशेषताओं की रचना होती है। इनमें से कुछ हैं: सूचना-स्रोत, सूचना-संरचनाएँ, संप्रेषण चैनल (Communication Channels) और सूचना प्रणालियाँ।

उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता एवं श्रेणियाँ (Needs and Categories of User Study)

सूचना की आवश्यकता संबंधी सर्वेक्षणों या उपयोक्ता अध्ययनों ने आवश्यक सूचना सेवाओं की किस्म और विद्यमान सेवाओं के प्रकार के बीच की खाई को पाटने में सशक्त भूमिका निभाई है। सूचना प्रणाली कैसी भी हो, उसके लिए उपयोक्ता की आवश्यकताओं का निर्धारण निश्चय ही जरूरी होता है फिर भी कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि क्या उपयोक्ता अध्ययनों या सर्वेक्षणों के जरिए वास्तव में सूचना आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है कि सूचना आवश्यकताओं का निर्धारण सार्वजनिक राय जानने के लिए किए जाने वाले मतदान जैसे सर्वेक्षणों से नहीं हो सकता। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सूचना सेवा एक प्रकार ही व्यावसायिक सेवा है और यह उपयोक्ता सेवा से अलग है। इसलिए सूचना सेवा के उपयोक्ता सूचना प्रणाली की अभिकल्पना (Design) में सही दिशानिर्देश नहीं प्रदान कर सकते। इस विचारधारा ने ऐसे सर्वेक्षणों के संचालन के लिए तकनीकों या विधियों के विकास पर जोर दिया है। इस स्थिति ने उपयोक्ता अध्ययनों के संचालन के लिए विश्वसनीय विधियों के विकास के प्रयासों को गति दी है और प्रभावी तथा फलोत्पादक सूचना प्रणालियों, सेवाओं और उत्पादों की अभिकल्पना और संचालन के लिए उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया है।

श्रेणियाँ (Categories)

उपयोक्ता अध्ययनों को सामान्य तौर पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

• वैसे अध्ययन जिनका संचालन उपयोक्ताओं के समुदाय और संचार प्रणाली के साथ उनकी अंतरक्रिया के समग्र ढाँचे को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उन्हें संचार व्यवहार अध्ययन कहा जाता है।

नोट

- दूसरी श्रेणी में उन अध्ययनों को रखा जाता है जो किसी संचार माध्यम का उपयोग ज्ञात करने के लिए संचालित किए जाते हैं–जैसे प्राथमिक पत्रिकाएँ, द्वितीयक पत्रिकाएँ आदि–इन्हें उपयोक्ता अध्ययन कहा जाता है।
- तीसरी श्रेणी में वे अध्ययन आते हैं जिनका संचालन समग्र रूप में विज्ञान संचार प्रणाली में सूचना के प्रवाह के ढाँचे को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये सूचना के प्रवाह में किए गए अध्ययन कहे जाते है एवं
- चौथी श्रेणी में वे अध्ययन या सर्वेक्षण आदि आते हैं जिनका संचालन पुस्तकालय या सूचना केन्द्र के सीमित संदर्भ में मुख्यत: प्रणाली या सेवाओं को सुधारने के अंतिम उद्देश्य के साथ किसी अभिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और सुविधाओं के उपयोग का विस्तार ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि किसी विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण के अलग-अलग पहलू हो सकते हैं जिनके कारण ऊपर की श्रेणियाँ एक-दूसरे को अतिव्याप्त (Overlapping) करती हैं। इसलिए उद्देश्यों को तय करते समय यह निश्चित करना पड़ता है कि ऊपर बताई गई 4 श्रेणियों के अनुसार अध्ययन या स्वरूप क्या होगा।

उपयोक्ता अध्ययन के लिए तकनीकें (Techniques for User Study)

उपयोक्ता अध्ययनों के संचालन की आवश्यकता को निर्धारित करने और अध्ययनों के संगत पहलुओं का निश्चित करने के बाद अगला तर्कसंगत कदम (Step) उपयोक्ता अध्ययन के संचालन के लिए उपयुक्त विधियों का चयन होता है। इस विषय पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रमाणित होता है कि अधिकांश सामान्य सर्वेक्षणों जैसे–साक्षात्कार, प्रश्नावली, दैनिकी आदि का सूचना उपयोग के अध्ययन के क्षेत्र में शोध कार्य करने वालों द्वारा व्यापक रूप में प्रयोग किया गया है। इस कार्य में अभी तक जिन विधियों का प्रयोग किया गया है वे हैं–प्रश्नावली, साक्षात्कार, दैनिकी, स्वयं द्वारा किया गया प्रेक्षण, ऑपरेशन्स रिसर्च अध्ययन, पुस्तकालयों के अभिलेखों का विश्लेषण, उद्धरण विश्लेषण, कम्प्यूटर प्रतिपुष्टि, गैर-परंपरागत विधियाँ।

उपयोक्ता अध्ययन के लिए विधियों का चयन पिछले निर्णयों अध्ययन के उद्देश्यों और अध्ययन किए जाने वाले परिवर्तों के आधार पर किया जाता है। विधियों के चयन में 3 महत्त्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए–

- उपयोक्ता समुदाय के नमूने का चयन;
- नमूनों या उनके बारे में आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रविधियों का निर्धारण तथा
- निष्कर्ष पाने या निकालने के लिए संकलित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण।

उपयोक्ता अध्ययन से संबंधित कार्य को वास्तव में शुरू करने से पहले इनमें से प्रत्येक के ऊपर विस्तार से विचार करना चाहिए। उपयोक्ता अध्ययन में विचार कर आँकड़ों को इकट्ठा करना चाहिए ताकि उसका विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया जा सके। किसी सांख्यिकी–विद् से सलाह लेना और उपयोक्ता अध्ययन के लिए प्रयुक्त विधियों के चुनाव में उसकी मदद लेना सदा उपयोगी होता है। इससे उपयोक्ता अध्ययन से व्युत्पन्न (Derivative) परिणामों की उपयोगिता काफी बढ़ जाएगी।

उपयोक्ता समुदाय के नमूने के प्रतिचयन के लिए अनेक विधियों की मदद ली जा सकती है जो इस प्रकार हैं–

- **सुविधात्मक प्रतिचयन**–पहले 25-30 ऐसे उपयोक्ताओं को लेना जो अध्ययन के विषय से संबंधित दिखायी दें।
- **यादृच्छिक प्रतिचयन**–इसमें समष्टि या उपयोक्ता समुदाय में से अध्ययन के लिए कुछ उपयोक्ताओं को यादृच्छिक (Random) रूप में चुन लिया जाता है।
- **स्तरित प्रतिचयन**–इसमें समष्टि को उपविभाजित कर उपवर्गों में बाँटना और फिर यादृच्छिक रूप में अध्ययन के लिए उपयोक्ताओं को चुना जाता है।
- **प्रातिनिधिक प्रतिचयन**–इसमें अध्ययन विषय के रूप में कुछ समान विशेषताओं वाले व्यक्तियों, व्यक्ति युग्मों या छोटे वर्गों को अध्ययन प्रारंभ करने के पहले ही चुन लिया जाता है।

नोट

आँकड़ों को एकत्रित करने की अनेक विधियाँ उपलब्ध है जो इस प्रकार हैं–

• **सर्वेक्षण**–इसमें उपयोक्ता से प्रश्न करना और सीधे ही उपयोक्ताओं से उनके व्यवहार, विशेषताओं, मूल्यों, परिस्थितियों और वरीयताओं के बारे में उत्तर प्राप्त करना शामिल है। उपयोक्ता अध्ययनों की यह सबसे प्रयुक्त विधि है। इसमें कुछ-कुछ पूर्वाग्रह ग्रसित परिणाम निकलते हैं।

• **प्रेक्षण**–इसमें दी हुई परिस्थितियों, पद्धतियों और कालविधियों आदि में उपयोक्ताओं के संप्रेषण व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया जाता है।

• **अभिलेखों का विश्लेषण**–इस विधि में संचारों जैसे–लिखित संचार, पत्र-व्यवहार, सांख्यिकी के अभिलेखों का विश्लेषण करना और इन अभिलेखों से उपयोक्ताओं के बारे में निष्कर्ष निकालना शामिल है।

• **प्रयोग या परीक्षण**–इस विधि में एक निश्चित वर्ग को एक विशेष वातावरण प्रदान कर उसके ऊपर उस वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और साथ ही अन्य वर्गों जो उस वातावरण से प्रभावित नहीं हैं–और प्रभावित वर्ग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

इसके बाद आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक विश्लेषण अनौपचारिक होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि आँकड़े क्या संकेत देते हैं? या किस दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं? औपचारिक विश्लेषण के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं–

• **सांख्यिकीय विश्लेषण**–इसमें अंकों के रूप में अभिव्यक्त महत्त्वपूर्ण आँकड़ों को जाँचने, तुलना करने तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए मानक सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

• **अर्थ विषयक विश्लेषण**–इसमें शब्दों के रूप में अभिव्यक्त आँकड़ों को जाँचने, तुलना करने तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए अर्थविषयक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

• **मनः सामाजिक विश्लेषण**–इसमें वैचारिक, तार्किक या प्रातिनिधिक (Representative) रूप में अभिव्यक्त आँकड़ों को वर्गीकृत तथा वर्णित करने के लिए मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय तथा नृविज्ञानीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

• **आर्थिक विश्लेषण**–इसमें उपर्युक्त सभी रूपों में अभिव्यक्त आँकड़ों से अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष निकालने के लिए वृहद (Macro) अर्थशास्त्रीय तथा सूक्ष्म (micro) अर्थशास्त्रीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

विश्लेषण की इनमें से प्रत्येक तकनीक के लिए उसके विषय-क्षेत्र की जानकारी जरूरी होती है। स्तरीय या मानक (Standard) सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर पैकेज आजकल व्यापक रूप में उपलब्ध है जिनके उपयोग द्वारा सूचना का कम्प्यूटर आधारित विश्लेषण, प्रस्तुतीकरण आदि किया जा सकता है।

भारत में किए गए प्रयास

विज्ञान में संचार की समस्याओं और उपयोक्ता अंतरापृष्ठ की ओर पिछले तीन दशकों से हमारे देश में ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए इन्सडॉक (INSDOC) द्वारा 1964 में अपनी सामयिक जागरूकता सेवा (CAS), जिसका शीर्षक इन्सडॉक लिस्ट ऑफ करेंट साइंटिफिक लिटरेचर (INSDOC List of Current Sicentific Literature) था, से संबंधित उपयोग सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के फलस्वरूप इन्सडॉक को इस सामयिक जागरूकता सेवा बंद करनी पड़ी एवं इंडियन साइंस एब्सट्रैक्ट्स (Indian Science Abstracts) का संकलन शुरू करना पड़ा। इस दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उपयोग के संबंध में 1965 में कार्ल एम. व्हाइट (Carl M. White) द्वारा किया गया अध्ययन है। इसी वर्ष इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरिज एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स (IASLIC: Indian Association of Special libraries and Information Centre) ने 'उपयोक्ताओं और पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं (Users and Library & Information Services)' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यद्यपि इस संगोष्ठी में किसी उल्लेखनीय अध्ययन या सर्वेक्षण की चर्चा नहीं की गई फिर भी इसने विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के अधिकारियों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करने में सहायता की।

सन् 1967 में इन्सडॉक ने इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) के क्षेत्र में कार्यरत शोधकर्त्ताओं की सूचना आवश्यकता एवं सूचना संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए एक आरंभिक सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन ग्रिड (Electronics Information Grid) के निर्माण के संबंध में किया गया था। इस अध्ययन में साक्षात्कार तकनीक और प्रश्नावली विधि का उपयोग किया गया था। इसके निष्कर्षों को यद्यपि ये अनिवार्यतः किस्म के थे, एक प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस दिशा में एक अन्य

छात्र क्रियाकलाप

1. उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए।

2. उपयोक्ता अध्ययन के लिए भारत में किए गए प्रयासों को समझाइए।

नोट

महत्त्वपूर्ण प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रो. कृष्ण कुमार द्वारा किया गया सर्वेक्षण था जो विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यापकों और अनुसंधान-छात्रों की सूचना-संबंधी आवश्यकताओं और सूचना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए किया गया था। यह सर्वेक्षण प्रश्नावली (Questionnaire) और साक्षात्कार (Interview) के माध्यम से संचालित किया गया था।

यद्यपि पुस्तकालय उपयोक्ताओं के लिए ही होते हैं परंतु भारतीय पुस्तकालय व्यवसाय में होने वाले अनुसंधानों में इस प्रणाली के 'उपयोक्ता' घटक को गंभीरता से नहीं लिया गया है यद्यपि अब परिस्थितियाँ धीरे-धीरे बदल रही है और 'उपयोक्ता' घटक पर ध्यान दिया जा रहा है।

उपयोक्ता शिक्षा (User Education)

परिचय (Introduction)

उपयोक्ता शिक्षा का अर्थ है पुस्तकालय के उपयोग के लिए पाठकों को शिक्षित करना। इसके अंतर्गत पाठकों को पुस्तकालय, पुस्तक व्यवस्था, पुस्तकालय तकनीक आदि से परिचित कराकर उन्हें इस योग्य बना दिया जाता है कि वे बिना किसी सहायता के पुस्तकालय का पूरा उपयोग कर सकें।

पुस्तकालय द्वारा पाठकों की सहायता का विचार नया नहीं है। वास्तव में, संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य पाठकों की सहायता करना है। इस विचार को सबसे पहले सन् 1876 में एस.एस. ग्रीन ने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (American Library Association) के प्रथम सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। इस प्रकार उपयोक्ता शिक्षा का बीज ग्रीन ने 1876 में ही बो दिए थे। पुस्तकालय जगत में पाठक-शिक्षा का सुसंबद्ध रूप में प्रयोग पैट्रिसिया बी. क्नेप (Patrecia B.Knap) ने किया। सन् 1964 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसका मुख्य उद्देश्य "पुस्तकालय और महाविद्यालय अध्यापन के बीच अधिक सजीव संबंध विकसित करने की विधि" की खोज करना था। इस परियोजना का आयोजन वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के मोनटीथ कॉलेज (Wayne state university monteith college) ने किया था। अर्लहैम कॉलेज (Earlham College) ने भी न्यूनाधिक इन्हीं पद्धतियों पर उपयोक्ता शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया था। इसके बाद अनेक स्थानों पर यह योजना चलाई गई।

परिभाषा (Definition)

उपयोक्ता शिक्षा की कुछ स्वीकृत परिभाषाएँ इस प्रकार हैं–

उपयोक्ता शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया या कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे सूचना के सशक्त एवं संभावित उपयोक्ताओं (चाहे वे वैज्ञानिक, अभियंता, प्रौद्योगिकीविद, शिक्षाविद् या छात्र हों) को सूचना के मूल्य के बारे में भिज्ञ किया जाता है और सूचना संसाधनों के उपयोग के लिए अभिप्रेरित किया जाता है।

गोर्डन राइट (Gordon Wright) ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि छात्र को पुस्तकालय का उपयोग करने के बारे में बहुत अलग रखकर नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि उसे शिक्षा की सतत् प्रक्रिया के रूप में मानना होगा जिसमें संचार के विभिन्न फलक इतने घुले-मिले होते हैं कि अलग नहीं किए जा सकते।

जैक्वेस टोकाट्लियन (Jacques Tocatlian) ने 'उपयोक्ता शिक्षा' की परिभाषा में ऐसे हर प्रयास या कार्यक्रम को शामिल किया है जो मौजूदा और संभावित उपयोक्ताओं के मार्गदर्शन और अनुदेशन के लिए व्यक्तिगत रूप में या समष्टिगत रूप में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित कर सकें–

- अपनी स्वयं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना;
- इन आवश्यकताओं का निरूपण करना;
- सूचना सेवाओं का प्रभावी और दक्षता के उपयोग करना और
- इन सेवाओं का निर्धारण करना।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'उपयोक्ता शिक्षा' का संबंध सूचना और संचार की संपूर्ण प्रक्रिया से होता है और इसके एक भाग में उपयोक्ता की पुस्तकालय के साथ पूर्ण अंतरक्रिया शामिल होती है। उपयोक्ता शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है जो विद्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालयों से प्रारंभ होती है और ऐसी संभावना रहनी चाहिए कि इसे शैक्षिक और विशिष्ट पुस्तकालयों तक विस्तारित किया जा सके। उपयोक्ता शिक्षा पुस्तकालय का केंद्र होती है।

उद्देश्य (Aims)

नोट

सुगमता की दृष्टि से लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को 3 मुख्य वर्गों में रखा जा सकता है–संज्ञात्मक, भावात्मक एवं मन: चालित। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के उद्देश्यों को विशेष-तौर से संज्ञानात्मक और भावात्मक क्षेत्रों में खोजा जाना चाहिए।

- संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध विभिन्न अवधारणाओं को समझने से होता है।
- भावात्मक उद्देश्यों का संबंध भावनाओं तथा अनुभूतियों से होता है, जैसे छात्र शैक्षिक रूप से वांछनीय व्यवहार करना चाहता है और करता है या नहीं तथा सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयों संसाधनों का प्रयोग करने में आनंद की अनुभूति करता है या नहीं।
- मन:चालित लक्ष्यों और उद्देश्यों का संबंध समन्वित भौतिक क्रियाकलाप से होता है, जैसे कम्प्यूटर टर्मिनल का उपयोग करना। सामान्यतया, संज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों में निकट संबंध होता है।

पुस्तकालय में संग्रह की गई सूचना के सक्रिय रूप से उपयोग को अभिप्रेरित करने का एक तरीका पुस्तकालय उपयोक्ता को यह सिखाना है कि उपलब्ध सामग्री में से सूचना कैसे प्राप्त की जाए। अत: किसी भी प्रकार के पुस्तकालय के लिए उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम का सामान्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान करना है। विशिष्ट पुस्तकालयों में विज्ञान, चिकित्सा या प्रौद्योगिकी जैसे विषयों के लिए जिनमें साहित्य की वृद्धि बहुत तीव्र है, उपयोक्ता शिक्षा की जरूरत पड़ती है।

पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा एक अलग शैक्षिक विषय नहीं है। इसमें ऐसे कौशलों की श्रेणी शामिल है जो विभिन्न शैक्षिक अध्ययनों के संबंध में प्रयोग में लिए जा सकते हैं। अत: पुस्तकालय उपयोग से संबंधित शिक्षा को विभिन्न शैक्षिक विषयों के अध्यापन कार्यक्रमों के साथ निकट रूप से समेकित (Integration) करना चाहिए। इसलिए इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में पुस्तकालय के कर्मचारियों, शैक्षिक कर्मचारियों और छात्र-समुदाय के सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है।

स्क्रिवेनर ने उपयोक्ता शिक्षा के उद्देश्यों को इस प्रकार बताया है–

- पुस्तकालय की भौतिक, ग्रंथात्मक और वैचारिक व्यवस्थाओं की जानकारी;
- प्रत्येक स्थिति के लिए उपयुक्त साधनों या स्रोतों की जानकारी;
- स्वयं अपनी जरूरतों को समझने की योग्यता जिससे कि उपयुक्त प्रश्नों की अभिकल्पना हो सके;
- खोज करने की तकनीकों की जानकारी जिनमें सेवा के योग्य कार्यों की योजना बनाने की योग्यता एवं
- छात्रों को अपने स्रोतों का मूल्यांकन करने और अपनी सामग्री को प्रस्तुत करने की कला में निपुणता हासिल करना।

स्वीडन की चार्म्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी (Charmes University of Technology Library) में उपयोक्ता शिक्षा के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित निर्धारित किया है–

- सूचना पुनर्प्राप्ति की समस्याओं के निराकरण के लिए वैज्ञानिक संचार के सिद्धांतों को प्रयोग में लेने की योग्यता;
- पुस्तकालय में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों को उपयोग में लेने की योग्यता जिससे कि जब भी आवश्यकता हो, अध्ययन और बाद में किए जाने वाले शोधकार्य के संबंध में उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके।

अध्यापन विधियाँ (Teaching Techniques)

पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के लिए निम्नलिखित अध्यापन विधियाँ हैं–

• **व्याख्यान** (Lecture)–व्याख्यान अध्यापन की सबसे सामान्य विधि है। इनका प्रयोग छात्रों के बड़े समूहों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। अध्यापन की व्याख्यान विधि में श्रव्य और साथ ही दृश्य संवेदी निवेशों ब्लैकबोर्ड (Blackboard) तथा ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead Projector) दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि की आलोचना कई आधार पर किया जाता है जैसे पुस्तात्मक आँकड़ों के बारे में सूचना देने में यह विधि अनुपयुक्त है एवं व्याख्यान आरंभिक छात्रों की अपेक्षा अपने विषय के परिपक्व-समूह के श्रोताओं

नोट

के लिए अधिक लाभप्रद हो सकता है। फिर भी इस विधि में व्यक्तिगत अंतरक्रिया के अवसर मिलते हैं तथा छात्रों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त होती है।

• **संगोष्ठियाँ, शिक्षकीय कक्षाएँ तथा प्रदर्शन** (Seminars, Tutorials and Demonstratations)–संगोष्ठियों, शिक्षकीय कक्षाओं तथा प्रदर्शन का आयोजन छात्रों या उपयोक्ताओं के छोटे समूहों के लिए किया जाता है। व्याख्यान विधि की तुलना में ये ऐसी विधियाँ हैं जो अध्यापकों और छात्रों के बीच अपेक्षाकृत अधिक अन्योन्य क्रिया को सुनिश्चित करती हैं और सीखने की प्रक्रिया में उपयोक्ताओं को सक्रिय रूप में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। इस विधि द्वारा यह देखना संभव है कि छात्र प्रायोगिक अभ्यासों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं या नहीं। प्रायोगिक सत्रों में छात्रों से उनकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होते हैं।

• **निर्देशित पुस्तकालय-दर्शन** (Guided-Library Tour)–यह एक परंपरागत पद्धति है जिसे सामान्यतः नए छात्रों को पुस्तकालय के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए दिया जाता है। जानकारी देने का कार्य उन छात्रों के लिए किया जाता है जो पुस्तकालय उपयोग करने के लिए पूरी तरह अभिप्रेरित नहीं हुए हों।

यह विधि तब अधिक कारगर होती है जब वह मुद्रित या श्रव्य रूप में हो और उसके बाद उसमें उपयुक्त अभ्यास कराया जाए। इस विधि के अंतर्गत पुस्तकालय उपयोक्ताओं को वास्तव में पुस्तकालय भवन में ले जाया जाता है जहाँ वे सामग्री के स्थान पता लगाने, प्रलेखों की प्रतिलिपि तैयार करने, प्रसूची (Catalogue) का उपयोग करने तथा अन्य सामान्य कार्यों से संबंधित कार्य करते हैं।

• **दृश्य-श्रव्य विधियाँ** (Audio-visual Method)–हाल के वर्षों में पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा में इस विधि का काफी महत्त्व बढ़ गया है। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय शिक्षा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें चलचित्रों का उपयोग अनिवार्य होता है। इनके द्वारा सूचना के इकाइयों की एक शृंखला (Series) में प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे स्लाइडों (Slides), पारदर्शी-चित्रों या मुद्रित चित्रों द्वारा। टेप/स्लाइड माध्यम या मुद्रित सामग्री के साथ-साथ श्रव्य टेपों का प्रयोग पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। इससे सुगम्यता, स्थायी उपलब्धता, प्रदर्शित करने की गति और सुस्पष्टता बनी रहती है।

• **योजनाबद्ध अनुदेशन विधि** (Programmed Instruction Method)–इस विधि को विभिन्न माध्यमों जैसे मुद्रित पुस्तकों (Printed Books), स्लाइडों के स्वचालित रूप में प्रदर्शित करने या कम्प्यूटर की सहायता से अनुदेशन (CAI, Computer Aided Instruction) के जैसे विभिन्न माध्यमों के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। इस विधि से अनेकों लाभ हैं जैसे--छात्र या उपयोक्ता अपने कार्य-स्थल पर कार्य कर सकते हैं। वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपनी प्रगति के संबंध में ही प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अध्यापकों के लिए भी छात्रों की प्रगति का अभिलेख प्राप्त करना संभव है।

• **संकेत तथा सूचनात्मक लेखाचित्र कला** (Sign & Informational Graphics)–संकेत तथा सूचनात्मक लेखाचित्र कला पुस्तकालय सुपरिचितकरण के लिए उपलब्ध सर्वाधिक बुनियादी विधियों में से एक है। अमेरिका में हाल के वर्षों में उपयोक्ता शिक्षा के इस विधि पर काफी प्रगति हुई है और इस क्षेत्र में अनेक पुस्तिकाएँ और संदर्शिकाएँ तैयार की गई है। यद्यपि अभिकल्पित संकेत काफी खर्चीले होते हैं परंतु यह खर्च एक प्रकार से एक अच्छा निवेश हो जाता है क्योंकि ऐसे संकेत लंबे समय तक काम में लाए जा सकते हैं और पुस्तकालय के भौतिक अवरोधों से छुटकारा मिल सकता है।

• **संदर्भ डेस्क पर व्यक्तिगत अनुदेशन** (Personal Instruction on Reference Desk)–ऐसा कहा जाता है कि संदर्भ डेस्क पर व्यक्तिगत रूप में प्रदान की गई सेवा पुस्तकालय अनुदेश का सर्वोत्तम प्रकार है। इसका कारण यह है कि कोई उपयोक्ता पुस्तकालय के किसी भाग के उपयोग के बारे में प्रश्न तभी करता है जब उसे उस पहलू के संबंध में सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तब छात्र या उपयोक्ता सीखने की प्रक्रिया से जुड़ जाता है और उसे एक विशेषज्ञ से शिक्षा मिल जाती है।

ऊपर की चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्यापन की विधियों, माध्यमों, सीखने और अध्यापन की स्थिति तथा विषय संबंधी सामग्री को उन लोगों के अनुसार चुनना चाहिए जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है। इनका चयन इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस प्रशिक्षण प्रक्रिया में कौन से अध्यापक भाग ले रहे हैं। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा की विधियों और माध्यमों में छात्र या उपयोक्ता को सक्रिय रूप में तब लगाया जाना चाहिए जब वह अभिप्रेरित महसूस करें।

छात्र क्रियाकलाप

1. उपयोक्ता शिक्षा की अध्यापन विधियों में कौन-कौन सी विधि सर्व प्रमुख हैं?

2. उपयोक्ता शिक्षा की उपयोगिता क्या है?

नोट

उपयोक्ता शिक्षा की आवश्यकता एवं लाभ
(Need and Advantages of User Education)

आवश्यकता (Need)

पुस्तकालय पाठकों के लिए बनाए जाते हैं। पुस्तकालय में रखा गया प्रत्येक पुस्तक एवं प्रलेख इसीलिए खरीदा तथा व्यवस्थित किया जाता है कि पाठक उसका उपयोग कर सकें। इसलिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले; प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले एवं इस कार्य में पाठक का समय बचे। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ नियम की माँग यही है क्योंकि पुस्तकें बोल नहीं सकती हैं। उपयोक्ता शिक्षा न केवल इसे सुनिश्चित करती है बल्कि यह कार्य पुस्तकालय कर्मचारी की प्रत्यक्ष सहायता के बिना भी होने लगता है।

आजकल पुस्तकालय में कम्प्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए पाठकों को मैन्यूली (Manually) उपयोक्ता शिक्षा के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण (OPAC) की भी शिक्षा देना अनिवार्य है जिससे उपयोक्ता अपनी पसंद की सामग्री को बिना किसी की सहायता के खोज सकते हैं। पुस्तकालय तकनीकों (वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणी, वाङ्मय सूची, पुस्तक आदान-प्रदान प्रणाली आदि), पुस्तकालय के विभिन्न विभाग इन सब की जानकारी उपयोक्ता को देने के लिए उपयोक्ता शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

लाभ (Advantages)

उपयोक्ता शिक्षा के निम्नलिखित लाभ इस प्रकार हैं–

- यह पुस्तकालय सामग्री का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है और पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय एवं तृतीय नियम की माँग को पूरा करता है।
- उपयोक्ता शिक्षा से समय की बचत होती है एवं इस प्रकार यह पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम की माँग को पूरा करता है। पुस्तकालय तकनीकों तथा पुस्तकालय संग्रह की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद उपयोक्ता कम समय में अपनी वांछित सूचना प्राप्त कर लेता है।
- उपयोक्ता शिक्षा के द्वारा पाठक किसी की सहायता के बिना ही वांछित सूचना या सामग्री खोज लेता है। इससे उसमें आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है एवं
- पाठक के समय की बचत के साथ-साथ पुस्तकालय कर्मचारियों के समय की भी बचत होती है। अतः पुस्तकालय कर्मचारी इस बचे हुए समय का सदुपयोग पुस्तकालय के अन्य कार्य में करते हैं।

सारांश (Summary)

उपयोक्ता अध्ययन से संबंधित इस इकाई पुस्तकालय या सूचना प्रणाली के 'उपयोक्ता' की व्याख्या की गई है। उपयोक्ता अध्ययन के इस इकाई में पुस्तकालय सूचना प्रणालियों की अभिकल्पना (Design) और निर्माण का प्रमुख उद्देश्य सुनिश्चित वर्ग के लोगों अर्थात् उपयोक्ता की सूचना संबंधी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसलिए उपयोक्ता ही सभी स्तरों पर समस्त सूचना संबंधी क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है। ऐसी परिस्थिति में उपयोक्ताओं के अध्ययन करते रहने से सूचना प्रणाली की उपयोगिता दीर्घ समय तक बनी रहती है और इसके न किए जाने से सूचना प्रणाली की उपयोगिता घटती जाती है। उपयोक्ता अध्ययन करते रहने से उपयोक्ताओं की गहन जानकारी प्राप्त करने के प्रयासों में सफलता मिलती है।

इसी तरह इस इकाई में प्रस्तुत उपयोक्ता शिक्षा की विचारधारा, इसके उद्देश्यों, पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा में उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए विभिन्न विधियों एवं इसके लाभ एवं आवश्यकता का विशद् रूप से वर्णन किया गया है।

मुख्य शब्द (Key Words)

- **उपयोक्ता** (User)–वह व्यक्ति जो पुस्तकालय के सूचना संसाधनों, सूचना प्रणाली की सेवाओं और उत्पादों का उपयोग करता है एवं उनसे लाभ प्राप्त करता है।

नोट

- **उपयोक्ता अध्ययन** (User Studies)–सूचना प्राप्त करने और उपयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा सूचना उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुसंगत प्रयासों को उपयोक्ता अध्ययन कहते हैं।
- **उपयोक्ता श्रेणियाँ** (User Categories)–उपयोक्ता के प्रकार, शैक्षिक पृष्ठभूमि, बौद्धिक स्तर और सूचना की आवश्यकता के अनुसार उपयोक्ताओं को सुनिश्चित श्रेणियों में वर्गीकृत करने को उपयोक्ता श्रेणी कहते हैं।
- **उपयोक्ता समादेश** (User Warrant)–उपयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा अपनी सूचना-परक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई माँग को उपयोक्ता समादेश कहा जाता है।
- **उद्देश्य** (Goal)–इसका प्रयोग विशिष्ट अल्पकालिक लक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिनकी मुख्य लक्ष्यों के साथ सहमति होती है।
- **मन:चालित लक्ष्य एवं उद्देश्य** (Psychometer Goals and Objective)–इसका संबंध समन्वित भौतिक क्रियाकलापों से होता हैं जैसे कम्प्यूटर टर्मिनल का उपयोग।
- **संज्ञानात्मक लक्ष्य एवं उद्देश्य** (Cognitive Goals and Objective)–इसका संबंध विभिन्न संकल्पनाओं को समझने से है। प्रभाव क्षेत्र के भीतर इन्हें जटिलता की मात्रा के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है।

मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. उपयोक्ता को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं को लिखें।
   Define users and write the characteristics of users.
2. उपयोक्ता अध्ययन की तकनीकों की व्याख्या करें।
   Explain the techniques of user study.
3. उपयोक्ता शिक्षा को परिभाषित करें एवं इसके उद्देश्यों को लिखें।
   Define the user education and write the objective/aims of user education.
4. उपयोक्ता शिक्षा की विधियों की व्याख्या करें।
   Explain the techniques of user education.
5. *इन पर टिप्पणी लिखें:*
   Write notes on the following:
   (*i*) उपयोक्ता अध्ययन की श्रेणियाँ
   Categories of user studies.
   (*ii*) उपयोक्ता शिक्षा की आवश्यकता एवं लाभ
   Need and advantage of user education.

प्रस्तावित पाठ्य-पुस्तक (Suggested Readings)

Devarajan, G : Library Information user and user studies. New Delhi : Beacon Books, 1995

Fjallbrant, Nancy and Malley, Ian : Users education in Libraries, Indeed Clive Binglay, London, 1984

Girja Kumar and Krishan Kumar : Philosophy of user Education. New Delhi : Vikas Publishing house, 1983

Guha, B Technique of : –User Studies, Paper 11. 3. *in DST Course material.* New Delhi : INSDOC, 1976

नोट

Kawatra, P.S. : User studies : A manual for librarians & Information scientists. Bombay : Jaico Publishing House, 1992

Krishna Kumar : User Survey Concerning Teachers & Research Scholars in the Department of Chemistry, university of Delhi. Annual library Science Documentation, 1964

White, Care M : A Survey of the University of Delhi Library Delhi : University of Delhi, 1965.